# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

**अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या: 19**

**गुरुवार,**

**18 मार्च 2021**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न। श्रीमती जाहिदा खान।

### कामां के सोनोखर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की कार्ययोजना

**336. श्रीमती जाहिदा खान** (कामां): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कामां के सोनोखर रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं विकास की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, पानी व सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री परसादी लाल): (1) भरतपुर जिले की तहसील कामां में ग्राम सोनोखर की 100 बीघा राजकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र जुरहरा स्थापित है। भरतपुर जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु जिला कलेक्टर, भरतपुर को उपयुक्त राजकीय भूमि चिह्नीकरण हेतु लिखा गया था, जिसके जवाब में तहसीलदार, कामां द्वारा पत्र दिनांक 05.03.2020 से अवगत कराया गया कि तहसील क्षेत्र में 10 हैक्टेयर या इससे अधिक सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। औद्योगिक क्षेत्र जुरहरा के विस्तार के लिए जिला कलेक्टर, भरतपुर को पत्र दिनांक 25.02.2021 से उपयुक्त राजकीय/चरागाह भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुन लिखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु उपयुक्त राजकीय भूमि की उपलब्धता होने पर सोनोखर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। वर्तमान में सोनोखर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र जुरहरा (सोनोखर) में बिजली, पानी व सड़क की मरम्मत हेतु वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 8.00 लाख का बजट प्रावधान लिया गया था। इसमें से जल वितरण योजना एवं स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव पर अब तक रुपये 0.95 लाख का व्यय किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए मरम्मत के मद में वर्ष 2021-22 में रुपये 4.00 लाख का बजट रखा जाना प्रस्तावित है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)**

**श्रीमती जाहिदा खान** (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि कामां विधान सभा क्षेत्र राजस्थान में एन.सी.आर. के सबसे ज्यादा नजदीक है। अगर इसको डवलप किया जाए तो यहां पर विकास होने की बहुत सम्भावना है और ब्रज, मेवात क्षेत्र में जो पिछड़ापन है वह इससे दूर हो सकता है। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यहां पर सरकार जमीन एक्वायर करके इसको डवलप करे। इससे यहां पर दिल्ली से शिफ्ट होने वाली इण्डस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न करें, प्रश्न। प्रश्न क्या है आपका?

**श्रीमती जाहिदा खान** (कामां): मैं यही कहना चाहती हूं कि सरकार वहां पर जमीन एक्वायर करके औद्योगिक क्षेत्र डवलप करना चाहेगी?

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने जवाब में बताया कि वहां पर दस बीघा सिवायचक भूमि है। हमने दुबारा जिला कलेक्टर को दिनांक 25.02.2021 को फिर लिखा है कि अगर वहां पर उसका विस्तार करने के लिए जमीन अवेलेबल हो तो बताएं। यदि जमीन अवेलेबल हो तो उसका विस्तार कर देंगे।

**श्रीमती जाहिदा खान** (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाह रही हूं कि क्या सरकार का जमीन एक्वायर करके डवलप करने का विचार है? पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी जमीन है, या यह वहां पर डवलप कर सकते हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के पास से ही फोरलेन सड़क निकल रही है।

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां के लिए भी जिला कलेक्टर का पत्र आएगा, कामां विधान सभा क्षेत्र में जहां भी जमीन अवेलेबल होगी, सिवायचक भूमि, चरागाह भूमि, जो भी है और चरागाह

(श्री परसादी लाल)

भूमि को सरकार तब अलाउ करती है जब उतनी ही सिवायचक भूमि को हम चरागाह भूमि कर दें। अगर इस तरह की अवेलेबिलिटी होगी तो कलेक्टर की रिपोर्ट आते ही इसका विस्तार कर देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्या यह पूछ रही हैं कि एक्वायर करके आप करना चाहते हैं क्या? उनका सीधा प्रश्न यह है।

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी किसानों की जमीन एक्वायर करना सरकार की नीति में नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। कुमारी रीटा चौधरी।

## झुंझुनूं के पीपी.पी. मोड पर संचालित चिकित्सालय

**337. सुश्री रीटा चौधरी** (मण्डावा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.पी.पी. मोड पर दिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे स्वास्थ्य केन्द्रों को कब-कब उक्त मोड पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र में जन विरोध को देखते हुए पी.पी.पी. मोड पर दी गयी स्वास्थ्य संस्थाओं को वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री रघु शर्मा): (1) झुंझुनूं जिले में वर्तमान में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पी.पी.पी. मोड पर संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

झुंझुनूं जिले में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपी.पी. मोड पर संचालित नहीं है।

(2) जी हां। पी.पी.पी. मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानों की समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व की भांति इनका संचालन किया जाएगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

**सुश्री रीटा चौधरी** (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि इनकी समयावधि क्या है? इनमें इतनी अनियमितताएं और बार-बार शिकायतें होती हैं तो ये बताएं कि इन संस्थाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मूल्यांकन किस

(सुश्री रीटा चौधरी)

आधार पर होता है? तीसरा प्रश्न भी मैं अभी पूछ लेती हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बिना नीति निर्धारण किये हुए पी.पी.पी. मोड पर दे दिया गया था। निजी सहभागिता से संचालित करने के पीछे क्या उद्देश्य है?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववती सरकार के 2015-16 के बजट बिन्दु 115 में इनके द्वारा राजस्थान की 70 पी.एच.सी. और 26 यू.पी.एच.सी., शहरी क्षेत्रों की, उनको इन्होंने पी.पी.पी. मोड पर देने का यह कहकर फैसला लिया था कि देश के चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सालय, ट्रस्ट तथा जनरल प्रैक्टिशनर्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पी.एच.सी. चलाये जाने की रन ए पी.एच.सी. योजना लागू की जाएगी। उसके तहत एग्जिस्टिंग पी.एच.सीज को संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा तथा सरकार द्वारा इनको एकमुश्त राशि दी जाएगी। ये जो 9 पी.एच.सी. हैं, इनमें झुंझुनूं जिले की भी हैं और चूंकि इनके पास डाक्टर्स नहीं थे, इनके पास नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, इस वजह से इन लोगों ने पी.पी.पी. मोड पर देने की बात की। उस दिन डिमांड के दिन भी मैंने कहा था कि हमने पर्याप्त डाक्टर्स की भर्ती कर ली है, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती कर ली है। अब वह समस्या रही नहीं है, इसलिए जब-जब इनका टर्म खतम होगा, कुछ पी.एच.सी. का 2016 में एम.ओ.यू. किया गया और 7 पी.एच.सी. का 2017 में एम.ओ.यू. किया गया, जब इनका टर्म खतम होगा तो मैं सदन में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल झुंझुनूं की बल्कि राजस्थान की 70 पी.एच.सी. हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने पी.पी.पी. मोड पर दी हैं, हम उनको खुद संचालित करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री विजयपाल मिर्धा।

## डेगाना में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद

**338. श्री विजयपाल मिर्धा** (डेगाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के कितने केन्द्र कहां-कहां पर किस-किस योजना के तहत स्थापित किये गये हैं? वर्ष 2020-21 में मूंग खरीद का विधान सभा क्षेत्रवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2020-21 में कुल कितने टोकन कटे थे तथा कितने टोकनों से मूंग खरीदे गये तथा कितने शेष हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजयपाल मिर्धा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त केन्द्र द्वारा लक्ष्य अनुरूप मूंग नहीं खरीदे जाने के कारण किसानों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार अब शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सहकारिता मंत्री** (श्री अंजना उदयलाल): (1) नागौर जिले में खरीफ 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत मूंगफली के कुल 8 क्रय केन्द्र- डीडवाना, डेगाना, खींवसर, लाडनूं, मेड़ता, कुचामन, नागौर क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं तिलम संघ, मेड़ता क्रय केन्द्र स्थापित किये गये तथा मूंग के 15 क्रय केन्द्र- डीडवाना, डेगाना, गच्छीपुरा, खींवसर, लाडनूं, मेड़ता, कुचामन, नागौर, परबतसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति, रियां बड़ी (मेड़ता क्र.वि.स.स. का उप केन्द्र), जायल (नागौर क्र.वि.स.स. का उप केन्द्र), खोखर (परबतसर क्र.वि.स.स. का उप केन्द्र), जालसू खुर्द एवं जारोड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा तिलम संघ, मेड़ता क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। नागौर जिले में खरीफ वर्ष 2020-21 में क्रय किये गये मूंग का विधान सभावार तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन विक्रय हेतु किसानों के टोकन नहीं काटे जाते हैं, अपितु किसानों का ऑनलाइन पंजीयन कर खरीद दिनांक आवंटित करते हुए तुलाई हेतु मोबाइल फोन पर मैसेज प्रेषित किये जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में डेगाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं जालसू खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति पर मूंग खरीद हेतु कुल 3,449 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया था। पंजीकृत सभी किसानों को खरीद दिनांक आबंटित की गयी थी, परन्तु किसानों द्वारा उक्त क्रय केन्द्र पर मूंग विक्रय नहीं किया गया।

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में डेगाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं जालसू खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति पर पंजीकृत सभी किसानों को खरीद दिनांक आबंटित की गयी थी, परन्तु किसानों द्वारा मूंग विक्रय नहीं किया गया। मूंग खरीद की अवधि दिनांक 29.01.2021 को पूर्ण हो चुकी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

**श्री विजयपाल मिर्धा** (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से मंत्रीजी ने जवाब दिया

(श्री विजयपाल मिर्धा)

है, कुल 3,449 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। क्या कारण रहे कि एक भी किसान के मूंग जालसू और डेगाना मंडी में नहीं खरीदे गये? जो ऑनलाइन टोकन सिस्टम है, उसमें किसान जब ई-मित्र पर जाता है तो वहां पर उसको वेट करना पड़ता है और जब उसका नम्बर आता है तो उसका मैसेज उसके बाद में आता है तो क्या इस सिस्टम को सुधारने का माननीय मंत्रीजी विचार रखते हैं?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जहां तक मूंग नहीं खरीदने का कारण है, बाजार भाव ऊंचा चल रहा था और समर्थन मूल्य कम था, इसलिए किसी भी किसान ने आकर अपना मूंग नहीं दिया। (व्यवधान) समर्थन मूल्य पर तो किसान तब तुलवाते हैं, जब बाजार भाव नीचे हो और समर्थन मूल्य ऊपर हो, तो आते हैं। इस वर्ष समर्थन मूल्य से बाजार भाव ऊंचे रहे, इसलिए मूंग नहीं तुले हैं, यही एक कारण था।

जहां तक किसानों के टोकन द्वारा पारदर्शिता का सवाल है तो इस सरकार के आने के बाद पारदर्शिता अपनायी गयी है, ताकि किसानों को भटकना नहीं पड़े और किसानों का माल सही तुल सके। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। इससे किसानों के लिए सुविधा बढ़ी है। अगर उसमें आपको कोई त्रुटि महसूस हो तो वह बताएं, उसमें सुधार कर लिया जाएगा।

**श्री विजयपाल मिर्धा** (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया, कोई किसान यदि अपने मूंग लेकर भी जाता है तो गुणवत्ता चैकिंग का क्या आधार है? किस बेसिस और गाइडलाइन पर उस मूंग की जांच होती है और फिर तुलाई होती है? क्या उसे भी सुधारने का आप कोई विचार रखते हैं?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए अधिकारी नियुक्त हैं। इस साल जहां-तहां बरसात से मूंग खराब हो गये हैं, जिसके कारण वे तुलाई में असमर्थ रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के मूंग होते हैं तो वे बाजार में वैसे ही बिक जाते हैं। अब घटिया माल सहकारी समिति पर तुलवाने आएंगे तो अधिकारी लेने में आनाकानी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

## मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स का नियमितीकरण

**339. श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती इन्द्रा)

(1) प्रदेश के मदरसों में कुल कितने पैराटीचर्स कब से कार्यरत हैं व उक्त को कितना मानदेय दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के मदरसों में पैराटीचर्स की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में कई मदरसे बंद हो गये हैं? यदि हां तो क्या सरकार उन्हें पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**अल्पसंख्यक मामलात मंत्री** (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत प्रदेश के मदरसों में कुल 5,686 पैराटीचर्स कार्यरत हैं। पैराटीचर्स को राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा रखे जाने का वर्ष तथा उन्हें दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)म.म./2019, दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकी दास कल्ला, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना मंत्री स्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है। प्रकरण उक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में प्रदेश के मदरसों में पैराटीचर्स की भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में शून्य नामांकन, मदरसा कमेटी के स्वयं के प्रार्थना-पत्र द्वारा मदरसा चलाने में असमर्थता प्रकट करने, शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त मदरसों को डी-रजिस्टर्ड (अपंजीकृत) किया जाता है। विगत 5 वर्षों में डी-रजिस्टर किये गये मदरसों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

बन्द मदरसों को रजिस्टर करने के लिए मदरसा प्रबंधन कमेटी द्वारा

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर तथा राजस्थान मदरसा बोर्ड में नियमानुसार पंजीयन के लिए आवेदन करने पर मदरसों को पंजीकृत किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जो मदरसा पैराटीचर्स हैं, क्या सरकार उनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? मंत्री महोदय बताएं।

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे मानदेय में पिछले बजट में 15 परसेंट वृद्धि हुई थी। इस बार ऐसा कोई विचार नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

## किशनगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

**340. श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत पांच वर्षों में कहां-कहां पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कहां-कहां पर और कब तक? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अक्टूबर, 2018 के बाद से अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि नहीं की गयी है? यदि हां तो क्यों? क्या सरकार उक्त मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास** (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत पांच वर्षों में 6 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

बाल विकास परियोजना किशनगढ़ शहर:-

1. बजरंग कालोनी, वार्ड नं. 1
2. बजरंग कालोनी, वार्ड नं. 2

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

3. गांधी नगर रैगर मोहल्ला, वार्ड नं. 5

4. रजिया कालोनी, वार्ड नं. 13

बाल विकास परियोजना, अरांई:-

1. मदनपुरा, ग्राम पंचायत झिरोता

2. महला की ढाणी, ग्राम पंचायत भाभोलाव

उक्त केन्द्र वर्ष 2016-17 में खोले गये हैं।

(2) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र को स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं? भारत सरकार द्वारा रोक क्यों लगायी गयी है और यह रोक कब तक जारी रहेगी?

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का जो सिस्टम है, उसमें 400 से 800 की आबादी पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है और उसके अन्दर भी 25 प्रतिशत एस.सी.-एस.टी. का बाहुल्य हो, तब वह नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है।

भारत सरकार को पूर्व सरकार के समय भी पत्र भेजे गये और हमारी सरकार जब आयी तो हमने भी लगातार पत्र भेजे। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के सन्दर्भ में लगातार चार बार हम भारत सरकार को पत्र भेज चुके हैं। अन्तिम पत्र हमने 24 फरवरी को भेजा था। उससे पहले हमने 20 दिसम्बर, 2020 को भी भेजा था। उससे पहले हमने 15 अप्रैल, 2019 को भी पत्र भेजा था। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए हम लगातार भारत सरकार को पत्र भेज रहे हैं, लेकिन वहां से 28 जुलाई, 2015 के बाद से किसी प्रकार का पत्राचार नहीं हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। 341, पोस्टपोन।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इस प्रश्न में स्कोप ही नहीं है। प्लीज, बैठें आप। इसमें खोलने का विचार ही नहीं है तो क्या प्रश्न है आपका? बैठें आप प्लीज।

अगला प्रश्न। पोस्टपोन।

## जहाजपुर के जनजाति क्षेत्र में विकास कार्य

**341. श्री गोपी चन्द मीणा** (जहाजपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न नियमों द्वारा अपने-अपने विभागीय योजनाओं, सेवाओं के तहत कार्य किये जाते रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन विभागों द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के जनजातीय क्षेत्र में विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा विगत दो वर्षों से कार्य नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त अवधि में विभागवार क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों, जनजातीय सामाजिक संगठनों, क्षेत्रीय विधायक से प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृतियां, डी.पी.आर. व पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**(स्थगित)**

श्री अविनाश।

## जैतारण में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम की कार्ययोजना

**342. श्री अविनाश** (जैतारण): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत दो वर्ष में कितने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हुई तथा कितने श्रमिकों को उपचार हेतु सहायता व कितने श्रमिकों का मृत्यु उपरान्त मुआवजे का भुगतान किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये गये व कितने श्रमिकों को डस्ट मास्क वितरित किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री टीकाराम जूली): (1) मण्डल में पंजीकृत श्रमिक अथवा श्रमिक के आश्रित द्वारा सिलिकोसिस सहायता आवेदन करने पर ही योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता पाये जाने पर सहायता राशि दी जाती है। विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक के सिलिकोसिस होने का रिकार्ड संधारित

(राज्य मंत्री, श्रम)

नहीं किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत दो वर्षों (01.01.2019 से 31.12.2020) के दौरान मण्डल की सिलिकोसिस सहायता योजना के अन्तर्गत 32 पीड़ित हिताधिकारियों को व पांच प्रकरणों में मृत्यु उपरान्त आश्रितों को कुल 78 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। संख्या विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षों में पाली ज़िले में दिनांक 25.01.2019, 10.03.2019 एवं 24.02.2020 को सिलिकोसिस का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किये गये हैं। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को डस्ट मास्क व अन्य सुविधा उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अविनाश** (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित या मृत व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में किस-किस प्रकार की सहायता दी जा रही है? सिलिकोसिस बीमारी की इस सहायता को प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है, इसका विवरण बताएं। दूसरा, सिलिकोसिस बीमारी हेतु आपने मुझे खण्ड-2 में जो उत्तर दिया है, उसमें आपके पास में...

**श्री अध्यक्ष**: Please be relevant to the question. Don't be irrelevant. अलग क्वेश्चन हो जाता है। Be relevant to the question.

**श्री अविनाश** (जैतारण): खण्ड 2 में आपने मुझे बताया कि आपके पास में 77 आवेदन प्राप्त हुए। उसमें से आपने 37 को स्वीकृत किया। बाकी 40 को किस आधार पर रिजेक्ट किया, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य का पहले खण्ड का जो जवाब है, इसके अन्दर कोई भी हिताधिकारी श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित होने की सम्भावना पर राजस्थान सिलिकोसिस पोर्टल पर प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करता है, उसके पश्चात् उसे प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाना होता है और सिलिकोसिस की सम्भावना होने पर उसे जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड के प्रमाणीकरण हेतु रैफर किया जाता है। सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर श्रमिक का आवेदन जिला अधिकारी या नोडल सिलिकोसिस अधिकारी, जो कि ए.डी.एम. होता है, उसके यहां ऑनलाइन भेज दिया जाता है। जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रकरण को खनन या मण्डल हिताधिकारी होने के अनुसार

(श्री टीकाराम जूली)

खान या श्रम विभाग को भेजा जाता है। श्रम विभाग के प्रकरण जिला श्रम अधिकारी के द्वारा सत्यापित होने के उपरान्त सहायता राशि सीधे हिताधिकारी के बैंक खाते में दी जाती है। कोई भी इसके लिए अपील करना चाहे तो वह अपील भी कर सकता है। इसके अन्दर जो सहायता दी जा रही है, उसमें दो विभाग सहायता दे रहे हैं- खान विभाग और श्रम विभाग। जो हमारे बोर्ड का मैम्बर होता है, उसे जैसे ही यह पता चलता है कि सिलिकोसिस है तो उसे तीन लाख रुपये और मृत्यु उपरान्त दो लाख रुपये दिये जाते हैं। इसी प्रकार से खनन विभाग के द्वारा भी उसे पांच लाख रुपये की सहायता दी जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिलिकोसिस नीति की भी घोषणा की थी, जो बनायी गयी है और जो लागू की गयी है।

दूसरा, मैं यह बताना चाहूंगा कि इनके जो पीड़ित परिवार हैं, उन्हें अन्य सहायता के लिए भी 1,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन, सिलिकोसिस विधवा मां की पेंशन, बच्चों के लिए पालनहार योजना, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा और अन्य राजकीय कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है।

दूसरा, जो आपने पूछा है कि जो कैंसिल हुए हैं, कैंसिल का कारण यह होता है, क्योंकि इसके अन्दर प्रमाणित होना जरूरी है। जैसे ही कोई भी श्रमिक उसके अन्दर एप्लाई करता है तो उसके बाद हमारा डाक्टर है, बोर्ड बना हुआ है, वहां पर उसका सिलिकोसिस प्रमाणित होना जरूरी है। अगर डाक्टर लिखकर देगा सिलिकोसिस है तो उसे हम भुगतान करते हैं। दूसरा, वह हमारा भवन निर्माण श्रमिक होना भी जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा सिर्फ जो बोर्ड का अगर मैम्बर है तो ही उसे सिलिकोसिस की सहायता दी जाएगी। अगर कोई अन्य व्यक्ति इसके अन्दर एप्लाई करेगा तो फिर उसका फार्म रिजेक्ट होगा।

**श्री अविनाश** (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, आपने खण्ड एक में जिस प्रकार से उत्तर दिया कि विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक के सिलिकोसिस होने का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, खान विभाग और श्रमिक विभाग द्वारा दिया जाता है। जब आपके पास रिकार्ड ही संधारित नहीं होगा तो ये सारी सुविधाएं जो आप दे रहे हो, वे उस श्रमिक को किस आधार पर दी जाएंगी।

(श्री अविनाश)

दूसरा, आपने खण्ड 2 में मुझे उत्तर दिया, मैंने पूछा कि विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जैतारण में उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये गये? आपने उत्तर में यह कहा कि विगत दो वर्षों में पाली जिले में दिनांक 25.1.2019, 10.03.2019 और 24.02.2020 को सिलिकोसिस का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किये गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों में आपने जैतारण विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार के कितने कैम्प आयोजित किये?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न हो गया। माननीय प्लीज, बात हो गयी।

**श्री अविनाश** (जैतारण): कब-कब आयोजित किये और भविष्य में क्या आप इस प्रकार के कैम्प आयोजित करने का विचार रखते हैं?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने रिकार्ड संधारण का कहा है, मैं वही चीज कह रहा हूं कि हम रिकार्ड संधारण नहीं करते हैं। किसी के सिलिकोसिस है तो वह एप्लाई करता है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय रोहित जी, प्लीज। यहां आवाज आती है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): हमारी तरफ से उसका अलग से कोई संधारण नहीं करवाया जाता है। अगर हमारे यहां पर कोई एप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पर वह आन रिकार्ड आ जाएगा, पर हम जाकर एप्लाई नहीं करवाते हैं, हम चिह्नित नहीं करते हैं। श्रमिक आएगा कि उसको सिलिकोसिस है तो उसका रिकार्ड संधारित होता है, हम नहीं करते हैं।

दूसरा, आपने जो पूछा है, क्योंकि ये जो कैम्प हैं ये हम जिला हैडक्वार्टर पर लगाते हैं, विधान सभा क्षेत्रवाइज लगाने का इसमें प्रावधान नहीं है। फिर भी अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो आपके जैतारण में कैम्प लग जाएगा। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके यहां पर प्रोपर जैतारण में इस प्रकार के श्रमिक नहीं हैं, जिनको सिलिकोसिस बीमारी होती हो। वे लोग आसपास के इलाके में काम करने जाते हैं, वहां से यह होती है, इसलिए आप कहेंगे तो आपके यहां भी कैम्प लगा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा दूसरा विभाग कारखाना एवं बायलर विभाग है, वह भी इस प्रकार के अवेयरनैस कार्यक्रम करता रहता है और उसके द्वारा भी तीन कैम्प पाली में अलग से लगाये गये हैं। माननीय सदस्य अगर कहेंगे तो हम निश्चित तौर पर आपके यहां पर कैम्प लगवाकर श्रमिकों को राहत देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। मदन प्रजापत।

## बोरावास (पचपदरा) के राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय का क्रमोन्नयन

**343. श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय बोरावास, जिला बाड़मेर को क्रमोन्नत करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा** (डा. सुभाष गर्ग): वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय, बोरावास, जिला बाड़मेर को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: उत्तर मिल गया, बैठें आप।

अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान। माननीय सदस्य, हो गया, बैठें आप। श्रीमती शोभा चौहान।

## सोजत में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

**344. श्रीमती शोभा चौहान** (सोजत): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र कब-कब विकसित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री परसादी लाल): (1) पाली जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं:-

| **क्र.सं.** | **औद्योगिक क्षेत्र का नाम** | **विकसित करने की दिनांक** |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम चरण, पाली | 01.04.1979 |
| 2 | द्वितीय चरण, पाली | 01.04.1979 |
| 3 | मण्डिया रोड, पाली | 01.04.1979 |
| 4 | चतुर्थ चरण, पाली | 18.02.1995 |
| 5 | प्रथम/द्वितीय चरण, सोजत सिटी | 01.04.1980 |

(उद्योग मंत्री)

| क्र.सं. | औद्योगिक क्षेत्र का नाम | विकसित करने की दिनांक |
|---|---|---|
| 6 | तृतीय चरण, सोजत सिटी (अर्द्ध विकसित) | 01.04.2007 |
| 7 | मारवाड़ जंक्शन | 01.12.1981 |
| 8. | सुमेरपुर | 01.05.1983 |
| 9 | औद्योगिक सम्पदा, पाली | 01.04.1981 |
| 10 | औद्योगिक सम्पदा, सुमेरपुर | 01.04.1981 |
| 11 | जादरी-फालना (अर्द्ध विकसित) | 01.12.2014 |
| 12 | पुनायता | 01.07.2009 |
| 13 | नया गांव (अर्द्ध विकसित) | 12.12.2014 |

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में उपयुक्त राजकीय भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि के आरक्षण/आबंटन की कार्यवाही कर नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा सकती है। इस सम्बन्ध में वर्तमान में 2 प्रस्ताव विचाराधीन हैं:-

1. विधान सभा क्षेत्र सोजत में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु ग्राम सोजत प्रथम के खसरा संख्या 5,545 रकबा 450.21 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन पहाड़ का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व जमाबन्दी में खनिज सम्भावित क्षेत्र का नोट अंकित है। प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का परीक्षण कराये जाने हेतु स्थल चयन समिति का गठन कर दिया गया है। स्थल चयन समिति को नगरपालिका सोजत क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि के नगरपालिका सोजत क्षेत्र में होने से मास्टर प्लान में भू-उपयोग तथा खनिज सम्भावित क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य बिन्दुओं के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. सोजत विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने हेतु तहसील सोजत के ग्राम सरदारसमंद, सोपड़ावास एवं चन्दलाई की 1,346.29 हैक्टेयर राजकीय भूमि का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल द्वारा वाद संख्या 113/2015 पारित किया गया है। निर्णय दिनांक 20.02.2017 तथा रिव्यू

(उद्योग मंत्री)

एप्लीकेशन संख्या 9/2017, निर्णय दिनांक 27.11.2017, माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सरदारसमन्द बांध में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित भूमि के सम्बन्ध में इकाई प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश भूमि सरदारसमन्द बांध के 5 किलोमीटर की परिधि एवं कैचमेंट क्षेत्र में आ रही है।

**श्रीमती शोभा चौहान** (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि सोजत में डी.एम.आई.सी. के तहत नवीन औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव कब से विचाराधीन है? साथ ही प्रस्तावित भूमि के परीक्षण हेतु स्थल चयन समिति का गठन कब किया गया है तथा इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी?

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चयन समिति का गठन अभी 12 मार्च, 2021 को किया गया है और जल्दी ही इसकी रिपोर्ट देने के लिए हमने कहा है। एस.डी.ओ., सोजत भी इसके मैम्बर हैं और उद्योग विभाग, रीको के अधिकारी भी हैं। यह आर्डर आप कहो तो आपको दे देंगे। इनकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और जब रिपोर्ट आएगी और अगर क्लियरेंस आएगी कि नगरपालिका क्षेत्र में यह नहीं है, इसका मास्टर प्लान में नगरपालिका के उपयोग की या किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, जैसे ही प्रस्ताव आएगा, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र में विकसित कर देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

## सिरोही में सरकारी मेडिकल कालेज के निर्माण की कार्ययोजना

**345. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिरोही में सरकारी मेडिकल कालेज स्वीकृत किया गया है? उक्त का निर्माण कार्य शुरू करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालेज का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कालेज को कब से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा शिक्षा मंत्री** (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। मेडिकल कालेज, सिरोही के निर्माण कार्य हेतु आर.एस.आर.डी.सी. को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

कर एम.ओ.ए. सम्पादित किया जा चुका है। मेडिकल कालेज की डी.पी.आर. अनुमोदित की जा चुकी है। कार्यकारी एजेन्सी को अग्रिम राशि 5 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी जा चुकी है।

(2) मेडिकल कालेज निर्माण हेतु शीघ्र ही निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया जाएगा। मेडिकल कालेज को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिरोही में मेडिकल कालेज स्वीकृत करने पर मुख्य मंत्री और मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए दो-तीन छोटी-सी जानकारी चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न, माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): एक तो इसका टेंडर कब हो जाएगा? दूसरा, इसकी बिल्डिंग कब पूरी हो जाएगी और सिरोही मेडिकल कालेज का शैक्षणिक सत्र कब शुरू हो जाएगा?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाकी प्रक्रियाओं का सवाल है, माननीय सदस्य को मैं जवाब दे चुका हूं। टेंडर इसी सप्ताह के अन्दर-अन्दर हो जाएगा और दो साल के अन्दर-अन्दर बिल्डिंग भी पूरी कर देंगे और मेडिकल कालेज का पहला बैच भी हम अपने कार्यकाल में शुरू कर देंगे। इनके यहां सिरोही में ही नहीं, 15 मेडिकल कालेज, जो हमने स्वीकृत कराए हैं, उन 15 के 15 मेडिकल कालेजों के भवनों का निर्माण दो साल के अन्दर-अन्दर होगा और दो साल में ही पहला बैच हम सब जगह शुरू करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। अमृत लाल मीणा।

## सलूम्बर के किसानों को फसली ऋणों का वितरण

**346. श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फसली ऋण वितरण में किसानों को अपने खातों से साठ हजार रुपया निकालने की सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे किसान, जिनकी ऋण स्वीकृति साठ हजार से अधिक है, उन्हें राशि निकालने के लिए अगले कार्य दिवस में पुन: प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमृतलाल मीणा)

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, झल्लारा, सेमारी व जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल कितने ऐसे किसान हैं, जिन्हें साठ हजार रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत है? कितने किसानों को सन् 2018 से 2020 तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित किया जा चुका हैं? वर्तमान में उनसे ऋण वसूली व ऋण वितरण की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जो किसान सहकारी समिति (बैंक) से दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं, बुजुर्ग हैं व महिलाएं हैं, जिन्हें बार-बार सहकारी समिति तक आने जाने में काफी असुविधा होती है, के लिए कोई सरल प्रक्रिया लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सहकारिता मंत्री** (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। सहकारी फसली ऋण आनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 अन्तर्गत कृषक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के आहरण हेतु सम्बन्धित बैंक शाखा से स्वीकृत फसली ऋण के नकद आहरण पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

किन्तु समिति में एफ.आई.जी. के माध्यम से आहरण के मामले में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को अपने खातों से राशि निकालने के सम्बन्ध में सीमा निर्धारण का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिन बैंकों द्वारा एफ.आई.जी. के माध्यम से एक कार्य दिवस में राशि निकालने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी गयी है, ऐसे बैंकों में निर्धारित सीमा से अधिक राशि एफ.आई.जी. के माध्यम से निकालने के लिए अगले/अन्य कार्य दिवस में पुन: प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, झल्लारा, सेमारी व जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 369 ऐसे किसान हैं, जिन्हें 60,000/- रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत किया गया है। उक्त क्षेत्रों में वर्ष 2018 में 8,225, वर्ष 2019 में 12,467 एवं वर्ष 2020 में 16,040 किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित किया गया। ऋण वितरण व वसूली की विगत परिशिष्ट '2' पर उपलब्ध है।

(4) सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 अन्तर्गत उक्त प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत कृषक स्वीकृत ऋण राशि का आहरण समिति में FIG के माध्यम से, रूपे किसान

(सहकारिता मंत्री)
डेबिट कार्ड के माध्यम से ए.टी.एम. मशीन से अथवा सम्बन्धित बैंक शाखा से नकद आहरित कर सकता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि अधिकतम सीमा, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग करने का क्या कारण है? दूसरा, क्या सरकार पूरे प्रदेश में एक समान सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): अलग-अलग सीमा रखने का कारण किसानों की, जो एम.सी.एल. बनती है, उसके आधार पर उनका किया जाता है। बैंक अपनी सुविधा के अनुसार, 17 बैंकों में इस प्रकार की व्यवस्था है, बाकी सब जगह जितना पैसा मिल रहा है, एक साथ निकाला जा रहा है, पर जिसकी एम.सी.एल. के आधार पर अधिकतम सीमा होती है, उसके आधार पर ऋण दिया जाता है।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि आपने परिशिष्ट '1' में 29 जिलों का नाम बताया है, लेकिन हमारा बांसवाड़ा जिला, डूंगरपूर जिला और उदयपुर जिला, इनमें आपने किसानों को अपने खाते से राशि निकालने के सम्बन्ध में कहीं 85 हजार, बांसवाड़ा में क्या है, डूंगरपूर में 50 हजार है और उदयपुर में 60 हजार की सीमा बनी तो पूरा 100 प्रतिशत एस.टी. क्षेत्र है, वहां सीमा कम रखने का क्या कारण रहा? कहीं आपने डेढ़ लाख भी किया है, कहीं एक लाख 20 हजार भी किया है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य हो गया। कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें परिशिष्ट '2' लगाया है। इस परिशिष्ट '2' में सराड़ा में केवल एक किसान को पैसा दिया, सेमारी में जीरो किसान को, जयसमन्द में जीरो किसान को, इसका क्या कारण है? क्या वहां किसान लेना ही नहीं चाहता था या वहां की आपकी सोसाइटी में पैसा नहीं है? ये जीरो और एक क्यों हैं इन तीन में?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जीरो और एक, इस कारण से है, जिनका 60 हजार से नीचे एम.सी.एल. के आधार पर ऋण बना है, किसी-किसी काश्तकार का ज्यादा बना है तो उसकी एम.सी.एल. ज्यादा बनी थी।

(श्री अंजना उदयलाल)

इसलिए, उसके 85 हजार हुए हैं। इसलिए 269 हुए हैं। जहां जीरो-जीरो हुए हैं, वहां से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और 60 हजार के हिसाब से जिन्होंने ऋण मांगा है, उनको सबको दिया है। प्रतिवर्ष ऋण हमारा बढ़ा है, केवल फर्स्ट ईयर में भले ऋण माफी हुई थी, उस साल 8,200 को ही दिया था, उसके बाद हर साल, आगे बढ़ रहे हैं। जो आवेदन आ रहे हैं, उनको ऋण दिया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: 60 हजार से ऊपर वाले की संख्या जीरो-जीरो है। पृष्ठ संख्या '2' में 60 हजार से ऊपर ऋण लेने वाले सेमारी, जयसमन्द और सराड़ा में एक-एक और जीरो है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जो आपके इस चार्ट से समझा हूं कि आपने केवल 369 लोगों को ही ऋण दिया और 369 लोगों से ही वसूली की। इससे यह आभास हो रहा है कि जिसने ऋण लिया, उसी ने चुका करके वापस ऋण लिया है क्या?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): ऋण लेने की प्रक्रिया ही यही है। ऋण दिया जाता है, ऋण वसूला जाता है। ऋण दिया जाता है, ऋण वसूला जाता है। हर 6 महीने में यह प्रक्रिया रबी और खरीफ में अलग-अलग होती है। ऋण दिया जाता है तो वापस वसूल भी तो बैंक करेगा न।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो आप करें, पर नया कोई भी मैम्बर इसमें न तो ऋण ले सकता है, न ऋण चुका सकता है। वे ही लोग इस पैसे को आपस में ट्रांसफर करते रहते हैं और काम चलाते रहते हैं, इस चार्ट से क्या यह निकल रहा है?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): ये कोई नई परिपाटी शुरू नहीं हुई है। यदि आदमी को 6 महीने के लिए ऋण दिया गया है, 6 महीने के लिए फसली ऋण दिया गया है, फसल पकते ही उसको जमा कराना पड़ता है और उसके बाद वापस फसल बोने के लिए खाद-बीज की आवश्यकता होगी तो फिर वह ऑनलाइन आवेदन करता है और फिर वापस ऋण दिया जाता है। लिमिट ही 6-6 महीने की है। कोई 5 साल के लिए एक साथ ऋण नहीं दिया जाता है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का यह प्रश्न है कि जो सदस्य रजिस्टर्ड हैं, उनमें तो जो प्रक्रिया है, वह अपनाई जा रही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब नया सदस्य कोई भी बनेगा, उसको लोन नहीं मिल पाएगा।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): ऑनलाइन खोल रखा है, अपनी एम.सी.एल. जारी कराकर, सबको ऋण दे रहे हैं, ऐसी कोई रोक नहीं है।

**प्रश्न संख्या 347**

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

अगला प्रश्न। श्री हीराराम।

## बिलाड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा देय सुविधाएं

**348. श्री हीराराम** (बिलाड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास** (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 4 परियोजनाएं क्रमशः बिलाड़ा, मण्डोर, भोपालगढ़ एवं लूणी संचालित हैं, जिनमें परियोजना बिलाड़ा के 172, मण्डोर के 33, भोपालगढ़ के 70 एवं लूणी के 32 आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित कुल 307 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा गर्भवती, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ एवं रैफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उनके पहले जन्मे शिशुओं के लिए मां-बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर 5,000 रुपये की संस्थागत राशि का तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

**श्री हीराराम** (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपाड़ शहर बड़ा ब्लाक है, तो क्या वहां पर सी.डी.पी.ओ. आफिस खोला जा सकता है?

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय के अन्दर कुल 304 सी.डी.पी.ओ. परियोजनाएं राजस्थान के अन्दर संचालित हैं और 2018-19 के बाद में भारत सरकार ने कोई नई सी.डी.पी.ओ. परियोजनाएं अभी तक जारी नहीं की हैं। सी.डी.पी.ओ. आफिस खोलने के लिए एक लाख की आबादी होना आवश्यक है। उस एक लाख की आबादी में 17 प्रतिशत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होने चाहिए और 15 से 45 वर्ष की महिलाओं की संख्या 20 हजार अनुमानित हो, गर्भवती-धात्री माताओं की संख्या 4 हजार अनुमानित हो।

ग्रामीण परियोजनाओं में गांवों की संख्या 100 मानी जाती है। अगर परियोजना नई खोलने की स्थिति आती है और उसका प्रस्ताव बनाया जाएगा तो उस जगह पर जनजाति बहुल क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, पिछड़ा क्षेत्र हो, पोषण तत्वों की कमी वाले क्षेत्र हों, सामाजिक सेवाओं के विकास में कमी वाले क्षेत्र हों, प्रतिकूल पुरुष महिला अनुपात हो, बाल श्रम वाले जिले हों। अगर इन नोर्म्स को पूरा किया जाएगा तो नवीन सी.डी.पी.ओ. कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा सकता है।

**श्री हीराराम** (बिलाड़ा): धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री हरेन्द्र निनामा।

## घाटोल में वन अधिकार के पट्टे

**349. श्री हरेन्द्र निनामा** (घाटोल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में रेंज कार्यालय घाटोल, रेंज कार्यालय पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में किन-किन काश्तकारों को कैम्पों के माध्यम से

(श्री हरेन्द्र निनामा)
वन अधिकार के तहत कब-कब, कितने पट्टे जारी किये गये तथा कितने आवेदन विचाराधीन हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत सडला, अमरथुन, कुवनिया, जगपुरा, खेरवा, सिरावालाघड़ा के अन्तर्गत किसानों की कब्जाशुदा वन भूमि, जिस पर खेती करते आ रहे हैं, को भी वन अधिकार पत्र के जरिए किसानों को पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) (वन राज्य मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने का निर्णय किया गया था।

बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 व संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र घाटोल, रेंज घाटोल के अन्तर्गत कुल 6,523 वनाधिकार दावे प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 3,903 वनाधिकार दावे नियमानुसार पात्र होने पर वनाधिकार पट्टे/हक पत्र जारी किये गये हैं। (विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।)

इसके अतिरिक्त कुल 354 स्वीकृत दावों में पट्टे जारी करने की कार्यवाही जारी है। (विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।)

घाटोल विधान सभा क्षेत्र के रेंज पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़, क्षेत्र रेंज पीपलखूंट में 5,316 वनाधिकार दावे प्राप्त हुए, उनमें से 2,421 व्यक्तियों को वनाधिकार हक पत्र जारी किये गये हैं। (विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।)

साक्ष्य एवं अन्य कारणों से निरस्त प्रकरणों के रिव्यू/रिवीजन में प्रथम दृष्टया योग्य पाये गये 785 प्रकरणों अन्तर्गत कब्जा काश्त की अवधारणा गूगल इमेज वर्ष 2010 से पूर्व की उपलब्ध नही होने की वजह से संपुष्ट साक्ष्य की विवेचना सैटेलाइट इमेज वेरीफिकेशन हेतु स्टेट रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, जोधपुर से प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (विवरण परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।)

(2) ग्राम पंचायत सडला, अमरथुन, कुवनिया, जगपुरा, खेरवा, सिरावालाघड़ा में वन भूमि पर खेती करते आ रहे किसानों को पट्टे/हक पत्र जारी किये गये हैं। (विवरण परिशिष्ट '5' पर संलग्न है।)

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

**श्री हरेन्द्र निनामा** (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के रेंज घाटोल, रेंज पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ में जो अपात्र आवेदन थे, उनको सरकार वापस कैम्प के माध्यम से पट्टा देने का विचार रखती है?

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बता दिया खण्ड-4 में पट्टे आवेदन जिनके निरस्त किये गये हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हम उनको दिखवाकर, पात्र होंगे तो उन पट्टों को जारी किया जाएगा।

**श्री हरेन्द्र निनामा** (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में ग्राम पंचायत सडला, अमरथुन, कुवनिया के अन्दर मायडू क्षेत्र के लोग वहां पर वर्षों से बसे हुए हैं, उनके मकान बने हुए हैं, खेती कर रहे हैं फिर भी उनको जबरन वन विभाग क्यों हटाना चाहता है? जबकि अधिकार यह है कि उन आदिवासियों को वहां पर जो कब्जाशुदा जमीनें हैं, उसमें भूमि देनी चाहिए।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरथुन में 131, सड़ला में 68, कुवनिया 173, जगपुरा में 102, खेरवा में 41, सिरावालाघड़ा में 16, कुल 531 पट्टे हमने जारी कर दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अलावा भी माननीय सदस्य की पीड़ा को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर 2005 के पहले के नियम के अनुसार कोई व्यक्ति वहां बैठा हुआ है तो ऑनलाइन उसका आवेदन कर सकता है, जिसमें एफ.आर.ए. ऑनलाइन एम.आई.एस. पोर्टल विकसित कर रखा है, उसमें ऑनलाइन आवेदन कर दें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, आदिवासी इलाके में ऑनलाइन की आशा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां कैम्प लगवाएं। वहां जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहां कैम्प लगाएं और कैम्प लगाकर जिस तरह के जो हैं, उनको पट्टा देने की व्यवस्था करें। वह ज्यादा बैटर है बनिस्पत हम ऑनलाइन का करेंगे तो आदिवासी ऑनलाइन कर ही नहीं पाएगा और वहीं बैठे रहेंगे, इसलिए जो आपने माना, जितने पट्टे आपने दिये, उसके अलावा जो बचे हुए हैं, वहां कैम्प लगाकर यदि वे पात्र हैं तो उनको पट्टा देने की व्यवस्था करें।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार उसको किया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

## प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के तहत व्यय राशि

**350. श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो उक्त कोष में क्या-क्या प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कल्याण कोष में सरकार द्वारा बजट का प्रावधान रखा गया था? यदि हां, तो उक्त कोष से कितनी राशि प्रवासियों के लिए व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा बजट घोषणा 2020-21 के क्रम में राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की गयी है।

बजट घोषणा के उपरान्त शीघ्र ही कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण राज्य के अप्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से बडी संख्या में लौटे थे। समय की मांग के अनुरूप विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त इस बजट घोषणा में अप्रवासी श्रमिकों के निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रावधान किये गये।

(2) जी हां। वित्त विभाग से बजट प्रावधान एवं राशि का आबंटन प्रक्रियाधीन है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष का गठन किया है, वर्तमान में आपके इस कोष में कितनी राशि है?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि आंसर मैंने दे दिया, शायद आपने पढ़ा नहीं कि आबंटन प्रक्रियाधीन है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): आबंटन प्रक्रियाधीन है तो इसका मतलब यह है कि आपने इस बजट के अन्दर एक पैसे का भी प्रावधान अभी तक नहीं किया। यही है न?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): 10 करोड़ रुपये की घोषणा है माननीय मुख्य मंत्री जी की और...

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आपके इस कोष के अन्दर राशि कितनी है? आप तो यह बता दो न।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कह दिया, नहीं है। कह दिया न, प्रक्रियाधीन है, नहीं है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): ये माननीय सदस्य चौमूं से आते हैं, इसलिए थोड़ा देर से समझते हैं।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): देर से तो यह सरकार समझ रही है, आने वाले समय में बता देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो यह प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष है, इस कोष के अन्दर श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन-कौनसे काम आप करवाओगे?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो श्रमिक हैं उनको रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराने के लिए उसके प्रावधान इसके अन्दर हैं और उसकी ट्रेनिंग हम कराएंगे और मैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि इस बार भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिसम्बर में ही इस फाइल का अनुमोदन किया है, जिसके तहत 15,000 श्रमिक और 15,000 विस्थापित श्रमिक, इनको रीस्किलिंग और अपस्किलिंग हम करवाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

## प्रतापगढ़ में संचालित संस्कृत विद्यालय

**351. श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ सम्पूर्ण जिला आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उक्त जिले में शिक्षा का स्तर न्यूनतम है? उक्त जिले में संस्कृत शिक्षा के कितने विद्यालय हैं? उक्त विद्यालयों में कितने छात्र व कितने अध्यापक हैं? कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त सभी रिक्त पदों को

(श्री रामलाल मीणा)

भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा** (डा. सुभाष गर्ग): प्रतापगढ़ जिले में संस्कृत शिक्षा के एक वरिष्ठ उपाध्याय, 10 उच्च प्राथमिक, 04 प्राथमिक स्तर के विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयवार छात्र संख्या एवं शिक्षकों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

प्रतापगढ़ जिले सहित राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण जिलों की साक्षरता दर परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

## उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार

**352. श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश में भी स्थानीय बेरोजगारों को उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में नीति बनाई जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के पांच बड़े उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को नाम मात्र का ही रोजगार दिया हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिकता से स्थानीय बेरोजगारों को प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री परसादी लाल): (1) राजस्थान में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 लागू की गयी है, जो कि दिनांक

(उद्योग मंत्री)

31.03.2026 तक प्रभावी है। योजनान्तर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है:-

1- इस प्रावधान के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान के रूप में जमा कराई गयी राशि की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए अनुदान के रूप में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान के रूप में जमा कराई गयी राशि के 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों हेतु किये जाने का प्रावधान किया गया है, यदि समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार राजस्थान के अधिवासित नागरिकों को प्रदान किया गया हो।

(2) उद्योगों द्वारा रोजगार हेतु कुशल-अकुशल श्रमिकों का चयन उद्योग की आवश्यकता, श्रमिकों में आवश्यक कौशल की उपलब्धता तथा स्थानीय लोगों के रुझान एवं योग्यता के आधार पर किया जाता है। राज्य में कौशल नियोजन एवं उद्यमियता विभाग द्वारा राज्य के स्थानीय लोगों को उद्योगों की मांग के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु सक्षम बनाया जाता है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित सभी कौशल प्रशिक्षण योजनाएं राज्य के मूल निवासी युवाओं के लिए हैं एवं सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम नि:शुल्क प्रदान किये जाते हैं।

(3) राजस्थान में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 लागू की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी है। योजनान्तर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है।

वही है, अध्यक्ष जी, नम्बर-2 में जो जवाब था।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं तो फिर आप उसमें लिख देते कि प्रश्न के पहले भाग के अनुसार। रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): सवाल रिपीट करके पूछते हैं न।

1- इस प्रावधान के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई.पी.एफ.

(श्री परसादी लाल)

एवं ई.एस.आई. के अंशदान के रूप में जमा कराई गयी राशि की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए अनुदान के रूप में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2 उल्लेखनीय है कि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान के रूप में जमा कराई गयी राशि के 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों हेतु किये जाने का प्रावधान किया गया है, यदि समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार राजस्थान के अधिवासित नागरिकों को प्रदान किया गया हो।

**श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि वर्तमान में जो देश की स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे केन्द्र सरकार की नीतियां हों, मेरा साफ प्रश्न है कि 5 बड़े उद्योगों में, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को दूसरी तरफ नहीं घुमाना था, साफ है कि जो नीतियां बनी हुई हैं, स्थानीय बेरोजगारों को बड़े उद्योगों में, आप किसको क्या दे रहे हो, माननीय मंत्री जी, अंग्रेजी में नहीं है, नीति का तात्पर्य स्थानीय बेरोजगारों को उद्योगों में रोजगार देने की नीति से है।

नम्बर दो, मेरा साफ है कि 5 बड़े उद्योगों में हमारे स्थानीय लोग कितने हैं? वह टैक्नोक्रेट भी हैं, दूसरे भी हैं।

तीसरा मेरा साफ है, बढ़ती बेरोजगारी में, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि दूसरे प्रदेश उनके स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, हम अनुदान देंगे, लेंगे ....

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न क्या है? आपका हर बार प्रश्न।

**श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष जी, उसी नीति के अनुसार आपने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, तो आप उस नीति को क्यों नहीं अपना रहे हो या उन पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हो? और उन 5 बड़े उद्योगों का नाम बता दीजिए जो हमारी नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं और प्रदेश को नीचे ले जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: नीति बनी 1920 में।

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नीति बनी हुई है। अभी नई नीति लागू कर दी। पांच उद्योगों का इन्होंने नाम भी नहीं

(श्री परसादी लाल)

दिया कि कौनसे 5 उद्योग हैं। अगर आप 5 उद्योगों का लिखकर देंगे तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

**श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): नहीं। मैंने पूछा है और आपको पता ही नहीं है। मैं लिखकर दूंगा?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठें आप। आपने पूछा बड़े उद्योग, बड़े उद्योग का मतलब क्या है, कोई वोल्यूम है, एम्प्लाई है, टर्न ओवर है कि क्या है, कोई आधार तो होना चाहिये। अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

**श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े उद्योगों के लिए पूछा है।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठें प्लीज। आप समझदार हैं। सीनियर आदमी हैं, आप नाम लिखते कि बड़े उद्योग ये हैं। आप बैठें। अंकित नहीं होगा। श्री कालूराम।

## डग के आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

**353. श्री कालूराम** (डग): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में अधिकांश आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद होने के कारण आयुर्वेद नर्स, कम्पाउण्डरों से ही औषधालय संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? औषधालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालयों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

**आयुर्वेद मंत्री** (श्री रघु शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल 22 आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं, जिनमें चिकित्सक संवर्ग के 26 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 15 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 11 पद रिक्त हैं। जिन चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त होता है, उस

(आयुर्वेद मंत्री)

चिकित्सालय/औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सा सेवाएं देने हेतु यथासम्भव निकटतम चिकित्सालय/औषधालय में कार्यरत चिकित्सक को दो दिवस हेतु सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का रिक्ति तिथि से औषधालयवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए 450 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल 22 आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं, जिनमें से 21 औषधालय विभागीय भवनों में एवं एक औषधालय पी.एच.सी. भवन में संचालित हो रहे हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

**श्री कालूराम** (डग): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2018 से मेरे डग और आवन में दो पद रिक्त हैं और 9 अन्य पद रिक्त हैं, कुल 11 पद रिक्त हैं। एक नन्दपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय होने के बाद भी चिकित्सक आयुर्वेदिक की जगह एलोपैथिक दवाई देता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में 22 आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं। पिछले सत्र में मैंने प्रश्न संख्या 5011 के द्वारा पूछा था, उसमें आपने ढाबलाबोझ मेरे विधान सभा क्षेत्र में बताया। यह ढाबलाबोझ मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। यह भी आपके द्वारा एक अधूरी जानकारी दी गयी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औषधालय में आपने एक भवन बताया जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, दो ऐसी जगहें हैं, परापीपली और उनेल, वहां पर भवन नहीं हैं। इनके प्रस्ताव बनाकर भी भेज दिये गये हैं। इन प्रस्तावों पर आप कब तक भवन बनाने के लिए स्वीकृति देंगे? नम्बर तीन, 450 पदों की भर्ती आपने प्रक्रियाधीन बताई है, इन 450 पदों में से झालावाड़ जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप कितने पद देंगे?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बहुत ज्यादा हो गया।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 चिकित्सकों के पद खाली हैं। 450 की भर्ती होने के बाद मैं आपके यहां कोशिश करूंगा कि ज्यादातर पद हम भर दें और जो विभागीय भवन हैं, उनमें

(श्री रघु शर्मा)

अधिकांश संचालित हैं। एक पी.एच.सी. है, वह भी राजकीय ही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, लिखकर भेज देना।

## अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में पंजीकृत खाताधारक व निवेशक

**354. श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. में कितने खाताधारक व निवेशक पंजीकृत हैं? उक्त की कुल कितनी राशि विभिन्न खातों के माध्यम से जमा है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक के संचालक मण्डल को वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार द्वारा भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो प्रशासक द्वारा दोषी ऋणियों से वसूली हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दोषी ऋणियों से वसूली हेतु उनकी सम्पत्ति नीलाम करने की कार्यवाही अमल में लायी गयी है? यदि हां तो किस-किसकी सम्पत्ति कब-कब नीलाम की गयी? सम्पत्ति की नीलामी किस स्थान पर की गयी? कितनी सम्पत्तियां नीलाम हुईं व उस नीलामी से कितनी राशि वसूली गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बैंक में ऐसे कितने ऋणी हैं, जिन्होंने ऋण चुकाने के बजाय सहकारिता न्यायालय अथवा अन्य किन्हीं न्यायालयों से स्थगन आदेश ले रखे हैं? क्या सरकार ऐसे स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**सहकारिता मंत्री** (श्री अंजना उदयलाल): (1) अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में पंजीकृत खाताधारक/निवेशकों की संख्या 6,125 है, जिनकी कुल राशि 24,27,12,737 रुपये विभिन्न खातों के माध्यम से जमा है।

(2) जी हां। अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं के कारण संचालक मण्डल को भंग कर दिनांक 26.02.2010

(सहकारिता मंत्री)

को प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक द्वारा दोषी ऋणियों से वसूली हेतु धारा 99 व 100 के नोटिस व कुर्की/नीलामी आदि की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

(3) जी हां। 3 ऋणियों से नीलामी द्वारा वसूली की गयी, जिनमें ऋणियों द्वारा वसूली राशि 51.61 लाख रुपये थे, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के तीन ऋणियों ने ऋण चुकाने की बजाय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से नीलामी पर स्थगन आदेश लिया हुआ है। बैंक स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रयासरत है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के खण्ड 4 में जो जवाब दिया है, अजमेर को-आपरेटिव बैंक में तीन ऋणियों ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह जो ऋणी हैं, वे कौन हैं और उनकी कितनी राशि ऋण के रूप में अभी तक वसूली योग्य है? पहला प्रश्न यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि इन तीन ऋणियों ने किस दिनांक को कोर्ट से स्थगन लिया था और उस दिनांक से लेकर अब तक विभाग ने स्थगन को वैकेट कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जो भी तारीख पेशी होती है, उस पर तो अधिकारी जाते हैं, लेकिन अगर विगतवार तीनों ऋणियों के अलग-अलग फिगर्स चाहिये तो वे अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, आपको करा देंगे। आपने 10 तारीख को स्थगन भी लगाया था। उस दिन भी मैंने आपको इसका जवाब दिया है। उस दिन यह मुद्दा नहीं उठाया था। यह सूचना आपको चाहिये तो यह सूचना भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न है और इससे रिलेवेंट है, ऋण से ही रिलेवेंट है। मैं तो इसलिए पूछ रही हूं कि उन तीन ऋणियों के नाम बता दो आप कौन हैं।

**श्री अध्यक्ष**: इसमें लिख रखा है माननीय सदस्य, परिशिष्ट 'अ' में लिखा हुआ है।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है। देखिए न आप, उक्त बैंक में ऐसे कितने ऋणी हैं, जिन्होंने ऋण चुकाने के बजाय...

**श्री अध्यक्ष**: ये मेरे पास परिशिष्ट में तीन लिखे हुए नाम हैं।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): नहीं, यह तीन तो वसूल कर लिए। यह तो जिनसे वसूल कर लिए, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनकी बात कर रही हैं ये।

**श्री अध्यक्ष**: आप नाम बता दें।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): उनके नाम पते इनको अवगत करा दूंगा मैं।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): यह देखो, साहब।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): अभी सूचना उपलब्ध नहीं है तो यह आश्वासन दे रहा हूं। आश्वासन दे रहा हूं कि तीन नाम आपको..

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, इनकी राशि कितनी है, जिनको वसूल करना है हमें?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): अभी 10 तारीख को इन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, उनका प्रश्न यह है कि उक्त बैंक में कितने ऋणी हैं जिन्होंने ऋण चुकाने के बजाय सहकारिता में स्थगन लिया है। उनके नाम हैं तो बता दें, नहीं हैं तो आप बाद में भेज दें।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जो थे, उनको 10 तारीख को उपलब्ध करा दिया था, बाकी और उपलब्ध करा देंगे।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): नहीं, कहां कराया, नहीं कराया है।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जो सूचना चाहिये, मैं इनके प्रति...

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): नहीं कराया, मेरे पास जवाब है। आपका जवाब है, मैं टेबल कर देती हूं। आपने जो 10 तारीख को जवाब दिया है, वह है मेरे पास है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, भाग संख्या तीन में आप चैक कर लें कि जो सूचना इनको उपलब्ध करानी है, वह सूचना इनको उपलब्ध करा दें। इस प्रश्न को मैं दुबारा वापस लूंगा जब आपके पास इसकी सूचना आ जाएगी।

अगला प्रश्न। श्री वाजिब अली।

## भरतपुर में अल्पसंख्यकों हेतु संचालित योजनाओं के लाभार्थी

**355. श्री वाजिब अली** (नगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भरतपुर में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किस-किस अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए कब-कब आवेदन किया एवं उक्त में से कितने व्यक्तियों को किस-किस योजना में लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वित्तीय वर्षों में कितने आवेदक लाभान्वित होने से शेष हैं एवं उक्त प्रकरण किन कारणों से कब से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कितनी अवधि में कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**अल्पसंख्यक मामलात मंत्री** (श्री शाले मोहम्मद): (1) भरतपुर जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों ने विभिन्न योजनाओं (छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, नि:शुल्क छात्रावास योजना, ऋण योजना) में लाभान्वित होने हेतु आवेदन किया है। आवेदकों तथा लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त वित्तीय वर्षों में लाभान्वित होने से शेष आवेदकों का विवरण एवं लम्बित होने का कारण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री वाजिब अली** (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में दो साल से व्यावसायिक ऋण बिलकुल नहीं दिया जा रहा। अगर दिया ही नहीं जा रहा तो फिर उनसे आवेदन क्यों लिए जाते हैं?

दूसरा, मैंने जो जानकारी मांगी थी, मुझे वह जानकारी नहीं मिली कि जो एजुकेशन लोन अल्पसंख्यक विभाग से लिए गये हैं, वह कितने लम्बित हैं और क्या सरकार उन्हें माफ करने की मंशा रखती है?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि लोन नहीं दिये गये, उनका मुख्य कारण यह था कि जो पहले

(श्री शाले मोहम्मद)

ऋण दिया गया था, उसकी वापस वसूली नहीं हुई। इसके लिए हमने वहां डी.एम.ओ. को नोटिस जारी किये थे। अब वापस वसूली भी हो चुकी है। उसकी भी मैं आपको अलग से सूचना दे दूंगा। हमने वापस रोक भी हटा दी है। इसके बाद जो भी हमारे पास अब आवेदन आये हुए हैं, उनका जल्दी ही निस्तारण करने के लिए हमारे डी.एम.ओ. स्तर पर और भरतपुर के लिए अलग से मीटिंग बुलाकर एक महीने में इसका निस्तारण कराएंगे।

**श्री वाजिब अली** (नगर): जो एजुकेशन लोन पैंडिंग हैं, क्या सरकार उन्हें माफ करने की मंशा रखती है?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अभी ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न काल समाप्त।

**(12.00 बजे)**

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश की राजधानी जयपुर के एक अस्पताल में रोगग्रस्त महिला के साथ हुई बलात्कार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा सम्भाग में महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म और उत्पीड़न की वारदातों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर एवं 02 अन्य सदस्यों की ओर से झालावाड़ व बारां जिले में हाल ही में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण की रायपुर पंचायत समिति के निवासियों को कृषि भूमि का खातेदारी अधिकार एवं पक्के मकानों का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में भामाशाह योजना अन्तर्गत सरकार द्वारा चयनित निजी अस्पतालों में किये गये मरीजों के इलाज का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में ग्राम पंचायत कटार में कटार चौराहा NH-148 D से कटार गांव तक एवं ग्राम पंचायत खेजड़ी से भीमलत तक क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में आमजन को 108 व 104 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस सेवा समय पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय में लम्बे समय से व्याख्याताओं के पद रिक्त होने एवं भवन निर्माण कार्य स्वीकृति के चार वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से जोबनेर के बांड्या का बास भोजपुरा कलां में दो युवकों को कैम्पर से कुचलने पर एक युवक की हुई मौत के आरोपी कैम्पर चालक को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में EWS के छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में आयु सीमा एवं अर्हता अंक में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री छगनसिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में EWS के छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में आयु सीमा, परीक्षा शुल्क एवं अर्हता अंक में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से बारां जिले में सहरिया जाति के समान भील समाज को सुविधाएं नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा) भर्ती, 2020 के राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से भोपालसागर, कपासन, धमामा तथा डिण्डोली तालाब को भरने वाली बनास नदी के फीडर को किसानों द्वारा मिट्टी से भरने के कारण फीडर में पानी नहीं आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से जयपुर के वैशाली नगर में गिरफ्तार किये गये अपराधियों व पुलिस की चोरों से मिलीभगत के कारण चोरी का माल खुर्द-बुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति कोटड़ी की ग्राम पंचायत बिशनिया में सरपंच, सचिव व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा महानरेगा में कथित रूप से किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के 132 के.वी. जी.एस.एस., शेखसर में वोल्टेज बढ़ाने हेतु 20/25 एम.वी.ए. का अतिरिक्त ट्रांसफर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री बाबुलाल खराड़ी, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्यालयों में कार्यरत पैरा टीचर्स एवं शिक्षाकर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के अलसीगढ़ डैम की टनल में मलबे की साफ-सफाई नहीं किये जाने से उदयपुर की झीलों में पानी न जाकर व्यर्थ में गुजरात राज्य की ओर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बिजौलिया उप खण्ड में हो रहे सैण्ड स्टोन के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री शंकर सिंह रावत एवं 02 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में रावत जाति के लोगों को एक समान अनुसूचित जन जाति आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(22) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की चावली देवी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या होने के उपरान्त पुलिस द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(23) श्री नारायण सिंह देवल एवं 05 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में EWS के छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में आयु सीमा एवं अर्हता अंक में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(24) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में चौड़ा रास्ता स्थित एक पुस्तक प्रकाशन के कार्यालय पर असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सुरक्षा होने के बावजूद हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(25) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से संजीव प्रकाशन के जयपुर शहर स्थित कार्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ व कातिलाना हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(26) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से स्टेट हाईवे संख्या 7 का चौड़ाईकरण किये जाने के लिए किसानों की अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा उन्हें नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(27) श्री रामप्रताप कासनियां एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से हनुमानगढ़ जिले में धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं किये जाने से किसानों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(28) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का पचेरीकलां थानाधिकारी के साथ पोस्टर में नजर आने से पुलिस की भूमिका संदिग्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(29) श्री अमृतलाल मीणा एवं 06 अन्य सदस्यों की ओर से मेवाड़ शुगर मिल्स भूपालसागर द्वारा वर्ष 1962 में कृषकों को हस्तानान्तरण की गयी भूमि पर वर्षों से काबिज व्यक्तियों के आवासीय मकानों से बेदखल करने की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(30) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु अंगदानकर्ता के नाम पर विद्यालय, पार्क का नाम रखे जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामप्रताप कासनियां, श्री सुभाष पूनिया, श्री अमृतलाल

मीणा एवं श्रीमती शोभारानी कुशवाह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं से बलात्कार किये जाने की घटनाएं बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में स्टेट हाईवे 27 की बदहाल स्थिति होने के बावजूद स्थानीय निवासियों से जबरन मनचाहा टोल वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से कडाना बांध के विस्थापितों को भूमि आबंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में ESIC डिस्पेंसरी खोले जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा में कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोपीचंद मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) की पदोन्नति एवं उनका पदनाम हैल्थ पब्लिक आफिसर किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री मुरारी लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की रोड सीमा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में बहुत कम बारिश होने से सूखाग्रस्त गामों के किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से वंचित 16 गांवों को सिंचित क्षेत्र में घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग में कथित

(श्री अध्यक्ष)

रूप से भ्रष्टाचार के गम्भीर मामलों की अनदेखी करने एवं भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर की आनासागर झील के किनारे पानी में डम्परों द्वारा मिट्टी डालकर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से नगरपालिका क्षेत्र बांदीकुई में सीवरेज लाइन स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा के विजयनगर में उपखण्ड कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की ग्राम पंचायत राजोरगढ़ के गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों हेतु पर्याप्त बजट आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामप्रताप कासनियां।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## हनुमानगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की अनुशंसा

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अन्दर हजारों हैक्टेयर भूमि पर चावल की फसल की पैदावार होती है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर सरकारी खरीद नहीं है। खरीद इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि यह जो किसानों के गीत गाने वाली सरकार है, उसने अनुशंसा नहीं भेजी। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने यह मांग नहीं की कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कितने हैक्टेयर में चावल पैदा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

होता है और लगभग कितनी पैदावार है, यह अनुशंसा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को भेजेगी तब जाकर केन्द्र सरकार चावल की फसल खरीदेगी।

अध्यक्ष महोदय, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 1,888 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है तथा हमारे पड़ोस में 1,900 रुपये क्विंटल चावल बिकता है जबकि हमारे यहां 1,500 और 1,600, बहुत ही अच्छी किस्म का चावल, माननीय मंत्री महोदय, आपको पता है कि नाली बैल्ट के अन्दर हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक चावल की फसल पैदा होती है। मैं किसान हितैषी सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा इसमें कोई बजट खर्च होने वाला नहीं है। आप इसकी अनुशंसा करके केन्द्र सरकार को भेजकर काश्तकारों को राहत दिलाने का काम करें। यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): अगर समय रहते हुए आपने अनुशंसा भेज दी तो काश्तकार के 300 रुपये क्विंटल का फायदा हो जाएगा, अन्यथा आप घड़ियाली आंसू बहाकर काश्तकारों की वाहवाही लेने का काम कर रहे हो, वह मिलने वाली नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री सुभाष पूनिया।

## दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मिलीभगत

**श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, कुछ दिनों पहले झुंझुनूं जिले में एक दरिन्दे ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की। मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय पर दस दिन में ही चालान पेश करके और माननीय न्यायालय ने भी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर फांसी की सज़ा दी। उसके बाद मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में एक दलित बालिका के साथ, मेरी विधान सभा में पचेरी थाना आता है, उसके थानाधिकारी के पास जब दलित के परिजन गये तो वहां के एस.एच.ओ. ने एफ.आई.आर. लेने से मना कर दिया। जब उच्चाधिकारियों का दबाव पड़ा तो उस थानाधिकारी ने एफ.आई.आर. दूसरे दिन दर्ज की। 11 मार्च को एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद दबाव पड़ने पर उस मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। एफ.आई.आर. पहले दिन इसलिए दर्ज नहीं कर पाये, क्योंकि यह जो थानाधिकारी है, खुद पोस्टर में मुल्जिम के साथ नजर आ रहा है। मुल्जिम की उससे सांठगांठ थी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह के थानाधिकारी, जो

(श्री सुभाष पूनिया)

मुलजिमों को साथ बैठाकर और उनका महिमामंडन करते हैं, क्या इस तरह के थानाधिकारियों को फील्ड में रहने का अधिकार है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा सदन से, इस तरह के जो भी फील्ड में (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) लगे हुए हैं, उनको वहां से हटाकर शीघ्र ही लाइन हाजिर किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अमृतलाल जी मीणा।

## कृषकों की वर्षों से काबिज जमीन से बेदखली

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 में बोलने का अवसर दिया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर 12.01.2021 को पीठासीन अधिकारी ओ.पी. बुनकर द्वारा फैसला दिया गया कि सराड़ा तहसील और सलूम्बर तहसील के सराड़ा, बडगांव, हीरपुरा, सराड़ा तहसील के सहरिया, बस्सी, सामचौथ और बस्सी झुंझावत थड़ा, ये 4,228 बीघा 18 बिस्वा जमीन, इस जमीन को एक महीने के अन्दर बिलानाम करें और दर्ज कराकर तीन महीने के अन्दर अतिक्रमण हटाने का फैसला दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से कम्पनी चलती थी। वहां गन्नों से चीनी बनाने का कार्य होता था। मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग कार्य करता था। 50 साल से पूर्व कम्पनी थी। आज न तो गन्ना होता है, न शुगर मिल चल रही है लेकिन अभी उस 4,228 बीघा 18 बिस्वा जमीन की, उस मिल ने, किसानों के नाम रजिस्ट्री हुई, अभी तक एक जमीन पर 5 और 6-6 बार रजिस्ट्री हुई। किसान वहां तीस-चालीस सालों से बसे हुए हैं, जमीन पर काबिज हैं, मकान बने हुए हैं, बैंक लोन लिया हुआ है, स्कूल बनी हुई है, रोड बने हुए हैं और कृषि कनेक्शन भी मिले हैं। आंगनबाड़ी भी है, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी लाभ भी मिला है। किसान असल भी भर रहे हैं। योजना का लाभ भी मिल रहा है। उसमें मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास भी बने हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इसमें इंटरफियर करके, जो लोगों को अतिक्रमण से हटा रहे हैं, बिलानाम जमीन कर रहे हैं, उनको तत्काल रोका जाए, ताकि उस क्षेत्र के जो 4,000 से अधिकार परिवार हैं और 4,228 बीघा 18 बिस्वा जमीन जो है, वह पुन: उनके नाम दर्ज हो। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी एक रिक्वैस्ट है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय**,** I'll take cognizance. स्थगन प्रस्ताव में नहीं, लेकिन गम्भीरता से होगा। श्रीमती शोभारानी जी।

## अंगदानकर्ता के नाम से स्थानीय सार्वजनिक भवन का नामकरण

**श्रीमती शोभारानी कुशवाह** (धौलपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि धौलपुर जिले के गांव गंगादास पुरा, ग्राम पंचायत नीनोखर का निवासी 17 वर्षीय सेवाराम 22 फरवरी को सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गया था। उसे धौलपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया, जहां उसका निधन हो गया। सेवाराम के ब्रेन डैड घोषित होने के बाद में उसके परिजनों ने उसकी दोनों किडनियां, हार्ट, लीवर और लंग्स डोनेट कर दिये। दोनों किडनियों और हार्ट को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में, लीवर को महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर में तथा लंग्स को किंग्स हास्पिटल, हैदराबाद में मरीजों को ट्रांसप्लांट किया गया। धौलपुर जिले की यह पहली घटना है तथा शरीर अंगदान की हमारे राजस्थान की 42वीं घटना है, जहां किसी किशोर ने इस प्रकार अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को दान कर 5 व्यक्तियों को जीवन दान दिया हो। सेवाराम के परिजनों ने उसके अंगदान का निर्णय लेकर धौलपुर वासियों का नाम रोशन किया है। सेवाराम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। सेवाराम के पिताजी प्राय: बीमार रहते हैं। उसका एक भाई विकलांग है तथा परिवार में उसके जाने के बाद, उनका एकमात्र सहारा भी चला गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सेवाराम के परिजनों के द्वारा मानवता के लिए किये गये अद्भुत त्याग का सम्मान करते हुए अंगदान को प्रोत्साहित करने हेतु सेवाराम के नाम से किसी विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा जनोपयोगी भवन या पार्क का नाम रखा जाए तथा उसके परिवार के एक सदस्य को राज्य सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाए एवं उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु मेरे सुझाव हैं। मेरी सरकार से मांग है कि अंगदान ग्रहण करने वाले परिवार जब अंगदान ग्रहण करते हैं, तो उसके ऊपर लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं तो चिकित्सा पर आने वाले खर्च के अनुसार उतनी ही राशि अंगदान करने वाले के परिवार के सदस्य को प्रदान की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्रीमती शोभारानी कुशवाह** (धौलपुर): सरकार अंगदान करने वाले के नाम से सरकारी विद्यालय, चिकित्सालय अथवा पंचायत भवन का नाम करे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, मैंने आपको प्रोत्साहित किया है, बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए आप। अच्छा प्रयत्न किया है। नियम 50 और 295 में अन्तर समझो।

नियम 295, श्री मदन दिलावर।

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं से बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राजस्थान में पुलिसकर्मियों को महिलाओं की इज्जत लूटने की खुली छुट दे रखी है और पुलिसकर्मियों में भी होड़-सी लगी हुई है कि कौन कितनी बहादुरी से महिलाओं की इज्जत लूटता है। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह बलात्कारी पुलिसकर्मियों की ओर आंख भी टेढ़ी कर ले। प्रदेश में हाल ही के वर्षों में हुए मामलों में अलवर के एक थाने में ए.एस.आई. रामसिंह गुर्जर के खिलाफ इसी 3 मार्च को एक युवती ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। प्रकरण सामने आने पर ए.एस.आई. को लाइन हाजिर किया गया। फरार हुए ए.एस.आई. को पुलिस तलाश रही है।

वर्ष 2020 में सीकर की युवती ने कोटा में तैनात कांस्टेबल के खिलाफ मालवीय नगर थाने में शिकायत भेजी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। तत्कालीन थानाधिकारी के खिलाफ कोर्ट से मामला दर्ज करवाया गया।

वर्ष 2020 में जयपुर में एक महिला इंस्पेक्टर ने शिप्रापथ थाने में आर.पी.एस. अधिकारी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया, जांच लम्बित है।

इसी प्रकार वर्ष 2019 में जयपुर के वैशाली नगर थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली पीड़िता ने पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर थाना परिसर में आत्मदाह कर लिया था। बाद में पुलिस मुख्यालय में जांच के बाद बलात्कार के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। हालांकि महिला को प्रताड़ित करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

वर्ष 2019 में थानागाजी में गैंगरेप की घटना को पुलिस ने दबा लिया था। बाद में गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वर्ष 2019 में

(श्री मदन दिलावर)

बांसवाड़ा में जेल प्रहरी द्वारा महिला कांस्टेबल को चाकू मारने की धमकी दे बलात्कार करने का मामला सामने आया था।

वर्ष 2019 में चूरू के सरदारशहर थाने में युवक की पिटाई से हिरासत में मौत और मृतक की भाभी से थाने में ही पुलिसर्मियों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया था। प्रकरण का कोई नतीजा सामने नहीं आया। सरकार महिलाओं के अपराधों को गम्भीरता से नहीं लेती है।

**श्री अध्यक्ष**: जगसी राम।

## रेवदर में स्टेट हाईवे 27 पर स्थानीय निवासियों से जबरन मनचाही टोल वसूली

**श्री जगसी राम** (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत अति लोक महत्व के विषय में सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सिरोही-रेवदर-मण्डार-डीसा-कांडला गुजरात के लिए पहुंचने वाले स्टेट हाईवे नम्बर 27 पर ग्राम करोटी एवं मण्डार पर पृथक-पृथक दो टोल प्लाजा बनाकर पिकअप जैसे स्थानीय चौपहिया वाहनों से मनचाही टोल राशि वसूली की जा रही है। जो एक ही दिन में कई बार मात्र 2 से 3 किलोमीटर या इससे भी कम दूरी तय करके, अपने छोटे-मोटे रोजगार चलाकर, अपना जीवनयापन करने हेतु, स्थानीय सस्ती से सस्ती मालवाहक परिवहन सेवा स्थानीय, व्यापारियों एवं आम जरूरतमंद ग्रामीण, नागरिक बंधुओं को उपलब्ध कराते आए हैं। टोल प्लाजाओं के शोषण में स्थानीय किसान वर्ग भी शामिल है, जो अपनी फल सब्जियों, कृषि उत्पाद के विपणन हेतु कम दूरियों पर ले जाकर अपने कृषि एवं फल सब्जियों को बाजार में बेचने जाते हैं। उक्त स्टेट हाईवे के प्रथम निर्माण से लेकर आज दिनांक तक इस सड़क का एक बार भी रिनोवेशन नहीं किया गया है। ऐसे हालात में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

**(12.22 बजे)**

**(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

लोक महत्व के प्रकरण में सरकार से निवेदन है कि उक्त सड़क पर डामरीकरण कराने के साथ ही उक्त दोनों टोल प्लाजाओं के इर्द-गिर्द, प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर का आवागमन करने वाले स्थानीय चौपहिया माल परिवहन वाहनों एवं यात्री परिवहन वाहनों, विशेषकर पैट्रोल-डीजल की बेतहाशा महंगाई

(श्री जगसी राम)

और कोरोना काल के लम्बे लॉकडाउन से उपजी मंदी के दौर से पीड़ित पिकअप एवं कृषि वाहनों से टोल वसूली बंद की जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री रामप्रसाद डिण्डोर।

## कडाणा बांध के विस्थापितों को भूमि आबंटन

**श्री रामप्रसाद** (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत, कडाणा बांध में जमीन अधिग्रहित होने से आदिवासी किसानों को कृषि भूमि का स्थाई पट्टा प्रदान कर पुनर्वास करने हेतु निवेदन है। आदिवासी विस्थापित किसानों की जमीन कडाणा बांध में डूब क्षेत्र में जाने की वजह से उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। पूर्व में आबंटन प्रक्रिया में विस्थापितों को भूमि का आबंटन किया गया, पर मौक़े पर जमीन कृषि योग्य नहीं है। कुछ विस्थापितों को मुआवजा व जमीन भूखण्ड का आबंटन नहीं मिला है। कुछ विस्थापितों के आबंटन पर सरकारी भवन बने हुए थे, फिर भी आबंटन दे दिया गया। कुछ विस्थापितों के आबंटन पर पूर्व से गैर विस्थापितों का कब्जा था। गलियाकोट से विस्थापित जो सागवाड़ा में हुए, SC, ST, Minority को अपने निजी व समाज के सामूहिक उपयोग के लिए जमीन के पट्टे अभी तक नहीं दिये हैं। इस प्रकार विस्थापितों के सामने आज भी समस्या बनी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12860/2011 दिनांक 30.07.2015 की कडाणा बांध विस्थापितों को भूमि आबंटन के आदेश होने के बावजूद, आज तक प्रशासन द्वारा भूमि सम्बन्धी क्रियान्विति नहीं की गयी है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक विस्थापित आदिवासी किसानों को, योग्य कृषि भूमि पट्टे और उचित मुआवजा दिया जाए और विस्थापितों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा शुरू की जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री समाराम गरासिया।

## पिण्डवाड़ा में ESIC डिस्पेंसरी की स्थापना

**श्री समाराम गरासिया** (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में अधिकतर आदिवासी और अन्य समाज के भी बहुत गरीब लोग हैं, जो अपना जीवनयापन मजदूरी करके चलाते हैं। पिंडवाडा तहसील बड़ी तहसील है, जिसमें 3 बड़े उद्योग और बहुत

(श्री समाराम गरासिया)

बड़ा रीको इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर राम मंदिर के पत्थरों की गढ़ाई का काम चल रहा है। वहां मज़दूरों के इलाज व उनके परिवार के इलाज हेतु वेतन में से प्रतिमाह ESIC का पैसा कटता है। इसके बावजूद भी मज़दूरों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। जिस समय से ESIC का पैसा वेतन से कटने लगा है, उस समय से आज तक गरीब मज़दूरों के इलाज हेतु स्थायी डिस्पेंसरी नहीं खोली गयी है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए गरीब मज़दूरों के लिए ESIC डिस्पेंसरी खुलवाकर राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री बिहारीलाल।

## नोखा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा की स्थापना सन् 1996 में हुई थी। वर्तमान में इस कालेज में लगभग 3,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से 1,300 छात्राएं हैं। यह महाविद्यालय बीकानेर सम्भाग के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा महाविद्यालय है। नोखा में कन्या महाविद्यालय की लम्बे समय से मांग की जा रही है, किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।

**श्री सभापति**: माननीय, शांति रखें।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि वर्तमान कालेज के बगल में आरक्षित है तथा सम्पूर्ण भवन बनाकर देने के लिए दानदाता तैयार हैं। अत: राज्य सरकार से हमारी मांग है कि नोखा में महिला महाविद्यालय की स्वीकृति जारी करने की कृपा कराए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर भी राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, सब लोग शांति रखें। सबसे रेस्पोंसिबल तो आप ही हैं।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): 27 नवम्बर, 2019 को मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में भाग लेने आये उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवरसिंह जी भाटी, आपने वहां घोषणा की थी कि इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में एम.काम. व्यवसाय प्रबंधन एवं एम.एससी. वनपस्ति शास्त्र, नये विषय खोलने एवं एस.एफ.एस. में चल रहे एम.एससी.

(श्री बिहारीलाल)

रसायन शास्त्र, एम.ए. समाज शास्त्र को राजकीय विषय घोषित करने तथा स्नातक में भूगोल, गृहविज्ञान, अंग्रेज़ी साहित्य नये विषय खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि उपरोक्त सभी मांगों को पूरा कर अनुग्रहित कराएं।

अत: उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री गोपीचंद मीणा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, आपके कहने के बाद भी, मंत्रीगण की आप भाव मुद्रा देखिए। वह फिल्म है न, हम नहीं सुधरेंगे। हम नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे। सदन के प्रति, ट्रैजरी बैंचेज के मंत्रियों की बिलकुल गम्भीरता नहीं है, तो फिर हमसे क्या ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय, माननीय।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, कैसे नहीं सुधरेंगे। जब माननीया सदस्या ने सवाल पूछा, तो इन्होंने तो कह दिया, मैं पूरी तरह समर्पित हूं, जो आप कहोगे, वह मैं करूंगा। इसके अलावा आप हमसे चाहते क्या हो, ट्रैजरी बैंच से?

**श्री सभापति**: लेकिन वह साइलेंट ही ...(व्यवधान) माननीय, माननीय, आप तशरीफ रखें। माननीय, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। माननीय श्री गोपीचंद मीणा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): दो बार मुख्य मंत्री रहीं वसुन्धरा राजे, सदन के प्रति कब गम्भीरता दिखाएंगी, यह प्रतिपक्ष के उप नेता को बताना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: शांति रखें। माननीय, माननीय, आप इस वक्त 'हां' पक्ष में हैं। हाउस को चलाना इन आर्डर आपकी रेस्पोंसिबिलिटी है। माननीय संयम जी, संयम रखें, प्लीज। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): राजस्थान की यही बात थी। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय, माननीय, इस समय ...(व्यवधान) श्री गोपी चंदजी मीणा, आसपुर। (अनुपस्थित)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं हैं। किसी और को बुलवा लें।

**श्री सभापति**: बोल लिए? Gopi Chand Ji has already spoken? (व्यवधान)

श्री मुरारीलालजी। माननीय श्री मुरारीलालजी। नहीं हैं? (अनुपस्थित)

माननीय श्री कालूरामजी।

## डग में सूखाग्रस्त ग्रामों के किसानों की स्थिति सुधार हेतु उपाय

**श्री कालूराम** (डग): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डग में अल्प बारिश होने से विधान सभा क्षेत्र के सभी गांव सूखाग्रस्त हैं, जिससे किसानों की फसल खरीफ, 2020-21 पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। करीब 70 से 90 प्रतिशत तक नुकसान हो गया है, जिसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, न ही प्रधानमंत्री फसल बीमा मिला है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सूखाग्रस्त व अभावग्रस्त स्थिति देखते हुए इस वर्ष के किसानों के बिजली के बिल माफ किये जाएं, पुराने बिजली बिलों में पैनल्टी व सरचार्ज माफ कर मूल रकम जमा करवाई जाए व किसानों को किसान कार्ड की किस्तें व अन्य लोन इस साल से बढ़ाकर अगले वर्ष तक जमा करने की कोई पैनल्टी व किसान को अवधि पार नहीं माना जाए। अभावग्रस्त क्षेत्र को देखते हुए क्षेत्र में महानरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। आपकी बजट घोषणा, 2020-21 में जो अभावग्रस्त गांव हैं, उनको 150 दिन की मजदूरी दी जाएगी, इसलिए 150 दिन किया जाए। रबी, 2020-21 में पटवारी 15 जनवरी से हड़ताल पर होने की वजह से कई जगह गिरदावरी नहीं हो पाई है। इस गिरदावरी को पूर्ण करवाकर रबी वर्ष 2020-21 का मुआवजा व प्रधानमंत्री फसल बीमा दिलवाया जाए। अल्प बारिश को देखते हुए क्षेत्र में पेयजल का ग्रीष्म मौसम में भारी संकट होने वाला है। इसलिए सरकार कोई स्पेशल पैकेज देकर गांव में हैण्ड-पम्प व ट्यूबवैल खुदवाए। हमारे क्षेत्र में काली सिंध व चाचूणी नदी पर सर्वे करवाकर एक बांध बनाया जाए, जिससे करीब 150 गांवों को इस बांध का फायदा मिलेगा। किसानों की कई जगह भूमि पड़त पड़ी है, इस बांध को बनाने से सिंचाई व पेयजल की समस्या से क्षेत्र में किसानों को निजात मिलेगी। पानी की कमी को देखते हुए झालावाड़ जिले में बूंद-बूंद सिंचाई व फव्वारा सैट व उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्रीन हाउस व पोली हाउस के टारगेट को बढ़ाया जाए, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री पदमाराम (अनुपस्थित)। माननीय श्री पानाचन्द मेघवाल।

## कोटा के तत्कालीन CMHO पर लगे भ्रष्टाचार व अन्य आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग

**श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 द्वारा विशेष उल्लेख के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल में अफरा-तफरी के माहौल का लाभ उठाकर सैनिटाइजर और बाडी कवर आदि सामग्री की खरीद की गयी है, जबकि सरकारी सप्लाई में ये सभी आइटम सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस खरीद के लिए ड्रग वेयर हाउस से एन.ए.सी. भी नहीं ली गयी। सभापति महोदय, चौंकाने वाली बात यह है कि जे.के. लोन अस्पताल में कोई कोविड सैन्टर स्थापित भी नहीं था। फिर इतनी बड़ी संख्या में आइटमों की खरीद क्यों की गयी? मेडिकल कालेज, कोटा के एक पूर्व चिकित्सक पर, जिसके खिलाफ ए.सी.बी. ने मुकदमा दर्ज किया था, मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ही उसे बूंदी जिले का CMHO बना दिया गया। सभापति महोदय, कोटा जिले का CMHO, जिसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक शिकायतें विचाराधीन हैं, कई चिकित्सकों और कर्मचारियों ने इस अधिकारी को हटाने के लिए सरकार को पत्र भेजा है। इस CMHO को हटाने के लिए आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो या कर्मचारियों से अवैध वसूली का या टेंडरों में गड़बड़ी का, शिकायतों के प्रमाण होने के बाद भी सरकार ने अभी तक इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। इस अधिकारी को कौन संरक्षण दे रहा है? सरकार के लिए भ्रष्ट CMHO आज इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए सरकार जन भावनाओं की अनदेखी कर रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार के इन गम्भीर मामलों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: माननीय श्री वासुदेव देवनानीजी।

## अजमेर की आनासागर झील में अतिक्रमण

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि अजमेर शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक आनासागर झील क्षेत्रवासियों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का महत्वपूर्ण केन्द्र है। इस आनासागर झील के किनारे पर एक हिस्से पर प्राचीन बारादरी निर्मित है तथा गत वर्षों में कुछ हिस्सों पर पाथ-वे का निर्माण कराया गया है। शेष हिस्सों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पाथ-वे का निर्माण प्रस्तावित है। झील

(श्री वासुदेव देवनानी)

के किनारे, जहां पर अभी तक पाथ-वे का निर्माण नहीं हुआ है, वहां पर पिछले लम्बे समय से अतिक्रमियों द्वारा डम्परों के माध्यम से पानी में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मिट्टी डलवाकर जमीन तैयार कर उस पर कब्जे किये जा रहे हैं। जी मॉल के पास, देवनारायण मन्दिर के पीछे, भट्टे वाली गली, पुष्कर रोड, गौरव पथ आदि कई स्थानों पर झील के पानी में लगातार मिट्टी डालकर जो कृत्रिम जमीन तैयार की जा रही है, उसे अपने कब्जे में लेने के लिए अतिक्रमी स्वयं को उस जमीन का खातेदार बताते हैं, जबकि उक्त क्षेत्र स्पष्टत: झील के डूब क्षेत्र में आता है तथा जहां तक पानी भरा हुआ है वहां पर कोई भी निर्माण अनुमत नहीं है।

झील में मिट्टी डालकर किये जा रहे कब्जे के प्रयासों को रोकने में न तो नगर निगम और न ही जिला प्रशासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक कोई प्रयास किये जा रहे हैं। रात्रि के समय झील के किनारे अवैध रूप से मिट्टी डालने वाले डम्परों के विरुद्ध पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जब कभी मीडिया में इसे लेकर कोई खबर सामने आती है तो प्रशासन अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर देता है, परन्तु आज तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी कि झील में कब्जों के प्रयासों पर रोक लग सके। प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में बरती जा रही उदासीनता के कारण झील का स्वरूप बिगड़कर सिकुड़ता जा रहा है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अजमेर में स्थित ऐतिहासिक आनासागर झील के पानी में मिट्टी डालकर किये जा रहे कब्जे के प्रयासों को तत्काल रोकने के क्रम में प्रभावी कार्यवाही कराते हुए अतिक्रमियों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही कराई जाए। साथ ही प्रस्तावित पाथ-वे निर्माण से पूर्व सभी कब्जों को हटवाकर ही पाथ-वे का निर्माण प्रारम्भ हो। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराकर अनुगृहित कराएं।

**श्री सभापति**: माननीय श्री गजराज खटाणा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप कह रहे थे न, देवनानीजी बूढ़े हो गये, देखो, पीछे देखो। कहां हैं बूढ़े। कितने शानदार तरीके से बैल्ट बांध करके, क्या बात कर रहे हो आप।

**श्री सभापति**: माननीय श्री गजराज खटाणा।

## बांदीकुई कस्बे में सीवरेज लाइन की स्वीकृति

**श्री गजराज खटाणा** (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 295 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई की सीवरेज लाइन की समस्या की ओर आकर्षित कर बताना चाहूंगा कि बांदीकुई में सफाई व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए लम्बे समय से सीवरेज लाइन की मांग की जाती रही है। बांदीकुई कस्बा जनसंख्या की दृष्टि से दौसा जिला मुख्यालय के बाद सबसे बड़ा कस्बा है। यहां की आबादी को देखते हुए यहां पर सीवरेज लाइन की अत्यधिक आवश्यकता है। परन्तु राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना (RUIDP) के द्वारा क्षेत्र में पानी की कमी बताकर सीवरेज लाइन को मंजूरी नहीं दी गयी है जबकि क्षेत्र में सीवरेज लाइन की आवश्यकता के अनुसार पानी उपलब्ध है।

अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र बांदीकुई में सीवरेज लाइन स्वीकृत नहीं किये जाने के कारणों से अवगत कराने की कृपा करें और साथ ही बांदीकुई कस्बे में शीघ्रातिशीघ्र सीवरेज लाइन स्वीकृत करें, ताकि इस समस्या का निदान हो सके। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री राकेश पारीक।

## मसूदा के विजयनगर में उप खण्ड कार्यालय की स्थापना

**श्री राकेश पारीक** (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मसूदा का क्षेत्रफल काफी दूरी में फैला हुआ है। ग्रामीण जनता को छोटे-छोटे कार्यों से मसूदा आना-जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव की गरीब जनता की सुविधा हेतु विजयनगर में उप खण्ड कार्यालय खोलने की नितांत आवश्यकता है।

**(12.39 बजे)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

अत: मैं इस अत्यन्त ही लोक महत्व के मुद्दे की ओर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कर अति विनम्र अनुरोध करता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा के विजयनगर में उप

(श्री राकेश पारीक)

खण्ड कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर मसूदा की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री कान्ति प्रसाद।

## राजोरगढ़ ग्राम पंचायत (थानागाजी) में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

**श्री कान्ति प्रसाद** (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की ग्राम पंचायत राजोरगढ़, जो कि वन्य अभयारण्य सरिस्का में स्थित है। इस ग्राम पंचायत के सभी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

महोदय, आजादी के 74 वर्ष बाद भी राजोरगढ़ ग्राम पंचायत के सभी गांव बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि से वंचित हैं। इन गांवों के लोग दूर-दराज से पीने का पानी लाते हैं, जो भी पीने के लायक नहीं होता है। इसी कारण गांव के लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। राजोरगढ़ ग्राम पंचायत के सभी गांवों में 25 वर्ष पहले सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन आज तक उक्त सड़क के नवीनीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण गांव के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस ग्राम पंचायत में प्राचीन काली, नीलकंठ महादेवजी का मंदिर, कांकवाड़ी किला एवं जैन मंदिर आदि पुरातत्व विभाग के अधीन आते हैं। उनका विभाग द्वारा जीर्णोद्धार हो चुका है जबकि प्रशासन यह कहता है कि अभयारण्य क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। इस आड़ में यहां पर सड़क नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों के साथ काफी अन्याय हो रहा है।

इसके साथ ही, इसी ग्राम पंचायत में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। यहां पर पूर्णकालिक कम्पाउंडर की व्यवस्था नहीं है तथा सड़क मार्ग से नहीं जुड़े होने के कारण ये लोग अन्यत्र जगह भी मरीजों को नहीं ले जा सकते हैं। इन गांवों में किसी भी कम्पनी का मोबाइल टावर नहीं होने के कारण ये सभी ग्रामीण अपने रिश्तेदारों से भी सुख-दु:ख की बात नहीं कर पाते हैं।

अत: महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि ग्राम पंचायत राजोरगढ़ के सभी ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए

(श्री कान्ति प्रसाद)

मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का श्रम कराएं ताकि ग्राम पंचायत राजोरगढ़ के आमजन लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री संदीप शर्मा।

## कोटा के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों हेतु अपर्याप्त बजट

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कोटा शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए बजट और संसाधन की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कोटा नगर निगम का पुनर्गठन कर नगर निगम, कोटा दक्षिण और उत्तर, नये नगर निगम बना दिये, लेकिन राज्य सरकार इन निगमों में विकास कार्यों के लिए न तो बजट उपलब्ध करवा पा रही है और न ही वार्डों में सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी लगाये जा रहे हैं।

जब से दोनों नगर निगम अस्तित्व में आये हैं, तब से ही शहर का विकास ठप पड़ा हुआ है। इस सरकार के कार्यकाल में वार्डों में सड़क, सीवरेज, नाली पाटान का कोई कार्य नहीं हुआ है। नगर निगम प्रशासन वार्ड पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वार्डों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। वार्डों में टीपर नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं और न ही कचरा संग्रहण और परिवहन का कार्य हो रहा है। वार्डों में विकास कार्यों और सफाई में भेदभाव किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था है और अभी तक नगर निगम में विभिन्न कार्यों के लिए समितियों का गठन भी नहीं हुआ है।

अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि कोटा शहर के प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों के लिए बजट जारी किया जाए तथा वार्ड पार्षदों को पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री पदमाराम।

## वंचित गांवों का नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना में शुमार

**श्री पदमाराम** (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के

(श्री पदमाराम)

अन्तर्गत नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से वंचित 16 गांवों को सिंचित क्षेत्र घोषित करवाने एवं सिंचाई परियोजना के सिस्टम में सुधार करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से वंचित 16 गांवों को सिंचित क्षेत्र घोषित करने की मैं मांग करता हूं। पनोरिया लिफ्ट कैनाल के पूर्व एवं दक्षिण क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र घोषित किया गया और पश्चिम और उत्तर क्षेत्र के किसानों को पानी से वंचित रखते हुए उनकी भूमि को असिंचित क्षेत्र माना। किसानों की जमीन कैनाल निर्माण करवाने के लिए ले ली, परन्तु उत्तर व पश्चिम क्षेत्र के कैनाल के नजदीक भूमि है, उनको भी वंचित रख दिया। मेरी सरकार से मांग है कि वंचित क्षेत्र के 16 गांवों को नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से जोड़कर लाभान्वित कराएं। गांवों के नाम निम्न प्रकार हैं-

बांभडला, सियोलो का ढेर, आकल, ओगाला, बोंली, पनोरिया, ख्वाला, सांवलासी, फागलिया, हेमावास, तरला, साथा, बाकासर, भलगांव, बावरवाला, अम्बावा, गंगासरिया, भवरिया आदि। इन गांवों के गरीब किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों की इन जगहों को सिंचित क्षेत्र घोषित कराएं एवं जो पहले सिंचित क्षेत्र है, वहां पर किसानों को समय पर पानी नहीं मिल रहा है, जो विभाग द्वारा पानी वितरण की व्यवस्था सही नहीं है। कैनाल के नजदीक किसानों को 24 घंटे पानी मिलता है परन्तु टेल पर रहने वाले किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके डिग्गियां, पाइप लाइन बिछा दी, लाइट की व्यवस्था कर दी, कुंडियां-खेलियां आदि बना दी हैं परन्तु सिस्टम को अभी तक चालू नहीं किया है। मेरा सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस सिंचाई के सिस्टम को चालू करें और सभी किसानों को उचित समय पर पानी मिले। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 131, श्री बलजीत यादव।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### बहरोड़ में नीमराना फोर्ट के नजदीक अतिक्रमण

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नीमराना फोर्ट के नजदीक हो रहे

(श्री बलजीत यादव)

अवैध अतिक्रमण को हटवाये जाने के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा की प्रक्रिया के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री बलजीत यादव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

जिला कलेक्टर, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उप खण्ड अधिकारी, नीमराना के पत्र क्रमांक 2021/205 दिनांक 23.02.2021 से यह अवगत कराया गया है कि नीमराना फोर्ट की पैमाइश बाबत तहसीलदार, नीमराना की उपस्थिति में गठित राजस्व टीम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नीमराना की जमाबंदी संवत 2073/76 में खसरा नम्बर 505/593 रकबा 4.75 हैक्टेयर मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड, खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त किले की दिशा दक्षिण व पश्चिम में सघन आबादी क्षेत्र बसा हुआ है एवं दूसरी तरफ पूर्व में खसरा नम्बर 504 एवं दूसरी तरफ उत्तर में खसरा नम्बर 505 गैर मुमकिन पहाड़ है, जो महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दोनों खसरा नम्बर 504, 505 में रोप-वे बनाकर मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। खसरा नम्बर 268, रकबा 1.5 हैक्टेयर किस्म बंजड़, जो बीडा, भिवाड़ी के नाम से दर्ज रिकार्ड है, पर भी मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा चारदीवारी निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी, नीमराना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एकीकृत विकास प्राधिकरण बीडा, भिवाड़ी एवं उप वन संरक्षक, अलवर जिला कार्यालय के क्रमांक 21, दिनांक 23.02.2021 से तहसीलदार, नीमराना को प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह जवाब दिया कि संवत 2073-74 में यह खसरा संख्या 505/593, रकबा 4.75

(श्री बलजीत यादव)

हैक्टेयर में दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड के नाम खातेदारी दर्ज है। मैं यह बताना चाहता हूं कि संवत 2020 से सैटलमेंट चालू हुआ, 2038 से चालू हुआ 2042 तक, तो उससे पहले यह जमीन जंगलात के नाम दर्ज है, जिसकी मेरे पास जमाबंदी है, उसके नाम से दर्ज है। जंगलात के नाम से जब दर्ज है तो मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह राजेन्द्र पुत्र उमराव के नाम दर्ज हुई सैटलमेंट 1942 में, तो क्या नियमानुसार डाइवर्जन की प्रक्रिया को अपनाया गया? यह कैसे आयी? जंगलात की जमीन किसी भी व्यक्ति के नहीं आ सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय दिये गये हैं और यह कहा गया कि जंगलात के नाम कभी भी जमीन है तो वह किसी भी आदमी के नहीं जा सकती और जाएगी तो नियम से जाएगी। कोई सार्वजनिक हित में हो, कोई रोड बने, कुछ और हो तो उसकी प्रक्रिया है, उसके तहत जाएगी। किसी व्यक्ति या फर्म के भी जाएगी तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं, क्या इसमें कोई प्रक्रिया अपनायी गयी या यह फर्जीवाड़े में ही नाम दर्ज की गयी?

यह जमीन, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई छोटी-मोटी जमीन नहीं है, 19 बीघा तो जमीन यह वाली है, जो मैंने बतायी, खसरा दो में है। एक खसरा संख्या 268, उसमें 6 बीघा जमीन है, जिसके लिए आपने खुद ही बोल दिया कि उसके ऊपर कब्जा हो रखा है, वह बीडा के नाम से दर्ज है। मैं यह जानना चाहता हूं, यह निर्देश दिये गये हैं कि इसको हटा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवा महीने में तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस ध्यानाकर्षण का जवाब दिया है। जो यह साफ-साफ दर्शाता है कि इसके अन्दर उनकी नीयत साफ नहीं है और साफ थी तो यह अब तक हटा क्यों नहीं? आम आदमी तो जरा-सा भी कर लेता है तो उस पर बुलडोजर लेकर चल देते हैं, लेकिन यह पूंजीपति, लगभग यह पौने 200 करोड़ रुपये की जमीन है, उस पर कब्जा हो रखा है, उसको हटाने के लिए कोई नहीं जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हटाने के निर्देश दिये गये, वह तो ठीक है, लेकिन वह हटेगा कि नहीं हटेगा? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मुझे आप बता दें कि यह डाइवर्जन नियमानुसार हुआ कि नहीं हुआ? यह राजेन्द्र पुत्र उमराव से आयी ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बात हो गयी। रिपीट नहीं, माननीय सदस्य हो गया। रिपीट नहीं।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की नीयत के संदर्भ में चिंता जाहिर की। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से जिस जमीन के बारे में इन्होंने पता करना चाहा, वह वन विभाग और बीडा की है। वह राजस्व विभाग की तो जमीन है नहीं। उसके उपरान्त भी राजस्व विभाग की जो जिम्मेवारी होती है, दोनों के दोनों विभागों को, बीडा और वन विभाग को इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए बोला। आपने ध्यानाकर्षण के तहत यह बात कहीं भी उल्लेख नहीं की कि इसके पूर्व में इस जमीन का क्या रिकार्ड था? आपने अभी यहां ध्यानाकर्षण पर बोलते वक्त यह बात कही कि इससे पूर्व में इस जमीन का जंगलात के अन्दर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज था। यह कहीं भी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरे के पूरे इस प्रकरण की मेरे खुद के विभाग द्वारा जांच करवाऊंगा और जो भी नियमानुसार होगा, वह कार्य करेंगे। किसी से प्रभावित राजस्व विभाग या राजस्थान सरकार नहीं हुई है, न ही होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): मैंने ध्यानाकर्षण में यह पूछा था कि इस जमीन की किस्म क्या है? वन विभाग की कितनी जमीन पर इसने कब्जा कर रखा है, तो उसमें 19 बीघा का कहीं नहीं दिया है। 6 बीघा का दिया है, जो नीचे है, उसका तो दिया है। लेकिन यह मैंने 19 बीघा का पूछा था कि यह फोर्ट की जमीन है, यह जमीन किसके नाम दर्ज है? यह बताया जाना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इतनी रखनी चाहिए कि यह जमीन, मैं पूछ रहा हूं आयी कैसे?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपकी बात मान ली उन्होंने। जांच करवा देंगे, इसमें अब ऐसा कोई इश्यू नहीं है।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, कुछ भी जांच नहीं होगी।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वर्तमान के अन्दर पूछी है। वर्तमान के अन्दर ...(व्यवधान)

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): जांच, अपन यहीं रहेंगे अगले सत्र में। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: एक सैकण्ड, क्या बोले आप?

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): ये अधिकारी नीचे इतनी लीपापोती करेंगे, जो जवाब इतनी मुश्किल से दिया है, वे ऐसे उलझा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विश्वास रखें मंत्री पर। माननीय मंत्रीजी।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जमीन के राजस्व रिकार्ड के संदर्भ में पूछा है। वर्तमान के अन्दर यह जमीन, जो मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड में है। इससे पूर्व यह जमीन उन्होंने किससे खरीदी है या उससे पूर्व यह जमीन किस किस्म में थी, यह बात कहीं भी ध्यानाकर्षण के मार्फत आपने पूछा नहीं। इसके बावजूद भी मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि मैं जांच कराकर आपके सामने रखूंगा और नियमानुसार, अगर यह जमीन किसी और किस्म, जिसका आप उल्लेख कर रहे हो, आपने इस ध्यानाकर्षण में तो पूछा नहीं है, पर अपनी बात में इसका उल्लेख कर रहे हो, कि यह जंगलात के अन्दर इसका इन्द्राज किया गया। उस जंगलात से एक व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम किया गया और उस व्यक्ति ने यह मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस को बेची। यह आपने इस ध्यानाकर्षण में तो कहीं पूछा नहीं। अगर ध्यानाकर्षण के अन्दर आप पूछते कि इसके चैनल डाकूमेंट क्या हैं? पूर्व के अन्दर यह किस किस्म के अन्दर इन्द्राज की गयी है तो किसी प्रकार की लीपापोती नहीं की। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, अब आप बैठें। वह इश्यू अलग है। एक इश्यू यह है कि जमीन फोरेस्ट की थी, व्यक्तिगत खाते में कैसे कर दी? उसकी आपने जानकारी नहीं मांगी। मंत्रीजी इसमें सैकण्ड पार्ट इम्पोर्टेंट है। उक्त दोनों खसरा 504 और 505 में रोप-वे बनाकर मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। यह मोटा प्रश्न है। वह तो एक पार्ट है, जमीन में किया, अलग बात है। उसकी जांच आपने करवाने के लिए बोल दिया। यह जो अतिक्रमण है, वह कब हटेगा?

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रोप-वे बना हुआ है, यह रोप-वे वन भूमि के ऊपर बना हुआ है और बीडा की जमीन पर बना हुआ है। वन भूमि पर बना हुआ है तो वन विभाग को हटाने के लिए, कार्यवाही करने के लिए लिख दिया गया। बीडा की भूमि के ऊपर यह अतिक्रमण है तो बीडा को भी लिख दिया गया। इन दोनों को लिख दिया गया है। आने वाले समय के अन्दर इसके ऊपर कार्यवाही करवायी जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, अब लिमिट। मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्रीमती इन्द्रा।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, नो, आप लिखकर दे दें। No Point of Information. आप लिखकर दे दें। No. I'll not allow it. आप पाइंट लिखकर दे दें। बोलने की जरूरत नहीं है। I'll take cognizance. प्लीज, इश्यू नहीं लिखकर दिया आपने। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। I'll not allow it. मैंने कहा न लिखकर भेज दें। इम्पोर्टेंट होगा तो मैं खुद बुलवा लूंगा। आपका क्या इश्यू है, वह लिखकर भेजो। खाली पाइंट आफ आर्डर लिखकर नहीं दो।

श्रीमती इन्द्रा।

## बामनवास में अवैध खनन

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 131, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत बामनवास विधान सभा क्षेत्र में संचालित अवैध खनन कार्य को तुरन्त बंद कराएं, इसके साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

**श्री प्रमोद भाया** (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बामनवास से आने वाली माननीय सदस्या जी द्वारा जो नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:-

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में कुल 80 खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिनमें से तीन खनन पट्टे खनिज क्वार्टज, एक खनन पट्टा खनिज क्वार्टज जाइद, 74 खनन पट्टे खनिज मेसनरी स्टोन तथा 2 खनन पट्टे खनिज फिलाइट के स्वीकृत होकर प्रभावशील हैं। प्रस्ताव में ग्राम जनून का नाम जनजून अंकित है, जो सही नहीं है। ग्राम जनून में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। तहसील बौंली के ग्राम बेडोली में खनिज मेसनरी स्टोन के 18 खनन पट्टे एवं एक खनन पट्टा खनिज क्वार्टज, कुल 19 खनन पट्टे, ग्राम थड़ी में खनिज मेसनरी स्टोन के 17 खनन पट्टे और ग्राम सोमवास में खनिज मेसनरी स्टोन के 5 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। शेष 39 खनन पट्टे बौंली तहसील के अन्य गांवों में स्वीकृत हैं।

ग्रामवासी बेडोली की ब्लास्टिंग एवं खनन के कारण गांवों के मकानों में दरार की शिकायत 13.01.2021 एवं 05.02.2021 के क्रम में दिनांक 18.02.2021 को खान विभाग द्वारा जांच की जाकर राजस्व विभाग को खनन पट्टा का सीमाज्ञान कराया गया।

(श्री प्रमोद भाया)

जांच रिपोर्ट अनुसार 7 खनन पट्टे भारतमाला प्रोजेक्ट के 8 लेन नेशनल हाईवे की सीमा में व सीमा से 45 मीटर परिधि में आने से उक्त खनन पट्टों में सहायक खनिज अभियंता, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 03.11.2020 से खनन कार्य बंद करवाया हुआ है। खनन पट्टा 7/2010 में क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाये जाने पर शास्ति राशि 8 लाख 60 हजार की मांग आदेश, दिनांक 05.03.2021 से कायम की गयी। ग्राम बेडोली स्थित खनिज मेसनरी स्टोन के 11 खनन पट्टों में वर्तमान में खनन कार्य ग्रामीणों के विरोध के कारण बंद है। ग्राम थड़ी तथा ग्राम सोमवास में प्रभावशील खनन पट्टों के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई शिकायत सहायक खनिज अभियंता कार्यालय में नहीं पायी गयी। तहसील बौंली के ग्राम जनूल में कोई खनिज पट्टा स्वीकृत नहीं है। ग्राम थड़ी में स्वीकृत 17 खनन पट्टों व सोमवास में स्वीकृत 5 खनन पट्टों, कुल 22 खनन पट्टों में पर्यावरण अनुमति एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से संचालन सम्मति प्राप्त कर खनन कार्य किया जा रहा है। प्रस्ताव में उल्लेखित ग्राम जनूल, बेडोली, थड़ी, सोमवास इत्यादि में रहने वाले लोगों के मकानों में दरार आना अंकित किया है।

इस सम्बन्ध में खान विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा दिनांक 16.03.2021 को उक्त खनन क्षेत्रों का मौका देखा गया। मौका जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेडोली में खनन पट्टा क्षेत्र से निकटतम मकान की दूरी करीब 100 मीटर, जिसमें कोई दरार नहीं पायी गयी। खनन पट्टा क्षेत्र से भैंरूजी मंदिर की चारदीवारी की दूरी लगभग 50 मीटर है, जिसमें कोई दरारें नहीं पायी गयीं। ग्राम सोमवास में स्थित खनन पट्टे से नजदीकी मकान की दूरी लगभग 92 मीटर पायी गयी। उक्त मकान में रहवासियों द्वारा ब्लास्टिंग से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना बताया गया। ग्राम थेड़ी में संचालित खनन पट्टों से आबादी की दूरी लगभग एक किलोमीटर है एवं आबादी के मकानों में दरार नहीं पायी गयी। प्रस्ताव में अंकित इस क्षेत्र में अवैध खनन कार्य चरम पर होना एवं ब्लास्टिंग करने से उड़ने वाले धूल कणों से जीवन

**(13.00 बजे)**

दूभर होने के तथ्य सही नहीं हैं। वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम बेडोली के खनन पट्टों में खनन कार्य बंद है तथा ग्राम थड़ी व सोमवास में खनन पट्टे नियम अनुसार स्वीकृत होकर पर्यावरण अनुमति तथा संचालन सम्मति प्राप्त कर खनन हो रहा है।

(श्री प्रमोद भाया)

सभी स्वीकृत खनन पट्टों/अल्पावधि अनुमति पत्र/स्टाक से खनिज का निर्गमन ई-रवन्ना/ई-टीपी के माध्यम से होता है। ई-रवन्ना ई-टीपी का कन्फर्मेशन विभाग में पंजीकृत/इम्पेनल्ड वे-ब्रिज से होता है, जिस पर तुलाई के समय सी.सी.टी.वी. फुटेज भी दर्शित होता है।

ओवरलोडिंग से सड़कें क्षतिग्रस्त होने की सम्भावनाएं रहती हैं। खान विभाग की वेबसाइट को परिवहन विभाग की वेबसाइट के साथ दिनांक 01.01.2020 से इंटीग्रेट किया गया है। इसके पश्चात् से प्रत्येक ओवरलोड वाहन की सूचना रियल टाइम बेसिस पर परिवहन विभाग को उपलब्ध हो रही है।

विभागीय ऑनलाइन सिस्टम के अनुसार जिला सवाई माधोपुर में अवधि दिनांक 01.01.2020 से 28.02.2021 तक कुल 89 हजार 262 ई-रवन्ना जनरेट हुए, जिसमें से 4,135 प्रकरणों में खनिज वाहन की ओवरलोड की सूचना परिवहन विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध हुई है। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा बजट घोषणा 2020-21 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में दिनांक 01.04.2018 से 10.03.2021 तक अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण के कुल 843 प्रकरण बनाये जाकर राशि 980.59 लाख शास्ति आरोपित की गयी, जिसमें से राशि 247.5 लाख वसूल की गयी है।

अध्यक्ष जी, उपरोक्त अनुसार प्रस्ताव के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है तथा प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने अभी जो जवाब दिया वह पूरी तरीके से +++ है और मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के अधिकारी जो सदन को.. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: +++ नहीं, यह कहो कि असत्य है।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): सर, जो अधिकारी सदन को गुमराह करते हैं, क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? मैं अभी आपके सामने तथ्य इस सदन में रखूंगी, ये जो सारे फुटेज हैं, जो सारे फोटोग्राफ हैं, मैं लेकर आयी हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सी.डी. भी लेकर आयी हूं,

(श्रीमती इन्द्रा)

अगर सी.डी. चलाकर दिखा सकते हो तो अभी सभी, पूरे सदन को दिखा सकते हो। लेकिन इस तरीके के अधिकारी +++ तथ्य पेश करने का क्या मतलब है? इनकी मिलीभगत का...

**श्री अध्यक्ष**: +++ नहीं, माननीय सदस्या, असत्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): जो भी अधिकारी तथ्य पेश कर रहे हैं, सारे असत्य तथ्य हैं और ये जो पेश कर रहे हैं, ये मैं जो लेकर आयी हूं, सारी ये दरारें, ये फोटोग्राफ हैं ये स्कूल के और मकानों के फोटोग्राफ हैं।

इसके अलावा, यह जो ब्लास्टिंग करते हैं, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि ब्लास्टिंग का क्या मापदण्ड होता है? जहां तक मुझे जानकारी है ब्लास्टिंग आठ मिली. की होती है बाकी मंत्री जी बताएंगे। वहां 30 से 50 मीटर की ब्लास्टिंग की जा रही है। पूरा गांव थर-थर कांपता है। स्कूल में जो बच्चे बैठते हैं, वे बाहर बैठने के लिए मजबूर हैं। स्कूल की पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। अगर मंत्री जी इस बात को सही नहीं मानते तो एक कमेटी बनाकर या फिर अभी अगर इस बात को मानते हो तो सारी सी.डी. मेरे पास हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, हो गयी बात। माननीय मंत्री जी।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): सर, मेरे पास में सी.डी. है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, हो गया, बैठें।

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या जो तथ्य दे रही हैं, उन तथ्यों को लेकर आप क्या कार्यवाही करेंगे?

**श्री प्रमोद भाया** (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी ने जो बात उठायी, इसकी मूल शिकायत उप खण्ड अधिकारी कार्यालय में हुई थी। वहां से शिकायत खान विभाग को आयी। खान विभाग के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी जोइंट रूप से वहां मौके पर गये और उन्होंने मौका रिपोर्ट तैयार की, जो मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दी।

फिर भी माननीय सदस्या जी ने जो बात कही है कि यह रिपोर्ट असत्य है, तो इसके लिए बड़े अधिकारियों की एक विशेष कमेटी बनाकर पुन: इसकी जांच करा लेंगे। अगर जांच में कोई चीज गलत पायी गयी तो जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी और जो वहां पर कमी पायी गयी, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, बैठें, प्लीज। चर्चा समाप्त।

जगसी राम जी, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) माननीय सदस्या, अंकित नहीं होगा।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): 000

**श्री अध्यक्ष**: बैठें, माननीय सदस्या। अंकित नहीं होगा। बैठें, नीचे बैठें।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठें। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते? आप बैठिये। आप नीचे बैठिये, नीचे बैठिये। बैठिये आप। अंकित नहीं होगा।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): 000

**श्री अध्यक्ष**: माननीय व्हिप, मैं यह अलाउ नहीं करूंगा। I'll not allow it.

आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

## सूचना

## आबू रोड के चनार में छह महीने की बच्ची की आग लगने से मृत्यु

**श्री जगसी राम** (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि कल 17 तारीख को शाम को छह बजे आबू रोड ग्रामीण में चनार के अन्दर आदिवासी, जो कच्चे झौपड़ों में रहते हैं, वहां पर तीन बच्चे, जो साथ में खेल रहे थे, उनकी माताजी पानी भरने गयी थी, उस समय में दो बालक जो चल सकते थे वे तो निकल गये और छह महीने की एक बच्ची आग लगने से, उसमें जल कर उसकी मृत्यु हो गयी है तो मैं सरकार से चाहूंगा कि उस परिवार के लिए मकान के लिए और जो बच्ची की मृत्यु हुई है, उन परिजनों के लिए सरकार से सहायता दी जाए।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद।

अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना रखने के पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। जो अधिसूचनाएं जारी हुई हैं ये नियमों के तहत विधान सभा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

का सत्र बुलाते ही प्रथम बैठक में ही इनको रख देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रखी गयीं। सत्र आहूत होने के बाद, सत्र जब आहूत हो जाता है तो हम विभागों को एक परिपत्र निकालते हैं कि अब जितनी भी अधिसूचनाएं हैं, उनको अविलम्ब सदन की मेज पर रखने के लिए पहुंचा दें। लेकिन मैं माफी चाहते हुए, इस बात के लिए आपसे माफी चाहते हुए यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि 16 या 17, जितनी अधिसूचनाएं मैं रख रहा हूं, उनमें से 16 या 17 अधिसूचनाएं ऐसी हैं, जिनका कि टाइम काफी निकल चुका है और मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है और चेतावनी के साथ-साथ उनको यह भी कहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई सीरियस डिले उनके पार्ट पर मिलता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन होगा।

## सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचना

### स्वायत्त शासन विभाग

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग की निम्नांकित 24 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जीए)( )रूल्स/डी.एल.बी./19/23179 दिनांक 31.01.2019 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जीए)( )रूल्स/एल.एस.जी./18/22388 दिनांक 22.01.2019 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.8(जीए)( )रूल्स/डी.एल.बी./18/24669 दिनांक 19.02.2019 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.10(क)/(चुनाव)गठन/श्रेणी/डी.एल.बी./19/10476 दिनांक 18.10.2019 जिसके द्वारा नगर निगम जयपुर को दो भागों में विभाजित करते हुए दो नये नगर निगम क्रमश: नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर का गठन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

5. अधिसूचना संख्याः एफ.10(क)/(चुनाव)गठन/श्रेणी/डी.एल.बी./19/10741 दिनांक 18.10.2019 जिसके द्वारा नगर निगम जोधपुर को दो भागों में विभाजित करते हुए दो नये नगर निगम क्रमशः नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं नगर निगम जोधपुर दक्षिण का गठन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्याः एफ.10(क)/(चुनाव)गठन/श्रेणी/डी.एल.बी./19/11001 दिनांक 18.10.2019 जिसके द्वारा नगर निगम कोटा को दो भागों में विभाजित करते हुए दो नये नगर निगम क्रमशः नगर निगम कोटा उत्तर एवं नगर निगम कोटा दक्षिण का गठन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्याः एफ.8(जी)(62)रूल्स/डी.एल.बी./20/48886 दिनांक 31.12.2020 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्याः प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./19/48837 दिनांक 09.12.2020 जिसके द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उप विधि 2012 के क्लाज 16 (घ) में लिए जाने वाले विलम्ब शुल्क को जमा कराने पर प्रदत्त छूट की अवधि दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ायी गयी है;
9. अधिसूचना संख्याः प.8(ग)( )रूल्स/डी.एल.बी./20/46853 दिनांक 12.11.2020 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्याः प.8(ग)(38)नियम/डी.एल.बी./19/47159 दिनांक 20.11.2020 जिसके द्वारा गृह कर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर छूट की अवधि 31.12.2020 तक बढ़ायी गयी है;
11. अधिसूचना संख्याः प.8(ग)()कि.नि.अधि./नियम/डी.एल.बी./20/46585 दिनांक 09.11.2020 जिसके द्वारा जोधपुर महानगर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर के किराया अधिकरण का गठन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्याः प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./20/45473 दिनांक 13.10.2020 जिसके द्वारा पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों, जिन्हें बहादुरी (गैलेन्ट्री) पदक राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किये गये हैं, की आवासीय भूमि को सशर्त नगरीय विकास कर से मुक्त किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

13. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )रूल्स/डी.एल.बी./20/46026 दिनांक 13.10.2020 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./16/43737 दिनांक 25.08.2020 जिसके द्वारा किसी आवेदक द्वारा होटल/रेस्टोरेन्ट आदि का नवीनीकरण हेतु आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा तो आवेदनकर्ता के पूर्व में संग्रहित डाटा के आधार पर निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा होने के पश्चात् स्वत: ही नवीनीकृत लाइसेन्स जारी हो जाएगा;
15. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./2020/45828 दिनांक 13.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/चुनाव/एल.एस.जी./99/10334 दिनांक 30.10.1999 को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.8(लेक)(26)डी.एल.बी./2018/451 दिनांक 10.08.2020 जिसके द्वारा जोधपुर जिले में झील संरक्षण हेतु कतिपय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.8(लेक)(26)रूल्स/डी.एल.बी./2018/429-450 दिनांक 10.08.2020 जिसके द्वारा जोधपुर जिले में झील की सीमा एवं संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )रूल्स/डी.एल.बी./19/43126 दिनांक 01.07.2020 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./19/43030 दिनांक 04.06.2020 जिसके द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर सीमा में स्थित जयपुर मैट्रो रेल कार्पोरेशन जयपुर की सम्पत्तियों को नगरीय विकास कर के भुगतान से 2010-11 से छूट प्रदान की गयी है;
20. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )(रूल्स)डी.एल.बी./20/41687 दिनांक 19.03.2020 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
21. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./18/40615 दिनांक 25.02.2020 जिसके द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर सीमा में स्थित पुष्पा जयपुरिया फाउण्डेशन जयपुर की रिक्त भूमि को नगरीय विकास कर के भुगतान से सशर्त छूट प्रदान की गयी है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

22. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./15/39376 दिनांक 29.01.2020 जिसके द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की सशर्त छूट दिनांक 31.03.2020 तक प्रदान की गयी है;

23. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./15/49646 दिनांक 21.01.2021 जिसके द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत सशर्त छूट प्रदान की गयी है;

24. अधिसूचना संख्या: प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./21/49144 दिनांक 11.01.2021 जिसके द्वारा गृह कर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में दिनांक 31.12.2020 तक सशर्त छूट प्रदान की गयी है;

**श्री अध्यक्ष**: वार्षिक प्रतिवेदन।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री जी ने कह दिया, don't intervene. मंत्री जी ने खुद ही कह दिया।

वार्षिक प्रतिवेदन। श्री बुलाकी दास कल्ला।

# प्रतिवेदन एवं लेखे

## राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** विधायी कार्य। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। दोनों विधेयक पर एक साथ विचार प्रारम्भ होगा।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2021, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

# विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

## राजस्थान वित्त विधेयक, 2021

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विराचार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 10 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021, श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे।

## राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

**(स्वीकृत)**

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

# विधेयक का पारण

## (1) राजस्थान वित्त विधेयक, 2021

## (2) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित ही है कि सदन में राजस्थान वित्त विधेयक व राजस्थान विनियोग विधेयक पर कुछ वर्षों से एक साथ चर्चा की जाती रही है। आज भी इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्यों को वित्त विधेयक व विनियोग विधेयक के पारण की स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति दी जाएगी।

जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान वित्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वित्त विधेयक के विचारार्थ लिये जाने की स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी। वे माननीय सदस्य वित्त विधेयक के पारण की स्टेज पर अपने विचार प्रकट रख सकेंगे।

माननीय सदस्यगण, वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक पर सदन में प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद करने का पूरा अधिकार है। अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था है, जिस पर सदन में विचार किया जाएगा।

इससे पूर्व बजट की प्रथम अवस्था पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। उसके पश्चात् द्वितीय अवस्था बजट पर अनुदान की मांगों पर सदन में वाद-विवाद के दौरान भी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उसके पश्चात् अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था में सदस्यों को विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का अवसर उपलब्ध रहता है, लेकिन हमें यह देखना है कि सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान तथा अनुदान की मांगों पर विचार के समय जिन विषयों को उठा दिया गया हो, उनकी पुनरावृत्ति न की जाए।

विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का क्षेत्र लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अंतर्निहित नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहता है, जो पहले ही उस समय न उठाए जा चुके हों, जबकि संगत अनुदानों की मांगें चर्चाधीन थीं।

विभिन्न अनुदान की मांगों से सम्बन्धित वाद-विवाद के दौरान जिन विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी हो, वे मुद्दे विनियोग विधेयक पर चर्चा की विषय-वस्तु नहीं बन सकते हैं।

वित्त विधेयक पर माननीय सदस्य राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली शिकायतों या सरकार की वित्तीय नीति से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, सरकार की नीति की आलोचना कर

(श्री अध्यक्ष)

सकते हैं, जिनके कारण कोई घाटा हुआ हो। संक्षेप में सारे प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है, परन्तु उन प्रश्नों को पुन: नहीं उठाया जा सकता, जिन पर पहले वाद-विवाद में चर्चा हो चुकी हो।

यह मैंने आपका ध्यानाकर्षित किया है कि हम सारगर्भित चर्चा करें तो माननीय सदस्य इन सब बिन्दुओं का ध्यान रखें। चर्चा प्रारम्भ करने से पहले जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए बोला है, उनमें माननीय कैलाश चन्द्र जी मेघवाल यदि बोलना चाहें तो सबसे पहले कैलाश चन्द्र जी।

**श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं 12 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में कोरोना से चपेट में आने के कारण भर्ती रहा। मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देना है, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत, वे तो हैं नहीं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, शान्ती जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरी बीमारी के दौरान उन्होंने लगातार निगरानी रखी। मेरे से भी बात की और मेरा मनोबल भी ऊंचा किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी राजे, वे भी लगातार मेरे बारे में चिंतित रहती थीं और हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न करती थीं कि मैं जल्दी से जल्दी आराम पा सकूं।

इसके साथ ही, डा. भंडारी और उनकी जो टीम थी, सारे अस्पताल की, बहुत ही उमदा तरीके से उन्होंने मेरी देखरेख की। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मेरी भतीजी गायत्री राठौड़ जो प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं, वह लगातार आती रही, देखती रही, सब करती रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी इस बारे में जानकारी की थी। यह मुझे मालूम है, इसलिए आपका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब रहा सवाल आज का, आज भाषण किस पर दिया जाए? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस देश में एक रस्म अदायगी हो रही है। शासन बदलेंगे, आएंगे, बहुमत आएगा, जाएगा और वही एक तौर-तरीका है, वह चलता रहेगा। रस्म अदायगी होती रहेगी। इधर पक्ष है और इधर प्रतिपक्ष है, अपने-अपने हिसाब से सारे काम कराते रहेंगे। आखिर हमारा क्राइटेरिया क्या हो?

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

हम जब फाइनेन्स बिल पास करते हैं, बजट पास करते हैं केन्द्र में भी और यहां पर भी। आप भी, अध्यक्ष महोदय, एक बार केन्द्र में हो आये। मैं भी 3 बार केन्द्र में रहा हूं लेकिन एक परिपाटी-सी चल रही है और उस परिपाटी का पालन हम करते जा रहे हैं। आज मैं नए ढंग से, इस परिपाटी से अलग होकर के कहना चाहता हूं कि आखिर हमारी कसौटी क्या हो? आखिर हमारा पैमाना क्या हो? हम किस दिशा में जा रहे हैं? किस दिशा में खड़े हैं? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बार, डोटासरा जी नहीं हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान के प्रिएम्बल को पुस्तक में छपवाया है। इस बार माननीय राज्यपाल महोदय ने भी हमारा प्रिएम्बल इस विधान सभा के पटल पर पढ़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रिएम्बल है, इस देश की सारी व्यवस्था राष्ट्रपति से लगाकर के नीचे तक इस प्रिएम्बल के आधार पर, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अब हमारा क्राइटेरिया यह होना चाहिए कि आज पौन शताब्दी के बाद हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी 75 साल पूरे होने के बाद मना रहे हैं तो इस संविधान के प्रिएम्बल की कितनी पालना हुई, इस पर चर्चा होना जरूरी है। देश निर्माण में, इस राष्ट्र को मजबूत करने में ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसलिए हैं कि आपको प्रिएम्बल दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रिएम्बल क्या है - WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVERIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens. अब ये बड़े इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जो प्रिएम्बल में हैं। जैसे सैक्यूलर है, सोशलिस्ट है, डैमोक्रेटिक है, and to secure to all its citizens. JUSTICE, social, economic and political, अध्यक्ष महोदय, इसमें आप क्रम देखिए, जस्टिस, सोशल पहले हैं, इकोनामिक बाद में है और पोलिटिकल थर्ड EQUALITY of status, LIBERTY of thought, expression, faith, belief and worship. तीसरा है अध्यक्ष महोदय, EQUALITY of status and of opportunity. इसके बाद सबसे जोर दिया गया है, to promote among them all and FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. अब यह जो हमारे पास बजट है, आज ही फाइनेन्स बिल में हम पास करेंगे। उसमें इस उद्देश्य की प्राप्ति में हम कहां तक पहुंचे हैं? यह मुद्दा है।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सोशल जस्टिस कहां है? आप भी गांवों में जाते हैं। मैं भी गांवों में जाता हूं। हम राजनीति में सारे प्रदेश और देश में घूमते हैं। क्या आज सामाजिक न्याय सर्व समाजों में पहुंच गया है? यह होना चाहिए। आज क्या छुआछूत मिट चुकी है? क्या आज अस्पृश्यता मिट चुकी? जो जाति में ऊपर, नीचे का पैमाना बना हुआ है, उसमें कमी आ गयी? आज इस देश में सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

आज अगर 75 साल के बाद भी नाई बाल काटने से मना करता है, आज अगर किसी को कुएं पर से पानी भरने से मना किया जाता है, आज अगर मंदिरों में जाने से मना किया जाता है, आज अगर अन्दर बैठने से मना किया जाता है, यह जो स्थिति आज देश की है, यह इस बात को प्रकट करती है कि हम 70 साल में या 75 साल में सामाजिक न्याय इस देश में देने में असमर्थ रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान इस विषय की ओर जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें तो मैं कहूं, सरकार ने जो सामाजिक न्याय देने के विभाग हैं, जनजाति विभाग और सामाजिक न्याय विभाग, एक दिन में निपटा दिये, जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, जिन पर सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए थी। इसके साथ ही, बाल कल्याण और महिला कल्याण पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो विभाग सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो मैं मानता हूं कि आज तक नहीं दिया गया है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आगे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे सबसे ज्यादा प्रयत्न होने चाहिए, जो कि इस राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आता है इकोनामिक, आर्थिक न्याय, बहुत बड़ी साध है। आर्थिक न्याय को बोला जाए तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन आर्थिक न्याय करने के लिए एक सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया है। आर्थिक न्याय क्या होगा? किसके आधार पर होगा? समाजवाद! समाजवाद इस देश में एक राजनीतिक व्यवस्था का नाम है। समाजवाद का मतलब है कि जिसकी जितनी क्षमता हो, उससे उतना लो और जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतना उसको दो। समाजवाद की यह एक परिभाषा सामान्यत: पूरी दुनिया में मानी जाती है। हालांकि समाजवाद के कई रूप ऐसे आये विकृत, जिससे हालांकि यह फेल भी हो गया है, लेकिन हमारे यहां हमने इसको स्वीकार किया। यह स्वीकार इसलिए किया है कि इस देश में आर्थिक रूप से एक तरफ

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

धनाढ्य वर्ग है, एक तरफ बहुत गरीब, जो कैलोरी है गरीब वर्ग के खाने की, आधा हिन्दुस्तान और आधा राजस्थान पूरी कैलोरी नहीं पा रहा है। वह इसलिए नहीं पा रहा है कि उनको आर्थिक न्याय नहीं मिला। आर्थिक न्याय मिलने के लिए हमको किस दिशा में जाना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। आर्थिक न्याय मिले बिना आजादी अधूरी है। आजादी क्या मायने रखती है जब पेट में रोटी नहीं है और आजाद कहते हैं हम अपने आपको। रोटी, कपड़ा और मकान तो बेसिक आवश्यकता है। ये मूल आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस विषय में हमको काम करना पड़ेगा। राजस्थान में व्यापक स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं। राजस्थान में नैचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं और इनका अगर हम पूरा एक्सप्लाइटेशन कर दें तो यह बजट का रोना जो रोते हैं, वह बजट का रोना समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत मैदान खाली पड़े हैं, बहुत ही जमीन खाली पड़ी है, हम वनौपज भी ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, खनिज का दोहन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह सारी स्थिति मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि एक बार हैव्ज एण्ड हैव्ज नोट का अंतर बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। 'हैव्ज' आगे बढ़ते जा रहे हैं, 'हैव्ज नोट' पीछे हट रहे हैं तो हैव और हैव नोट की जो खाई बढ़ रही है, इस खाई को पाटे बिना हम आर्थिक न्याय की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी और उठाना भी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आदमी के हाथ में जब तक क्रय शक्ति नहीं होगी, आज हम थेगलेबाजी कर रहे हैं, सब्सिडी दे दो, दान दे दो, पैसा दे दो, यह कर दो, इसके आधार पर यह पेट भर लेगा। यह एक अधूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ सकते। व्यवस्था चाहिए कि व्यक्ति के हाथ में क्रय शक्ति बढ़े। क्रय शक्ति तभी बढ़ सकती है, जब बेकारी को मिटाने के लिए बेकारों के हाथ में काम हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था बेकार, बेरोजगार, नौकरी दो। मैं कई बार सोचता हूं, पहले भी सोचता था, यह चिंता का विषय है कि क्या हर पढ़े-लिखे आदमी को नौकरी दी जा सकती है? मैं आपसे यह भी

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो संस्थान हैं, हमारी जो सरकार है, चाहे केन्द्र सरकार हो या उसके संस्थान हों, कई बार वहां आवश्यकता न होते हुए भी किसी न किसी रूप में रोजगार देने के लिए पदों को क्रिएट किया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है कि इस व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए और इसलिए रोक लगनी चाहिए कि आज लोंगेविटी आफ लाइफ ज्यादा हो गयी है। पहले 60 साल की उम्र सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित हुई उस समय एवरेज एज 54 थी, आज आपकी एवरेज एज 86 तक आ गयी और 86 तक आने के बाद में 100-100 साल, 90-90 साल तक पेंशनर जी रहे हैं। आज जिस तरह से इकोनोमी चल रही है, उसमें आपका पेंशन बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोंगेविटी आफ लाइफ बढ़ती जा रही है। इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय और यहां पर गम्भीरता से सोचने के लिए रखना चाहता हूं कि आर्थिकी जो है, चाहे देश की या राजस्थान की, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह इस आर्थिकी के अनुसार होनी चाहिए क्योंकि फाइनेंस कमीशन में कोई न कोई ब्यूरोक्रेट बैठता है और वह ब्यूरोक्रेट अपने ब्यूरोक्रेट्स के हित के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए, इनकी सारी दूसरी बातों के लिए जिस तरह की रिकमंडेशंस करता है, उसको सरकार मानती है। वह एक गलत तरीका चालू हो गया। अगर आपको फाइनेंस कमीशन बैठाना है तो गांव के किसान को बैठाओ, गांव के गरीब को बैठाओ, गांव के एक मजदूर को बैठाओ, गांव के साधारण लोगों को बैठाओ, इस तरह के दस-ग्यारह लोगों को बैठाकर उनसे कहो कि आप फाइनेंस फील्ड मैनेज करो। काम बढ़ता जा रहा है, ढाई-ढाई, तीन-तीन लाख वेतन है, साधन-सुविधाएं हैं अपार और वह ही अंग्रेजियत का जमाना, ऐसे अफसरों पर कैसे कंट्रोल होगा? इन पर कंट्रोल न ये लगा सकते हैं न हम लगा सकते हैं क्योंकि एक बात सामने आती है, अबकी तो ये जाने वाले हैं, अपना क्या है? यह भी सोच लेता है। मतलब यह है कि सोच में इतना परिवर्तन आ गया है कि उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता आज की ब्यूरोक्रेसी में है? आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है, यहां भी देखा है, विधान सभा में भी देख रहे हैं, प्रतिबद्धता की कमी आती चली जा रही है। देश के प्रति लगन में कमी आती चली जा रही है। अपने मौज करो, मस्त

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

रहो, ये जाएंगे तो वे आएंगे। यह आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए हमें मौलिक रूप से सोचना पड़ेगा। माननीय शान्ती कुमार जी धारीवाल, आप मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं। मैं आपको यह बात विशेष तौर पर निवेदन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति है, उसको बदलने के लिए हमको तैयार रहने का है। रहा सवाल पोलिटिकल न्याय, अब राजनीतिक न्याय है अधूरा, आरक्षण के आधार पर हम जैसे लोग चुनकर आ जाते हैं। यहां पर देखते हो, ओ हो, यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट वाले इतने आ गये, शिड्यूल्ड ट्राइब वाले इतने आ गये और देश आगे बढ़ गया। इनसे देश आगे नहीं बढ़ रहा है। आरक्षण के आधार पर कुछ अवसर आ जाते हैं या कुछ अन्य सुविधाएं आ जाती हैं और कहते हैं कि बहुत मिल रहा है। इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। राजनीतिक न्याय देने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, वंचित वर्ग, इनमें एक जागृति लानी पड़ेगी और जागृति इसलिए लानी पड़ेगी कि आजादी के 75 साल होते-होते ये लोग आज भी गरीबी का जीवन, वंचितों का जीवन जी रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मौलिक मुद्दे हैं। अब आप देखिये, वरशिप की लिबर्टी है। आप तो नाथद्वारा से आते हैं, मैं भी नाथद्वारा कई बार गया हूं, दर्शन करने भी गया हूं लेकिन ओपन आज भी जाना वहां नहीं है, कई मंदिरों में नहीं है तो वरशिप की आजादी सब जगह नहीं है। कई मंदिर आज भी बंद हैं तो यह जो वरशिप की आजादी मिलनी चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, वह आज भी नहीं मिल रहा है। वह न्याय नहीं मिल रहा है तो यह संविधान का उल्लंघन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि EQUALITY of status and of opportunity; यह इतना बड़ा शब्द है कि इसकी कहीं पालना नहीं हो रही है। अपार्च्यूनिटी यानी अवसर, कुशलगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति का अवसर, उसके बाल-बच्चों का अवसर और उदयपुर में रहने वाले व्यक्ति के बाल-बच्चों के अवसर में फर्क है। मैं उदयपुर में था, मेघवाल जाति से हूं, मैं जानता हूं कि उदयपुर में होने की वजह से कई तरह की सुविधाएं थीं, पढ़ना-लिखना, ये-वो-सब, लेकिन मेरे काउंटरपार्ट्स जो गांवों में हैं, पढ़ सकते थे, मेरे से ज्यादा होशियार हो सकते थे, उनको कहां अवसर मिला है। आखिर यह जो, EQUALITY of status and of opportunity,

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

यह अपार्च्यूनिटी इक्वल रूप में सबको मिले, इस विषय पर आज गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रिएम्बल का आदेश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी जो है, वह यह है कि राज्यपाल का अभिभाषण भी है मेरे पास, मुख्य मंत्रीजी का भाषण भी है, इसमें एक कोई कार्यक्रम बता दो, जो कि फ्रेटरनिटी के लिए हो, जो भाईचारा और बंधुत्व के लिए हो। सारा अपने सामने है, कांस्टीट्यूशन भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, सब है, लेकिन to promote among them FRATERNITY, अलग से भाईचारा, बंधुत्व की भावना पैदा करने के लिए संविधान में assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. आज क्या हो रहा है देश में? आज भाईचारा है क्या? आज राजस्थान में भाईचारा है क्या? अगर भाईचारा होता तो दक्षिण राजस्थान से जो आवाज उठ रही है, हमारे दो मित्र वहां से जो आते हैं, यहां बैठे हैं, ऐसी आवाज आज इस देश में नहीं उठनी चाहिए थी। यह देश एक होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इसमें बंधुत्व होना चाहिए। इसमें एक तरह की आवाज उठनी चाहिए, जो समाज में समान रूप से व्यापक रूप से फैले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ मुद्दे हैं। अब खास मुद्दा, टैक्स फ्री बजट। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये टैक्स फ्री बजट, एक लोकप्रिय नारा है, वोटरों को प्रभावित करने वाला नारा है। टैक्स वाला बजट लाओ, राजस्थान में विकास की बहुत कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां आप भी बैठे हैं। आप देखते हैं, यहां सवाल देखते होंगे, हर जगह स्कूल की मांग है, कहीं अस्पताल की मांग है, कहीं पीने के पानी की मांग है, कहीं सड़क की मांग है। एक के बाद एक मांग विकास की चली आ रही है। ये विकास की मांगें एक तरफ, और आप कहते हैं कि टैक्स फ्री बजट, क्या मतलब है? राजस्थान से आपको टैक्स फ्री बजट की अवधारणा को छोड़ना पड़ेगा। विकास कराने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, वह प्राप्त किया जाए। विधायकों को जवाब मिलता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए देखा जाएगा। अधिकांश सवालों में यह जवाब आता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह किया जाएगा तो यह वित्तीय स्थिति खराब है तो Why not tax? आखिर हम वैलफेयर स्टेट चला रहे हैं। स्टेट चलाने के लिए हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं इस नीति के खिलाफ हूं कि टैक्स-फ्री कहकर आप विकास को रोकें। टैक्स-फ्री बजट विकास में रोड़ा है, विकास को अवरुद्ध करने वाला है, इसलिए टैक्स लगाएं और राजस्थान में विकास करें। यह मेरा आपसे निवेदन

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

है। इस बारे में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन राजस्थान जो विकास चाह रहा है, उस विकास को करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन शब्द हैं- सुस्त, दुरुस्त और चुस्त। मैं अपने हिसाब से इसमें कहना चाहता हूं कि आज की सरकार, आज की ब्यूरोक्रेसी सुस्त है। सुस्त का मैं आपको बताऊं, यह सारा रिकार्ड बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। आपके सारे कार्यक्रमों को देखें आप। ये आपके सुस्त हैं। दुरुस्त होते तो भी धन्यवाद देता। चुस्त होने का तो सवाल ही नहीं है। आज राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स को, राजस्थान की नौकरशाही को चुस्त करने की आवश्यकता है। यहां नौकरशाही के खिलाफ जिस तरह की बातें आती हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन चुस्त नहीं है तो क्या होता है, अभियान चलाएंगे। क्यों भाई, 'सरकार शहरों की ओर' के अभियान की क्या आवश्यकता पड़ी? 'सरकार गांवों की ओर' की क्या आवश्यकता पड़ी? इन अभियानों की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलता रहे तो हमें इन अभियानों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशासन को चुस्त करने की आवश्यकता है। इनकी आदत पड़ गयी है ढीला रहने की और नैग्लेक्ट करने की, जो होगा, देखा जाएगा।

अभी यहां सवाल आता है, कोर्नर में कौन होता है, मंत्री। अब यह मंत्री कोर्नर क्यों हुआ, इसलिए कि अच्छी तैयारी नहीं करायी गयी। आखिर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में बैठे हैं, तो सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर मौलिक रूप से विचार होना चाहिए। मौलिक रूप से विचार नहीं होगा तो हम इस प्रिएम्बल को प्राप्त करने में असफल रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-बहुत मैं आपको बता दूं। वैसे यह सारा कुछ आपकी आडिट रिपोर्ट में भी है, आपके आडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी है, आपकी अपनी रिपोर्टों में भी है, आप देख लें, जितना बजट आपको दिया गया, माननीय कल्ला साहब, एक भी कालम मुझे बता दें कि यह बजट हमने पूरा खर्च किया। अब उसके लिए बहाना है आज की तारीख में और उसे मानना पड़ेगा कि कोरोना आ गया और कोरोना आ गया तो सब प्रशासन ठप था, कई तरह की असुविधाएं थीं और

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

इसीलिए यह पूरा नहीं हुआ, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा से जो बजट कराया गया, एक भी आइटम पूरा खर्च नहीं हुआ, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह इस विधान सभा का अपमान है। हमसे आप पैसा लेते हैं, हमसे आप पास कराते हैं, हमसे आप हाथ खड़े कराते हैं और उसे खर्च नहीं कर सकते। कौन है इसका जिम्मेदार? यह आपको देखना पड़ेगा और इसलिए इस बार मैं चाहता हूं, शान्ती जी धारीवाल और आप कैबिनेट के मंत्री, इस बात की गारंटी दें कि इस विधान सभा में इस विधान से जो पैसा आपने स्वीकृत कराया है, उसे पूरी तरह खर्च करेंगे और अगली बार आएंगे कि हमारा पूरा खर्च हो गया, वह पूरा खतम हो गया।

यह स्थिति पैदा करनी चाहिए कि देश बनाना है, राज बनाना है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कुछ मौलिक विचार आज होने चाहिए। आज आप कह देंगे, क्या हो रहा है, साहब, राजनीति चल रही है। राजनीति चलती रहेगी। इस विधान सभा की एक गरिमा है। यह विधान सभा आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। मैंने एक बार स्वर्गीय पूनम चन्द जी विश्नोई से पूछा था, जब मैं एम.एल.ए. था और वे स्पीकर थे। अपने उस विधान सभा भवन के आगे टैंट लग जाते थे। जब भी विधान सभा चलती, 10-15 टैंट लग जाते थे। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, 'यह इस विधान सभा के भवन में विश्वास है इनका। यहां ये आये हैं तो इस विश्वास के साथ आये हैं कि हमें यहां से कुछ मिलेगा।' यह है विधान सभा की गरिमा।

क्षमा करें मुझे, इस गरिमा को माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत भी कम कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति इस विधान सभा को गरिमा देने के लिए आवश्यक है। उनकी अनुपस्थिति में आधी ही रह जाती है गरिमा। अब आप कह देंगे, पहले उस समय में भी ऐसा होता था, उस समय भी ऐसा होता था, इससे मतलब नहीं है। क्या हम नयी बातें नहीं कर सकते, क्या पुरानी बातों को ही फालो करेंगे? आजकल मैं कुछ हैल्थ रीजन्स की वजह से बहुत कम आता हूं। आपने देखा भी होगा, थोड़ी देर से ही आता हूं, लेकिन जब टीवी पर देखता हूं तो पूरा खाली लगता है। यह कौन-सी विधान सभा है? कौन-सी चर्चा है? क्या हो रहा है? क्या कमिटमेंट है?

मैंने आपको धन्यवाद दिया है। आपने प्रिएम्बल छपवाया था किताबों पर, उसके लिए आपको धन्यवाद दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। अगर आप कहें तो मेरे पास आंकड़े

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

हैं, लेकिन वह लम्बा हो जाएगा। ट्राइबल में कितना खर्च हुआ, केन्द्र से आया, वह कितना खर्च हुआ, सब जगह कम ही कम। एक भी जगह मुझे ऐसी नहीं दिखी सारी रिपोर्ट्स में कि जहां पूरा खर्च हो गया हो या थोड़ा ज्यादा खर्च हुआ हो। यह एक स्थिति है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद इनमें क्या संशोधन किया जाना चाहिए, किस तरह किया जाना चाहिए और खर्च पूरा हो जाए, इस बात की चिंता करनी चाहिए।

इस संविधान के अनुसार जो नयी बातें होनी चाहिए, उन पर भी आपको प्रिएम्बल के हिसाब से गम्भीरता से सोचकर अगला बजट बनाना चाहिए। ये ही शब्द कहते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत-बहुत धन्यवाद। मेघवाल साहब, समाजवाद से यहां तक जो आपका अनुभव है, वह आपने बताया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज डिबेट की गरिमा को बढ़ाया, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री नारायण सिंह देवल।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट हम पारित करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें आशंका है कि जो बजट आज पास होगा, इसमें जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें से कितनी घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी, क्योंकि पिछले दो सालों के बजट पर नजर डालें तो कितना काम हुआ, यह हमारे सामने सत्तापक्ष के जो माननीय सदस्यगण बैठे हैं, वे भी जानते हैं।

मुख्य मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में कहा है कि 2020-21 में 23,750 करोड़ का राजस्व घाटा है और राजकीय घाटा 47,652 करोड़ होने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का 4.11 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। 2020-21 में 2019-20 की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में प्रचलित मूल्यों पर 4.11 प्रतिशत और स्थिर मूल्यों पर 6.61 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है, जबकि 2019-20 के प्रचलित मूल्यों पर 8.38 प्रतिशत व स्थिर मूल्यों पर 5.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 की कुल ऋण और अन्य दायित्व

(श्री नारायण सिंह देवल)

सकल घरेलू उत्पादन का 33.13 प्रतिशत रहना अनुमानित है। इससे स्पष्ट है कि राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पादन का एक-तिहाई हिस्सा जो कर्ज का है, आज 2021-22 में राजस्थान के ऊपर 4,57,129 करोड़ का कर्ज होने का अनुमान है। यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। राजस्थान की सरकार को हर साल 28,360 करोड़ रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है। इसमें सरकार किसी भी स्तर पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। 2019-20 का हम आंकड़ा देखें तो प्रति व्यक्ति की आय 1,15,492 थी, जो 2020-21 में घटकर 1,09,386 हो गयी, 5.29 प्रतिशत की कमी आयी है। ये तथ्य और आंकड़े राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन की दशा और दिशा को दर्शाते हैं जो कि राज्य की वित्तीय स्थिति को खोखला कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य है कि राज्य की अपनी कोई विनिवेश नीति नहीं है। कैग 2019 के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि राजस्थान के 43 सार्वजनिक उपक्रमों में 1,27,000 करोड़ रुपये का विनिवेश होगा, लेकिन टर्न-ओवर 59,516 करोड़ का रहा है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 8.27 प्रतिशत है। राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारे यहां कम्पनियां काम कर रही हैं, इनकी वित्तीय हालत क्या है, पूरा सदन जानता है। जो हमारी 15 विद्युत कम्पनियां हैं, आज उनके ऊपर संचयी घाटा 98,929 करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल पूंजीगत विनिवेश 41 हजार 886 करोड़ के दुगुने से अधिक है। साफ है कि सम्पूर्ण पूंजी निवेश से घाटे की पूर्ति की जा रही है। कुल मिलाकर प्रदेश घोर संकट की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन बजट घोषणाओं का पूरा होना सम्भव ही नहीं, बल्कि नामुमकिन मुझे लगता है। पिछले दो बजटों की क्रियान्विति अभी हो नहीं पाई और तीसरे बजट को आज हम पास करने जा रहे हैं। यह भी कितना क्रियान्वित होगा, यह भविष्य ही बताएगा।

**(13.40 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी हमेशा केन्द्र सरकार को कोसते हैं और कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमको जी.एस.टी. का रिफण्ड नहीं दे रही है, केन्द्र सरकार हमको सहायता नहीं दे रही है। हमेशा यही सुन रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय, जो सरकार के पास उपलब्ध है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2019 के बजट के पैरा 203 में एमनेस्टी स्कीम लाकर व्यापारियों को ब्याज, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क से राहत देकर प्रकरणों का

(श्री नारायण सिंह देवल)

निस्तारण करने की घोषणा की थी। दो साल बाद आपने इस बजट में फिर इसी घोषणा को दोहराया है। प्रदेश में वैट, एंट्री टैक्स के करीब 10 हजार करोड़ रुपये के पुराने मामले न्यायालय के अन्दर पैण्डिग हैं। कारोबारी अपनी एमनेस्टी स्कीम का लम्बे समय से इंतजार कर रहा है। स्कीम लागू करने में दो साल क्यों लगे? सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हुआ? क्या सरकार आपसे भी बड़े हो गये, जो बजट घोषणाओं को दो-दो साल तक लागू नहीं करते या फिर सरकार के पास जरूरत से ज्यादा पैसा पड़ा है, जो यह दस हजार करोड़ रुपये नहीं चाहिए? अगर एमनेस्टी स्कीम पहले से ही आ जाती, तो सरकार को रेवेन्यू तो मिलता ही मिलता, व्यापारियों को भी इससे ज्यादा फायदा होता, लेकिन आपको केन्द्र सरकार को कोसने से फुर्सत नहीं मिलती। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि देश में जीएस.टी. लागू होने के बाद में भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने 5 जुलाई, 2019 को अपने बजट भाषण में सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के जितने भी डिस्पुट मामले थे, उनको निपटाने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की और उसका नाम रखा 'सबका विश्वास स्कीम 2019'। काम कैसे होता है, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से सीखना चाहिए। इस 'सबका विश्वास स्कीम' की 5 जुलाई, 2019 को घोषणा हुई, 1 सितम्बर, 2019 को यह लागू हो गयी और 31 दिसम्बर तक के लिए इस स्कीम का समय रखा। इसमें कुल मिलाकर 3.50 लाख करोड़ की देनदारी के प्रकरण थे, एक लाख 84 हजार करदाता थे। एक लाख 61 हजार 214 करदाताओं को योजना का लाभ मिलकर 79 हजार 968 करोड़ रुपये के बकाया की घोषणा हुई और केन्द्र सरकार को यह पैसा मिल गया। केन्द्र सरकार ने करदाताओं को लाभ देने के लिए अभी 5 जनवरी, 2020 को इसे और बढ़ाया और काफी लोगों को इसका फायदा हुआ।

इसी तरह से इनकम टैक्स के विवादों का निपटारा करने के लिए 1 फरवरी, 2020 को बजट में 'विवाद से विश्वास स्कीम' की केन्द्र सरकार ने घोषणा की, 4 मार्च, 2020 को लोक सभा में बिल पेश कर दिया।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): 9.32 लाख करोड़ के 8.83 लाख मामले हैं। अब तक 1.2 लाख करदाता इसका लाभ लेकर, केन्द्र सरकार को 95 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अबकी बार 2021 के बजट में केन्द्र सरकार ने फिर एक स्कीम की घोषणा की, पर हमारे यहां पर यह

(श्री नारायण सिंह देवल)

योजना अभी तक बन नहीं पाई। अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही का नतीजा है कि केन्द्र से जो हमको ग्रांट और एड मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। उसका कारण यह है कि अधिकारी, जितनी भी सरकारी योजनाओं के काम हैं और जितने भी टार्गेट दिये जाते हैं, उनकी यू.सी., सी.सी. समय पर सब्मिट नहीं करते हैं, जिसके कारण से केन्द्र सरकार से यह पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन आप अधिकारियों की लापरवाही का ठीकरा केन्द्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाह रहे हो। यह राजस्थान की जनता जानती है। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने आपको काम करने के लिए रोका है या आप समय पर पूरा क्यों नहीं कर पाते। सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि आपने 2013 में जो बजट पेश किया, उसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बम्पर घोषणाएं हुई। 2013 में चुनाव से पहले कांग्रेस को पता था कि हमारी सरकार आएगी। गांवों में इन्होंने कैम्प लगाए, वृद्धावस्था हो, विकलांग हो या विधवा पेंशन हो, पहले उसमें एक पात्रता थी...

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री अविनाश। समय की सीमा है।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मुझे दो मिनट बोलना है।

इसमें यह पात्रता थी कि जैसे ही विधवा का बेटा 18 साल का हो जाएगा तो पेंशन से उसका नाम हट जाएगा। इन कैम्पों में पता था कि हमारी सरकार आएगी तो 18 साल का राइडर इन्होंने रखा और वह खाली सरकारी नौकरी में लागू हो गयी। गांवों में आनन-फानन में कैम्प लगाकर फार्म भराये। ज्यों ही पता लगा कि आपकी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आ रही है तो रेवड़ियां बांटनी चालू कर दीं। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को एक मिनी बस से ज्यादा सवारी लायक भी विधायक नहीं भेजे। यह तो भला हो पायलट साहब का, जिन्होंने पांच साल मेहनत की और पार्टी को खड़ा किया तथा 21 से 100 तक इस सरकार को अपनी मेहनत से पहुंचाया है। राजस्थान की जनता आपके घोषणा पत्र में आ गयी। आज राजस्थान के बेरोजगार पूछ रहे हैं कि हमको बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा। संविदाकर्मी पूछ रहे हैं कि हमें कब तक नियमित किया जाएगा। युवा पूछ रहे हैं कि हमको कब तक नौकरी मिलेगी। किसान पूछ रहा है कि कब तक ऋण माफ होंगे। बच्चे पूछ रहे हैं कि जो स्कूलें बन्द की थीं, वे कब चालू होंगी। किसान पूछ रहा है कि बिजली की दरें कब कम करोगे। आम आदमी पूछ रहा है कि पैट्रोल और डीजल पर वैट

(श्री नारायण सिंह देवल)

कब कम होगा। व्यापारी आज पूछ रहा है कि एमनेस्टी स्कीम कब आएगी। कर्मचारी पूछ रहे हैं कि हमारे वेतन की विसंगति कब दूर होगी। गरीब-मजदूर पूछ रहा है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कब होगा?

**श्री सभापति**: समाप्त करें। समाप्त करें। श्री अविनाश। अंकित नहीं होगा।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): 000

**श्री अविनाश** (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का वातावरण पिछले 6 वर्षों में देश के अन्दर है और पिछले दो वर्षों में राजस्थान प्रदेश के अन्दर है, उसमें मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी की इन पंक्तियों के साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का देश का वातावरण बन रहा है और देश आगे बढ़ रहा है -

''वो जो सामने मुश्किलों का अम्बार है,
उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है।
चुनौतियों को देखकर, घबराना कैसा,
इन्हीं में तो छिपी सम्भावना अपार है।
विकास के यज्ञ में जन-जन के परिश्रम की आहूति,
यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।
गरीब-अमीर बनें नए हिन्द की भुजाएं,
बदलते भारत की यही तो पुकार है।
देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा,
अब न्यू इंडिया दौड़ने को तैयार है,
दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है।''

माननीय नरेन्द्र मोदी जी जब से इस देश में, केन्द्र में सत्तासीन हुए, उसके बाद लगातार छह-साढ़े छह वर्षों के शासन में हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह चूंकि इसलिए हो रहा है कि जिनको हम आदर्श मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखें, जब तक आपकी जीत एक इतिहास नहीं बन जाए। उन्हीं

(श्री अविनाश)

बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने जनकल्याणकारी नीतियों को इस प्रदेश के गांव-ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए लागू कीं। आज उसी का फायदा गांव-ढाणी में बैठे हुए उस गरीब को, निर्धन को, पीड़ित को शोषित को मिल रहा है। न जाने ऐसी कितनी ही योजनाएं थीं, जबकि दूसरी तरफ इस राजस्थान सरकार के दो साल के शासन में चारों ओर कुशासन की रेलमपेल है ओर राजस्थान में कांग्रेस सरकार फैल है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि दो वर्ष के शासन में एक तरफ आपका बजट, एक तरफ राजस्थान प्रदेश की स्थिति और हालात, जिस प्रकार से दो साल के शासन में बिजली की बढ़ी कीमतें, जिससे किसान परेशान, आमजन परेशान और अपराध का ग्राफ इतना ऊपर बढ़ा कि राजस्थान अपराध की श्रेणी में नम्बर वन पर आ गया। ये भटक रहे हैं। रोजगार देने का वादा धरातल से हवा-हवाई साबित हो रहा है। हमारे प्रदेश की बेटियां असहज और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ में कांग्रेस के अन्दर राजनैतिक महत्वाकांक्षा में एक-दूसरे की टांग खिंचाई ने राज्य के विकास को धरातल से उतारा, एक तरफ हाशिये पर डाला और आमजन एवं गरीबों को राहत देने वाली योजनाओं को बंद करके इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ जिस प्रकार का कुठाराघात किया, ये राजस्थान प्रदेश की जनता देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह राजस्थान सरकार का तीसरा बजट है। जब किसी सरकार का तीसरा बजट पेश होता है तो सरकार का लगभग साठ प्रतिशत समय पूरा हो जाता है या साठ प्रतिशत बजट पूरा हो जाता है। इस साठ प्रतिशत बजट का यदि हम विश्लेषण करें या विवेचना करें तो पिछले दो बजटों की भांति यह बजट भी सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं का खाली अम्बार साबित हो रहा है। अगर ईमानदारी से इस सदन के अन्दर चर्चा करें कि तीसरे बजट में जिस प्रकार से आपने घोषणाएं कीं, क्या ये सारी घोषणाएं धरातल पर उतरीं? क्या इन सारी घोषणाओं का फायदा इस प्रदेश की जनता को मिला तो एक भी इतना बड़ा काम नहीं है, जो राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस जाकर रख सके कि हमने तीसरे साल में यह काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का बजट आपने प्रस्तुत किया

(श्री अविनाश)

और जिस प्रकार की घोषणाएं इस बजट भाषण के अन्दर हुईं इन सारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए अगर राजस्थान प्रदेश की विकास दर 25 प्रतिशत होगी तो ही ये सारी घोषणाएं पूरी होंगी। वर्तमान में राजस्थान की विकास दर कितनी है, 6.6 परसेंट, मतलब इन सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए लगभग 4 गुनी रफ्तार से इस राजस्थान प्रदेश की विकास दर को बढ़ाना होगा। अब आप तुलना कीजिए कि पिछले वर्ष राजस्थान प्रदेश का घाटा लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का था और इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित लगभग 46-47 हजार करोड़ रुपये के करीब, जब यह वित्तीय वर्ष खतम होगा, तब हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने किसी प्रकार का नया टैक्स, अभी माननीय सदस्य कैलाश चन्द्र जी मेघवाल साहब कह रहे थे, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूं कि जब भी इस विधान सभा के अन्दर, बीते तीन वर्षों में, हमने राजस्थान सरकार के सम्मुख किन्हीं योजनाओं को लेकर और किन्हीं विकास कार्यों को लेकर निवेदन किया, आपने उस प्रत्येक उत्तर के अन्दर यह लिखकर दिया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ये कार्य करवाए जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, आधे से ज्यादा कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है और तीसरे साल अगर राजस्थान सरकार से यह सुनने को मिल रहा है कि जब वित्तीय संसाधन होंगे, हमारे पास पैसों की उपलब्धता होगी तो हम ये लगाएंगे, तो मेरा निवेदन है कि थोड़े से जितने भी फ्लैक्सीबल टैक्सेज, अगर राजस्थान सरकार लगाए, जिससे विकास कार्य पूरे हों और जो घाटा है, वह भी इस प्रदेश का कम हो। इस प्रकार का निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह जो बजट घोषणा हुई है राज्य सरकार की तरफ से, उसको पूरा करने के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, इस प्रकार की व्यवस्था आप लोग करें। सिर्फ इतना कहकर के, आपने जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी, उन घोषणाओं को भी, जब तक वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान होंगी, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, तब तक आप काम करोगे नहीं, इसलिए पैसे का प्रबंधन करके, फाइनेंस मैनेजमेंट इस प्रकार से करें, जिस प्रकार पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें फाइनेंस अलोकेशन पहले होता, उसके बाद में घोषणाएं होतीं, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं उलटी हो गयीं। इस बार घोषणाएं पहले होती हैं, फाइनेंस का कुछ पता नहीं, ये आमूलचूल परिवर्तन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस सरकार में देखने को मिल रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते

(श्री अविनाश)

हुए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार कृपा करके, राजस्थान प्रदेश की जनता को फायदा देने के लिए इन सभी घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियां जल्दी से जल्दी जारी करे। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री रोहित बौहरा।

**श्री रोहित बौहरा** (राजाखेड़ा): धन्यवाद सभापति महोदय, सबसे पहले आज पहली बार हम लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, बट आज किसी की स्पीच से हम लोग प्रभावित हुए हैं तो मेघवाल जी की स्पीच से प्रभावित हुए हैं तो दिल से और दिमाग से, ऐसे मार्गदर्शन में यदि हम लोगों को, हमारे seniors ऐसी स्पीच बोलेंगे, आज तक की स्पीचों में सिर्फ एक-दूसरे पर कटाक्ष होता आया है, वह कटाक्ष नहीं करके, एक जो स्वच्छ परम्परा मेघवाल साहब ने शुरू की है, उसके लिए मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

साहब, फाइनेंस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसमें मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि आज जब तक सेन्टर और स्टेट की relationship एक नहीं चलेगी और जब तक इसके अन्दर हम सेन्टर और स्टेट की बात नहीं करेंगे, तब तक फाइनेंस बिल पर पूरा माहौल नहीं बनेगा। किस तरह से हम लोगों को प्राब्लम आ रही है सेन्टर से और हो सकता है कि सेन्टर को भी हम लोगों से प्राब्लम आ रही हो, बट 70 साल में पहली बार हुआ है कि सात क्वार्टरों में हमारी देश की जी.डी.पी. पोजिटिव से होते हुए, नेगेटिव में आ गयी, पहली बार 70 साल में हुआ है, आज तक नहीं हुआ है और न ही किसी फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम में ऐसा हुआ कि सात क्वार्टरों में जी.डी.पी. घटती रही और फाइनेंस मिनिस्टर उसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाईं कि किस तरह से जी.डी.पी. को वे पोजिटिव में लेकर आएं। जी.डी.पी. पोजिटिव आती तो एम्प्लायमेंट भी पोजिटिव होना शुरू हो जाता। पहली बार बजट में हुआ, साहब, कि बजट पेश किया मैडम ने सेन्टर का, all over the World, पूरे संसार में चाहे यू.एस. को ले लें, चाहे जर्मनी को ले लें, चाहे इटली को ले लें, जितनी डवलप्ड और अंडर-डवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सब सरकारों ने एक नार्मल आदमी के हाथ में पैसा दिया। नार्मल आदमी के हाथ में पैसे देने का मतलब होता है कि डिमाण्ड जनरेट हो। डिमाण्ड जनरेट होगी तो अपने आप एम्प्लायमेंट जनरेट होगा, एम्प्लायमेंट जनरेट होगा तो सब जगह खुशहाली आएगी और उससे इण्डस्ट्रीज बढ़ेगी, इण्डस्ट्रीज बढ़ेंगी तो बैंक लोन बढ़ेगा, सब चीजें एक से एक Interconnected हैं। मिसेज

(श्री रोहित बौहरा)

सीतारमण ने कोई भी ऐसा काम पूरे बजट में नहीं किया कि एक कामन आदमी के हाथ में पैसा दिया हो, जो प्रधान मंत्री की पेड योजना थी, किसानों के हाथ में पैसा देने वाली, उसमें भी 12 हजार करोड़ का आपने बजट कम कर दिया। आपकी उम्मीद थी कि हम साढ़े 14 करोड़ किसानों को पैसा देंगे, आपने जनवरी, 2020 तक सिर्फ 10.50 करोड़ किसानों को ही पैसा दिया है तो यह एक सोचने का विषय है, जो सोचना चाहिए।

हमारी मैडम ने कहा कि इस साल हम चार लाख करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे। बहुत अच्छा लगा यह सुनकर कि चार लाख करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे तो इकोनोमी में कुछ बूम आएगा। उस चार लाख करोड़ में से तीन लाख करोड़ सिर्फ रेवेन्यू एक्सपैंडिचर पर खर्च कर रहे हो और एक लाख करोड़ आप सिर्फ कैपिटल आउट-ले पर कर रहे हो। जब राजस्थान जैसा प्रदेश 28 हजार करोड़ रुपया खर्च कर सकता है तो क्या सेन्टर सिर्फ एक लाख करोड़ ही कैपिटल आउट-ले पर अपना बजट बढ़ाएगा? यह एक another सोचने का विचार है। आप यह देखिए, धीरे-धीरे सेन्ट्रल सरकार की जो मेंटेलिटी हो रही है, वह बड़ी एंटी फैडरलिस्ट मेंटेलिटी हो रही है। आपने कहा कि सैस और सरचार्ज लगा दिया।

**(14.00 बजे)**

सैस और सरचार्ज से सेन्टर से स्टेट को डिवोल्यूशन नहीं होगा। जो बड़े-बड़े आपके रेवेन्यू सोर्स के जनरेशन थे, उस पर आपको पैसा मिलना बंद हो गया। आप यह देखिए, इसी तरह से कोविड में जहां राजस्थान सरकार ने कोविड पर करीब-करीब 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किये, सेन्टर से हमें कोविड के लिए सिर्फ 650 करोड़ रुपये मिले और वह एस.डी.आर.एफ. को जोड़ते हैं, उस अकाउंट के अन्दर तो टोटल 1,350 करोड़ रुपये हमें सेन्टर ने दिये, जबकि ऐसी पेंडेमिक थी कि आज हमारे को पैसे की जरूरत थी, लास्ट ईयर तो कोई हमारे को उम्मीद नहीं मिली वहां से मिलने की।

सभापति महोदय, आपको यह भी पता है कि आज जो भी हम पैसा कलेक्ट करते हैं, स्टेट्स पैसा कलेक्ट करके सेन्टर को देता है और डिवोल्यूशन होता है टोटल उसमें 41% as per the Fifteenth Finance Commission तो सेन्टर से जो हमें डिवोल्यूशन का पैसा आना था, वह 46 हजार करोड़ रुपये आना था। उसमें से टोटल 32 हजार करोड़ रुपये आये तो करीब 14 हजार करोड़ रुपये हमारे को शोर्ट आया, which is approximately 70%, यानी सिर्फ 70 परसेंट पैसा आया, 30 परसेंट पैसा गायब कर दिया गया। इसी तरह

(श्री रोहित बौहरा)

से सेन्ट्रल असिस्टेंस में जो स्कीम्स में हमारे को पैसा आना था 29,893 करोड़ आना था, हमारे को मिला 19,148 करोड़, मतलब 64 परसेंट हमारे पास पैसा आया। अब कल अखबारों में एक न्यूज़ आयी कि 6 हजार करोड़ रुपये रिलीज किये हैं सेन्टर की सरकार ने तो उसमें हमारे को करीब 4 हजार करोड़ रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा दिये हैं। इसी तरह जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति में हमारे को सिर्फ 93 परसेंट पैसा सरकार ने वापस दिया है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट यदि अपने दायित्व को पूरा कर दे तो यह स्टेट्स की जो हालत है, वह हालत ठीक हो जाए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रही है। वह यह नहीं समझ रही है कि यदि स्टेट्स को वीकन करेंगे, यदि स्टेट्स को आपने इकोनोमिकली वीकन कर दिया तो किस तरह से सेन्टर स्ट्रोंग होगा, किस तरह से कंट्री स्ट्रोंग होगी। अभी तक मेरे ख्याल से सोच में जब तक यह परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक यह सरकार कैसे चलेगी, यह भगवान मालिक है, साहब, क्योंकि स्टेट्स को आप वीकन करते जा रहे हो, उनको फाइनेंशली आप वीकन करते जा रहे हो। आपकी सोच यह बन गयी है कि वह किसी तरह से सिर्फ हमारे पर असरतू रहे, तभी यह काम चलेगा।

इस बार के बजट में उन्होंने बोला है कि हम मैक्सिमम पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंट्री का होना चाहिए। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, बट उसमें प्रोब्लम क्या हो रही है, साहब, उसमें प्रोब्लम आ रही है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आप यह मानकर चलिए कि उसमें कम से कम पांच से छह महीने लगते हैं। आज भी पेपर में सर्वे है 64 परसेंट यूथ, इस कंट्री का कह रहा है कि हमें एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा है। आज भास्कर की बहुत बड़ी न्यूज़ है, साहब। आल ओवर इंडिया का सर्वे आया है कि 64 परसेंट यूथ कह रहा है कि हमारे को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हम नौकरी लेने के लिए कहां जाएं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करेंगे तो नौकरियां आज तो हम दे नहीं पाएंगे, नौकरियां हमें मिलेंगी करीब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद। आपने नरेगा में पैसा कम कर दिया। आपने, जो हमारे गांवों में एम्प्लायमेंट जनरेशन करने वाली स्कीम थी, नरेगा, उसमें आपने पैसा कम कर दिया। पिछली बार साढ़े चार लाख करोड़ रुपये नरेगा में दिये थे। इस बार उसका आधा कर दिया आपने नरेगा में। मैं मानता हूं कि यह डिमांड बेस स्कीम है, बट उसमें भी तो आप यह देखिए कि पक्के कामों पर नरेगा में जो

(श्री रोहित बौहरा)

40 परसेंट होता था और यह मोदी जी की ही कही हुई बात है कि सिर्फ गड्ढा खुदवाने से इकोनोमी नहीं चलेगी तो, साहब, गड्ढा खुदवाने से इकोनोमी नहीं चलेगी तो कम से कम पक्के कामों का तो पैसा दें। आज हमारे सरपंचों को छह-छह महीने पैसा लगाकर रखना पड़ता है पक्के कामों पर, छह-छह महीने बाद उनके पास पैसा आता है तो यह हमारे 25 सांसद जो बैठे हैं, कम से कम कहें तो सही कि नरेगा में जो पक्के कामों का पैसा है, वह तुरन्त दिया जाए। कम से कम 2 महीने में तो काम का पैसा दिया जाए। छह-छह महीने वह पैसा नहीं आ रहा है।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं जो एम्प्लायमेंट की जननी है, वह है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिलकुल धरातल पर है। हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसी बजट में घोषणा नहीं की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा एम्प्लायमेंट यदि कोई देती है तो वह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देती है। वह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी सब बेसिक इंडस्ट्रीज को चलाती है। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री वही चलाती है, आपकी लोहे की इंडस्ट्री वही चलाती है, आपकी टाइल्स की इंडस्ट्री वही चलाती है। आपकी यह नल, बिजली वगैरह सब इंडस्ट्रीज में, यदि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम होता है तो आप यह देखिए कि सब तरफ से एक डिमांड जनरेट होती है, बट उस पर हमने कुछ भी नहीं सोचा। हमने यह नहीं सोचा कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे ले जा सकें।

मैं राजस्थान गवर्नमेंट को भी यह कहना चाहूंगा कि जो आपने 10 परसेंट डी.एल.सी. कम की है, उस 10 परसेंट डी.एल.सी. से कम करने से कुछ नहीं होगा। आपको व्यावहारिक डी.एल.सी. बनानी पड़ेगी। आप 30 लाख रुपये में हाउसिंग बोर्ड का मकान दे रहे हैं, उसकी डी.एल.सी. साठ लाख रुपये है। किस तरह से आदमी बेचेगा। आपके कलेक्टर्स को सिर्फ यह लगता है कि डी.एल.सी. बढ़ाकर जयपुर भेज दें तो उससे काम हो जाएगा। वह नहीं होगा और स्पेशली दिल्ली के आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, यहां बेतहाशा डी.एल.सी. रेट बढ़ी हुई है। आदमी अपने मकान नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि उनको इनकम टैक्स से नोटिसेज आ जाते हैं। 7-7, 8-8 साल बाद इनकम टैक्स के नोटिसेज आ रहे हैं, जो कि इस बजट में कहा था कि 5 साल से ऊपर के नोटिस नहीं आएंगे। इस साल 8 साल पुराने नोटिसेज दिये हैं, the difference between the DLC rate और जिस प्राइस पर आपने रजिस्ट्री कराई है।

(श्री रोहित बौहरा)

दूसरी चीज अनिता भदेल जी ने एक बहुत अच्छा पाइंट कल रेज किया था कि हमें रजिस्ट्रेशन की प्राइस कम करनी चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग पैंडेमिक सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्राइस डील करके ह्यूज़ रेवेन्यू जनरेट किया है। उन्होंने उस प्राइस को कम किया, लोगों ने रजिस्ट्रियां ज्यादा करवाईं, सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिली। उस पर हमें सोचना पड़ेगा। यह जो सरकार की सोच बनी हुई है कि जितना ज्यादा हम टैक्स बढ़ाएंगे, उतना टैक्स आएगा। नहीं, जितना आप कम टैक्स रखोगे, जितना टैक्स को आप व्यावहारिक रखोगे, उतना ही आपको उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। यह एक सोच जो है, जब तक हम यह सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आपको, पूरे जो आपने आंकड़े दिये हैं, रेवेन्यू के, उसमें भी आपके कमी आएगी। यह हमें करना पड़ेगा। जहां-जहां ज्यादा है, उस चीज को हमें व्यावहारिक बनाकर, अभी भी हमारे पास टाइम है, व्यावहारिक बना करके करना पड़ेगा। डी.एल.सी. और रजिस्ट्रेशन की रेट्स आपको, मेरे ख्याल से, ज्यादा व्यावहारिक बनानी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपका टार्गेट पूरा हो रेवेन्यू का, तो उसको आपको ज्यादा व्यावहारिक बनाना पड़ेगा। डी.एल.सी. रेट्स को तो आपको व्यावहारिक बनाना पड़ेगा। लोग-बाग अपनी प्रोपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं, डी.एल.सी. रेट्स की वजह से। यह सब जगह की प्रोब्लम है। यह जयपुर की भी प्रोब्लम है। यह डी.एल.सी. रेट पर, मंत्री महोदय, नहीं हैं, बट इस पर इनको ध्यान रखना पड़ेगा।

साहब, यह पहली बार हुआ है कि इकोनामिक सर्वे जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का आता है, हमारे प्रधान मंत्री जी ने ईज आफ बिजनस को एफ.आर.बी.एम. लिमिट से जोड़ दिया कि ईज आफ बिजनस में काफी काम हो, जिससे कि देश तरक्की कर सके, नये-नये उद्योग पैदा हो सकें। सोच बहुत अच्छी थी, बट ईज आफ बिजनस पर जो यू.पी.ए. सरकार के टाइम हमारी पोजिशन थी in the World, and now it has decreased to 130. हम एक सौ तीसवें पायदान पर आ गये पूरे वर्ल्ड में ईज आफ डूइंग बिजनस में। हमने ईज आफ डूइंग बिजनस की बड़ी-बड़ी बातें कीं, उनसे कुछ नहीं हुआ। हम एक सौ तीसवें स्थान पर आ गये। हम यदि किसी भी प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, जब वर्ल्ड में पायदान पर देखा जाता है कि इंडिया कहां है, भारत कहां है, तो हम उसमें 154th पर हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक आदमी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कितना इस कंट्री में तंग

(श्री रोहित बौहरा)

होना पड़ रहा है। हम 154वें पायदान पर हैं। आपकी जो ओवर आल रैंक थी, as compared to the UPA और जब आपकी एन.डी.ए. की सरकार आयी हमारी 69वीं पोजिशन थी, आज हम 74वीं पोजिशन पर हैं। इम्प्रोपर इनफ्लुएंस, जो कि एक पैमाना माना जाता है पूरे संसार के अन्दर कि किस तरह से इम्प्रोपर इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं होना चाहिए, आपकी लोट आफ मल्टीनेशनल्स इस कंट्री में नहीं आती हैं इम्प्रोपर इन्फ्लुएंस की वजह से। उसमें भी हमारी जो रेटिंग थी, वह 74 से 107 हो गयी। यह सिर्फ मैंने आपको तीन या चार पैमाने दिये हैं, जो इकोनोमिक सर्वे में यदि आप पढ़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का है, उसी में से यह सब चीजें निकली हैं। इज आफ डूइंग में आप ही की सरकार कह रही है और आप ईज आफ डूइंग में 130वें स्थान पर हैं, तो हम कहां जाएंगे। हम बातें कर रहे हैं, बातें करने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रोपर implementation नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा।

आप पिछली बार का बजट लीजिए, राजस्थान ने जितनी परसेंटेज में लोन नहीं लिया है, उससे ज्यादा लोन सेन्टर की सरकार ने ले लिया। इसीलिए आपका जी.डी.पी. डेफिसिट में 9.5 परसेंट आ गया। प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो इन्होंने इस बार बजट में नया शब्द यूज किया है, नहीं तो डिसइन्वेस्टमेंट यूज करते आये थे, इनके लास्ट ईयर का डिसइन्वेस्टमेंट 2 लाख करोड़ का होना चाहिये था, इनको 32 हजार करोड़ का टोटल पैसा मिला 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपये शोर्टफाल था जबकि स्टाक एक्सचेंज 9 हजार से बढ़कर 51 हजार हो गया, which is the best time of stock exchange. जबकि हम अपनी कम्पनीज का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते थे और हमारी पब्लिक सैक्टर कम्पनीज की वैल्यूएशन भी अच्छी थी, वह हमने नहीं किया। हमने ऐसा मौका छोड़ दिया। आप यदि वह करते तो आज आपकी सोवरेन रेटिंग, जो बाहर की कंट्रीज में कम हो रही है, बिकोज आपने 9.5 परसेंट जी.डी.पी. में लोस दिखाया है, उसी से हो रही है। आपको यह सब करना चाहिये था, वह आपने किया ही नहीं।

इसी तरह से दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, साहब, कोविड के साल में जब यह बात आयी कि कोविड में खर्चा बहुत होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है तो यह कहा गया कि साढ़े चार लाख रुपये हम कोविड में एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि साढ़े चार लाख रुपया एक्स्ट्रा स्पेंड होगा, बट

(श्री रोहित बौहरा)

जब आप आंकड़ों में जाओ तो शर्म सी आती है। 80 परसेंट पैसा या तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में खर्च किया गया या एफ.सी.आई. का जो एन.एस.एस. से लोन आया था, नेशनल स्माल सेविंग स्कीम से जो लोन आया था, उस पर खर्च किया गया। सरकार ने जो टोटल पैसा खर्च किया, that is 2.2 percent of the GDP. सिर्फ इतना एक्स्ट्रा पैसा सरकार ने खर्च किया, जबकि आप किसी भी देश को देख लो, आप कोई भी विकसित देश को देख लो, सबने करीब-करीब 8 से 10 परसेंट पैसा जी.डी.पी. पर खर्च किया। ये करने को ही तैयार नहीं हैं, सोच ही नहीं रहे हैं।

इसी तरह से आप देखो कि जो हैल्थ बजट की इन्होंने बात की थी, हमारे राजस्थान का हैल्थ बजट इन्क्रीज हुआ 21.62 परसेंट से, जिसमें हमने कैपिटल आउटले भी इस बार डाला है, as compared to the Central Government सिर्फ 9.5, यदि आप वन टू वन कम्पेयर करो, नहीं तो उन्होंने स्वच्छता भी उसमें डाल दी थी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी डाल दिया था, वह आप कम्पेयर करो तो Central Government budget has been reduced by 9.5 percent. इसी तरह से एग्रीकल्चर में आप देख लें, Central Government budget has been reduced by 6.09 percent और हमारा बजट as per R.E. and it has increased by 26.83 percent. ग्रामीण विकास में भी यही हुआ है।

एक चीज और है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो बजटरी प्रोविजन है, हमारे लीडर आफ अपोजिशन साहब ने बोला था कि बजटरी प्रोविजन में फाइनेंस का ध्यान नहीं रखते। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बजटरी प्रोविजन 13.4 परसेंट से इन्क्रीज हुआ। राजस्थान गवर्नमेंट का वही बजटरी प्रोविजन has just increased by 11 percent. So, we are much better off, जो हमने काम किया उससे हम मच बैटर आफ हैं।

इसी तरह मैं एलओपी साहब का एक और जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने लास्ट टाइम यह बोला था, 2018-19 में टोटल खर्च हुआ 60.14 परसेंट का। 2013-14 में आपने खर्च किया सिर्फ 64 परसेंट रुपया। 2014-15 में आपने खर्च किया 50 परसेंट रुपया। 2015-16 में आपने खर्च किया सिर्फ 53.57 परसेंट। 2017-18 में खर्च किया सिर्फ 49.50 परसेंट और 2018-19 में जब आपकी सरकार विदा होने वाली थी, जब आपने पी.डब्ल्यू.डी. में 6 हजार करोड़ का प्रोविजन नहीं करके, क्योंकि येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना

(श्री रोहित बौहरा)

था, जब आपके पास पैसा नहीं था, आपने पी.डब्ल्यू.डी. में 6 हजार करोड़ रुपये जब ज्यादा खर्च किया, जिसका बजट में प्रोविजन नहीं था। (व्यवधान) 2018-19 में...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप उनको क्यों इन्वाइट कर रहे हो? आसन की तरफ देखकर बात कीजिए आप।

**श्री रोहित बौहरा** (राजाखेड़ा): आपको यदि बीच में बोलना है तो ... (व्यवधान) 2018-19 में जब 6 हजार करोड़ इनका बजटरी प्रोविजन नहीं था, इन्होंने वह रुपया खर्च किया। इसलिए आज तक ठेकेदारों का पैसा हमें कैरी फारवर्ड करना पड़ रहा है। गलती किसकी है, एक चुनाव जीतने के लिए आपने पूरी इकोनोमी की ऐसी-तैसी कर दी। आपको यही समझ में नहीं आया कि आप, without budgetary provision how you can spend that money? किस तरह से आपने घर-घर जाकर, कांस्ट्यूएंसीज में जा-जाकर अपने बोर्ड लगा दिये और अनाउंस कर दिया कि यह सड़क बनवा देंगे। क्यों, किसके लिए? सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए आपने पूरी चीजों को खतम कर दिया।

अब मेरे रीको के लिए कुछ सजेशन हैं। रीको लीज पर लैंड देती है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि रीको क्योंकि एक आटोनोमस कारपोरेशन है, लेकिन रीको में प्रोब्लम क्या है कि ये लोग लीज पर लैंड देते हैं। उसको फ्री होल्ड क्यों नहीं करना चाहते? आप पैसा दीजिए, रेवेन्यू जनरेट होगी, उसको फ्री होल्ड कीजिए। इसी तरह से रीको में क्या होता है, जो कम्पनीज हैं, कम्पनीज में लीज डीड चेंज होती ही नहीं है। जो फर्म्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, छोटी-छोटी यूनिट लगी हुई हैं and which are the maximum employment generators, वो वही हैं। सबसे ज्यादा एम्प्लायमेंट जनरेटर्स वही हैं। हमारी टाइनी इंडस्ट्रीज हैं, एम.एस.एम.ईज. हैं, उनमें यदि फर्म्स में कोई भी चेंज होता है तो एक तो रजिस्ट्री उसको वापस करानी पड़ती है, एक लीज डीड का पैसा फिर वापस सरकार ले लेती है तो एक आदमी को, यह इतने सालों से चली आ रही है, यह कोई कांग्रेस और बी.जे.पी. की नहीं है, यह सालों से चली आ रही है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। Why are we paying twice? वह छोटी इंडस्ट्री जो कि आपको एम्प्लायमेंट जनरेट करके दे रही है, एक यंग एंटरप्रन्योर है, फर्म बनाता है कम्पनी अफोर्ड नहीं कर सकता, कम्पनी सैक्रेटरी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको दो-दो बार लीज का पैसा देना पड़ता है, यदि उसकी पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाती है तो, या घर

(श्री रोहित बौहरा)

में कोई मर जाये, तो पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़े। उसको दो-दो बार पैसा देना पड़ रहा है, इस पर विचार करना चाहिये कि किस तरह से हम इस चीज को करें।

इसी तरह से 3W स्कीम रीको ने निकाल रखी है। रीको ने 3W स्कीम निकाली। आपने कहा कि एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। उसमें कई जगह ऐसा हुआ है कि जो ओनगोइंग मार्केट रेट है, ओनगोइंग मार्केट रेट में ही आपने लैंड्स दी हैं। लेकिन 3W स्कीम, आपको एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना था, इसलिए आपको लैंड बड़ी मिल गयी और यह किसी के हाथ में नहीं है कि कोविड आ जाये। मैंने आपको बताया कि 7 साल से हमारी इकोनोमी की जो कंडीशन है, we are almost in recession. यह कोई मानने को तैयार नहीं है that we are almost in recession. नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा। बैंकों में इतनी प्रतिस्पर्धा चल रही है। आज ही के पेपर में है कि हाउसिंग लोन की रेट साढ़े छह परसेंट हो गयी है, क्योंकि banks are carrying cash and nobody is willing to take that cash. कैश लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। माल बिक ही नहीं रहा तो लोग लोन ले ही नहीं रहे। न इंडस्ट्री लग रही है, न कुछ हो रहा है। परसों के पेपर में था, आई.आई.पी. की ग्रोथ has gone down 1.75 percent in January. हमारी V शेप इकोनोमी की ग्रोथ होनी चाहिये जबकि हमारी W की शेप में इकोनोमी की ग्रोथ हो रही है। इस पर कोई ध्यान दे, कोई समझे। मैं सिर्फ आपकी बुराई करने के लिए बुराई नहीं कर रहा। यह फैक्ट है। सर, रीको को हमें यह समझाना पड़ेगा कि ये केसेज सोल्व कीजिए। कोई डिसिजन ही नहीं लेना चाहता। जो हमारे सामने कहा था, that bureaucrats, they don't want to take a call. वह कॉल ही नहीं लेना चाहते, they don't want कि किस तरह से इंडस्ट्री चले। आज वहां कम से कम 20 केस ऐसे पड़े हुए हैं कोई कॉल ही नहीं लेता कि इनका क्या करना है। कोई इन पर सुझाव करे, किसी तरह से इनके जो दु:ख दर्द हैं वह तो निपटाएं। उनको तो उनकी तनख्वाह मिल रही है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डिसिजन लेने की ताकत तो हो। आपका बोर्ड बैठा है, आप बोर्ड में डिसिजन लो न। बोर्ड सर्वोपरि है। बोर्ड में नहीं होता तो आप कैबिनेट में लेकर डिसिजन लो। लेकिन उन लोगों को राहत तो मिले, जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किसी ने कहा कि हम 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट करके वह बैठा हुआ है लेकिन उसको राहत नहीं मिल रही थी,

(श्री रोहित बौहरा)

डबल्यूओ के मामले में। कोई सुनने वाला नहीं है। चार-चार साल से केसेज पैंडिंग पड़े हुए हैं, कोई लिटिगेशन में गया हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट घूम रहा है। वह एंटरप्रिन्योर सुप्रीम कोर्ट घूमे या फिर अपनी इंडस्ट्री चलाये, इस चीज पर हमें सोचना पड़ेगा।

इसी तरह से आपने आर.एफ.सी. ऑटोनोमस लोन इंस्टीट्यूशन बना रखा है। मेरे ख्याल से उसमें से मुश्किल से कटते हों और उसमें एम्प्लाइज देखें, जितने एम.डीज. गये, किसी ने अपने घर में नौकर लगा लिए, किसी ने यहां भर्ती कर ली, किसी ने वहां भर्ती कर ली। आर.एफ.सी. का क्या हुआ? R.F.C. into tatters. आर.एफ.सी. की इतनी हालत खराब है, लोनिंग कुछ हो नहीं रही है। लोनिंग कैसे होगी? एम.एस.एम.ई., जो कि दो टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, जो कि सबसे ज्यादा ईस्टर्न राजस्थान में चलती हैं, तेल की इंडस्ट्री और दाल की इंडस्ट्री। लोग नयी इंडस्ट्री के लिए आर.एफ.सी. में लोन लेने के लिए जाते हैं। आर.एफ.सी. वाले कहते हैं कि 100 परसेंट कोलैटरल सिक्योरिटी दो, तब तुम्हें लोन देंगे। वह कहता है कि साहब, मैंने रीको की जमीन ले ली, रीको पर बिल्डिंग बना दी और वह सब कर दिया। मंत्री जी कहते हैं कि हम एम.एस.एम.ई. को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे कैसे बढ़ेगी? आप ही के institutions are killing. आप ही के इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री को किल कर रहे हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी? आप 100 परसेंट कोलैटरल सिक्योरिटी मांग रहे हो। ग्रोथ कैसे होगी? यदि उसके पास 100 परसेंट कोलैटरल सिक्योरिटी होती तो आपके पास वह लोन लेने क्यों आता? वह बेचकर अपने आप इंडस्ट्री लगा लेता। यह समझना पड़ेगा। यह across the party line है। जनरल पब्लिक का भला करने के लिए हमें ये सब चीजें, across the party line हमें सोचनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम हमारे नार्मल आदमियों के लिए ये करें।

बड़ा मजाक-सा बना रखा है। 2001 में मेरे पिताजी वित्त मंत्री थे। आप देखिये, ऐसी-ऐसी चीजें हो रही हैं। कई बार आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? उनके बजट भाषण में 136 नम्बर पैरा था 'बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिये जाने वाले ऋणों से सम्बन्धित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.01 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। ऋण से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेजों में ड्यूटी देय होगी। इसमें तीन आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 5, 6 एवं 37 (बी)। आर्टिकल 5 एग्रीमेंट होता है, जो कि बैंक करता है, जब आपको ऋण देता है। आर्टिकल 6 होता है, वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए जो लोन देता है, उसके लिए होता है। 37 (बी) होता है-

(श्री रोहित बौहरा)

mortgage deed without the possession. अब इन ने क्या किया? 5 व 6 पर तो 0.1 परसेंट कर दिया और 37 (बी) पर कुछ चेंज नहीं किया, which is a part of the loan document and यही बजट भाषण 2015 में वसुन्धरा जी का आता है। वसुन्धरा जी यहां पर क्लेरीफाई करती हैं कि 'स्टाम्प अधिनियम शिड्यूल के आर्टिकल-5 के तहत लोन एग्रीमेंट तथा आर्टिकल 6 के equitable mortgage deed पर वर्तमान में 0.01 प्रतिशत की दर से तथा बिना कब्जे वाले सामान्य mortgage deed पर आर्टिकल 37 के तहत दो प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। इन तीनों श्रेणियों में दस्तावेजों की प्रकृति लगभग एक-समान होती है तथा इस सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने का प्रावधान नहीं होता। अत: इन तीनों श्रेणियों के दस्तावेजों की स्टाम्प ड्यूटी 0.15 प्रतिशत कर दी जाती है।

आपका स्टाम्प डिपार्टमेंट क्या करता है, 2001 से 2015 के बीच का जो समय है, उसमें उठाकर इंडस्ट्रीज को नोटिस भेजना शुरू करता है कि 37 (बी) का नोटिफिकेशन नहीं निकला, इसलिए। नहीं निकला तो अब ठीक कर दो। Who is stopping you? आप उसको यहां विधान सभा में ले आओ। उसको तो करो। आप नहीं करेंगे तो किस तरह से चलेंगे। किस तरह से हम आम आदमी को राहत पहुंचाएंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य क्या है? मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को किसी तरह से राहत मिले। हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि आम आदमी की इंडस्ट्री को राहत दें, तभी तो इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा। आज इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा, तभी तो हम एम्प्लायमेंट जनरेट करेंगे। यदि हम एम्प्लायमेंट और इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो यह सरकार कैसे चलेगी? मेरे हिसाब से ये पांच-छह पाइंट हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

दूसरा है, हमारे मेनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हमें मेजर और माइनर मिनरल्स की पालिसी में चेंज करना पड़ेगा। जब यू.पी.ए. की सरकार गयी थी और एन.डी.ए. की सरकार आयी थी तो इस देश में एक बहुत बड़ा फैलाया गया कि कोल स्कैम हुआ और उसमें किसी का कुछ भी नहीं है। इन्होंने कोल की माइंस को आक्शन किया और बड़े जोर-शोर से, मैं अभी तक देखता था, कई बार, कोल से चार लाख करोड़ रुपये की रेवेन्यू आयी, इसकी रेवेन्यू आयी, पांच करोड़ रुपये कोल की इस माइन्स से आयी, सब धरा का धरा रह गया। आक्शन से कुछ भी नहीं हुआ। आपको एक पैसे की रेवेन्यू नहीं आयी। जो इंडस्ट्री चल रही थी, उसको आपने बंद कराने का काम और कर

(श्री रोहित बौहरा)

दिया। मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि जो माइनर मिनरल की पालिसी है, we should follow the policy of the major minerals; that's being followed by the Central Government. माइनर मिनरल में हमने सोसाइटी के कमजोर तबके को भी माइंस दे रखी है। आप यदि माइनर मिनरल में आक्शन की पालिसी लाएंगे तो पता चलेगा कि आपके लोग आपके नैचुरल रिसोर्स को खराब कर जाएंगे। जिन्होंने माइन्स को डवलप की हैं, उस माइन्स को लोग काम करके जाने से पहले उसको खराब कर जाएंगे तो मेरी सरकार से विनती है कि जो ओल्ड माइन्स हैं, बाकायदा इनको बीस साल, कम से कम इनको आगे का चालीस साल का एक्सटेंशन देना चाहिए, जिससे माइन्स चल सकें, हमारे नैचुरल रिसोर्स हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि कम से कम राजस्थान के समग्र विकास में हमारी एक अच्छी सहभागिता हो।

जयपुर में बैंकिंग फ्राड बहुत हो रहे हैं। इतना जबरदस्त बैंकिंग फ्राड हो रहा है कि लास्ट टाइम पर भी मैंने इस पर बोला था, लेकिन किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। हमको बैंकिंग फ्राड रोकना पड़ेगा। राठौड़ साहब, कलर फोटो कापी को यदि आप नेकेड आई से देखते हैं तो आपको यह पता नहीं चलता कि कौनसा असली डाक्यूमेंट है, कौनसा नकली डाक्यूमेंट है। मैं सिर्फ जयपुर की ही आपसे बात करता हूं, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ा हुआ हूं कम से कम 500 करोड़ रुपये के फ्राड हो चुके हैं। एक आदमी ने जमीन के कागज की कलर फोटोकापी करके चार-चार, पांच-पांच जगह रख दिया है। मैंने पिछली बार भी बजट में बोला था, पर कोई ध्यान नहीं देता। जब तक आप इस बैंकिंग फ्राड को नहीं रोकेंगे, जब तक आप इन डाक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं कराएंगे, it is another way, जो साहब ने कहा, another way of earning a revenue. आप कम से कम आदमी के, जो आदमी उस लियन वाले डाक्यूमेंट्स को बैंक से ही खरीदता है, तो कम से कम उसको यह तो पता रहे कि यह प्रोपर्टी सही है या नहीं है, कोई इस पर ध्यान तो दे। इससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी you will earn a revenue of at least two thousand crore, यदि आप इस लियन डाक्यूमेंट को रजिस्टर कराना शुरू कर देंगे तो। आप इसे करें। यह कोई मैं अकेले राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, आगे सभी जगहों पर हो रहा है। आज हमें कम से कम यह करना चाहिए, हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है।

(श्री रोहित बौहरा)

हम रेवेन्यू के लिए तंग हैं तो हम रेवेन्यू जनरेट करके कम से कम यह काम तो करें।

सरकार सबसे बड़ी litigant हो गयी है and it has become the biggest litigant. आज राजस्थान सरकार और गवर्नमेंट के जो एम्प्लायीज हैं, आप मानेंगे नहीं, करीब-करीब चार लाख केसेज पैंडिंग हैं। धारीवाल साहब यहां बैठे हैं, क्यों नहीं ऐसा सिस्टम लगाएं, क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि आउट आफ कोर्ट सैटलमेंट होकर जितने केसेज हैं, रेवेन्यू ड्रैन किसका हो रहा है? वकीलों को पैसा कौन दे रहा है, सरकार ही दे रही है। हमारे एम्प्लायीज के साथ ही हमारा लिटिगेशन चल रहा है। हम क्यों नहीं इसको रोक सकते। हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमको इसको रोकना चाहिए। आज सरकार के एम्प्लायीज ही सरकार के खिलाफ जाते हैं, क्यों? जो भी छोटे -मोटे मामले हैं, उनको across the table बैठकर निपटाएं। कम से कम जबरदस्ती वकीलों पर अपना पैसा जाया नहीं करें and it is a very important part. आज लॉ में इतना पैसा खर्च हो रहा है। वह इतना पैसा हम किसलिए खर्च कर रहे हैं? We have to stop this.

साहब, एक दूसरी चीज और थी, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखी है। पिछली बी.जे.पी. की सरकार में हुई, सही है या गलत, वे यह समझें। साढ़े सात सौ करोड़ की आपने एक फाइबर लाइन बिछवायी for all the substations of Rajasthan Vidhut Vitran Nigam. केंन्द्र सरकार खुद कर रही है monetization of assets. रेलवे में उन्होंने निकाला है कि 90 हजार करोड़ रुपये कमाएंगे, मोनेटाइज करके। मुझे तो यही कहना है कि ये साढ़े सात सौ करोड़ रुपये, जो राजस्थान सरकार के पास हैं, जिसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि 5जी इस देश में आने वाला है। कोई भी कम्पनी का एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट निकाले, कम्पनीज आएं, जहां तक आया हुआ है, उसको नगरपालिका तक ले जाए। उनसे बात करके हम अपने बच्चों को फ्री इंटरनेट दे सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए फ्री कैमराज आ सकते हैं, हमारे बिलबोर्ड बन सकते हैं, नगरपालिकाओं के लिए, जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट होंगे। क्यों नहीं हम ये सब बात कर रहे हैं? कई बार ऐसे लगता है, यह सजेशन मैंने पिछले बजट में भी दिया था, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। (व्यवधान) रामलाल जी, बीच में मत बोलिए।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बीच में मत बोलिए। आपस में वार्ता मत कीजिए। समाप्त कीजिए। सीधे इधर बोलिए।

**श्री रोहित बौहरा** (राजाखेड़ा): पांच मिनट और दीजिए, साहब। सी.एच.सी. आपरेशन में हमारे को पिछली बार बोला गया।

**श्री सभापति**: पहले वाली बात नहीं रही चौमूं में। पहले वाली बात नहीं है अब। चौमूं तो है, लेकिन पहले वाली नहीं है।

**श्री रोहित बौहरा** (राजाखेड़ा): एम.एल.ए. फंड से हम लोगों ने एक करोड़ रुपया खर्च किया आन द हैल्थ सिस्टम। मैं अपनी बात कर सकता हूं, हमने कई जगह आई.सी.यू. बैड की व्यवस्था कर दी। कई सी.एच.सी. पर, जैसे मेरी राजाखेड़ा सी.एच.सी. है, रोज 5 या 6 आपरेशन होते हैं। मेरी हैल्थ मिनिस्टर साहब से इतनी सी गुजारिश रहेगी कि जहां सी.एच.सी. पर आपरेशन हो रहे हैं, वहां तमाम सुविधाएं, यदि सी.एच.सी. आपरेशन कर रही है तो वहां तमाम सुविधाएं, जो उप जिला या जिला केन्द्र पर जो जिला अस्पताल होता है, वहां पर उनको आपरेशन की वैसी सुविधाएं मिल जाएं जिससे कि सी.एच.सी. भी आपरेशन करना शुरू हो जाए। ये मुख्य मंत्री जी का डिसिजन बहुत अच्छा डिसिजन था। पार्ट आफ सजेशन है, साहब, एप्रोप्रिएशन में सब चीजें हैं। हैल्थ का भी पार्ट है। मैं पूछकर आया हूं आज घर पर, तो मेरा सजेशन यह है कि सी.एच.सी. पर भी हम ये लागू कर दें तो अच्छा है।

सभापति महोदय, लास्ट बोल रहा हूं फिर बैठ जाता हूं। एक लोकल फंड आडिट की कल रात को मैंने किताब पढ़ी, 50 हजार रुपये से ऊपर 7,475 केसेज, प्रकरण पैडिंग हैं, जिसमें राजस्थान सरकार के करीब-करीब 32 करोड़ रुपये पैंडिंग है, जो राजस्थान सरकार के डूबे हुए हैं जो राजस्थान सरकार को लोकल फंड आडिट में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत समितियों से, डिफरेंट-डिफरेंट आदमियों से लेना है। 50 हजार रुपये से ऊपर का गबन, मंत्री जी, यहां बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस पर थोड़ा-सा ध्यान दें। यह 32 करोड़ रुपया सरकार का ही है, जो गबन के रूप में कई एम्प्लायीज ने ले रखा है, या तो उन एम्प्लायीज के खिलाफ हम कुछ ऐसा एक्शन लें कि ये पैसा वापस आ जाए सरकार के फंड के अन्दर, जिससे कि कम से कम हम जो एक पारदर्शी सरकार की बात कर रहे हैं, वह हमारा ठीक हो मामला।

**श्री सभापति**: समाप्त कीजिए।

**श्री रोहित बौहरा** (राजाखेड़ा): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, राम-राम सा, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री सतीश पूनियां।

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर): धन्यवाद, सभापति महोदय। बजट एक आर्थिक अनुशासन का किसी भी देश और प्रदेश का एक जरूरी हिस्सा होता है और उसके तीसरे चरण की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती होती है, बड़े प्रदेश में घोषणाओं के बीच में और सोर्सेज के बीच में। संतुलन भी एक बड़ी चुनौती है। पिछले बजट की चर्चा में कई बातों का दोहरान मैं करूंगा नहीं, लेकिन 90 प्रतिशत घोषणाएं और 10 प्रतिशत सोर्स। ये अपने आप में एक बानगी है कि सरकार की सोच पोपुलिस्टिक घोषणाओं की तरफ ज्यादा है, क्रियान्विति पर कम है। 28 जिलों की 61 घोषणाएं ऐसी थीं जो जमीन पर उतरी ही नहीं। मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती कोरोना का कालखण्ड था। केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इस चुनौती से उसको रूबरू होना पड़ा। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों को इस बात का एश्योरेंस देती है, प्रावधान भी करती है, लेकिन साम्यता भी जरूरी है कि जो घोषणाएं की जाएं, वे समय पर पूरी हो जाएं।

माननीय सभापति महोदय, अभी राज्य का जो मौजूदा बजट था, उसमें जी.एस.डी.पी. का जो अनुमान था 11,98,348 करोड़ और उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान है, वह है खेती का क्षेत्र। तीन जो सैक्टर थे, सर्विस सैक्टर, इंडस्ट्री और खेती, इस खेती का योगदान सबसे ज्यादा था, जो पिछली बार 26.8 से बढ़कर 29.77 प्रतिशत हुआ, लेकिन जो बजट की घोषणाएं थीं, वे खेती और इससे सम्बन्धित सेवाएं थीं, उसमें पिछले बजट में 8.5 प्रतिशत थीं और अब वह घटकर 7.42 परसेंट हो गयीं। इसी तरीके से सिंचाई, जो खेती से सम्बन्धित है, आर्थिक प्रगति में इरिगेशन का बड़ा योगदान है। पिछली बार वह 3.28 प्रतिशत था, इस बार 3.03 प्रतिशत हो गया। खेती के साथ-साथ जो शहरी विकास है, वह पिछले प्रावधानों के मुकाबले, पिछली बार 9,391 करोड़ था और अब 8,674 करोड़ हुआ। प्रदेश की औद्योगिक रफ्तार पहले से ही कम थी। इसी तरीके से जो लगातार तीन बजट भाषण हुए, तीन अभिभाषण हुए, मैं जो समझ पाया कि किसी प्रदेश की प्रगति के कुछ मूल कारक होते हैं। हर स्तर पर हम लोगों ने उसकी चर्चा की। खेती की मैंने चर्चा की। रोजगार किसी भी प्रदेश की एक ऐसी बड़ी मांग होती है, जिसके आधार पर एक नयी आबादी, नयी जनरेशन किसी भी प्रदेश की प्रगति में योगदान करती है। कानून व्यवस्था ठीक होगी, शांति होगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश और ज्यादा तरक्की कर पाएगा। शिक्षा एक बुनियादी जरूरत होती है, उस बुनियादी जरूरत की पूर्ति के लिए यदि आपके पास कोई रोडमैप होगा और

(श्री सतीश पूनियां)

आपकी घोषणाओं में यदि कोई साम्यता होगी, कोई संतुलन होगा तो आप उसको ठीक से कर पाएंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हम कहते तो हैं, चाहे फ्री मेडिसिन हो, चाहे दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवाएं हों, लेकिन मुझे लगता है कि चार-पांच सैक्टर ऐसे हैं, तो खेती से सम्बन्धित जितनी चीजें थीं, यहां पर जो चर्चाएं पहले हुईं किसी न किसी माध्यम से, तीन प्रकार के जवाब मिले, या तो प्रक्रियाधीन है या गुणावगुण के आधार पर फैसला होगा या वित्तीय संसाधनों के आधार पर फैसला होगा।

सभापति महोदय, मैं पहले कह चुका हूं कि 90 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, इतना बड़ा गैप है और जिन घोषणाओं का जिक्र किया, अभी अनेक प्रश्नों के उत्तरों में भी इसका जवाब आया है। उदाहरण के तौर पर उच्च शिक्षा के कालेज खोले, 88 कालेज खुले, 23 जमीन पर थे, बाकी में जो बजट एलोकेशन हुआ, आप देखेंगे तो एक लाख, दो लाख, तीन लाख, इस तरीके से प्रावधान उसमें बजट के थे, जो अपने आप में सरकार की आर्थिक सोच की मानसिकता बताते हैं। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कुछ यक्ष प्रश्न राजस्थान की जनता के समक्ष हैं और किसी भी तरीके से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब जवाब दें तो सबसे बड़ा प्रश्न है, किसानों की कर्जा माफी का। राजस्थान के पूरे किसानों का, ऐसे 59 लाख किसान 99 हजार करोड़ के कर्जे की माफी का इंतजार कर रहे हैं। आत्महत्याएं भी हुईं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि चाहे चरणबद्ध रूप से, वह जो आश्वासन दिया गया, जो बात कही गयी, वह पूरी की जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी बेरोजगारों की खेप, इसमें चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन सरकारी नौकरी पर निर्भरता और निर्भरता के साथ-साथ उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, अभी रीको और आर.एफ.सी. की काफी चर्चाएं हुईं, जब सरकार के संस्थानों के ये हालात हैं तो प्रदेश में स्वरोजगार को किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा? सरकारी नौकरियों की जो घोषणा आपने की, उसकी कैसे पूर्ति करेंगे? उसका कोई रोडमैप सरकार के पास है या नहीं? एक बड़ी संख्या में संविदाकर्मी आंदोलनरत हैं। उनको आपने एश्योरेंस दिया था, आपने कोई प्रावधान किया है क्या कि उनका नियमितीकरण कैसे होगा?

इसी तरीके से राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश माना जाता था। लोग यहां

(श्री सतीश पूनियां)

रिहायश के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे और दुनिया का तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है। इस नाते मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सामने आज राजस्थान की कानून व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। 6 लाख 14 हजार मुक़दमे, इसका मतलब हमारी पुलिस का मनोबल, पुलिस का संसाधन, पुलिस का आधुनीकरण, आपके पास ऐसा रोड मैप हो कि राजस्थान की पुलिस का, राजस्थान की कानून व्यवस्था को किस तरीके से हम सुदृढ़ कर पाएं। कैसे उनको आधुनिक संसाधन दें। कैसे उसकी नफरी बढ़ाएं, ताकि शांतिपूर्ण प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं भी कोई देखेगा, इस बात का जिक्र जरूर करेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस पोपुलिस्टिक मांग की मैं बात कर रहा हूं, आप भी उससे वाकिफ हैं। स्कूलों की घोषणा होती है, लेकिन राजस्थान के हज़ारों स्कूल आज ऐसे हैं, जिनमें बिजली नहीं है। मेरे 30 किलोमीटर के पैरीफेरी में कई स्कूलों में आज भी बच्चियों के लिए टायलेट की डिमांड होती है। यानी शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रोडमैप क्या है, आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन वह पूरी कैसे होगी। कालेजेज की घोषणा कर दी, वह पूरी कैसी होगी।

इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को, अभी आपने कहा कि एम.एल.ए. लैड से एक-एक करोड़ रुपये देंगे, दे देंगे, लेकिन सरकार क्या देगी? अभी हमारे माननीय सदस्य अच्छा भाषण दे रहे थे। केन्द्र पर तोहमत तो जरूर लगा दी, लेकिन पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से सम्बल देने का काम, जो केन्द्र सरकार करती है, ये ताजा आंकड़े हैं, लगभग 42 प्रतिशत पैसा जो सरकार को मिलेगा, वह केन्द्रीय हस्तान्तरण के रूप में मिलेगा। इसलिए केवल तोहमत लगाने से नहीं, राजस्थान की सरकार के अपने सोर्सेज क्या हैं? घोषणाएं तो बहुत हुई हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य को निजीकरण की तरफ धकेलने की बजाय़ सरकार इसकी जिम्मदारी ले क्योंकि हम प्राइवेट निजीकरण की तरफ देखते हैं सरकारी अस्पताल के मुकाबले, तो गरीब आदमी जाएगा कैसे, यह प्रश्न आज खड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की इस व्यवस्था को ठीक करने के हिसाब से पर्यटन सम्भावनाओं का क्षेत्र है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि केरल जैसा छोटा प्रदेश केवल ट्यूरिज्म का एम्बेसेडर बनकर दुनिया में उससे आर्थिक फायदा ले रहा है तो राजस्थान में तो अपार सम्भावनाएं हैं कि उस टूरिज्म के सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे

(श्री सतीश पूनियां)

सुविधाएं विकसित की जाएं। जिस तरीके की चीज़ें लम्बित हैं, उन्हें तो पूरा किया जाए। उदाहरण के लिए जयपुर के लिए ही 325 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने आइकोनिक टूरिज्म डैस्टिनेशन को डवलप करने के लिए दिये हैं, पर अभी भी वह राजस्थान सरकार की फाइलों में ही दफन है।

इसी तरह से, डीजल व पैट्रोल पर वैट कम करने की मांग, यह कोई सियासी मांग नहीं है। यह पूर्ति होती है तो पड़ौस के राज्यों से, जिस तरीके से स्मगलिंग होती है, वह बंद होगी। वोल्यूम बढ़ेगा तो सरकार को निश्चित रूप से रेवेन्यू मिलेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात से राजस्थान के लोग पैट्रोल व डीजल किस तरीके से खरीदते हैं। एक बड़ा वोल्यूम, यह बाहर उन प्रदेशों की रेवेन्यू के रूप में मिलता है, यदि वैट पैट्रोल व डीजल पर कम होगा, मुझे लगता है कि हमारे यहां रेवेन्यू का वोल्यूम बढ़ेगा और हमें उसका लाभ होगा।

सभापति महोदय, अब युग बदल गया तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और रिसर्च एक बड़ा क्षेत्र है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस बार का बजट प्रावधान सुनेंगे तो आपको इस बात पर फ्रिक होगी कि यह सरकार किस तरीके से, दकियानूसी सोच से काम कर रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए केवल 0.08 प्रतिशत, पहले भी यही था, आज भी यही है। इसका मतलब, सरकार किसी तरीके के साइंटिफिक रिसर्च के पक्ष में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पास ऐसी बहुत सारी निष्क्रिय परिसम्पत्तियां हैं, यदि आपको रेवेन्यू जनरेशन करना है, तो उनका डिस्पोजल राजस्थान की सरकार को ताकत दे सकता है रेवेन्यू के मामले में।

सभापति महोदय, कुछ नवाचारों की भी आवश्यकता है। सरकार के लोक कल्याणकारी होने का, इस समाज के लोगों को क्या संदेश जाए। पिछले दिनों चर्चाएं हुईं कि राजस्थान में अंगदान को प्रोत्साहन मिला, 42 अंगदान हुए। उसके बाद सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का क्या इनीशिएटिव हुआ। यदि ऐसा होता है तो जीवन भी बचता है और इसका संदेश पूरे देश में जाता है, ऐसी सम्भावनाएं यहां हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा इन तमाम बिन्दुओं के आधार पर, मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इन बातों का जिक्र जरूर करें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह पर्यटन के लिए भी सम्भावनाएं रखता है, लेकिन अभी केवल 30 किलोमीटर की परिधि में किसी भी राजकीय कालेज का नहीं

(श्री सतीश पूनियां)

होना, यह सरकार के काम-काज की बानगी दिखाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: सुश्री दिव्या मदेरणा।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): सभापति महोदय, I'm participating to speak in the favour of the Finance Bill. I would like to throw some light on the fiscal road-map laid for 2021-22, by the Hon'ble Finance Minister. The micro-fiscal position outline is progressive, positive, and especially designed to boost and revive the economy of Rajasthan. Since, we all know it was not a usual Budget. Post-pandemic, the budget and financial landscape had to be drawn according to the need of the moment.

मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलूंगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन का सपना मोदी जी ने दिखाया था, लेकिन वह भी एक जुमला ही बनकर रह गया। विषम परिस्थितियां, सीमित संसाधन, वैश्विक महामारी, कोरोना के इस कालखण्ड के अन्दर हमारी प्राथमिकता थी, जीवन को बचाना। हमने टाइमली लॉकडाउन लगाया। हमने देश के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया, मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए कि हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे। हमें राजस्थान के जन जीवन की चिंता थी। चार महीने लॉकडाउन रहा, उस अवधि के कारण सब कुछ बंद रहा। सब कुछ थम गया। उसका परिणाम यह रहा कि कंजम्पशन गिरा। रेवेन्यू घटी, टैक्स कलेक्शन में गिरावट आयी, राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में, सब जगह आयी।

विपक्ष बार-बार यह कहता है, 2012-13 की माननीय सदस्य बात कर रहे थे, 2012-13 में एक चीज जरूर थी, वह थी रेवेन्यू सरप्लस, जो हम छोड़कर, देकर गये थे। आप बार-बार प्रश्न कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। 2020-21 के अन्दर 41,722 करोड़ और बजट एस्टीमेट 2021-22 के अन्दर 23,750 करोड़, जो कि 1.98 परसेंट आफ दी जी.एस.डी.पी. है। निश्चित रूप से मैं यह मानती हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा है। यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि 41,722 अब 23,750, यह तो 19 परसेंट का फर्क है 17,971 आप कैसे कम करेंगे। आपके पास क्या जादू का चिराग है, यह कपोल कल्पित है। जी हां, हमारे पास जादू का चिराग है। रेवेन्यू डेफिसिट, आप अच्छी तरह जानते हैं 'revenue expenditure minus revenue receipts' और कंजम्पशन क्योंकि घटा था, revenue receipts क्योंकि गिरी थी, हमने रेवेन्यू नैचर के

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

एक्सपेंडीचर को बढ़ाया। जान बूझकर बढ़ाया। हमें पता था कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन वह हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। क्यों बढ़ता अगर, need of the hour थी, हमें बढ़ाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का नैचर बढ़ाना जरूरी था। जिंदगी कोई हमसाये से मांगा हुआ जेवर तो नहीं, एक धक्का सा लगा रहता है खो जाने का। एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया था कोरोना में। जरूरी था कि हम लोगों के हाथों में पैसा दें, उनको सम्बल दें। वह माइग्रेंट लैबर, जिनको आपने बार्डर पर लाकर, रातों रात, उनकी व्यथा हमने देखी, जब वह अपने गांव आये तो हजार रुपये कैश हमने उनके हाथों में दिये, इकोनोमी को बूस्ट करने के लिए, उनको आर्थिक सम्बल देने के लिए। यही कारण है, इस रेवेन्यू नैचर के एक्सपेंडीचर में इतना बम्प आया, इन्क्रीज हुआ, इससे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा।

राजस्थान में हमने कहा कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों के अन्दर हमने सोशल सैक्टर की spending को बढ़ाया, इसी के massive जम्प के कारण डेफिसिट हुआ और यह खर्च करना जरूरी था।

फिर आप बात करते हैं, कैपिटल आउटले और कैपिटल एक्सपेंडीचर श्रिंक हो गया, आप कमिटेड लायबिलिटीज पर स्पेंड करते हैं, आपने कुछ नहीं किया। निश्चित रूप से, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को बढ़ाया। कैपिटल एक्सपेंडीचर का रूम था, वह श्रिंक हुआ। इस वक्त जो कोरोना कालखण्ड का साल था, उसमें यह करना बहुत जरूरी था।

आपकी दिल्ली में सरकार है। राजस्थान की आपको चिंता है, आप बार-बार कहते हैं कि केन्द्र के ऊपर आप आरोप मढ़ते हैं तो $15^{th}$ फाइनेंस के अन्दर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, उसके अन्दर जो ग्रांट दी है, वह 2022-23 के बाद जीरो हो जाएगी। 2022-23 के बाद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं दी जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, मुख्य मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि इसको 2027 तक बढ़ाया जाए क्योंकि जी.एस.टी. की ग्रांट भी 2022-23 के अन्दर खतम हो जाएगी। उसके बाद हमें न तो जी.एस.टी. की कम्पनसेशन ग्रांट मिलेगी, न हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी और हमारे साथ बड़ी विषम परिस्थिति हो जाएगी। 2021-22 के अन्दर 9,878 करोड़ और 2022-23 के अन्दर 4,862 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रस्तावित है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

दूसरी बात फिस्कल डेफिसिट की आयी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह वीशियस सर्कल है, इस तरीके का चक्र है कि कंजम्पशन गिरा तो जी.एस.डी.पी. गिरी, जी.एस.डी.पी. गिरी तो जी.डी.पी. भी ओवरआल गिरी है। हमारी तो 6.6 गिरी है, आपकी 7.7 गिरी है। हमारा फिर भी एक प्रतिशत कम रहा है, यह हमारा एक्चुअल इकोनोमिक ट्रेंड और ग्रोथ दिखाता है कि हम क्या कर रहे थे, किस तरीके से कोरोना काल में हम काम कर रहे थे। नैचुरली बोरोइंग्स रेवेन्यू गिरी, बोरोइंग्स डबल हुई। बोरोइंग्स का डबल होना बहुत ही स्वाभाविक था। इसी कारण फिस्कल डेफिसिट भी डबल हुआ लेकिन 2021-22 के अन्दर 47,653 which is 3.98 को हम टार्गेट करते हैं, which does not exceed the relaxed limit of FRBM, और हम ऐम करते हैं कि हम फिस्कल डिसीप्लीन को बनाये रखेंगे। पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राजस्व वसूली के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को टार्गेट किया। ऐसे तरीके करना हमें जरूरी था। हमने ही नहीं, अगर आप 10 जगह देखेंगे, चाहे भारत सरकार हो, चाहे किसी भी और स्टेट का बजट हो, सबने अपने फिस्कल डेफिसिट्स को बढ़ाया है। यह जरूरी था क्योंकि खर्च को इच्छित स्तर पर लाने के लिए फिस्कल डेफिसिट को हमें बढ़ाना पड़ा, यह मजबूरी थी।

GSDP की मैंने आपको बात बतायी। एक स्टेट के आन टैक्स में वृद्धि हुई है। 2020-21 RE के अन्दर it is 68,885 crore, जबकि 2019-20 के एक्चुअल्स में it was 59,245 and which is 23 percent up. ये कहते हैं कि किस तरीके से आपका कोई रोड मैप नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, आपके कोई बजट अलोकेशंस नहीं हैं, आपकी घोषणाएं हवा में रह जाएंगी। हम बहुत एम्बीशियस टार्गेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इकोनोमी को जानते हैं। यहां पर भी हम विफल नहीं हुए थे और इस वृद्धि को हम एक्सपेक्ट करते हैं and this is a positive score कि इकोनोमी रिवाइवल के प्रति हम जा रहे हैं।

सैस, बहुत बात करते हैं, जब डीजल-पैट्रोल पर वैट की बात आती है तो आप बहुत ज्यादा हो-हल्ला करते हैं लेकिन सैस की बात करते हैं तो आपको सांप सूंघ जाता है। निर्मला सीतारमणजी ने अपने बजट स्पीच के अन्दर, पेज 58, पैरा 5 में basic excise duty (BED) and special additional excise duty (SAED) कम कर दिये, सेन्ट्रल पूल रिड्यूस हो गया, जो किटी थी सेन्टर की, जिसमें हमारे को, स्टेट को पैसा मिलना था,

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

उसको श्रिंक कर दिया, और इसलिए स्टेट इम्पैक्ट हो गया। दूसरी तरफ cess on page 61 on budget speech - agriculture infrastructure development cess (AIDC), 2.5 per liter on petrol and Rs. 4 per liter diesel पर बढ़ा दिया। यह स्टेट का राइट था, इसमें भी आपने खतम कर दिया, स्टेट का हक छीन लिया। दोनों तरफ से, मतलब यह तो, it's not even hand twisting from one side. दोनों तरफ से आप स्टेट को मार रहे हैं, डबल मार स्टेट को दे रहे हैं। सैस चार्ज करके गवर्नमेंट आफ इंडिया, खुद तो अपनी, गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम्स इससे रन करना चाहती है और एक्सपेक्ट करती है कि हम हमारे बजटेड खर्चों से गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स का खर्चा पूरा करें। यह अब गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी बन गयी है कि सैस इम्पोज करके सेन्टर से ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखे। Centralization of revenue by introduction of cess on petrol, यह जो हमारे संघीय ढांचे का स्तर है, इसको Centre and State fiscal balance को जबरदस्त तरीके से वीक करके चोट मारने का आपने काम किया है।

आयल की दरें कम हो गयीं, एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं। सैस इम्पोज करते हैं, वहां पर भी स्टेट को नुकसान होता है और हम वैट बढ़ाते हैं तो आप बहुत हल्ला करते हैं तो कहीं से तो हम अपने रेवेन्यू लेकर आएंगे, स्टेट को चलाने के लिए। आप भी पैसा कम कर रहे हैं, उसमें नहीं, और हैण्ड टू माउथ थोड़े हो जाएगी स्टेट।

आज क्या, पैट्रोल-डीजल के कारण महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, और कितनी डबल मार आम व्यक्ति की जेब पर पड़ रही है। GST कम्पनसेशन, जो मैंने अभी बताया कि हमारे को सिर्फ 2022 तक ही मिलेगा, 2020-21 में 9,404 करोड़ था which was about 112 per cent from 2019-20. 2019-20 के अन्दर 4,440 करोड़ था और 2021-22 के अन्दर GST compensation is expected to be 7,204 crore. अब जितना भी यह GST का पैसा है, आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप तो, सब कुछ केन्द्र से पोषित है, केन्द्र पर टिका हुआ है और केन्द्र से चलते हैं। मान लेते हैं, हम केन्द्र से चलते हैं तो आप, केन्द्र के पास में जितना भी हमारा बकाया है, वह टाइम पर क्यों नहीं दिलाते? कोरोना में भी पत्र लिख रहे थे। कोरोना में किस तरह की स्थिति थी, तो भी आपने यह नहीं सोचा कि स्टेट को पैसा मिलना चाहिए। 25-25 सांसद हमने यहां से चुनकर भेजे हैं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

फिर आप फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन पूल की दुहाई देंगे और कहेंगे कि आपका शेयर इन्क्रीज हो गया है। कटारिया जी ने शायद, इस पर मैं बाद में आऊंगी, बोला भी था गवर्नर के अभिभाषण पर, 30 percent decrease in the central estimate as compared to the budget at state और यह 30 परसेंट कट इसलिए हुआ है कि यूनियन बजट का जो डिवोल्यूशन टू स्टेट्स था, 7,84,181 करोड़, बजट एस्टीमेट्स घट कर 54,959 करोड़ रिवाइज्ड एस्टीमेट हो गया, यह 30 प्रतिशत डिक्रीज हमारा हुआ।

फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आयी थी 2020-21 की, बीच में, उसमें इन्होंने डिवोल्यूशन पूल का बताया था, 51,131, और मेरे ख्याल से इसको शायद कटारियाजी ने या किसी ने आपके यहां से कोट भी किया था कि इतना ज्यादा पैसा पन्द्रहवें वित्त आयोग से राजस्थान को मिलने वाला है। बिलकुल, बहुत अच्छी बात है। जब 2021-22 की टेबल आयी और उसमें 2020-21 के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आये तो it was 32,885. अगर आप इसको 5,131 से डिडक्ट करते तो 18,246, एक मैसिव कट आप करते। केन्द्र को आपको कहना चाहिए कि इस तरीके का काम उनको करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे उस पर प्रहार करते हैं।

आप एक बात बार-बार कहते हैं कि आपने अंडर स्पैंडिंग की, आप एक्सपेंडीचर नहीं कर पाये। आप घोषणाएं करते हैं, जितना उसका बजट आबंटन करते हैं, उसको खर्च नहीं कर पाते। मैं इसके आंकड़े और आपकी सच्चाई आपको दिखाती हूं। 2018, आप जानते हैं कि चुनावों का वर्ष था। आपने गुडी बैग्स दिये। आपने लोगों को लुभाने के लिए भरसक प्रयास किये। अभी जैसे बात कर रहे थे, 6,000 करोड़ का आपने बिना वित्तीय प्रबंधन अनाउंस कर दिया। 92 करोड़, मैं कृषि पर बोल रही थी, फार्म पाउंड्स कर दिये आपने, जो करना था, जैसे कर दिया, बिना बजट और बजट में भी जितना आप उसका लेवरेज ले सकते थे, आपने चुनावी वर्ष का फायदा लेने के लिए किया, लेकिन 31 दिसम्बर तक आप 62.82 ही स्पैंडिंग कर पाये। जबकि आपने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। 2017 के अन्दर आप 55.47 ही स्पैंड कर पाये और हम जहां 4 महीने तो कोरोना के कार्यकाल के अन्दर सब-कुछ ठप था, लॉकडाउन लगा हुआ था, 64.71 एक्सपेंडीचर हमने किया है। 6 महीने के अन्दर हमने 9 महीने का काम किया है and this is a very big achievement from the Government. बार-बार जो आप बात करते हैं कि आप यह कर नहीं पाते, 60:40 का रेशो चलता है एक्सपेंडीचर का और

(सुश्री दिव्या मदेरणा)
यह आज से नहीं चल रहा है, यह बरसों से चल रहा है। 40 परसेंट जो एक्सपेंडीचर है, वह लास्ट के 3 महीनों में ही होता है। मार्च में सारी एन्ट्रीज होती हैं, तभी वह एक्सपेंडीचर होता है। जो आप बार-बार यह कहते हैं न कि तीन महीने में आप ऐसी क्या जादू की छड़ी चला कर एक्सपेंडीचर कर देंगे, चार महीने में यह कैसे कर देंगे तो आपके टाइम के भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, यही पैटर्न रहता है, यही इसकी पैस रही है।

हमारा जो बजट था, जिसमें हमने कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया, और मैं पूर्व स्पीकर को सुन रही थी कि टैक्स फ्री बजट क्या होता है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जब आप टैक्स फ्री के पक्ष में नहीं हैं तो फिर वैट पर मत बोला कीजिए। दो बातें नहीं हो सकती हैं। हमने कोई टैक्स इम्पोज नहीं किये, ताकि राजस्थान की जनता पर किसी तरह का भार नहीं आए। हमने सेक्टरवाइज ग्रोथ पर फोकस किया, ताकि इकोनोमी में ग्रोथ हो सके, सरप्लस मनी गवर्नमेंट में आ सके, इन्वेस्टमेंट फरदर बढ़ सके, ताकि इकोनोमी फ्लरिश हो सके। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग, EWS के अन्दर वन परसेंट को 0.5 परसेंट किया, 2 परसेंट को एक परसेंट किया और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी इसमें जोड़ा। लेकिन आपने अपने सेन्टर के बजट में क्या किया, आपने इसी प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट काट दिया। बहरहाल डी.एल.सी. के ऊपर हमने 10 प्रतिशत कम किया है, जहां पर भी आवासीय, वाणिज्यिक भूमि.., मध्य वर्ग के लिए हमने बहुमंजिला भवनों के ऊपर, जहां 50 लाख तक की कीमत है, फ्लैट्स पर स्टाम्प ड्यूटी 30 जून तक 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दी। यह जितनी भी चीजें हमने की हैं, it is all in a view of not a simple budget of 2021-22, but, it is to revive the economy of the Rajasthan. उस तरीके से हम बजट लेकर आये हैं, बस हमेशा की तरह एक साधारण बजट और साल के वित्तीय वर्ष के लिए, उस तरीके से नहीं लेकर आये हैं। एक रोड मैप और एक विजन के साथ लेकर आये हैं। अब मैं सेन्टर के बजट के ऊपर भी आ जाती हूं।

**श्री सभापति**: आप 5 मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): समाप्त करूं?

चलिए, इनका जो बजट था उसमें खपत, निजी, निर्यात, सारी चीजें ठप पड़ी हैं। मंदी से निकलने के लिए इनके पास में कोई रोड मैप नहीं था। MSMEs पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। डिफेंस के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

जैसे चाइना तो हमारी सरजमीं पर है ही नहीं, इसलिए डिफेंस के लिए आप कुछ बोले ही नहीं। आपका यह जो बजट था, उसमें जो करना था, उसके अन्दर कोई आपका विजन नहीं था, कोई आपका रोड-मैप नहीं था। 2016 का जो मिस्टर जेटली का बजट है, that still continues to be the goal standard budget. आप कुछ नहीं कर पाये, चाहे आत्मनिर्भर का पैकेज लेकर आये हों, आप विफल रहे। पैन्डेमिक के अन्दर जो इकोनोमी को फोस्टर करने के लिए जरूरत थी, वह नहीं कर पाये। 5 ट्रिलियन की इकोनोमी आप छू नहीं पाएंगे।

आप मुझे पांच मिनट्स दीजिए। इन्होंने बात की नोट बंदी की, रातों-रात ये नोट बंदी लेकर आये। इनका चुनावी वादा था हम काला धन वापस ले करके आएंगे। अर्थ-व्यवस्था का आपने भट्टा बैठा दिया और आपका कोई उद्देश्य उससे पूरा नहीं हुआ, कोई काला धन वापस नहीं आया। 15 लाख रुपये आज तक आपके वापस नहीं आये। GST, जिसका आप विरोध करते थे, गुजरात और अब बी.जे.पी. कभी इसका फेवर नहीं करेगी, सत्ता से पहले GST में हानि, सत्ता पाकर GST में तरक्की की निशानी। आप फ्लाड GST लेकर आए, जिससे आपकी रेवेन्यू रिसीट्स सारी की सारी नीचे हैं। मनरेगा, जिसे आप कहते थे कि कांग्रेस की नाकामी का जीता-जागता स्मारक है, वही मनरेगा है, जिसने आज लॉकडाउन के अन्दर रोजगार देने का काम किया। 100 से 200 दिन का आपने किया नहीं। आपके आंकड़ों में मनरेगा का गुणगान करते हैं, भाषणों में गरीब का मजाक उड़ाते हैं।

**(15.00 बजे)**

बहुत बात करते थे रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। अब आपके टाइम में ऐतिहासिक तरीके से यह रुपया गिरा, लेकिन कोई बात नहीं की। दलितों का दमन, आजकल बहुत यहां पर चर्चा होती है इस हाउस के अन्दर, दलितों के दमन के बारे में। Rohith Vemula was an institutionalized murder. Many must have died before him or after him. But, Rohith Vemula that S.C. student who wrote that letter; there is always going to be in history - a pre Rohith Vemula phase and post Rohith Vemula phase. This is what you are doing. आई.आई.टी., आई.आई.एम., इन इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने क्या किया? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया, शांत रहें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): Well, this is all impacting the budget. ...(Interruption) आई.आई.टी., आई.आई.एम्स., मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी, "The making of an Institution - JNU" आपके काल खण्ड में आएगा तो, "The dismantling of Institutions" और साठ परसेंट एस.सी., एस.टी. के पद आज तक आई.आई.एम्स. वगैरह में खाली हैं। आप नेशनल एजुकेशन पालिसी कब लाये थे? बताइये कि आप कब लाये थे? वह भी लॉकडाउन में लाये थे, जब ये सारे के सारे संस्थान आपके बंद थे। हम पांच सितारा होटल में थे उस वक्त और सारे विश्वविद्यालय बंद थे, तब आप एजुकेशन पालिसी लाये। क्यों लाये? चर्चा नहीं की आपने किसी से।

डीजल-पैट्रोल के भाव कहां आसमान छू रहे हैं, महंगाई की आप बात करते हैं। ईंधन महंगा, खाना महंगा, ट्रैवल महंगा, पढ़ाई महंगी, आवास बनाना महंगा, आम जीवन महंगा, रोजगार आपका बंद, महंगाई बुलंद। आत्मनिर्भर भारत पर आपने क्या किया? पैकेज दिया? और वह कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी, तीन काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पर मारा आपने।

न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर प्रधान मंत्रीजी ने क्या कहा? किसान की लागत पर इनपुट कास्ट पर खर्चा निकालकर हिसाब करके पचास प्रतिशत पर मुनाफा देंगे और फिर क्या? तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, यह पहेली बुझाते रहो। एम.एस.पी. थी, एम.एस.पी. है, एम.एस.पी. रहेगी, बूझो तो जानो। गारंटी प्राइस लिख दिया, एम.एस.पी. आपने लिखी नहीं।

फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं। दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा प्राइवेट कम्पनियों को, आपने यह किया। पी.एम. किसान निधि की आप बात करते हैं, आप किसान की बात कर रहे थे कि बहबूदी, किसान की अगर बहबूदी का काम किसी ने किया है तो उसी पी.एम. किसान निधि के अन्दर आपने दस हजार करोड़ रुपये काट दिये।

किसान की लाचारी, 35 किसान रोजाना मरते हैं पर आप कुछ नहीं कहते हैं। कृषि पर देख रही थी, तो मैंने यह पढ़ा कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर अगर केसर कहीं पर होती है तो जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर में यह केसरिया साफों की मीटिंग हुई थी, कैसे हुई थी, वह प्रधान मंत्री के संसद में अश्रु जल के संकल्पों का राज है, यह तो बाद में खुलेगा कि कैसे हुई थी।

किसान से वार्ता के बारे में, 11 बार वार्ता की और यह कहा कि हम वार्ता के लिए खुले हैं, लेकिन वाराणसी के अन्दर पी.एम. जाकर यह कहते हैं

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कि तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो फिर यह वार्ता क्यों कर रहे थे, यह ढकोसला क्यों कर रहे थे आप? फिर अब यह कह रहे हैं कि हम एक फोन दूर हैं तो क्या वह आपका फोन लग नहीं रहा? लगेगा भी कैसे, क्योंकि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. को आपने पीट दिया, फोर-जी और रिलायंस के फोन्स पर लगेगा। ऐसे पूंजीपति मित्रों के मुनाफे से डायल किया हुआ फोन किसान कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में है मोदी सरकार।

Disinvestment and privatization is the new agenda. The Union Budget of 2021-22; privatization is the main theme. आपने क्या किया? पीयूष गोयलजी का लेटेस्ट बयान है परसों का कि उनको यह कहना पड़ा कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है और गुस्सा आया तो क्या बोला, लेकिन रोड भी तो सरकार बनाती है, आप फिर यह क्यों नहीं पूछते कि सिर्फ उस पर सरकारी वाहन क्यों नहीं चलते? देखिए, आपकी झुंझलाहट?

वैक्सीन डिप्लोमेसी, रघु शर्माजी, मंत्री, जो बता रहे थे कि किस तरीके का क्रंच वैक्सीन में हो रहा है। आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे। आप बाहर चले गये। आज सैकण्ड लहर आफ कोरोना आ रही है। क्या किस तरीके से आप करेंगे? आप तो सिर्फ झूठी वाहवाही के अन्दर लगे हुए हैं।

इंस्टीट्यूशंस को आपने वीक करने का काम किया। अंगुलियों पर नचाते हैं आप आई.डी., ई.डी., सी.बी.आई. को। आपने पुलिस का क्या किया? उत्पीड़न को औजार बनाया और 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट उस दिशा रवि को आपने अरेस्ट करवाया। यह आप डीसेंट को बिलीव नहीं करना चाहते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है, तापसी पन्नू तो आई.टी. रेड; कन्हैया कुमार तो टुकड़े-टुकड़े गैंग; किसान, मैं आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आती हूं, मैं आपको आंदोलनजीवी नजर आती हूं? विरोध के लिए सहनशीलता उत्पन्न करिए, मान्यवर। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया, शांत रहें। माननीय सदस्य, बीच में इंटरवीन नहीं करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। (व्यवधान) सर, ये बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं मेरे को?

**श्री सभापति**: आप अपनी बात को जारी रखें, उनकी तरफ आप मत देखें। माननीय सदस्य, बीच में इंटरवीन नहीं करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अन्दर 180 के अन्दर हमारी रैंक घटकर 142 है। ह्यूमन फ्रीडम इंडैक्स के अन्दर हमारी 162 में से 111, एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और दूसरी तरफ आप हमारी स्वतंत्रता और निजता को कैद में डाल रहे हैं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): विजय माल्या बी.जे.पी. और जे.डी.एस. के समर्थन में राज्य सभा मैम्बर बने थे 2010 में, भाग गये। आप एन.पी.एज. कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए, कर्ज माफी पर स्पष्ट मना कर देते हैं कि यह कोई कर्ज माफी नहीं होगी।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): बस, दो मिनट, दो मिनट।

दाल और प्याज के अन्दर क्या हुआ? आप जमाबंदी का लेकर आये। प्याज के ऊपर आपको क्या करना पड़ा? प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, नमामि गंगे प्रोजेक्ट...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अभी वे अपनी बात कह रही हैं, आपका टाइम आए, जब आप अपनी बात कहना। शांत रहें। वे बोल रही हैं, बीच में आपको डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है क्या?

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): सर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, गंगा मैया ने चीख-चीखकर कहा है कि कोई मेरा बेटा आएगा, गंगा को साफ करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगायी कि आप जिस स्पीड से चल रहे हैं तो सौ या डेढ़ सौ साल तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे।

**श्री सभापति**: कृपया, समाप्त करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): गुलाबी क्रांति का क्या हो रहा है? मुझे यह पता नहीं। 2016 में आइए, एक ग्राम लेते हैं, आदर्श ग्राम, आपका डिजिटल इंडिया फेल हो गया और आप पता करिए उन एम.पीज. ने, जिन्होंने यह ग्राम लिया, वहां पर इंटरनेट भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है?

**श्री सभापति**: श्री ज्ञानचंद पारख। समाप्त करें। समाप्त करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): आधार कार्ड के लिए, एक मिनट, सर। सर, एक मिनट। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा बोल रही हैं, लेकिन हमें कोई अच्छाई या बुराई के लिए थोड़े ही फैसला करना है? समय की अपनी पाबंदी

(श्री सभापति)

है। अच्छे या बुरे से नहीं चलेगा। आपके एक वक्ता को कम कर दीजिए, मैं तो उनको पूरा टाइम दे देता हूं।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): सर, दो मिनट। दो मिनट। आधार कार्ड, जिसके लिए कहा कि यह कांग्रेस ऐसे लेकर आयी है जैसे कोई जड़ी-बूटी है, इसका हम विरोध करते हैं। जिसे पहले ये बताते थे निराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार और उसके अन्दर यह हो रहा है निजता का हनन। पहले ये कहते थे कि...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात, ऐसे नहीं।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): आंख में आंख दिखानी पड़ेगी। चीन ने आज आपकी सरजमीं पर कब्जा कर रखा है, 56 इंच के सीने के अन्दर, अब आप कौनसी आंख मिचौली कर रहे हैं?

और, सुनिए कि खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को कि यह उनका चमत्कार है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, प्लीज। श्री ज्ञानचंद पारख।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): जुडिशियरी का क्या हाल हुआ है आप यह देखिए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानचंद पारख।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): 000

**श्री सभापति**: माननीय सचेतक महोदय, रोकिए अपने मैम्बर को।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): 000

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): 000

**श्री सभापति**: माननीय महेशजी, प्लीज, रोकिए अपने मैम्बर को। आप समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। समाप्त करें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। चीफ व्हिप साहब। (व्यवधान) जरूरत नहीं है आपको बीच में इंटरवीन करने की, मुझे पता है। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अब आप विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। नहीं, अब अलाउ नहीं है। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप विराजिये। विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। आप विराजिये।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा तय किया गया समय है, उतना समय मैं आपको दे रहा हूं। बार-बार मना करने के बाद भी यदि आप नहीं बैठेंगे तो आसन की व्यवस्था कैसे चलेगी?

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): 000

**श्री सभापति**: प्लीज। आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय और नेता, प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है। समय दिया है पांच बजे, मैं सही पांच बजे माननीय कटारिया साहब को बुलवा लूंगा। आपकी जितनी मर्जी हो आप अपना समय लें, सही पांच बजे मैं माननीय कटारिया साहब को बुलवा लूंगा। मैंने बार-बार आप लोगों को यह कह दिया कि समय की पाबंदी है, समय की सीमा है, जो समय आपने दे रखा है, वह समय साढ़े छह बजे तक जा रहा है, लेकिन मैं माननीय कटारिया साहब को पांच बजे ही बुलवा लूंगा। जितने वक्ता बोल पाएंगे, उतने ही बोल पाएंगे। मैं फिर आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आसन की यह व्यवस्था है। आसन के कहने के बाद आप विराजें। मैं आपको दो-तीन मिनट पहले ही आगाह कर देता हूं कि आपका समय समाप्त हो रहा है मेरा सहयोग करें।

श्री ज्ञानचंद पारख।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब इस सदन में यह बजट पेश किया था तो उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा था और पानी पी-पीकर एक से बढ़कर एक बड़ी-बड़ी घोषणाएं वे कर रहे थे। मुझे एक गाना भी याद आ गया उनकी घोषणाओं को सुनकर कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए, ऐसी बहारों में ले चलूं।

सत्ता पक्ष के सारे माननीय सदस्य उनकी घोषणाओं को लेकर झूम रहे थे और बाकी सदन के बाहर, जो आपने गली-गली में दारू की दुकानें खोली हैं न, वहां-वहां की पब्लिक पी-पीकर झूम रही है तो पूरा प्रदेश झूम रहा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

है और जिस दिन बजट रिप्लाई दिया था न, तो मूड उनका बिलकुल बदल गया था। उस दिन वे पानी पी-पीकर हमको कोस रहे थे। हमारे ऊपर व्यंग्य इतने चलाये और कारण भी था कि जब हमने बजट की पोल खोली तो उससे वे थोड़ा नाराज हो गये और पानी पी-पीकर जितना कोसा, वह सारा का सारा रिकार्ड में है।

आज फिर उनका भाषण होगा। नई घोषणाएं भी वे करेंगे। भगवान जाने, आज उनका मूड कैसा होगा? आज सदन की बैठक जब समाप्त होगी तो यह सदन जितनी राशि की मांग सरकार ने की है, उतनी राशि की स्वीकृति दे देगा और साथ में उसको खर्च करने का अधिकार भी सरकार को दे देगा।

माननीय सभापति महोदय, जो प्रदेश के आर्थिक हालात हैं न, जो घोषणाएं हुई हैं, उनको पूरी करने की जिम्मेदारी भी सरकार के कंधे पर होगी। माननीय सभापति महोदय, यह वित्तीय कुप्रबन्धन उन घोषणाओं को पूरी करने में कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी करेगा। चालू वित्त वर्ष में आपका राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 6 परसेंट तक पहुंच गया, जबकि लिमिट थी कि आप तीन परसेंट से ज्यादा क्रोस कर नहीं सकते। चालू वित्त वर्ष में आपकी चाहे टैक्स रेवेन्यू हो और चाहे नोन-टैक्स रेवेन्यू हो, आपके अनुमान से भी वह काफी कम आयी है। हालांकि अगला वर्ष अच्छी सम्भावनाओं वाला वर्ष है। उसका कारण भी है कि केन्द्र सरकार ने एफ.आर.बी.एम. एक्ट में जो नया प्रावधान किया है, आपको जी.एस.डी.पी. का एक परसेंट एक्स्ट्रा, पहले तीन परसेंट था, अब चार परसेंट तक खुले बाजार से ऋण लेने की छूट मिल जाएगी। साथ में केन्द्र सरकार की नीतियों एवं प्रयासों से जो जी.एस.टी. का कलेक्शन आ रहा है न, पिछले पांच माह का आपने कलेक्शन देखा होगा। जी.एस.टी. का रिकार्ड कलेक्शन आया है। जी.एस.टी. का ज्यादा पैसा आएगा तो राज्य सरकार को भी निश्चित रूप से एक अच्छी राशि मिलेगी। जिस जी.एस.टी. को लेकर आप बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि जी.एस.टी. को लेकर व्यापारी वर्ग में बहुत ज्यादा विरोध था। व्यापारी वर्ग नाराज भी हुआ, आन्दोलन भी किये, प्रदर्शन भी किये और उस समय आपको लगा कि यह जो व्यापारी वर्ग है, यह बी.जे.पी. का वर्षों से पक्का समर्थक है और अब यह बी.जे.पी. से अलग हो रहा है, तो हो सकता है हमारे साथ जुड़ जाए।

माननीय सभापति महोदय, सूरत का मार्केट छह महीने बंद भी रहा। जी.एस.टी. के विरोध को लेकर तीन बार वहां पर लाठीचार्ज हुआ पर अभी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सूरत में नगर निगम के चुनाव हुए थे उसके परिणाम आपको पता है? सूरत में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आयी। आप तो बिलकुल साफ और आपकी पांच सीटें जरूर आयीं। कोई भी सरकार अगर ईमानदारी से नया टैक्स सिस्टम लागू करती है न, तो जनता कभी उसके खिलाफ नहीं जाती। सूरत उसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

माननीय सभापति महोदय, सूरत के पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को जनता ने जो आईना दिखाया है न, तो आपको सबक सीखने की आवश्यकता है। केवल मात्र बातें करने से कुछ नहीं होगा। नरेन्द्र मोदीजी की कितनी ही बुराई कर लो, केन्द्र सरकार की बुराई कर लो, देश की अधिकांश जनता आज की तारीख में नरेन्द्र मोदी के साथ है और जिस किसान बिल की बात कर रहे हैं न, तो सूरत के पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और वहां के किसानों ने भी बी.जे.पी. का साथ दिया।

माननीय सभापति महोदय, यह रेवेन्यू का महीना है, राजस्थान सरकार की अपनी खुद की रेवेन्यू इस काल में बहुत कम हुई है और इसका कारण क्या बताया, कि कोरोना की वजह से प्रदेश के उद्योग-धंधे बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसकी वजह से हमारी आय कम हुई हमारा रेवेन्यू कम हो गया। मतलब आप खुद मानते हो कि जो उद्योग-धंधे हैं, वे आपकी रेवेन्यू का प्रमुख आधार हैं। यह आपका मानना है। आपने खुद ने अपने बजट भाषण में लिखा है। माननीय सभापति महोदय, हमारा क्या रवैया है उद्योगों के प्रति, हमारी उदासीनता देखें, आप हमारी लापरवाही देखें, हमारी अनदेखी देखें कि जो डी.एम.आई.सी. हमारे लिए वरदान साबित हो सकती थी, उसमें भी हमने काफी विलम्ब किया। माननीय सभापति महोदय, यह डी.एम.आई.सी. का 40 परसेंट हिस्सा राजस्थान से होकर गुजर रहा है और आपको इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा पैसा केन्द्र सरकार दे रही है, पर हमारी सरकार नाकाम रही। हमारे अफसरों ने काम नहीं किया और उसका खामियाजा हमको उठाना पड़ा। 567 किलोमीटर यह डी.एम.आई.सी. हमारे स्टेट से होकर गुजरेगा, जो दूसरे स्टेट की तुलना में बहुत ज्यादा है। हमको यहां पांच बड़े औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनाने थे। पाली, जोधपुर का अभी तक हमने मात्र मास्टर प्लान बनाया। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, 42 गांवों में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हमको करनी थी। इतने समय बाद हम मात्र 5 गांवों में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर पाये हैं। अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, राजसमन्द और भीलवाड़ा, यहां

(श्री ज्ञानचंद पारख)

भी हमको नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करनी थी, पर यहां भी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। माननीय सभापति महोदय, हालत क्या हुई, एक शर्मनाक स्थिति राजस्थान की बन गयी। हालत इतने बदतर हो गये कि केन्द्र सरकार ने हमारी उदासीनता को देखकर दिसम्बर, 2020 में हमको डी.एम.आई.सी. से बाहर करने के लिए निर्णय कर लिया। कैसी स्थिति होगी हमारे प्रदेश की? हमारे अफसर दिल्ली भागे और वहां जाकर गिड़गिड़ाये कि हमको एक मौका और दो, हम काम करेंगे। काम में तेजी लाने का वादा किया तो वापस कहीं जाकर केन्द्र माना और आपको वापस मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, आप हालत देखेंगे न, तो हम केन्द्र के कितने बड़े फण्ड से वंचित रह गये।

माननीय सभापति महोदय, अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट भाषण में पैरा 95 और 96 में, इसी डी.एम.आई.सी. के लिए कि भिवाड़ी में एक हजार करोड़ रुपये और जोधपुर-पाली में 750 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में क्या कहा? यह प्रोजेक्ट राजस्थान औद्योगिक परिवेश में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं। यह पत्थर दो साल तक कहां पड़ा रह गया आपके पास? दो साल पहले आपने यह पत्थर क्यों नहीं लगाया? दो साल पहले आप यह पत्थर लगा देते न तो बाहर निकलने वाली बात थी, वह नहीं होती। जो दूसरे स्टेट हैं, उनका भी सुन लो आप। उनकी प्रोग्रेस क्या है? गुजरात ने केन्द्र से 1,745 करोड़ रुपये ले लिए अब तक, महाराष्ट्र ने 1,752 करोड़ रुपये लिए, उत्तर प्रदेश ने 617 करोड़ रुपये ले लिए, हरियाणा 192 करोड़ रुपये ले चुका और मध्य प्रदेश 56 करोड़ रुपये ले चुका। हम अभी भी शून्य पर अटके हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हम यदि सही समय पर कार्य करते तो अब तक हमको 2,100 करोड़ की राशि केन्द्र से इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए मिल जाती पर हमारी नाकामी के कारण उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी का पहला कार्यकाल भी देखा है। सदन में बार-बार बात चलती थी। कल्ला साहब भी उस समय थे। मुख्य मंत्री नम्बर वन। यह उस समय हर जगह चर्चा का विषय था। आप भी उस समय थे, मुख्य मंत्री नम्बर वन। जब मुख्य मंत्री नम्बर वन हैं तो हम इस डी.एम.आई.सी. में शून्य पर आकर क्यों अटक गये। मेरा आग्रह

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रहेगा, कोई बात नहीं, देर आये, दुरुस्त आये। अभी भी आप शुरुआत कर दोगे न, तो आने वाले कल में बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। अन्य कारण भी हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का आजकल दिल्ली आना-जाना बहुत ज्यादा हो गया है, प्रदेश कम देख रहे हैं, पार्टी ज्यादा देख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कुछ भी कर लेना, माननीय मुख्य मंत्रीजी देश में गर्त में जा रही कांग्रेस को वह बचा नहीं सकते, यह बात तय है। जहां-जहां के चुनाव परिणाम आप देखोगे न, कितने भी प्रयास कर लो, बचा नहीं सकते। माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर राजस्थान में समय देंगे न, तो शायद राजस्थान का काफी कुछ भला हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में कुछ और मैटर लाना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी कई मामलों में बहुत रहम दिल भी हैं, दयालु भी हैं, काम करने की इच्छा भी है। उनकी अपनी मजबूरी के चलते पार्टी को बचाने के लिए उनको दिल्ली समय देना पड़ता है, पर अब उनको राजस्थान के लिए भी समय देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह डैडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर आएगा, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हजारों लोगों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा। इसमें अरबों का निवेश होगा और हमारा भी राजस्व बढ़ेगा। इसलिए इस डैडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर में अब तक जो हम पीछे रह गये, हम नया प्रयास करके और गति देकर पुराना बैकलाग खतम कर दें।

अब हमारी क्या हालत हो गयी, आय बढ़ाने के लिए मात्र शराब की दुकानें ज्यादा से ज्यादा खोल दो, इसका निर्णय लेते हैं। इस शराब ने पहले ही हमारे को बहुत बरबाद किया है। जिस शराब माफिया को माननीय वसुन्धरा जी ने राजस्थान से खतम कर दिया, आपकी यह नयी आबकारी नीति इन माफियाओं को राजस्थान में वापस पनपाने का काम करेगी। मेरा आग्रह रहेगा कि मेहरबानी करके पूरे प्रदेश को मयखाना मत बनाओ और जो वाकई में औद्योगिक विकास के जरिए आय हो सकती है, उसको बढ़ाने में अपनी ओर से काम करो। मैं तो इतना कह दूंगा कि विकास भले ही कम हो जाए, कोई गम नहीं है, पर शराब नीति से होने वाले विनाश से हमको बचना होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी तो गांधी जी की प्रतिमूर्ति लगते हैं। ऐसे मुख्य मंत्री यदि शराब की दुकानों को बढ़ावा देंगे, ऐसी शराब नीति लाएंगे तो राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रयास करें कि उद्योग धंधे कैसे बढ़ें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

राजस्थान में औद्योगिक निवेश की बहुत प्रबल सम्भावना भी है, बस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। सरकार जो कहे, वह काम कर दे तो निवेश की राजस्थान में कोई कमी नहीं है। सरकार की नीति और नीयत साफ होंगे तो भी काम हो जाएगा। पर आप हालात देखें। यह हमारा रिप्स है, रिप्स में हमने क्या किया? निवेशकर्ताओं के लिए कई सारे प्रावधान किये कि हम आपको यह-यह लाभ देंगे, राजस्थान में आकर इंडस्ट्री लगाओ। वे आपकी बातों में आ गये, निवेश भी कर दिया, पर जहां सरकार की ओर से जो लाभ मिलना चाहिए था, वहां कहीं न कहीं हमारी ढ़िलाई है कि लाभ देने में हम काफी देरी कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के मैटर हों, एक नहीं अनेकों प्रकरण ऐसे होंगे जो महीनों से इन्तजार कर रहे हैं कि कब उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का पैसा मिल जाए और चाहे इन्ट्रेस्ट सब्सिडी के भी प्रकरण हैं, तो वे भी लम्बे समय से बाकी हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि जब सरकार खुद मान रही है कि रिप्स 2019 के बाद में एक साल के दौरान 69 हजार करोड़ का निवेश राजस्थान में हुआ है। यह सरकार मान रही है, आपके पैरा नम्बर 271 में, और 69 हजार 750 लोगों को रोजगार मिला। जब रिप्स से आपका इतना निवेश बढ़ा है और इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो कुछ न कुछ लाभ उन निवेशकर्ताओं को दे दो, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा की गयी है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है।

माननीय सभापति महोदय, विभाग की हालत आप देखेंगे, जिसका जिक्र मैं पहले भी दो बार कर चुका हूं कि रिप्स की 2019 की नयी पालिसी आ गयी, अभी तक रिप्स की आफिशियल वेबसाइट में रिप्स 2014 ही चल रहा है। आपको उसमें भी चेंज करने की फुर्सत नहीं मिली। राजस्थान टैक्स बोर्ड की जो आफिशियल वेबसाइट है, जिसमें क्वार्टर्ली सब्सिडी हेतु डाकूमेंट अपलोड करना होता है, उसमें भी अभी तक ई-रिप्स-2014 अंकित है। मतलब दो साल हो गये पालिसी आये हुए, हम वेबसाइट को भी दुरुस्त नहीं कर सके, करेक्ट नहीं कर सके और जिसकी मैंने तीन बार जानकारी दे दी। अब आपकी यह वेबसाइट करेक्ट नहीं है तो इन्वेस्टर कैसे अपना डॉकूमेंट अपलोड करेगा। अपलोड नहीं करेगा तो उसको राशि कैसे मिलेगी। जब ऑफलाइन करता है तो ऑफलाइन वाले प्रकरणों में आप कंसीडर नहीं करते तो आपने दोनों तरह से इन्वेस्टर को कहीं न कहीं परेशानी में डाल दिया है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, रिप्स में भी बहुत सम्भावना तो एम.एस.एम.ई. में भी हमारे प्रदेश में प्रबल सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में कोई कम सम्भावनाएं नहीं हैं। मैंने पिछली बार भी माननीय राहुल गांधी जी का पांडिचेरी के एक भाषण का जिक्र किया था। उस भाषण में माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने हैं तो हमें लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। अब राहुल गांधी जी की बात भी उनकी अपनी सरकार के मंत्रीगण नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? स्टेट तो आपके पास ढाई बचे। पंजाब का मुख्य मंत्री मानता नहीं तो कम से कम राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा, तो मेहरबानी करके लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए जो आपने घोषणा कर रखी है, आप नयी घोषणा तो एक भी मत करो, पर जो आपकी अपनी घोषणा है, जो आपके अपने वादे हैं, उनके आदेश जारी करवा दो।

राजस्थान में कितनी सम्भावना है, यहां जमीन की कमी नहीं, जमीन हमारे पास पर्याप्त, पावर सरप्लस की स्थिति में भी हम, हमारा मैन पावर भी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा, उद्यम क्षमता भी हमारे उद्यमी में बहुत ज्यादा, फिर भी हम अन्य राज्यों से पिछड़े हुए क्यों? उसका एक मात्र कारण है कि हमारी उदासीनता, चाहे हमारे अधिकारी हों, वे शायद इंडस्ट्री के बारे में कभी कोई पॉजिटिव सोच रखते ही नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस केन्द्रीय वित्त मंत्री की बार-बार आलोचना हो रही थी, उन्होंने तो कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज समाज के हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए दिया था। माननीय सभापति महोदय, उसी केन्द्रीय वित्त मंत्री ने प्रदेश की जो औद्योगिक व्यवस्था है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एम.एस.एम.ई. सेक्टर में 3 लाख 94 हजार करोड़ का प्रावधान किया था। अब काम हम करें नहीं, उसका लाभ हम लें नहीं, और लाभ लेंगे नहीं, तो राशि मिलेगी कहां से? भारत सरकार लघु और सूक्ष्म उद्योग को नई जान देने के लिए 3 लाख 94 हजार करोड़ देने को तैयार थी, पर हम उसमें नाकाम रहे।

माननीय सभापति महोदय, आप हमारी बेरुखी देखें। पाली, जोधपुर, बालोतरा, माननीय मुख्य मंत्री जी का खुद का अपना जिला व उसके पड़ौसी जिले हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पता है कि टैक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है। वहां पर टैक्सटाइल की प्रबल सम्भावना है। वे माननीय मुख्य

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मंत्री जी से उम्मीद भी बहुत करते हैं और सारे के सारे लोग मुख्य मंत्री जी के भक्त भी हैं। वहां अभी जितनी इकाइयां लगी हुई हैं, उससे भी कई ज्यादा इकाइयां लगने की सम्भावना अभी भी बरकरार है। अनेक उद्यमी तो मजबूरी में सरकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण गुजरात चले गये, पर अब भी अगर सरकार मदद कर दे तो यहां उद्योग लगाने को तैयार हैं।

एक समस्या प्रदूषण की थी, दूसरी समस्या पानी की थी। ये दोनों कारण सरकार को मदद से रोकते थे, पर, माननीय सभापति महोदय, अब ऐसी तकनीक आ गयी, इस प्रदूषित पानी को उपचारित करने के लिए कि प्रदूषण भी खतम हो सकता है और पानी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। यह जो एम.वी.आर. तकनीक आयी है न, पूरा का पूरा पानी साफ। जिस क्वालिटी का पानी लेते हैं, प्रोसेस होने के बाद में जो प्रदूषित पानी निकलता है और उसके बाद में जो ट्रीट होता है, तो जैसा पानी लिया, उससे बेहतर पानी की क्वालिटी उस ट्रीटेड पानी की होती है। इतनी अच्छी तकनीक एम.वी.आर. के रूप में आ गयी, तो प्रदूषण भी नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मात्र पांच परसेंट पानी की खपत होगी, 95 परसेंट पानी वापस रीयूज आ जाएगा। जब 95 परसेंट पानी रीयूज आ जाएगा और प्रदूषण नहीं होगा। यह पांच परसेंट पानी, जो यूज आ रहा है, उसकी भरपाई भी सिटी सीवरेज का जो पानी है, उसको ट्रीटेड करके हम कर सकते हैं, तो पानी का दोहन बिलकुल रुक जाएगा पर इस तकनीक के ई.टी.पी. को लगाने में बहुत राशि लगती है। एक ई.टी.पी. लगता है, चार-पांच करोड़ का खर्चा आता है। हर उद्यमी के लिए वह मुश्किल काम है। वह इतना पैसा एक साथ जुटा नहीं सकता तो इस बात की मांग की। उनकी मांग माननीय मुख्य मंत्री जी ने सही मानते हुए उद्योगों को सहारा देने के लिए 2020 को जोधपुर के उद्योग मेले में घोषणा भी की कि जो पहले एम.एस.एम.ई. स्कीम में लागत का 50 परसेंट, लेकिन अधिकतम 25 लाख, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको बढ़ाकर अधिकतम दो करोड़ कर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसको पनपाने के लिए किया। पर, साथ में एक काम दूसरा और कर दिया, जो पहले लागत का 50 परसेंट था, उसका उन्होंने लागत का 20 परसेंट कर दिया। मतलब ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा तो मेरा आग्रह रहेगा, आपके अपने विधान सभा क्षेत्र में यह घोषणा है कि हम अधिकतम दो करोड़ देंगे, तो लागत का 50 परसेंट और अधिकतम दो करोड़ रुपये। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि हमने लागत का 50

(श्री ज्ञानचंद पारख)

परसेंट और अधिकतम दो करोड़ दिया तो अधिकांश उद्यमी अपना ई.टी.पी. लगाकर इस प्रदूषण की समस्या का हमेशा-हमेशा के लिए विनाश कर देंगे। हमारे किसान भी सुखी, हमारे उद्यमी सुखी और रोजगार के एक नहीं लाखों अवसर इन तीन जिलों में हो सकते हैं, लाखों। एक लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर इन तीन जिलों में मिल जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हालत क्या हो गयी? सरकार मदद नहीं कर रही, चोरी-छिपे काम हो रहा है। पकड़े जाते हैं तो लम्बी पैनल्टी लगती है। एन.जी.टी. की डांट खानी पड़ती है और कई बार सरकार के अधिकारियों को भी एन.जी.टी. में शर्मिंदा होना पड़ता है। वहां उनको काफी बुरा-भला कहा जाता है। लाखों, करोड़ों का जुर्माना सरकार ने भी भरा और उद्यमी ने भी भरा। यह जो लाखों, करोड़ों का जुर्माना बेवजह जा रहा है, उसको यदि इस प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट में काम ले लेंगे तो यह इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी का कि राज्य सरकार ने कई स्थानों पर एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि, वहां भी इंडस्ट्रियल कन्वर्जन करने की छूट ई.टी.पी. की शर्त के साथ में दे दी। ई.टी.पी. लग जाएगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा लेकिन पाली में यह छूट नहीं है। पाली में कोई भी उद्यमी अगर अपनी लैंड का कन्वर्जन कराकर ई.टी.पी. लगाकर इंडस्ट्री लगाना चाहे, अगर उनको छूट दे देंगे तो उद्योग धंधे तेजी से पनप जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, पाली में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया है, नया गांव। सरकार चाहती है, रीको चाहती है कि वहां भूखण्ड बिक जाएं लेकिन वहां ज्यादा भूखण्ड बिक नहीं रहे हैं। एक शर्त लगी हुई है कि वहां रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री लग नहीं सकती। यह जो टैक्सटाइल है, यह रेड कैटेगरी में आता है। जब आप एग्रीकल्चर में छूट दे रहे हो, यह तो आपका अपना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां अगर कोई ई.टी.पी. लगाकर रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री लगा दे, तो उसकी छूट का मेरा आग्रह भी माननीय मुख्य मंत्री जी से रहेगा। इससे आपका यह इलाका आसानी से सेल भी हो जाएगा और यहां बहुत कम समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां लग जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले बजट में भी घोषणा की थी और इस बजट में भी घोषणा की है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): हां, 2 मिनट में। 5 मिनट में।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): जी.एस.टी. लागू होने के बाद में सैल्स टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स की मांग के जो डिसप्यूटेड केस हैं और अनेक प्रकरण जो न्यायालय में लम्बित हैं, उनको राहत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम, 2021 लागू हुई। यह 2019 में भी की थी, लेकिन लागू नहीं हुई लेकिन 2021 में जिस दिन घोषणा की, उसी दिन आदेश जारी हो गये। इसमें मेरा आग्रह रहेगा कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच, आपके जो कर विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कइयों से, यह जो डिसप्यूटेड केस हैं, उनकी राशि यह कहकर के जबरन वसूल कर ली कि अगर आप यह राशि जमा नहीं कराओगे तो हम आपको जी.एस.टी. का रिफंड नहीं देंगे जबकि जी.एस.टी. एक्ट और वैट एक्ट अलग है, फिर भी दादागीरी से ले ली। माननीय सभापति महोदय, इन दो सालों की अवधि में आपके अधिकारियों ने जबरन वसूली की। मेरा आग्रह रहेगा कि यह आपकी अपनी घोषणा है। उसके अनुसार आप इन दो सालों में, जो प्रकरण जबरन वसूले गये, उनको आप अपील का मौका देकर उनसे उतनी ही राशि लो, जो कि वाकई में बनती है। आपने छूट कितनी दे दी? हम ब्याज नहीं लेंगे, पैनल्टी नहीं लेंगे, यहां तक की छूट दे दी कि हम टैक्स में भी कमी कर देंगे। जब आपने यह छूट दी है तो उसका लाभ भी उनको मिल जाए, यह मेरा आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, कई सारे ऐसे प्रकरण हैं वैट रिफंड के, जो पुराने हैं, लोगों की राशि भरी हुई है, लेकिन निर्णय नहीं कर रहे हैं। लाखों, करोड़ों की राशि जमा है। जिन प्रकरणों में सरकार ने ज्यादा वैट वसूल कर लिया, उनका निर्णय करके जो रिफंड बनता है, उसकी राशि मेहरबानी करके उन फर्मों को दिलवा दें, ताकि सरकार के प्रति उनका विश्वास बना रहे वरना रिफंड बना हुआ है और सरकार देने को तैयार नहीं है तो ऐसे में व्यवहारी के मन में हमेशा सरकार के प्रति शंका रहती है। नई इकाई लगाने में, नई इंडस्ट्री लगाने में वह कहीं न कहीं कतराता है।

**श्री सभापति**: श्री रफीक खान।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरी अंतिम

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बात कहूंगा। अंतिम बात है। एक मिनट की बात है। हमारे यहां ऐसे बहुत से परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता के दायरे में आते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा दी गयी लिमिट खतम हो जाने की वजह से उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने महात्मा गांधी आयुष्मान योजना में केन्द्र की सूची के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा योजना की सूची के परिवारों को भी जोड़ा और उनको लाभान्वित किया, आज बजट पास करेंगे, राज्य मद से कम से कम ऐसे परिवार, जो पात्र हैं, उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़कर नि:शुल्क गेहूं और इलाज का सहयोग दे दें यह मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री रफीक खान।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, बजट सैशन के बाद से डिफरेंट-डिफरेंट इश्यूज पर, अलग-अलग समय पर चर्चा की गयी। पूरे देश का बजट केन्द्रीय सरकार ने दिया। उसके बाद सारे प्रदेशों में और सभी सरकारों ने अपना-अपना बजट पेश किया। राजस्थान पहली सरकार बनी, जिन्होंने पेपरलैस बजट प्रस्तुत किया। पूरे देश में एक मिसाल पेश की। कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश गुजरा। एक साल सभी लोग पीड़ित रहे। बीमारी का इलाज, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, जांच की अवेलेबिलिटी, राशन की पूर्ति करना, आम आदमी को कैसे इससे बाहर निकाला जाए, इसमें पूरा साल बीत गया। ऐसे समय में यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार बजट देगी तो कोई बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं, टैक्स की मार आ जाएगी, सब्सिडी बंद हो जाएगी, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ऐसा एग्जाम्पल बना, जहां एक रुपये के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गयी और आम आदमी को फायदा दिया गया। इस मिसाल के साथ मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया,

'रोशनी है मेरे अन्दर मैं यह हवाला दूंगा,
मैं तो सूरज हूं, सारे जमाने को उजाला दूंगा'।

कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अलग-अलग जगह और सारे प्रदेशों में

(श्री रफीक खान)

कहीं किसी पर इन्क्रीमेंट हुआ, कहीं किसी टैक्स पर इन्क्रीमेंट किया गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने आम आदमी को फायदा देने की कोशिश की।

अभी जब पूरा साल निकला तो कई सारे मुद्दे सामने आये। लोकतंत्र की भी बहुत बात हुई। लोकतंत्र खतरे में है यह भी बात हुई। चूंकि फाइनेंस बिल है, बजट का मसला है तो जब-जब पूरे देश में इकोनोमी की बात होगी, फाइनेंस की बात होगी, तो डिमोनेटाइजेशन को याद किया जाएगा, नोटबंदी को याद किया जाएगा।

'वह दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने,

लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई'।

नोटबंदी की गयी। आम आदमी को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। लोग-बाग़ लाइनों में मर गये। किसी ने चिंता नहीं की। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका परिणाम आने वाले 10 वर्षों में भी खतम हो जाए, तो मैं यहीं हूं। काले धन की बरामदगी की बात की गयी। कहां गया? कोई काला धन नहीं आया। किसी से बात नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र, मध्य प्रदेश में एम.एल.ए. तोड़ लिये। कर्नाटक में एम.एल.ए. तोड़े। गुजरात में खरीद-फरोख्त कर ली गयी। अभी ताजा पांडिचेरी में खरीद कर ली गयी। गोवा में सरकार बना दी। बंगाल में रोज खरीद-फरोख्त हो रही है।

**एक माननीय सदस्य**: यहां वाले नहीं बिकने वाले हैं।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): सभापति महोदय, राजस्थान में भी बहुत कोशिश की गयी। यहां लिखा है, सच बोलो। सच का मंदिर है। सच बोलो। झूठे ने झूठे से कहा, सच बोलो। केन्द्रीय एलान हुआ है, सच बोलो। खरीद-फरोख्त हुई, कैसे हुई? घर के अन्दर झूठ का मंदिर है, सच बोलो। घर के अन्दर झूठ की मंडी है, सच बोलो। गुलदस्ते पर महकजा लिखा है, मतलब साफ-साफ लिखा है, सच बोलो। गुलदस्ते डिलिवर किये गये। बड़े-बड़े गुलदस्ते, आदमी उठाकर ले जा रहे हैं। गाड़ियों में भरकर ले जा रहे हैं। शायर कहता है, गुलदस्ते में क्या है, सच बोलो। किससे खरीद कर रहे हो आप?

सभापति महोदय, मैं कल यहीं बैठा था। पाइंट आफ आर्डर पर बात हुई। नेता, उप नेता प्रतिपक्ष, बड़ी जोर से उन्होंने आवाज दी कि देखो, दया के पात्र हैं, पीछे बैठे हैं, माइनोरिटी के 3 एम.एल.ए. एक साथ बैठे हैं। बहुत चिंता की, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप माइनोरिटी की चिंता कर रहे हैं। पूरे

(श्री रफीक खान)

हिन्दुस्तान में एक सीट पर माइनोरिटी को नहीं लड़ाते हो आप लोग। गुजरात में आप नहीं लड़ाते हो, मध्य प्रदेश में आप नहीं लड़ाते हो, राजस्थान में आप नहीं लड़ाते हो, हरियाणा में आप नहीं लड़ाते हो, दिल्ली में नहीं लड़ाते हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह फाइनेंस बिल के कौनसे क्लाज में लिखा है, माइनोरिटी का नाम ले रहे हैं।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): आ रहा हूं, आ रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: पोलिटिकल भाषण यहां पर काहे को दे रहे हो, आज यहां पर फाइनेंस बिल पर बोलना है। (व्यवधान) कृपया शांत रहें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, ये पूरे हिन्दुस्तान की लोक सभा सीटों से माइनोरिटी के एक आदमी को नहीं लड़ाते हैं। जब बात करते हैं तो कहते हैं कि माइनोरिटी के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) आप, इनको पश्चिम बंगाल लगाया है प्रभारी बनाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे साथी यहां बोल रहे हैं..।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अच्छा तो यह रहता कि आज की डिबेट प्योरली, स्पेसिफिक फाइनेंस बिल पर होती। इस तरह से पोलिटिकल डिबेट में भाग ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि पांच बजे कटारिया साहब बोलेंगे। आप जल्दी से अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): मेरे दलित साथी बैठे हैं यहां, अगर हिन्दुस्तान में पंडित जवाहर लाल नेहरू नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तथा आबादी के अनुसार रिजर्वेशन नहीं देते पोलिटिकल क्षेत्रों में और सीटों पर लड़ने की छूट नहीं देते तो ये भी आज यहां नहीं बैठे होते। माननीय सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान के अन्दर 14 परसेंट मुसलसमान हैं। इनको यह चाहिए कि आबादी के हिसाब से दें। ये जो लोग यहां बैठे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा और ये लोग इसी तरीके से इलेक्शन पोलिटिकल गलियारों में लोगों को लड़ाते रहे आदमियों को, तो वह दिन दूर नहीं जब इनको भी लड़ने के लिए जगह नहीं देंगे। अभी किसान की बात कर रहे थे। 250 आदमी मर गये, 250 आदमी वहां धरने पर मर गये, इन लोगों ने कोई परवाह नहीं की, एक आदमी ने किसानों के प्रति संवेदना नहीं जताई और यह नहीं कहा कि जो मर गये, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि पर राजस्थान सरकार ने बजट

(श्री रफीक खान)

दिया। हमने 27 परसेंट की बढ़ोतरी की और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 6 परसेंट की कटौती की किसानों पर खर्चें में। 2020-21 के बजट में 6 परसेंट की कटौती की। एजुकेशन की बात आयी, हमने एजुकेशन पर 17 परसेंट की बढ़ोतरी की, यहां केन्द्र सरकार ने सिर्फ 9 परसेंट की बढ़ोतरी की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनते ही, जिसको 500 रुपये पेंशन मिलती थी, उसको 750 रुपये की, जिसको 750 रुपये मिलती थी, उसको 1,000 रुपये की।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): जिनको 1,000 रुपये मिलती थी, उनकी 1,500 रुपये की, लेकिन इन्होंने वहां पर भी 7 परसेंट बजट कम कर दिया। हमने 7 परसेंट की ग्रोथ दी, इन्होंने पेंशन के अन्दर 10 परसेंट की कमी कर दी। माननीय सभापति महोदय, कल जब सदन में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था तो नेता, प्रतिपक्ष ने बहुत ज्यादा सीन क्रिएट किया और एक बहुत गलत नुमाइश, एक बहुत गलत नजारा यहां पेश किया। जब उनसे फोन टेप के मसले पर बात की गयी, तो उन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे, ...(व्यवधान) तीनों नेता, तीनों नेता यहां बैठकर ...(व्यवधान) 90 हजार लोगों के टेप होने की बात की गयी, रिकार्ड दिखाया गया। चूंकि 90 हजार लोगों के फोन गुजरात सरकार ने टेप किये, उस पर कोई जवाब नहीं दिया तो हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी शान में एक शेर बोलूंगा,

''सिसकती रुत को गुलाब कर दूंगा,
मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा,
मैं इंतजार में हूं, तू सवाल तो कर,
यकीन रख, मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा।''

माननीय सभापति महोदय, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे उद्योग का मसला हो, चाहे माइनिंग का मसला हो, केन्द्र सरकार ने हर चीज में कटौती की है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बैठें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): हमारे यहां माइनिंग की रेवेन्यू पिछले कई सालों से गिरती जा रही है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): मैं सदन से मांग करता हूं, माननीय सभापति महोदय, माइनिंग को माडर्नाइज किया जाए।

**श्री सभापति**: श्री पुष्पेन्द्र सिंह। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर आज बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं। पिछले बजट, वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21, ये तीनों बजट जो कांग्रेस की सरकार में सदन के नेता ने वित्त मंत्री रहते हुए पेश किये हैं। आने वाले सालों में चिकित्सा, सड़क, बिजली, रोजगार में सरकार की क्या-क्या उपलब्धि होगी और क्या जन कल्याण योजनाएं लागू होंगी, इन पर ही बजट केन्द्रित रहता है। पिछले दो बजट में जिनके बारे में हमारे साथीगण ने भी बताया है कि बजट की जो घोषणाएं हुईं, उनमें से अधिकांश घोषणाएं कागजों में ही बंद रह गयीं और धीरे-धीरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का बजट के प्रति जो विश्वास है, वह धीरे-धीरे खतम होता जा रहा है। बजट, जो सदन का नेता, मुख्य मंत्री बोलता है, तो प्रदेश के 200 माननीय सदस्य जीत कर जनता भेजती है, वित्त मंत्री आगे आने वाले सालों में क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उसका पूरा परिचय देते हैं। लोगों के काम नहीं होने से उनको जो निराशा होती है, धीरे-धीरे इस तरह से बजट का महत्व खतम होता जा रहा है। आम आदमी खाली घोषणाएं होती और अखबारों में छपी हुई ही नहीं देखना चाहता है। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में घोषणा के अनुसार पोस्टर लगा देते हैं, लेकिन तीन-चार साल तक तक तो वे योजनाएं नीचे धरातल पर लागू ही नहीं हो पातीं। यह मैं भी मानता हूं कि इस कोरोना कार्यकाल में आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कम होंगी, एक्सपेंडिचर भी आपने कम किया होगा, परन्तु आपको धीरे-धीरे रेवेन्यू ऊपर लानी चाहिए थी, वह आपकी नीचे जा रही है, घटती जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक उदाहरण है। ऊर्जा मंत्रालय के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लगातार आप बिजली के भाव बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि यहां उद्योग लगें। उद्योग लगेंगे, तभी लोगों को रोजगार

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मिलेगा। जिस तरह से आज शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आज से 25 साल पहले बहुत कम लड़के थे, जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। आज आम व्यक्ति, गांव का व्यक्ति भी टेक्निकली साउंड है, कोई आई.आई.टी. कर रहा है, कोई पी.जी. कर रहा है, कोई एम.बी.ए. कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। उनको रोजगार तभी उपलब्ध होगा, जब आपके यहां उद्योग लगेंगे। जिस तरह से आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हो, उद्योगों के लिए बिजली की जो रेट है, वह आपके 8.50 रुपये, देश में सैकण्ड या थर्ड नम्बर पर हमारे राजस्थान का नाम है रेट में। जहां काम्पीटिशन का युग है, देश के प्रधान मंत्री ने जी.एस.टी. इसलिए लागू की कि प्रदेशों में वैट की रेट में बहुत डिफरेंसेज थे, इसलिए उद्योग उसमें टिकता नहीं था, उस स्टेट में धीरे-धीरे बंद हो जाता था। पूरे देश में एक टैक्स लागू करने के लिए, पूरे देश में उद्योग चालू रहे, आपकी सरकार, मनमोहन सिंहजी की, वह भी जी.एस.टी. लागू करना चाहती थी पूरे देश में, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। हमारे प्रधान मंत्री में हिम्मत थी, तो उन्होंने पूरे प्रदेशों में, पूरे देश में एक जी.एस.टी. लागू की। उनको मालूम था कि इसका विरोध भी होगा, लोगों को समझने में भी टाइम लगेगा। अभी पाली से आने वाले मेरे साथी ने बताया कि सूरत में छह-छह महीने तक धरने हुए, लेकिन आज वहां पर उद्योगी संतुष्ट हैं। आज उनको समझ में आ गया है कि जी.एस.टी. लागू होने से उनको क्या फायदा हुआ है। रिबेट मिलने लगी है, उससे आज आम व्यापारी जी.एस.टी. लागू होने से खुश है। जी.एस.टी. से सरकारों की आमदनी बढ़ी है। वैट से आपको जो आमदनी थी, उससे दुगुनी आमदनी आज जी.एस.टी. से बढ़ी है। हालत यह है कि आपके यहां इंडस्ट्री आने की सम्भावना बहुत कम है, क्योंकि यहां पर पहले तो पानी की कमी है, बिजली की रेट महंगी है, औद्योगिक क्षेत्र आपके यहां डवलप्ड नहीं हैं। आपके पास ऐसे इंसेंटिव्ज नहीं हैं, जिनसे आप आम आदमी को अट्रैक्ट कर सकें। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर हावी है, उन्हें जो इंसेंटिव्ज मिलने चाहिए, उन्हें टाइम पर मिलते नहीं हैं, तो यहां पर उद्योग कैसे लगेंगे? जब उद्योग ही नहीं लगेंगे तो यहां वर्क कल्चर आएगा ही नहीं। नयी पीढ़ी जो टेक्निकली साउंड है और जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, उन्हें बिजनस मिले, काम मिले। वे यहां आकर सैटल होना नहीं चाहते हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हमारे यहां के मारवाड़ के लोग, इस प्रदेश के लोग, जो अच्छे व्यापारी हैं और विश्व भर में प्रख्यात हैं, उन सबने धीरे-धीरे बाहर जाकर अपना उद्योग सैट किया, पर राजस्थान में उनकी उद्योग खोलने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। बांगड़ हमारे यहां के ही हैं, बिड़ला हमारे यहां के हैं। ऐसे कई उद्योगपति हैं, जिनकी यहां उद्योग खोलने की इच्छा रहती ही नहीं है। हमारे यहां वर्क कल्चर, हमारे यहां व्यवस्था इस तरह की है, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक यहां उद्योग लगेंगे नहीं।

मेरा तो आपसे एक निवेदन है, आपने गत वर्ष पिटीशन फाइल करके सभी प्रकार के जो स्माल इंडस्ट्रीज, एम.एस.एम.ई., बिलो मीडियम क्लास की इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज, सबकी आपने रेट्स बढ़ायीं। मुझे तो यह भी मालूम है कि इस साल भी आपका डिस्काम बहुत भारी लोस में जाएगा। वापस आप पिटीशन लगाएंगे, वापस आप बिजली के बिलों के रेट्स बढ़ाएंगे। ये लोसेज आपके बढ़ते ही जाएंगे और आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारे समय में हमारी सरकार ने 62 हजार करोड़ रुपये अपने खाते में लिए, तब जाकर डिस्काम का इंटरेस्ट रेट कम हुआ। फिर भी अगर आज की तारीख में विधान सभा में प्रश्न आया कि आज वापस आउटस्टैंडिंग 01 लाख 15 हजार करोड़ रुपये डिस्काम का हो गया है, तो निश्चित रूप से डिस्काम चलाना बहुत भारी काम हो जाएगा। आप वापस पिटीशन लगाएंगे, इसके रेट्स बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रीज आएंगी कैसे?

आपका जो गिरल प्लांट है, उत्पादन लगभग 560 करोड़ के प्रोफिट पर चल रहा है, पर मात्र गिरल प्लांट के कारण। आपके पास कोई कोल ब्लाक नहीं हैं, लिग्नाइट ब्लाक नहीं हैं। जो आपका ब्लाक है, उसमें सल्फर कन्टेंट 7 परसेंट है। उस पर वह गिरल प्लांट चल नहीं सकता है। जे.एस.डब्ल्यू. के पास आपने जो आबंटन किया है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, उससे तीन गुना आपने लिग्नाइट ब्लाक ज्यादा दिया है। उसमें सल्फर कन्टेंट अगर एक परसेंट है, क्यों नहीं उस ब्लाक पर हम आबंटन करें और वहां से हम कोल को लाकर गिरल प्लांट को चलाएं। आज जो 506 करोड़ या 507 करोड़ आप कमा रहे हैं उत्पादन से, जो वार्षिक आपका प्रोफिट है, उसमें मात्र एक प्लांट ने साढ़े पांच सौ करोड़ का लोस करके इस उत्पादन को पचास करोड़ के प्रोफिट पर रख रहा है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जो गिरल प्लांट चल रहा है, उसके बदले जो जे.एस.डब्ल्यू. को आपने एडिशनल ब्लाक अलाट किया है, उसकी

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कैपेसिटी से तीन गुना उसके पास जो ब्लाक हैं, उसमें आप आबंटन करके गिरल प्लांट को चलाएं। आज आपका धौलपुर गैस प्लांट है, आपका रामगढ़ का जो गैस प्लांट है, पिछले पांच सालों से बंद पड़ा है। उसके तो फिक्स्ड चार्जेज लग रहे हैं, उसका लोन आप चुका नहीं पा रहे हैं। इससे धीरे-धीरे आपका कर्जा बढ़ रहा है। डिस्काम को इसका फिक्स्ड चार्ज देना पड़ रहा है। पी.पी.ए. तो आपने डिस्काम से किया है। वह नहीं चलेगा तो भी डिस्काम को उसके फिक्स्ड चार्जेज का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे लोन ले रखा है।

इसी प्रकार मेरा आपसे निवेदन है, आज डीजल और पेट्रोल, आप हरियाणा देख लें, पंजाब देख लें, दिल्ली देख लें, गुजरात देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, 12-13 रुपये का फर्क है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। आस-पास जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां के लोग आपके पड़ौसी राज्यों के जिलों में जाकर डीजल भराते हैं, जिससे आपको 100 परसेंट रेवेन्यू में लोस है। सभापति महोदय, 13 रुपये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई डिस्ट्रिक्ट्स के लोग पास वाले पड़ौसी राज्यों के जिलों से डीजल-पेट्रोल लाकर काम में ले रहे हैं।

आज सरकार को भी मालूम है कि बायो डीजल के नाम से एक बहुत बड़ा घपला चल रहा है। बायो डीजल तो जैट्रोफा से पैदा होता है। बायो डीजल की क्वान्टिटी कितनी है, हम सब जानते हैं। आज अधिकांश जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, बायो डीजल के नाम से, मतलब डीजल कहां से लाते हैं, कहां से चलाते हैं, इसका बहुत बड़ा धंधा चल रहा है राजस्थान में, जिससे आपको रेवेन्यू में 100 परसेंट लोस है। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराएं, आपको पता लगेगा कि आपको कितना नुकसान बायो डीजल के नाम से, मतलब जितने भी लाइसेंसी हैं, वे इस प्रदेश को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है, आपने एक्साइज पालिसी लागू की, जिस एक्साइज पालिसी से आम आदमी को रोजगार मिल रहा था और इस प्रदेश को उसका 100 परसेंट फायदा मिल रहा था, आप तो हमेशा कहते थे कि बी.जे.पी. सरकार आकर नयी दुकानें खोलती है, अब की साल आपकी सरकार ने कितनी दुकानें खोली हैं, उसके बारे में भी आप जिक्र करना कि नयी दुकानें कितनी खोलीं आपने? आपने कितनी रेट बढ़ायी दुकानों की? सबसे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बड़ी बात यह है कि नयी एक्साइज पालिसी लागू होने के बाद वापस बड़े माफिया, बड़े मसल पावर राजस्थान में राज करेंगे।

छोटे दुकानदारों को आपने बाहर निकाला, मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो अभी देखा है मेरे क्षेत्र में, छोटी-छोटी दुकानें तो बड़े लोगों ने ले लीं और पास में जो बड़ी दुकानें थीं दो-दो, तीन-तीन करोड़ की, उन्होंने साइड की दुकानें लेकर उन दुकानों को छोड़ दिया, ताकि वहां से इन्फ्लेट करके उस माल को बड़े गांव में पहुंचाकर वे पैसा कमाएंगे। मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि इस नयी एक्साइज पालिसी के तहत वापस आपका मसल पावर चालू होगा और गुंडागर्दी चालू होगी।

आम आदमी को जो रोजगार मिलता है, उसे आपने धक्का लगाया और आपके रेवेन्यू में 50 परसेंट लोस नहीं आये तो आप मुझे कह देना। जो आपने एक्साइज पालिसी लागू की, मैं समझता हूं कि इससे वापस आपने उन बड़े आदमियों पर हाथ रखा है, जिससे वे अपने काले धंधे कर सकते हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है, मैं बाली विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। लम्बे समय से वहां का आम आदमी चिंता करता है कि बाली को भी एक जिला बनाया जाए। राजस्थान में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, राजस्व प्रकरण बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट के ट्रायल्स बढ़ रहे हैं, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि राजस्थान को नये जिले बनाने चाहिए। बाली एक उपयुक्त स्थान है जो जिला बन सकता है। हमारे पास चार तहसीलें हैं, चार उप-खण्ड हैं, चार पंचायत समितियां हैं, छह नगरपालिकाएं हैं। हमारे पास रोडवेज भी है, रेलवेज भी है और बड़े सिंचाई के प्रोजेक्ट भी हैं, जहां से दो जिलों के अन्दर सिंचाई होती है। इसके साथ-साथ एडिशनल एस.पी. की पोस्ट है। अगर जिला हो जाए तो मैं समझता हूं कि सिरोही जितना बड़ा जिला बन जाएगा, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। एक आदिवासी डेढ़ सौ किलोमीटर का फासला तय करके पाली जाता है और जब वापस आता है तो उसके पास कोई साधन नहीं होता, जिससे वह घर पहुंच सके। मैं हमारे सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि बाली को जिला बनाने के लिए निश्चित रूप से ध्यान दें। ऐसे कई जिले हैं, जैसे जयपुर ही ले लें, जहां लगभग 32-35 लाख लोग रहते हैं और एक लोक सभा सीट पर भारी जनसंख्या होती है। आज जयपुर दुगुना हो रहा है तो मेरा अनुरोध है कि नये जिले खोलें, जिससे लोगों को न्याय मिले और सरकार गरीब आदमी को फायदा पहुंचा सके।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में हास्पिटल है, जो हमारा रैफरल हास्पिटल है, जो 75 बैडेड हास्पिटल है। इसके आस-पास लगभग 15 सी.एच.सी. हैं, जो 30 बैडेड हैं। बाली का एकमात्र 75 बैडेड हास्पिटल है, यहां के अधिकांश लोग गुजरात जाते हैं, मेहसाणा, अहमदाबाद जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर इस हास्पिटल को आप जिला हास्पिटल बना दें तो वहां का जो आदिवासी है, गरीब व्यक्ति है...(व्यवधान)...

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): वह अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ही सब सुविधाओं के साथ करा सकता है। देसूरी में एक महाविद्यालय खुले, जिससे वहां का पूरा ब्लाक जो है, रानी और देसूरी का जो ब्लाक है, वहां के अधिकांश जो युवा हैं, उन्हें शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, इन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय,

''हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा।।''

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की रतनपुर सीमा से राजस्थान की शाहजहांपुर सीमा तक प्रदेश का जन जन यूं ही किसी व्यक्ति के लिए जननायक की उपमा नहीं देता है। मैं पहली बार जब इस सदन में चुनकर आया था, अपने खुद के गांव शिवगंज में मैंने देखा था कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को, मौत हो, शादी हो, सड़क पर बैठना पड़ता था। वे सारे काम सड़क पर करने पड़ते थे। तब यह स्थिति हम माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाए और हमने उनसे निवेदन किया कि सक्षम समाज ने तो अपने प्रभाव के बल पर धर्मशालाएं, छात्रावास इत्यादि सब बना रखे हैं, लेकिन समाज के कमजोर तबके के लोगों को अपनी छोटी-छोटी

**(16.00 बजे)**

जरूरतों के लिए भी मोहताज रहना पड़ता है। तब पहली बार मुख्य मंत्री रहते हुए उन्होंने निर्णय किया था कि राजस्थान में सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों को छात्रावास और धर्मशाला के लिए मुफ्त जमीन देगी। तब से लेकर आज तक राजस्थान के कोने-कोने में हजारों लोगों

(श्री संयम लोढ़ा)

ने इस सुविधा का लाभ उठाया। तब से लेकर आज तक, जब से अशोक गहलोत साहब पहली बार मुख्य मंत्री बने और आज तीसरी बार मुख्य मंत्री बने, उनके एक-एक निर्णय की तरफ हम गौर करें तो हमें महसूस होगा कि जिसको कहा जाता है वैलफेयर स्टेट, कल्याणकारी शासन, उसका प्रतिबिम्ब उनकी सरकार में आपको दिखेगा। इस बार का भी उनका बजट लो, कौनसा ऐसा वर्ग है, जिसके हितों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुझाव दिये गये, टैक्स लगाओ। किन पर टैक्स लगाओ? नोटबंदी की मार से टूटे हुए उस आदमी पर टैक्स लगाएं? जी.एस.टी. की मार से टूटे हुए आदमी पर टैक्स लगाएं? चौपट अर्थव्यवस्था के शिकार उस आदमी पर टैक्स लगाएं? कोविड की मार से पीड़ित उस आदमी पर टैक्स लगाएं? टैक्स लगाने का काम तो आप कर ही रहे हैं देश की सरकार में। कभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, कभी सैस बढ़ाकर, कभी सरचार्ज बढ़ाकर कमर तोड़ने का काम आपने किया। राजस्थान का कौनसा ऐसा तबका है, छात्र, विधवा, किसान, वेंडर, आटोरिक्शा वाला, इस कोविड के समय में जिसको अशोक गहलोत की सरकार ने सीधे उसके पाकेट में सहायता नहीं पहुंचाई?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियां रही हों, लीडर कौन होता है? लीडर वह होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लोगों की हिम्मत और हौसला बनकर खड़ा रहे। सब जानते हैं कि सरकार की आर्थिक हालत विषम है, भारत सरकार के भी आर्थिक हालात विषम हैं, राजस्व घटा है, हर क्षेत्र में राजस्व घटा है, लेकिन इसके बाद भी आप अपने लोगों के भरोसे पर विपरीत परिस्थितियों में कैसे खरा उतरते हैं, यह आपकी नेतृत्व क्षमता की एक परीक्षा की घड़ी होती है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने जो 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया था, क्या इन विपरीत हालात में भी उसमें कटौती की? क्या रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो राजस्थान सरकार का 2020-21 का आया, उसमें राशि घटाई? अब जो बजट प्रस्तुत किया है, क्या 2020-21 की तुलना में राशि बढ़ाकर बजट पेश नहीं किया? माननीय सभापति महोदय, 11 परसेंट ज्यादा का वार्षिक बजट इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज इस सदन में शुरुआत में भी यह कहा

(श्री संयम लोढ़ा)

गया, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कब दिखता है, कैसे दिखता है? जब आप अपनी वार्षिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सोशल जस्टिस का आईना लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सरकार ने जो बजट दिया, ट्राइबल सब-प्लान के लिए 13.68 परसेंट का प्रोविजन किया और शिड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान के लिए 18.28 परसेंट का प्रोविजन किया।

माननीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की परिस्थितियों का देश सामना कर रहा है, प्रदेश सामना कर रहा है, दुनिया सामना कर रही है, मानव जाति सामना कर रही है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेडिकल के लिए 20 परसेंट से ज्यादा प्रोविजन राजस्थान सरकार के इस बजट में किया गया है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इंजेक्शन से नहीं है, हास्पिटल से नहीं है या मेडिकल कालेज से नहीं है। लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, इसका सीधा-सीधा सम्बन्ध खेलों से भी है। खेल के माध्यम से आदमी स्वस्थ रहता है। पूरे राजस्थान के अन्दर आदिवासी लोग इस कोरोना की चपेट में कम क्यों आये हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत, जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत रही और उसके कारण से वे उसके शिकार नहीं हुए। राजस्थान सरकार ने इस साल में स्पोर्ट्स पर 400 परसेंट इन्क्रीज किया है। मेडिकल में जहां 20 परसेंट इन्क्रीज किया है, वहां स्पोर्ट्स में 400 परसेंट इन्क्रीज किया है। आने वाले वक्त में राजस्थान का चेहरा बदल जाएगा। खेल के क्षेत्र के अन्दर जो निर्णय किये हैं, जिनकी पहले भी चर्चा हुई है, उन निर्णयों के माध्यम से राजस्थान की नौजवान पीढ़ी को अपने सपने साकार करने का एक अवसर मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन हमारा एक बहुत बड़ा बेस है। गुजरात की सीमा पर माउंट आबू से लेकर जयपुर तक खाली देश के नहीं, पूरी दुनिया के पर्यटक राजस्थान आते हैं और हजारों नहीं, लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इकोनोमी को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन के अन्दर भी 300 परसेंट की बढ़ोतरी बजट में मौजूदा सरकार ने की है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने बी.जे.पी. के 25 सांसद जिताकर भेजे हैं, पर उसका फायदा राजस्थान की जनता को क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. कम्पनसेशन में भी जो 5 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि थी, वह राजस्थान को नहीं मिली। सेन्ट्रल टैक्स के अन्दर जो हमारा शेयर है, वह 14 हजार से ज्यादा घटा दिया

(श्री संयम लोढ़ा)

गया। सबसे खराब चीज जो की, वह सी.एस.एस. का पैटर्न इन्होंने बहुत बुरी तरीके से चेंज कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां चुनाव होते हैं, वहां इस तरह का प्रलोभन देने लग जाते हैं। बिहार में चुनाव थे तो वहां प्रलोभन देने लग गये। परसों मैं नितिन गडकरी जी का एक ट्वीट देख रहा था कि अगर बंगाल के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बंगाल के अन्दर स्वीकृत किये जाएंगे तो राजस्थान के लोगों ने आपके 25 सांसद जिताकर भेजे हैं तो कोई गुनाह कर दिया? प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द जी कटारिया साहब, प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, नरेन्द्र मोदी तो आप लोगों से जूनियर आदमी हैं, राजनीति में आप लोग तो नरेन्द्र मोदी से सीनियर हो, संघ में भी सीनियर हो, तो जाकर उनको समझाओ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, इन ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्ताओं से, सबसे विनती करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने भरोसा करके आपको 25 सीटें दीं, उसका आप क्या फल राजस्थान की जनता को दे रहे हैं? आप, जितनी स्कीम्स सेन्टर की 90:10 में थीं, उन सबको घटाकर 60:40 पर ले आये, चाहे एग्रीकल्चर की स्कीम्स हों, इर्रिगेशन की स्कीम्स हों, पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स हों, यह राजस्थान की जनता को किस बात की सज़ा दे रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वाटरशैड की 2009 से 2014-15 के बीच में 1,025 परियोजनाएं राजस्थान की स्वीकृत हुईं। 57 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित करने का तय हुआ, 7,808 करोड़ की परियोजनाएं सैंक्शन कीं। 2018 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उनमें से 205 परियोजनाओं को केन्द्रीय अंश उपलब्ध कराने से मना कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, इनकी जो आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना है 90:10 का जो रेशो था, उसको घटाकर 60:40 कर दिया। माननीय सभापति महोदय, 2013-14 की 64 परियोजनाएं, 2014-15 की 141 परियोजनाओं में सेन्टर का शेयर देने से इन्होंने मना कर दिया।

अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, प्रतिपक्ष के उप नेता जब खुद मंत्री हुआ करते थे पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के इन्होंने क्या किया। ये भारत के महालेखाकार का 2020 का प्रतिवेदन है, जो इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका एक अंश माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री संयम लोढ़ा)

से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के सम्बन्ध में, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना, जिसका इन्होंने नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास कर दिया, भारत के महालेखाकार क्या लिखते हैं, 7.15 लाख लाभार्थियों का डेटा अपलोड करने में विफलता के कारण भारत सरकार द्वारा उन्हें स्थाई वरीयता सूची में शामिल करने से इंकार करके पक्के आवास से वंचित कर दिया गया, भूमिहीन लाभार्थियों और दिव्यांगजन को सहायता निर्धारित राशि सीमा तक प्रदान नहीं की गयी, चयनित पूर्ण आवासों में से 31.02 प्रतिशत आवासों का लाभार्थियों द्वारा आवासीय उपयोग नहीं किया गया एवं 2.3 प्रतिशत आवास, जो आवास सोफ्ट पर पूर्ण दर्शाये गये, अपूर्ण थे। रोचक है कि चयनित पूर्ण आवासों में से 49.15 प्रतिशत आवासों में शौचालय नहीं थे, जबकि राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, आज आप और हम सब लोग जब गांवों में जाते हैं तो लोग हमें मिलते हैं। आपको भी पूछते होंगे, मेरा नाम था, सरपंच ने काट दिया; मेरा नाम था, सैक्रेटरी ने काट दिया। माननीय सभापति महोदय, नाम काटा नहीं है, वे नाम जो 2011 की सेंसस के आधार पर 27 लाख नाम थे, उनमें से 7 लाख 15 हजार लोगों के नाम बी.जे.पी. की सरकार ने अपलोड ही नहीं किये, भारत सरकार को भेजे ही नहीं और उस कारण से राजस्थान की जनता को ये हालात आज भुगतने पड़ रहे हैं।

अब माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों की तो बहुत चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जिसका राजकोषीय घाटा बढ़ नहीं रहा हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान ने जो राजकोषीय घाटा इस साल के बजट में लक्षित किया है, उससे कहीं आगे छत्तीसगढ़ जा रहा है, उससे कहीं आगे मध्य प्रदेश जा रहा है, उससे कहीं आगे उत्तर प्रदेश जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह देश के हर राज्य की स्थिति इसी तरह की हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण भारत सरकार के द्वारा संघीय ढांचे को कमजोर करना है। इस बात की कोशिश करना कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। ये जो सैस है, सरचार्ज है, इनका कोई शेयर स्टेट को नहीं मिलता। ये रेवेन्यू सीधा भारत सरकार अपनी जेब में डालती है और दूसरी तरफ जो शेयर मिलना चाहिए, जो मापदण्ड तय हैं, उतना शेयर भी माननीय सभापति महोदय, स्टेट को नहीं मिल रहा है।

(श्री संयम लोढ़ा)

अभी बाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जो घोषणाएं होती हैं, वे पूरी नहीं होतीं। उनका कहना सही है, क्योंकि वे मंत्री रहे हैं और वे खुद मेरे इलाके में घोषणा करके आ गये, टटवाड़ा में 33 के.वी. का जी.एस.एस. बनाएंगे, ऊड़ में 33 के.वी. का जी.एस.एस. बनाएंगे। आज तक नहीं बना तो उनका कहना बिलकुल ठीक है, उनके राज में इसी तरह का चलन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, रही बात एक्साइज पालिसी की, कौन नहीं जानता कि जब लाटरी से दुकानें निकलती थीं, तो जिसके नाम दुकान निकल गयी, उससे दूसरा आदमी उसको आन देकर, पैसे देकर वह दुकान चलाने के लिए लेता था, रिकार्ड पर उसी के नाम होती थी। पैसा, जिस आदमी की लाटरी खुल गयी, वह आन ले लेता था और दुकान वह आदमी चलाता था। आज पूरा सदन, अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो आपमें से कोई भी खड़ा होकर कह सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। यह अच्छा है कि इस बार वह सारा पैसा, जो किसी इनडिविजुअल के जेब में जा रहा था, वह स्टेट की जेब में आ रहा है। जितनी कीमत की दुकान है, बिजनस है, आप कम्पीटीशन से लो, उसमें क्या बुराई है। एक्साइज पालिसी आप लेकर आये थे और उस एक्साइज पालिसी में कोई कमियां, अगर सरकार के ध्यान में आती हैं, तो उसको ठीक करना अत्यन्त आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है, इन विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान की जनता के भरोसे पर स्टेट हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आज खाद्यान्न उत्पादन लें, कृषि के क्षेत्र में भी 271.33 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न के भण्डार राजस्थान के किसान ने भरे हैं, पिछले साल से ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने शिक्षा का एक फिगर रखूंगा, 12वीं कक्षा का, प्रतिपक्ष के उप नेता, फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लड़कों का परसेंट, जो 2018-19 में 41 था, वह बढ़कर 48 परसेंट हो गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): इसमें भी आपकी सरकार का सहयोग होगा?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): नहीं। आपका योगदान है। आप ही के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा पास हो रहे हैं। आप तो नकल मारकर पास होते थे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, यह मेरी अंतरंग बात इनको कैसे पता लगी? ये जासूस कौन है, जिसने आपको ये बताया मेरे बारे में?

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सभापति महोदय, नकल मारकर नहीं, दूसरा बैठता था इनकी जगह।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपके बारे में जानकारी की तो लोगों की पीएच.डी. है। छोटी-मोटी जानकारी हम भी रख लेते हैं।

ऐसे ही 10वीं के अन्दर भी माननीय सभापति महोदय, 2018-19 में 21 परसेंट फर्स्ट डिवीजन आए, जो 2019-20 में बढ़कर 23 परसेंट हुए।

अब जितने भी निर्णय शिक्षा विभाग में हुए हैं, सबसे खास 'नो बैग डे', जो आपने शनिवार का किया है। आप कभी स्कूल में जाकर बच्चों से बात करेंगे, शनिवार को क्या करते हो? बच्चे कहेंगे, हम कविता करते हैं, हम भाषण देते हैं, हम पेन्टिंग करते हैं, हम खेलते हैं। उस एक निर्णय से हमारे बच्चों की प्रतिभा का सर्वांगीण विकास होने का एक अवसर हुआ।

अभी जो आपने स्कूल के एनुअल फंक्शन बंद करवा दिये। मैं 12 जगह स्कूलों में जाकर आया। मजा आ गया। क्या हमारे बच्चों में प्रतिभा, किस बेहतरीन स्तर के वे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे पैरामीटर हैं स्कूल एजुकेशन के, कई स्कूल मुझे ऐसे मिले, मैं सोचता नहीं था कि इस लेवल पर स्कूल पहुंच गये हैं। फाइव स्टार स्कूल इनके पैरामीटर्स के हिसाब से, शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, उर्दू को लेकर एक कंफ्यूजन हो रहा है। सरकार यह नहीं समझे कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। उर्दू भारतीय भाषा है। गुजराती, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, ये जो भी आप एलीमेन्ट्री एजुकेशन में पढ़ाते हैं, उसको उसी संदर्भ में पढ़ाइये। आप जो उर्दू की किताब बांट रहे हैं, पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए भेज रहे हैं, उसमें लिख दिया कि मदरसों को दी जाएं। जयपुर के अन्दर जिन बस्तियों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे पहली से पांचवीं के हैं, एलीमेन्ट्री एजुकेशन की पांचवीं तक के स्कूलों में आप उर्दू की किताबें क्यों नहीं भेजते हैं। आपको, हम सबको यह ज्ञान होना चाहिए कि प्रेमचंद ने जो अपना उपन्यास प्रेमाश्रम लिखा था, वह चर्चित तो हिन्दी में लिखने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले, उसको पहली बार उन्होंने उर्दू में लिखा था और कल्ला साहब जानते होंगे, शीन काफ निजाम, कौन हैं?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): जोधपुर के शायर हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): शायर हैं, उनका नाम शिव कृष्ण कल्ला।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): नहीं बिस्सा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): शिव कृष्ण बिस्सा, यह उर्दू किसी धर्म वालों की या किसी जाति की विरासत नहीं है। यह भारत की विरासत है और भारत के करोड़ों-करोड़ों लोगों ने अपने योगदान से उर्दू को समृद्ध किया है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि शिक्षा विभाग इस भाषा के उन्नयन के लिए उसी तरह से काम करे और बीच-बीच में आपके ये जो डाइरेक्टर, एलीमेन्ट्री, वगैरह-वगैरह ने जो ऊटपटांग चिट्ठियां निकाली हैं, उनको विथ-ड्रा करें। एक भाषा के अध्ययन का मौका, जिस तरह संस्कृत को देते हैं, सिंधी को देते हैं, गुजराती को देते हैं, उसी तरीके से उर्दू को मौका दें, मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं।

अब माननीय सभापति महोदय, आजादी का 75वां साल 15 अगस्त को हम मना रहे हैं। राजस्थान में आज भी कितने निरक्षर हैं, उन निरक्षरों को पढ़ाने का काम कैसे होगा, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो फिगर मेरे पास, माननीय सभापति महोदय, उपलब्ध है, उसमें 4 लाख 20 हजार लोगों को इस साल गवर्नमेंट को साक्षर करना था, 'ईच वन, टीच वन', लेकिन वह काम नहीं हुआ। इस अभिशाप को ले करके हम नहीं चल सकते। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सरकार इसको अपनी प्राथमिकता पर ले। इसी तरीके से यह जो पुनर्भरण का काम है स्कूल एजुकेशन में आर.टी.ई. वालों का, उसके अन्दर भी लोगों को भुगतान नहीं हुआ है तो सरकार इस पर ध्यान दे।

अब, माननीय सभापति महोदय, हम लोग पुलिस की बुराई बहुत करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि जो भी अपराध हो, उसको एक आक्रामकता से रखें और पुलिस पर तोहमत बने। मैं यह स्वीकार करता हूं कि समाज के हर तबके के अन्दर गिरावट आयी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कोई ज्यादा तो नहीं, दो-तीन मामले आपके सामने निवेदन करता हूं। बाड़मेर जिले के मंडली थाने का पोक्सो एक्ट का मुकदमा, 7 साल की लड़की थी, उसको उल्टी-दस्त बता करके आनन-फानन में दफन कर दिया, लेकिन उस लड़की का डी.एन.ए. टैस्ट हुआ। मुलजिम के कपड़ों के ऊपर मानव वीर्य की उपस्थिति मिली और पता चला कि वह बलात्कार और हत्या का मुकदमा था। हमारी पुलिस नहीं होती तो क्या हम यह प्रमाणित कर पाते? इसी तरह से डूंगरपुर जिले का एक उदाहरण बताऊंगा। एक छोटी बच्ची अंधी थी, बहरी थी,

(श्री संयम लोढ़ा)

बोल नहीं सकती थी। उसके साथ रेप हुआ। कैसे पता लगाया जाए कि यह उसके साथ हुआ है? पुलिस ने 100 लोगों का डी.एन.ए. टैस्ट करवाया माननीय सभापति महोदय, और अपराधियों को सीख़चों के पीछे बंद किया। इसी तरीके से करौली जिले का यह एक मामला है। एक धार्मिक गुरू के द्वारा इस तरीके की घटना हुई, जिसमें पहले इसको दूसरा रूप दिया गया, लेकिन डी.एन.ए. टैस्ट हुआ। बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, उसको गिरफ्तार किया, जेल के सीख़चों के पीछे बंद किया। यह जिला जयपुर ग्रामीण, मनोहरपुर का मुकदमा है। 10 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका के क्षत-विक्षत शव की जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें पुलिस ने अपनी पूरी मेहनत से काम किया है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह विनती करूंगा कि हम हर घटना में मनोबल तोड़ने का काम नहीं करें। यह हमारे बच्चों को हमें ही समझाना पड़ेगा। यह बलात्कार करने वाले कौन लोग हैं। कोई बाहर से आये हुए हैं? हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं। हमें यह समझाना पड़ेगा कि स्त्री के प्रति उनका नजरिया कैसा हो, उनकी सोच कैसी हो, उनकी समझ कैसी हो। यह हम सबका सामूहिक दायित्व है। सिर्फ यह गिनाने से कि तुम्हारे राज में कितने बलात्कार हो रहे हैं, तुम्हारे राज में यह हो रहा है, उससे समाज ठीक नहीं होगा। यह हम सबका सामाजिक दायित्व है और हम लोग करेंगे तो ही जाकर के हम आगे बढ़ सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कोर्ट्स का निवेदन करूंगा। हमारे राजस्थान के अन्दर हाई कोर्ट में 50 फ़ीसदी से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। पिछले साल, करीब 10 महीने हो गये हाई कोर्ट के कोलेजियम को सिफारिश भेजे हुए। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के 25 लोग जीत करके गये हुए हैं। मुकदमों का अम्बार लगा हुआ है। पेशी पर पेशी पड़ती रहती है, निर्णय होते नहीं हैं। 482 के जो एफ.आई.आर. को चैलेंज करने के मुकदमे हैं, उनमें सालों साल नम्बर नहीं आता है। क्या भारत सरकार का यह दायित्व नहीं है कि वह इन सारे पदों को भरे, जिससे हमारी अदालतें ढंग से काम कर सकें।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सबओर्डिनेट कोर्ट्स में करीब 1 लाख 80 हजार 11 प्रकरणों का निस्तारण हुआ और उसमें दोष सिद्धि 93.35 परसेंट रही। इसी तरीके से आई.पी.सी. के जो

(श्री संयम लोढ़ा)

क्रिमिनल केसेस थे, वह अलग से मैं बताना चाह रहा हूं। उनमें 46,435 मुकदमों का निस्तारण हुआ और दोष सिद्धि 66.47% रही। एंटीकरप्शन डिपार्टमेंट के जो केसेज थे, उनमें 396 मुकदमों का निस्तारण हुआ और दोष सिद्धि 53.3% रही। महिलाओं के जो अत्याचार के प्रकरण हैं, 6,046 का 2020 में निस्तारण हुआ और उसमें दोष सिद्धि 25.3% रही। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के अगेंस्ट में 481 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें सजा का प्रतिशत 26.8 रहा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यह आंकड़े आपके माध्यम से सिर्फ इसलिए रखे कि मैं सरकार के ध्यान में यह ला सकूं कि जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं या अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति अपराध हैं, उनमें पैरवी कमजोर है। जो परसेंटेज आप दूसरे मुकदमों में सजा का देख रहे हैं, उससे आधा भी नहीं है तो सरकार को इसमें खास ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल केस के आधार पर निर्धारण करना चाहिए। आवश्यकता हो तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अन्दर गवर्नमेंट की ओर से इन मुकदमों की पैरवी के लिए शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और एट्रोसिटी अगेंस्ट वीमन के मामलों के अन्दर एडिशनल डाइरेक्टर का अलग से अपाइंटमेंट करना चाहिए, अलग से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लगाना चाहिए, जिससे इन मुकदमों के अन्दर सजा का प्रतिशत, बढ़ सके। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि हालांकि पिछली सरकार की तुलना में आप बेहतर हैं। आपका सजा का प्रतिशत इनकी तुलना में बैटर है। इनका तो 2018 का परसेंटेज 60.02 था। 2020 में आपका बढ़कर के 66.47 परसेंट है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो सिंचाई विभाग है, उसके काम में खास ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सुस्ती है। 2020-21 में जो सिंचाई परियोजना के लिए प्रोविजन था, माननीय सभापति महोदय, 3,192 करोड़ रुपये का और खर्चा कितना हुआ, 1160 करोड़ रुपये, तो इसमें खास ध्यान देने की जरूरत है। जो एडिशनल इर्रिगेशन फैसिलिटी 2020-21 में करनी थी, वह 45,154 हैक्टेयर में थी। हम कर कितनी पाये, 9,504 हैक्टेयर में, तो यह 20 परसेंट के आसपास सिंचाई विभाग की उपलब्धि है।

**श्री सभापति**: 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर खास ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आय कैसे बढ़ाएं। आप अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे, सरकारी सम्पत्तियों और सरकारी जमीनों पर दुनिया भर के कब्जे हैं। आपके देवस्थान विभाग की अपनी प्रोपर्टी अरबों रुपयों की है। यह मेरे पास देवस्थान विभाग का पूरा स्टैटिस्टिक्स है। यह प्रोपर्टी पूरे हिन्दुस्तान में देवस्थान विभाग की है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है कि इस पर ध्यान दे। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इन सारी परिसम्पत्तियों का राज्य हित में उपयोग करने की कोई नीति लेकर के आएं, जिससे आने वाले वक्त में राज्य हित में इनका उपयोग कर सकें। अब डी.एम.एफ.टी. है, एक इतना बड़ा फंड है, माननीय सभापति महोदय, जिसमें 4,384 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार के पास पड़े हैं और खर्चा कितना किया है, 1,076 करोड़ रुपये। जब आपके पास पैसा है और 900 करोड़ आपको इस साल मिलने वाले हैं, 300 करोड़ अगले साल और मिलने वाले हैं, तो इन सारे पैसों का जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे तो जिले में लोगों को जो रिलीफ मिलनी चाहिए, वह रिलीफ नहीं मिल सकेगी। इसी तरीके से यह जो स्टाम्प का रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें भी माननीय सभापति महोदय, अगर हम फिगर देखेंगे, तो जो टार्गेट हमेशा हर साल, पिछले 3 साल में रखे गये हैं, वे कभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन के माननीय नेता के जवाब देने व विनियोग विधेयक के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री नारायण बेनीवाल।

# विधेयक का पारण

## राजस्थान वित्त विधेयक, 2021

## राजस्थान विनियोग (संख्या 2), 2021

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक, 2021 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज सुबह माननीय कैलाश जी ने जिन शब्दों और जिन भावार्थों से इसकी शुरुआत की, बड़ा अच्छा लगा कि पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों का यह दायित्व भी है और हम जो नये चुनकर आते हैं, उनको आप जैसे लोगों से ही बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सामाजिक न्याय की जो बात कही, इसमें निश्चित रूप से जिस मुकाम पर हमें पहुंचना चाहिये था, उस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाये।

कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की बात अधिकतर माननीय सदस्यों ने कही कि कानून व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण हो, खाली पद भरे जाएं और पुलिस के आधुनीकरण की, जो आज मुख्य आवश्यकता है, क्योंकि साइबर क्राइम इतने हो गये कि उसके लिए कहीं न कहीं पुलिस के आधुनीकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पुलिस के आधुनीकरण में और ज्यादा बजट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

सबसे बड़ा मुद्दा, यदि हम राजस्थान को सब मिलकर एक उन्नत राज्य बनाना चाहते हैं तो प्रशासनिक सुधार की बात सबसे पहले है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रशासनिक सुधार में निश्चित रूप से हमें सदन में सच बोलने और सच सुनने का माद्दा पैदा करना पड़ेगा। यहां पक्ष और विपक्ष के अधिकतर सीनियर मैम्बरों ने एक पीड़ा जाहिर की थी कि जब सदन चलता है तो अधिकारी दीर्घा में कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों की उपस्थिति अपेक्षित है लेकिन इस प्रदेश में नौकरशाही शायद इतनी हावी है कि बार-बार चर्चा करने के बावजूद भी इसकी कमी कहीं न कहीं खली। निश्चित रूप से जब तक प्रशासनिक सुधार में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक एक उन्नत राजस्थान की कल्पना करना कहीं न कहीं बेमानी लगता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने लोकायुक्त की नियुक्ति की, उसके लिए आपको धन्यवाद लेकिन उनके लिए आवश्यक संसाधन जल्दी से जुटाएं, ताकि वह अपना कार्य शुरू कर सके। पूर्व सरकारों की जांचों को लेकर जो

(श्री नारायण बेनीवाल)

आयोग बनाये, उनका क्या हश्र हुआ? एक तरफ एक पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी, लेकिन भर्ती के लिए हड़ताल करने वाले युवाओं को, नौकरी पाने के लिए जो लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बना सकते। कहीं न कहीं समान रूप से आवश्यक कदम उठाने के प्रयास हम सबको मिलकर करने हैं।

टैक्स फ्री बजट की बात की, उसके लिए धन्यवाद लेकिन जिस तरह माननीय कैलाश जी ने बात कही कि कहीं न कहीं अगर हम छोटा-सा टैक्स भी लगा देते, क्योंकि जब तक रेवेन्यू कलेक्शन की बात ढंग से नहीं करेंगे, तब तक हम राजस्थान को उन्नत श्रेणी के राज्य में कैसे ले जाएंगे। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज बजरी की बात यदि हम करें, अभी जैसे माननीय संयम जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि कुछ केन्द्र सरकार ने कटौती कर ली, 15 हजार करोड़ की कटौती कर ली, बजरी में पचासों हजार करोड़ का मामला इस प्रदेश में हो गया, तो निश्चित रूप से हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि हम ऐसे कानून यहां बनाएं। आज बजरी माफिया हावी हो गया। खनन में हम स्पष्ट नीति नहीं ला पाये। आज हालात यह हैं कि पिछले चार-पांच साल से पहले की बात यदि हम करें तो चार-चार, पांच-पांच साल हो गये कई लोगों को खनन पट्टे मिले हुए। वह लोग ईसी. और दूसरे विभागों की एन.ओ.सी. के कारण आज अपना खनन का कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है और रायल्टी की बहुत बड़ी चोरी भी हो रही है। कहीं न कहीं इस मामले में ठोस कार्ययोजना की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस कर रहा हूं।

बजट का खर्च नहीं होना, अभी बहुत बड़ी खबर छपी थी कि नागौर जिले में पिछले साल की 70 प्रतिशत घोषणाएं अधूरी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इसमें भी कोई ठोस कार्ययोजना बने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की हम बातें सुनते आये हैं, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में यह लिखकर आया कि पिछले 6 साल में 25 हजार प्रदेश की स्कूलें बंद हो गयीं, जिसमें अगर हम मोटा-मोटा विश्लेषण करें तो 5,200 करोड़ का सरकार का बजट यूं ही धूल में चला गया। हम सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ही ऐसी योजनाएं न बनाएं। कई बार, जब सरकार का जाने का टाइम होता है तो बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर जाती है। जैसे किसान

(श्री नारायण बेनीवाल)

कर्ज माफी की बात है, वह भी बात मैं यहां करना चाहूंगा कि किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सत्ता में आयी, लेकिन उसके बाद कई चीजों के राइडर लगा दिये।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): सिर्फ सत्ता प्राप्ति हमारा मकसद नहीं हो। हम यह चाहें कि हमारा प्रदेश खुशहाल कैसे हो।

यदि चिकित्सा की बात करें, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटी-सी बात करूंगा कि धूल धूसरित हो रही 18 लाख की एम्बुलेंस, मरीजों को लाभ नहीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोटे से एक एम्बुलेंस दी। 6 महीने के बाद भी वह सिर्फ इसलिए चालू नहीं हुई कि उसको चलाने वाला नहीं है। सिर्फ आंकड़े बड़े बताने से कि हमने इतना खर्चा कर दिया, इतना हमने प्रोविजन कर दिया, उससे राजस्थान के हालात में सुधार नहीं होने वाला है। स्वायत्त शासन विभाग और खनन विभाग में इतना बड़ा पोटेंशल हमारे प्रदेश में है कि हम इससे बहुत बड़ी आय प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, निजीकरण की बातें सभी ने कहीं, लेकिन निजीकरण हो क्यों रहा है, उसकी तह में भी हमें जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी लगने के बाद काम करना नहीं चाहता और उसी का परिणाम यह है। अभी जैसे संयम जी ने 'नो बैग डे' की बात की। सरकारी स्कूलों में बच्चे बस्ता लेकर नहीं गये। उससे बच्चे सरकारी स्कूलें छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में चले गये तो कहीं न कहीं निजीकरण पर भी हमें बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर निजीकरण क्यों हो रहा है। बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर सरकारों ने सर्कुलर जारी किये कि हर विभाग में बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। करोड़ों रुपये सरकार के खर्च हो गये, लेकिन आज तक उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत मंत्री जी विराजमान हैं। विद्युत कम्पनियों की बात हमारे पूर्व मंत्री जी ने कही थी, लेकिन विद्युत में सबसे बड़ा घाटा विद्युत तंत्र में मैटेरियल खरीद का है और डिस्मेंटल का सामान जमा कराने का है। उसमें करोड़ों-अरबों की जो अनियमितताएं हो रही हैं, उन पर कहीं न कहीं हमको लगाम लगानी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी बैंकों की स्थिति को मजबूत करना और किसान, किसान की बात हम सब करते हैं...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री वासुदेव देवनानी।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): लेकिन किसान को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक राजस्थान जैसे प्रदेश की जी.डी.पी., और इसको उन्नत प्रदेश बनाने में हमारे प्रयास काफी कम हैं। दूसरा, राजस्थानी भाषा की मान्यता और स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कहीं न कहीं बजट में हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज तीसरे बजट सत्र में बजट पर चर्चा का आखिरी दिन है। एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल के साथ ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। पक्ष विपक्ष के लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। मुख्य मंत्री जी भी उत्तर देंगे और आंकड़ों के जाल में घुमाने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि वैसे हर सरकार प्रयास करती है कि प्रदेश की जनता को मूलभूत आवश्यकताएं मिलें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहकर अपना जीवन जी सकें, रोजगार के अवसर बढ़ें, सस्ता मकान मिले, उद्योग स्थापित हो व नवयुवकों को रोजगार मिले। लेकिन यह होगा कैसे? मैं आर्थिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर एक साधारण व्यक्ति के नाते मैं कह सकता हूं कि कर्जा उतना लिया जाता है, जितना अपने समय काल में चुकाया जा सके। कर्जा लेते जाएं, ब्याज बढ़ता जाए और ब्याज के लिए भी कर्जा लेते जाएं तो एक दिन व्यक्ति दिवालिया हो जाएगा। यही हाल आज पूरे प्रदेश का है। हम आर्थिक कुप्रबंधन के कारण आर्थिक दिवालियापन की स्थिति में आ गये हैं। हर वर्ष कर्जा बढ़ता जा रहा है। 2019-20 में आपका 3,52,701 करोड़ था, 2020-21 में 4,09,195 करोड़ हो गया, 2021-22 में बढ़कर 4,57,129 करोड़ हो गया। इतना कर्जा बढ़ता जाएगा तो कब चुकता होगा और विकास के लिए पैसा कहां होगा। यदि मैं आपको बताऊं कि हम जो एक रुपये का व्यय कर रहे हैं, उसमें से 11.29 पैसे तो केवल ब्याज की अदायगी कर रहे हैं, 7.1 पैसे से हम आंतरिक एवं केन्द्रीय ऋणों का भुगतान कर रहे हैं। 3.3 पैसे ऋण एडवांस में खर्च कर रहे हैं, 9.58 पैसा पूंजीगत परिव्यय कर रहे हैं और अपने पास ब्याज अदायगी के बाद केवल 70.9 पैसे बचते हैं एक रुपये में से, जिसमें से रेवेन्यू एक्पेंडीचर किया जाता है और उसमें से भी अधिकांश वेतन और पेंशन पर हमारा व्यय होगा तो कैसे विकास की इतनी सारी घोषणाएं यहां धरातल पर उतरेंगी।

आपके पास केन्द्रीय योजनाओं की जो मैचिंग ग्रांट है, उसका भी

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपने बजट में पूरी तरह प्रावधान रखा। जल जीवन मिशन के लिए आपको 50 परसेंट देना है। शिक्षा में, जो समसा के अन्तर्गत आता है, उसमें आपको 40 परसेंट देना है, लेकिन पैसा नहीं है। इसलिए वह पैसा भी पड़ा रहता है और उसकी जो योजनाएं हैं, वे समय पर जमीन पर नहीं आ पातीं। यह क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण है कि पूरा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता। आपका रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा? यह तो पिछले साल कोरोना की चर्चा हो रही थी। 2019-20 में आपका बी.ई. 73,742 करोड़ रुपये था, एक्चुअल 59,244 करोड़ रुपये है। यही 2020-21 में हुआ। 2020-21 का पूरा आंकड़ा आया नहीं, लेकिन आपने आर.ई. में ही घटा दिया। 2021-22 में आपने कहा कि 90,050 करोड़ होगा। कैसे होगा? यह राजस्व घाटा 134 परसेंट हो गया है। नतीजतन, हमारा राजकोषीय घाटा।

हमारे सिरोही वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि यह तो होता रहा है, बढ़ता है लेकिन आपका सीमा से बाहर जा रहा है। 35,922 करोड़ बढ़कर 58,608 करोड़ रुपये हो गया है। यह जी.डी.पी. का 6.12 परसेंट है, जो कि 3 परसेंट के अन्दर है। आप रोना रो रहे थे कि केन्द्र से पैसा नहीं मिलता। केन्द्र के अनुदान व सहायता में 109 परसेंट की वृद्धि हुई है। यह आपके आंकड़े कह रहे हैं, जो आपने टेबल में दे रखे हैं और आप कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा है। राजस्व प्राप्तियों का पता नहीं। इतना कैसे होगा, यह मुझे समझ में नहीं आता। रेवेन्यू कलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसके दो ही कारण होते हैं, एक तो प्रशासन की लचरता और दूसरा भ्रष्टाचार। प्रशासन में आप पोस्टिंग कैसे करते हो, एफिशिएंट लोगों को तो पोस्टिंग नहीं देते हो। केवल मेरा और तेरा। अगर किसी पर कहीं आर.एस.एस. का ठप्पा है, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री बैठे हैं, 600-600 किलोमीटर दूर बैठा देंगे, भले ही अच्छे रिजल्ट लाता हो, भले राजीव फाउंडेशन के हों। (व्यवधान) तुम्हारे तो राजीव स्टडी सर्कल से आता है, वह तो छोड़ें। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना जरूर कहूंगा कि आप यदि अच्छे योग्य लोगों को कलेक्शन पर लगाएंगे, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, उनको अच्छी जगह रखेंगे तो आपका निश्चित रूप से कलेक्शन भी अच्छा होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, कितना ही एफिशिएंट हो, लेकिन आपका नहीं है तो आगे जाएंगे और शिक्षा विभाग की चर्चा तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा।

स्किल डवलपमेंट, अच्छे बच्चे नहीं होंगे, स्किल यूनिवर्सिटी के क्या

(श्री वासुदेव देवनानी)

हाल हैं? वहां न तो कोई छात्र है, न कोई फैकल्टी है और राजस्थान में स्किल बढ़ाकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा है, पोस्टों का खाली होना। पोस्टें खाली होंगी तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? काम कौन करेगा? पोस्टें भरोगे नहीं। यह हर विभाग का हश्र है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और आप इसके अन्दर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगा तो आय नहीं बढ़ेगी तो खर्चा नहीं करोगे। खर्चा नहीं कर पाएंगे तो लोगों के लिए जो आपने बजट घोषणाएं की हैं, वे पूरी नहीं होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल वैलफेयर एक्टिविटीज हैं, शिक्षा का क्या होगा? निःशुल्क साइकिल व लैपटाप के 220 करोड़ रुपये पर आपने कैंची मार दी। आप कह रहे थे कि 22 हजार स्कूल नये खोलेंगे, आपने कितने खोले? एक दिन ही आप हमारे समय क्रिटिसाइज करते रहे। आपने कहा जीरो हरेसमेंट, जीरो टोलरेंस, जीरो करप्शन, लेकिन कहां है? जब तक आप पदोन्नतियां समय पर नहीं करेंगे, तब तक कर्मचारी का आगे काम करने का मन कैसे होगा? आपकी डी.पी.सी. बाकी है, पदोन्नतियां नहीं हैं, कर्मचारी कैसे करेंगे?

भ्रष्टाचार पर मेरा एक सुझाव है। शायद सभी लोग सहमत हों या नहीं हों, जिसके पास आय से अधिक सम्पत्ति हो, चाहे वह आई.ए.एस., आर.ए.एस. हो, चाहे राजनेता हो, चाहे राजनीति में काम करने वाला जन प्रतिनिधि हो, आय से ज्यादा जिसके पास सम्पत्ति है, उसको सरकार जब्त कर ले। आपका खजाना भर जाएगा। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। इस पर आप अगर प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि बोल्डनेस दिखाइये और आगे बढ़िए। ई-गवर्नेंस को बढ़ाइये। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, कहना आसान है। (व्यवधान) हां, मैं तैयार हूं, करिए, जिसके पास भी आय से ज्यादा सम्पत्ति हो, चाहे सदन का हो या बाहर का हो ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ रहिए, आप इनको इन्वाइट मत करिये, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूं। उनके नाम पर वोट भी बटोरेंगे, लेकिन जब शराबबंदी की बात आएगी तो रेवेन्यू की खातिर सिद्धांतों के साथ में समझौता करने में कोई पीछे नहीं रहता है। लिखा होता है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसे बढ़ाने और टार्गेट देने में सबसे अग्रणी रहेंगे। बकाया

(श्री वासुदेव देवनानी)

राशि वसूल नहीं होती, चाहे दस-दस साल हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि आय के साधन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कहां-कहां सम्पत्तियां पड़ी हैं, उनकी जानकारी करें। बेकार हैं, उनसे आय बढ़ाएं। देवस्थान विभाग है। देवस्थान विभाग की 143 सम्पत्तियां राजस्थान के बाहर हैं। उनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनकी कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। राजस्थान में भी जो सम्पत्तियां हैं, उनका भी कोई पता-ठिकाना नहीं है, तो फिर रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, ज्यादा खर्च कैसे करेंगे?

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): बेरोजगारों के लिए ज्यादा कुछ नहीं और कह रहे हैं कि केन्द्र से नहीं मिलता। आपको डिविजिबल पूल में पहले 2.31 परसेंट मिलता था, अब 2.45 परसेंट मिल रहा है। टोटल टैक्स रेवेन्यू में 5.5 परसेंट से 5.98 हो गया है। राजस्थान का हिस्सा बढ़ा है। आप खर्चा कहां कर रहे हो? आप बड़ी-बड़ी डींगें हांकते हो, लेकिन रूरल डवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन में 1,200 करोड़ रुपये का प्रोविजन 2020-21 की आर.ई. में था, वह आपने 795 करोड़ कर दिया। वाटर सैनिटेशन में 3,891.12 करोड़ रुपये था, आपने 3,709 करोड़ रुपये कर दिया।

एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. पर बहुत बड़ी बातें होती हैं। उसका बजट 1,979 करोड़ रुपये था, आपने इस बार बी.ई. 1,934 करोड़ कर दिया। नि:शुल्क जांच बढ़ाएंगे, बजट आपने घटा दिया। 2020-21 की आर.ई. 318.2 करोड़ रुपये थी, इस बार 242.16 करोड़ रुपये कर दिया। एग्रीकल्चर में बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं। एग्रीकल्चर में 2020-21 की आर.ई. थी, 13,782 करोड़ रुपये और आपने 2021-22 में बी.ई. 11,908 करोड़ किया। यानी कृषि में भी घटा दिया तो आप कृषि की क्या बात कर रहे हो? केवल यहां पर लोगों को आंकड़ों के जाल में, चूंकि क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, आप केवल सदन में आंकड़े देकर, आज बिल तो पारित हो जाएगा, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, संवैधानिक मर्यादा है, व्यवस्था है, लेकिन बजट में जब तक आप आय के साधन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप एक्सपेंडीचर कर नहीं पाएंगे। कालेज खोल दिये, कालेज में प्राध्यापकों का कोई प्रोविजन नहीं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई है, न अच्छे शिक्षक तैयार होंगे, न अच्छे विद्यार्थी तैयार होंगे, न स्कूल

(श्री वासुदेव देवनानी)

खड़े होंगे। केवल अपने वादे रखने के लिए, वोट की राजनीति के लिए नये-नये कॉलेज खोलते जाएंगे, नई-नई घोषणाएं करते जाएंगे। आय यदि बढ़ानी है तो खनिज की व्यवस्था करें, इंडस्ट्रीज को ठीक करें, इंडस्ट्रीज का वातावरण ठीक करें। लॉ एण्ड आर्डर ठीक होगा तो इंडस्ट्रीज भी आएंगी। इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए आप सस्ता कर्जा दें, बिजली सस्ती रखें। निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल आएंगे, तब जाकर काम होगा नहीं तो राजस्थान इस प्रकार का बजट पारित करेगा तो धरातल पर कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री बिहारीलाल।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): सभापति महोदय, आपने फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। टैक्स फ्री बजट की बात करने वाली सरकार, आज कैलाश जी ने आईना दिखाने का काम किया कि लोक लुभावनी बातें करने के लिए टैक्स फ्री बजट कह देना और वित्त विधेयक में कई तरह के पीछे के कानूनों में संशोधन करके वह काम भी कर देना, इसलिए लोक कल्याणकारी सरकार, उसमें टैक्स का प्रावधान भी करे, कोई बात नहीं, लेकिन क्षेत्र और प्रदेश का विकास होना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं पक्ष-विपक्ष की बातों में नहीं जाते हुए, सिर्फ तीन-चार मिनट में मेरी बात पूरी कर दूंगा। जो सरकारी की पालिसीज हैं, चाहे आबकारी नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे खनन नीति हो, उन पर दो-चार सुझाव देना चाहूंगा।

2021-22 की आबकारी नीति का जिक्र हुआ। इस नीति से बड़े-बड़े शराब माफियाओं का शराब के धंधे पर कब्जा तय हो गया और छोटे व्यवसायी बाहर हो गये। इस नीति से यह होने जा रहा है कि 01 अप्रैल के बाद पूरे प्रदेश में इतनी दुकानें हो जाएंगी कि पूरा प्रदेश झूमता हुआ नजर आएगा, इन घोषणाओं की खुशफहमी से नहीं, शराब के नशे में पूरा प्रदेश झूमता नजर आएगा। यह सरकार इस शराब नीति से करने जा रही है। लाटरी में शराब की बिक्री की मात्रा, सरकार ही वर्तमान में शराब की गारंटी बोलीदाता की बोली पर निर्भर है। इसका एक उदाहरण देखिए। हनुमानगढ़ में 62 लाख की एक दुकान पर 500 करोड़ रुपये की बोली लगी थी। जयपुर में ढाई करोड़ की एक दुकान पर 7-8 करोड़ की बोली लगी। माननीय सभापति जी, इस पालिसी का मजाक देखिए। किस तरह की ये पालिसी लेकर आये हैं, सी.एल. मार्जन से 40 से 30 प्रतिशत रह गया। पिछली शराब पालिसी में तस्करी की

(श्री बिहारीलाल)

सम्भावना कम थी। शराब सस्ती थी, तब इस शराब की दुखांतिका घटनाएं भी न के बराबर थीं लेकिन अब इसमें तस्करी भी बढ़ेगी, खूनी संघर्ष भी बढ़ेगा और शराब अत्यधिक महंगी होने की वजह से शराब की दुखांतिकाएं और शराब की तस्करी की प्रबल सम्भावना भी रहेगी। सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। गांधीवादी मुख्य मंत्री के राज्य में इस तरह की शराब पालिसी कतई उचित नहीं कही जा सकती।

सभापति जी, अक्षय ऊर्जा की, सोलर एनर्जी की पालिसी में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा इन्वेस्ट टू डवलपमेंट इन अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2019 में नई सौर एवं पवन ऊर्जा पालिसी बनाई गयी, परन्तु वर्तमान में रेगुलेटरी कमीशन द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, वह राजस्थान में सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा के लिए प्रतिकूल है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने हेतु राज्य में एक नये क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की खरीद तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और सब्सिडी का प्रावधान किया जाए। यह नया क्षेत्र खुल सकता है। प्रदेश के विकास के लिए इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कुसुम योजना, जो किसानों से जुड़ी हुई थी, में ब्याज दर ज्यादा होने व कोलेटेरल सिक्योरिटी मांगे जाने से कृषकों को लोन मिलने में परेशानी हो रही है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि डिस्काम द्वारा कुसुम योजना के अन्तर्गत लगाये गये सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित ऊर्जा का भुगतान समय पर हो, इस हेतु डिस्काम का एग्रीमेंट भी किया जाना चाहिए। जिस प्रकार एम.एस.एम.ई. उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा लोन लेने पर ब्याज में छूट दी जा रही है, उसी प्रकार कुसुम योजना के अन्तर्गत लगाये गये सोलर प्लांट को भी इसी तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा लोन में ब्याज छूट दी जानी चाहिए।

माननीय सभापति जी, औद्योगिक परिदृश्य, तीन बातों में बीकानेर क्षेत्र की स्थिति को बताना चाहूंगा। महोदय, वर्तमान में आप उद्योगों के लिए कई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, 2019; मुख्यमंत्री लघु ऋण योजना, 2019; एम.एस.एम.ई. आर्डिनेंस एक्ट; राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात पालिसी, 2019, बीकानेर के औद्योगिक जगत की मांग पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सरकार नये उद्योगों की कई तरीके से सहायता करती है।

**श्री सभापति**: एक मिनट में समाप्त कीजिए।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क, मंडी फीस, कई तरह की छूट देती है। साथ ही साथ इस प्रतिस्पर्धा में पुराने उद्योग टिक नहीं पाते, उनका भी ध्यान रखने का हमारा काम है। माननीय सभापति जी, बीकानेर में ड्राई पोर्ट की बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके, वरना गुजरात से हमारे व्यापारी को निर्यात करना पड़ता है और गुजरात का मार्का लगकर विदेश में निर्यात होता है। गुजरात को फोरेन करेंसी का फायदा होता है। बजरी की बात, पूरा प्रदेश चिंतित है। बीकानेर में, जहां कहीं नदी-नाले से बजरी नहीं निकलती, भूमिगत बजरी निकलती है, वहां भी ई.सी. अटकी पड़ी हैं, LOI जारी हो रखे हैं। पिछले एक साल से तो बीकानेर में बजरी की रायल्टी का ठेका भी नहीं हुआ और सरकार को पचासों करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। जिप्सम का भी पिछले एक साल से रायल्टी का ठेका नहीं है बीकानेर में। सरकार अपने राजस्व की भी चिंता करे। परिवहन में रेवेन्यू कलेक्शन का टार्गेट 31 मार्च, 2021 तक 6 हजार करोड़ था।

**श्री सभापति**: समाप्त कीजिए।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): माननीय सभापति जी, वह 15 सौ करोड़ का कम रहा था। ऐसे सरकार द्वारा ट्रकों को पीछे पड़कर परेशान किया जा रहा है। ये ट्रक वाले..।

**श्री सभापति**: श्री अशोक लाहोटी। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): 000

**श्री सभापति**: प्लीज, सहयोग कीजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन के नेता भी विराजमान हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सात मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, सदन के नेता आये हैं तो 5-7 मिनट तो एक्स्ट्रा दे दीजिए हम नये लोगों को।

**श्री सभापति**: प्लीज, सहयोग कीजिए, 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। कटारिया जी बोलेंगे।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं केवल इतना-सा निवेदन कर रहा हूं कि फाइनेंशल बिल और बजट की हम आज चर्चा कर रहे

(श्री अशोक लाहोटी)

हैं। आज अभी हाथ खड़े करवाकर थोड़ी देर में बजट पास भी होगा परन्तु यहां बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य यह मन में जान रहा है कि इस पूरे बजट सत्र के दौरान जो सवालों के जवाब आये और आज कांग्रेस के राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य से लेकर सभी लोग केवल केन्द्र सरकार पर क्यों बोले क्योंकि राजस्थान के बजट में इनके पास बोलने के लिए कोई बात नहीं बची।

सभापति जी, आज राजस्थान आर्थिक दिवालियेपन की तरफ जा रहा है। यदि मैं कहूं कि ये स्टेट फाइनेंशल पैरालाइज्ड होने की कगार पर आ चुका है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एप्रोप्रिएशन बिल एक में 36 हजार 253 करोड़ 95 लाख 88 हजार रुपये कंसोलिडेट फंड से ले रहे हैं और दो में 2 लाख 58 हजार 83 करोड़ 85 लाख 85 हजार रुपये कंसोलिडेट फंड से ले रहे हैं। हर वर्ष लेते हैं, लेकिन इस बार का आंकड़ा थोड़ा विचित्र है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इस बजट की पूरी कल्पना ही काल्पनिक है। जो बजट 2021-22 का आपने पेश किया है, वह इसलिए काल्पनिक है कि आपने 2021-22 के बजट का आधार 10 परसेंट से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार करोड़ कर दिया, लेकिन आपने इसके पेज नम्बर 15 पर लिखा है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 25.10 प्रतिशत की वृद्धि का आधार माना है बजट का। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि 2020-21 का बजट आपने पेश किया, उस समय आपकी क्या स्थिति थी? इसके बाद 2022-23 में आपने माना है, इस 25.10 के अलावा 11 प्रतिशत और वृद्धि होगी। यानी राजस्थान एक अकेला राज्य हो गया पूरे देश में, जो इस प्रकार की काल्पनिक वृद्धि ले रहा है।

आपके 2020-21 के बजट में माइनस 4.11 परसेंट, माइनस में रही आपकी वृद्धि। आपके 2019-20 का एक्चुअल आ गया, उस समय यह वृद्धि 8.38 थी। 2021-22 में ऐसा क्या जादू हो गया कि 25.10 प्रतिशत का आधार लेकर हमने बजट बनाया? जिस बजट का आधार ही नहीं है, वह बजट पूरा कहां से होगा। कल ही आप सब लोगों ने यह देखा होगा कि जिस प्रकार से एस.बी.आई. की यह रिपोर्ट आयी है, जो रिपोर्ट यहां पेश हुई है, उसमें साफ लिखा है कि नुकसान, यहां पर जितना हमने यह बजट पेश किया है, उस बजट में पूंजीगत व्यय कहीं नजर ही नहीं आता।

सभापति महोदय, 18-20 की वृद्धि यदि करंट प्राइसेस पर मानो, यदि महंगाई की दर 5 से 7 परसेंट हम कम भी कर दें तो करंट प्राइसेस पर 18 से 20 परसेंट आपने वृद्धि मानी है, यह किस प्रकार से सम्भव है?

(श्री अशोक लाहोटी)

**(16.56 बजे)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

मैं 2019-20 के एक्चुअल्स में बात करूंगा। इस बजट में तो आपने काल्पनिक रखा ही है, लेकिन 2019-20 का एक्चुअल आ गया। एक्चुअल में आपने रेवेन्यू रिसीट कही थी एक लाख 64 हजार करोड़ रुपये, आयी कितनी, एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये, यानी 14 परसेंट माइनस हमारी रिसीट आयी 2019-20 में आयी। यह हमारा आईना है। 2020-21 में दिसम्बर तक आपकी रिसीट, जो आपने आंकड़े दिये, उसका हमने टार्गेट केवल 48.83 परसेंट एचीव किया है। 2019-20 की यदि स्वयं के कर के राजस्व की हम तुलना करें तो हमारी 3.25 प्रतिशत वृद्धि रही है। 2020-21 में हमने 16.27 प्रतिशत वृद्धि मानकर बजट बनाया था, जो अगले वर्ष एक्चुअल आएगा। 2021-22 में हमने मान लिया कि हमारे स्वयं का राजस्व जो है, वह 30.72 प्रतिशत वृद्धि मानकर हमने यहां बजट पेश कर दिया। यानी बजट का हर आंकड़ा काल्पनिक रखकर हमने बजट पेश कर दिया और हम यह मान रहे हैं कि यह बजट धरातल पर ठीक उतरेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2019-20 के लक्ष्य की यदि बात करूं तो कुल राजस्व प्राप्तियां यदि हम देखें, तो हमारी माइनस 14 परसेंट के साथ-साथ, मैं 2015-16 से लेकर यदि आपको टेबल दूं तो 2015-16 में भी हर वर्ष राजस्व बढ़कर आता है। 2015-16 में 9.81 परसेंट बढ़ा था, 2016-17 में 8.72 परसेंट बढ़ा, 2017-18 में हमारा 16.77 परसेंट बढ़ा, 2018-19 में 8.30 परसेंट बढ़ा। केवल मात्र 2019-20 ही एक ऐसा आकलन हमारे बीच में आया है, जिसमें हमारा रेवेन्यू रिसीट केवल 1.63 परसेंट हमारे पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा। यानी हम वास्तव में कहां पर जा रहे हैं? हमारी रिसीट, उस साल तो कोई कोरोना भी नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, विकास व्यय की यदि हम बात करें तो 2018-19 में हमारा 7.07 परसेंट था बी.जे.पी. की गवर्नमेंट में और आपकी सरकार में आते ही यह घटकर 3.20 परसेंट रह गया। हम यदि दोनों को जोड़ भी लें, यदि गैर विकास व्यय को भी, तो भी कुल वृद्धि 2018-19 में 11.76 परसेंट थी और आपके समय में 3.16 परसेंट रह गयी। यदि हम टोटल आउटस्टेंडिंग की बात करें, जिसकी जी.एस.डी.पी. की अभी सभी लोग बात कर रहे थे, आज जी.एस.डी.पी. की हालत क्या हो गयी? आज जी.एस.डी.पी. की हालत यह है

(श्री अशोक लाहोटी)

कि हमारी जो टेबल है, इस टेबल को यदि हम देखें, तो आज हमारी आउटस्टेंडिंग, 2019-20 में हमने कहा था कि हमारी टोटल जी.एस.डी.पी. 10 लाख 24 हजार 304 के अगैन्स्ट में 3 लाख 39 हजार करोड़ का ब्याज, लोन रहेगा, 33.13 परसेंट हमने मानी थी। हमारा जब एक्चुअल आया तो हमारी जी.एस.डी.पी. संकुचित हो गयी। वह 9 लाख 98 हजार करोड़ रुपये आ गयी और हमारा जो घाटा है, वह बढ़कर 3 लाख 52 हजार आ गया। अब मैं यदि पिछले वर्ष की बताऊं तो अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि पिछले वर्ष हमने कल्पना की थी कि 4 लाख 9 हजार करोड़ हमारा लोन रहेगा और हमने उसी से जी.एस.डी.पी. कैलकुलेट की थी, जो 6.15, हमने 5 परसेंट अनुमानित मानी थी। हमारा एफ.आर.बी.एम. एक्ट को, वह हमारी बढ़कर 6.2 हो गयी और 6.2 ही नहीं हो गयी...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्लीज, वाइंड अप।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): ये दिसम्बर में बढ़कर 4 लाख 91 हजार करोड़ रुपये चला गया। मैं अगर यह कहूं कि अन्य राज्यों से यदि हम तुलना करें तो इस तुलना में यदि हमारा एफ.आर.बी.एम. एक्ट हमको कहीं नजर आता है तो राजस्थान, देश में सबसे उच्चतम स्तर पर हम चल रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि हम सबको मनन करने की बात है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं? एफ.आर.बी.एम. एक्ट को भी हम कहां लेकर जा रहे हैं? मैं अन्य राज्यों से तुलना करके अपनी बात...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, हो गया, 5 बजे बिलकुल खतम।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): जी साहब, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का बजट उस राज्य के भविष्य को दिखाता है। मुझे आज यह कहते हुए थोड़ा मन में दु:ख है और मैं चाहता हूं कि मेरी बात को नोट करके इसका जवाब वापस दें, तब तो कुछ अर्थ निकलता है। बाकी हम अपनी बात कहते हैं और आप अपने जो भी कागज लेकर आते हैं, वे रखते हैं और पास हो जाता है।

**(17.00 बजे)**

मैं बहुत विनम्रतापूर्वक, जितने भी अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी, इस कारण से नहीं कि मैं प्रतिपक्ष में हूं, इस कारण से कि शहर और इस राज्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की वास्तव में जो कुछ भी हालत है, उसको बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। जितनी भी घोषणाएं आपने इन तीन बजटों में की हैं, उनकी पूर्ति का जब आकलन किया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम पूर्ति में कहीं टिक ही नहीं पाते हैं। केवल और केवल हम, एक अच्छा बजट है, सब लोग इसकी तारीफ करें। यह विकास होगा, होगा कहां से? जब जेब में पैसे आएंगे, तब ही तो होगा, तभी तो खर्च होगा। मैं आपके तीनों सालों के, जो कुछ भी मेरे समझ में आया, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट है, वह तो अपनी जगह काम कर रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था। आपने 2018-19 में जो बजट पेश किया था, उसका अनुमान था 17 हजार 454 करोड़ रुपये हम राजस्व घाटे में हैं। जब साल का अंत हुआ, तब हम राजस्व घाटे में 28 हजार 900 करोड़ रुपये पहुंच गए।

इसी तरह से, आपने 2019-20 सैकण्ड बजट रखा, उसमें आपने 27 हजार 14 करोड़ रुपये घाटा माना था। यह घाटा 36 हजार 371 करोड़ पहुंच गया था। अभी आपने 2021-22 के बजट में जो घाटा अनुमानित किया है, वह 23 हजार 750 करोड़ रुपये है। मेरे हिसाब से यह 47 हजार करोड़ से भी अधिक घाटे के रूप में पहुंचेगा। इस पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम निरन्तर जो बजट में पेश करते हैं, जिसके कारण जनता को यह कहते हैं कि इतना ही घाटा होगा, लेकिन यह घाटा साल के अंत में बढ़कर इस तरह से चला जाता है। हमको अकाउण्ट के बारे में, जो भी इसको ठीक प्रकार से समझते हैं या तो बनाते समय हमारा अनुमान ठीक नहीं है या फिर हम काम करते-करते इसको ठीक प्रकार से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इस कारण से घाटा बढ़ता है।

इसी तरह से, आपका राजकोषीय घाटा भी है। एफ.आर.बी.एम. एक्ट तो आपको अलाउ करता है कि पहले तो तीन परसेंट तक करें। अभी आपने उसकी कुछ सीमाएं बढ़ाई हैं लेकिन यह 3 परसेंट से 3.71 गया था। उसके बाद आपका 2020-21 में 6.12 पर पहुंच रहा है। अभी आप बजट में जरूर हमें बता रहे हैं कि आपका राजकोषीय घाटा 3.98 होगा, पर मेरा यह कहना है कि यह 5 से भी अधिक बढ़ेगा। जिस प्रकार के आपने हमें आंकड़े दिये, उससे यह अपने आप में सिद्ध हो रहा है।

मैंने उस समय भी आपको कहा था कि हमारा कर्जा है, वह भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बेलिमिट बढ़ता जा रहा है। अभी आपने जो अनुमानित सोचा है, वह 4 लाख 97 हजार 129 करोड़ रुपये है, पर मेरा यह कहना है कि यह 5 लाख करोड़ से भी अधिक पहुंचेगा। इसको फाइनल करने के लिए, जब अगले साल बजट आएगा, तब आपको मानना पड़ेगा कि हमारा यह घाटा 5 लाख करोड़ से अधिक जाएगा।

अब मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूं। आपके इतने बड़े-बड़े अधिकारी बैठते हैं, जब बजट बनाते हैं और जब बजट की स्थिति आती है, तो कितना बड़ा अन्तर आता है, यह कोई देखने वाला है या नहीं है? मैं सोचता हूं कि 2019-20 का बजट तो पूरा हो गया। हमने बजट पेश किया था, बी.ई. ली थी। उसमें राजस्व प्राप्ति में हमने एक लाख 64 हजार करोड़ की मानी थी। बजट का जो अंत हुआ, वह हमारा राजस्व प्राप्तियों का हुआ एक लाख 40 हजार करोड़। इसका मतलब हमने जो अनुमान किया था, उस अनुमान से 23 हजार 890 करोड़ रुपये, छोटा-मोटा अमाउण्ट नहीं है। राजस्व प्राप्तियों में 23 हजार 890 करोड़ रुपये का हमको एक तरह से घाटा हुआ, या हम उसको अचीव नहीं कर पाये।

इसी तरह से, आपके पूंजीगत खाते में, जब आपने बजट 2019-20 बनाया था, बी.ई. में आये थे, तब आप 69 हजार करोड़ पर आये थे, जब एंड हुआ तो आपने यह पैसा नीचे तो कम खर्च किया और ऊपर लाकर बढ़ाया, तो इसको आपने 73 हजार 476 करोड़ रुपये किया। राजस्व व्यय में आपने सोचा, आपका बजट एस्टीमेट था वह एक लाख 91 हजार 19 करोड़ का था। एक्चुअल जो खर्च हुआ, वह एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। इसका मतलब 14 हजार 534 करोड़ रुपये, जो आपने सोचा, उससे भी कम हुआ।

पूंजीगत व्यय में भी, आपने इधर पूंजीगत व्यय कम किया। इसका मतलब जो विकास करना था, उस विकास के काम को नहीं करके, जो पैसा बचा है, उस पैसे को आपने एडजस्ट किया। आपने पूंजीगत व्यय सोचा था, 19 हजार 472 करोड़ रुपये, आप खर्च कर पाये 14 हजार 718 करोड़ रुपये, इसका मतलब 4 हजार 754 करोड़ रुपये आपने यहां विकास का कम खर्च किया। इसको वहां आपने पूंजीगत प्राप्तियों के साथ एडजस्ट किया है।

आपकी जो यह कुल प्राप्तियां थीं। जो आपने बजट अनुमान में सोचा था, 2019-20 का बता रहा हूं। हमारी फाइनेंशल व्यवस्था या फाइनेंशल डिपार्टमेंट किस प्रकार से इसको देखता है, किस प्रकार से इसको बनाता है और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अंत में जाकर कितना बुरी तरह से होता है। इसमें आपने सोचा था कि 2 लाख 33 हजार करोड़ रुपया हमारा होगा, यह 2 लाख 13 हजार करोड़ हुआ। लगभग 19 हजार 416 करोड़ रुपये इसमें से कम दर्शाया।

अब मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूं। हम उसको बनाते हैं केवल व केवल इसलिए कि इसकी प्रसिद्धि हो। 2020-21 का जो बी.ई. लाये थे, उस बी.ई. में आपने राजस्व प्राप्तियों में एक लाख 73 हजार करोड़ किया था। आपने इसका संशोधित अनुमान बनाया, अभी आपने ही बनाया, एक्चुअल तो आपका जब अकाउण्ट आएगा, तब आएगा, वह रह गया, केवल एक लाख 47 हजार। मतलब 1.73 आपने बी.ई. सोचा, आपके डिपार्टमेंट के विद्वान लोगों ने जब उसका आर.ई. बनाया तो यह 1.47 रह गया। इसका मतलब 2020-21 के बजट अनुमान से लेकर 2020-21 का जो संशोधित अनुमान है, इसमें जो कमी आयी है, वह 25 हजार 424 करोड़ रुपये की कमी आयी है। यह तो केवल आपका बजट एस्टीमेट और आपने रिवाइज एस्टीमेट बनाया, उसमें अन्तर आ रहा है।

इसी तरह से, बाकी सब में भी इसी प्रकार से अन्तर है। पूंजीगत प्राप्तियों में भी 47 हजार 812 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिखा है। आप इस बार जो एस्टीमेट बना रहे हो, थोड़ा-सा तो आपको पीछे ध्यान देना चाहिए, जब आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट इस साल का 147 करोड़ रुपये ही है रेवेन्यू रिसीट में। आप अभी जो बजट बना रहे हो, जो बजट आपने हमको दिया है, उसमें आपने दिया है एक लाख 84 हजार करोड़। आपका अभी पहले रिवाइज्ड बना, वह 1.47 का बना। आप अभी जो पेश कर रहे हो, वह 1.84 करोड़ का पेश कर रहे हो तो ऐसा क्या जादू होगा, या रेवेन्यू कहां से प्राप्त हो जाएगा, कहां से आप रेवेन्यू अचीव कर लोगे? आपका बेसिकली 2019-20 का बी.ई. था, वह 164 ही था, वह भी आप अचीव नहीं कर पाये। तो आप अभी एकदम बढ़ाकर 1.84 कर रहे हो यह आंकड़ों का खेल है। मैं सोचता हूं कि सच में हम धरातल पर नहीं हैं। कुछ दिनों पहले हमने आर.ई. बनायी, वह आर.ई. अगर 1.47 की बनती है, तो इस साल के अपन बजट एस्टीमेट में 1.84 कैसे कवर कर जाएंगे? एक लाख 84 हजार, यह मेरी समझ के बाहर है।

इसी तरह से, आपने पूंजीगत प्राप्तियों में, आपका अनुमान 2020-21 का था, वह 52 हजार 360 करोड़ का था। आपने इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट किया, आपके विद्वान साथियों ने किया, वह सीधा ही इन्होंने 52 हजार की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जगह एक लाख 172 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया। एकदम 66 हजार करोड़ रुपये का रिवाइज्ड एस्टीमेट बढ़ाया। अभी आप वापस डाउन हो रहे हैं। अभी आप एकदम डाउन करके, वापस केवल और केवल 66 हजार एक करोड़ की आर.ई. बना रहे हो, यह क्या खेल है? उधर आप एक लाख तक तो रिवाइज्ड में मानते हैं। इधर आप वापस आकर 2021-22 का बजट पेश करते हैं, तो यह 66 हजार का बन जाता है। आखिर आप यह किस तरह से चला रहे हैं?

राजस्व व्यय में भी ऐसा ही है। आपने 2020-21 का राजस्व व्यय एक लाख 85 हजार 750 करोड़ का बनाया था। अभी आप बना रहे हो, आप बी.ई. बना रहे हो, वह 2 लाख 8 हजार करोड़ का बना रहे हो, जो आप पिछली बार भी प्राप्त नहीं कर सके। यह आंकड़ों का जिस प्रकार से है, जिस प्रकार हम वापस रिवाइज्ड एस्टीमेट में जाते हैं, उस समय वह एकदम घट जाता है।

आपका 2020-21 का जो बजट अनुमान था, उसकी तुलना में 2021-22 का बजट अपन पेश कर रहे हैं, उसमें आप रेवेन्यू में वृद्धि बता रहे हैं, 10 हजार 925 करोड़, यह सम्भव नहीं है। इसी तरह से आप पूंजीगत में बता रहे हैं, 13 हजार 621 करोड़ की वृद्धि, यह सम्भव नहीं है।

इसी तरह से आप राजस्व व्यय में भी 22,330 करोड़ का बता रहे हैं, यह सम्भव नहीं होगा। यह केवल और केवल लुभाने वाली बातों की घोषणा करके आप लोगों को यह आकर्षित तो कर सकते हो कि हम इतना खर्चा करेंगे, यह विकास करेंगे, वह विकास करेंगे लेकिन आपके पास आएगा ही नहीं तो आप विकास करेंगे क्या? केवल लोगों को दिखाने की दृष्टि से ये सारे के सारे आंकड़े पेश किये जा रहे हैं।

अभी मैं आपको थोड़ा यह बताता हूं, सामाजिक। मैं सोचता हूं कि यह 2019-20 का जो बजट पूरा हो गया, वह तो अपने आप में एक आपका और मेरा, सारी सरकार का एक तरह से चित्र प्रदर्शित करता है। सामाजिक सेवाओं में हमने 84,815 करोड़ रुपया सोचा था, एक्चुअल में हमने खर्च कितने किये, 84,000 की जगह 74,000, इसका मतलब हम 11,000 करोड़ रुपये कम खर्च कर पाये, किस में? सामाजिक सेवाओं में।

अब हम एकदम जम्प लगा रहे हैं और 2021-22 में इसको हम 99,244 करोड़ पर ला रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह कैसे सम्भव होगा। 2019-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

20, 2020-21 का जो आपने यहां दिया है, और जो अब आप दे रहे हो, यह आपके फिगर्स आप अचीव नहीं कर सकोगे, यह मेरी गारंटी है। जब साल समाप्त होगा और जब इसकी अकाउंटिंग होगी, तब आपको स्वयं को अहसास होगा।

आर्थिक सेवाओं में भी पिछली बार जो बजट एस्टीमेट 2019-20 का था, जो 66,000 करोड़ का था, वह आपने 60,000 करोड़ तक का ही पूरा किया। वह आपसे पूरा नहीं हुआ। 2020-21 में जो आपने 58,930 करोड़ का एस्टीमेट सोचा था, उसको आप सीधा बढ़ा करके इस समय 64,000 लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह केवल आंकड़ों का मिलान जरूर होगा, लेकिन धरती पर आप इसको उतार नहीं पाओगे।

सामान्य सेवाओं में भी आपका यही है। 2019 का जो साल पूरा हो गया, आपने उसमें, BE में 59,073 करोड़ का सोचा था, उसमें एक्चुअल आपने 56,000 करोड़ रुपये किये। इसका मतलब 2,423 करोड़ रुपये कम खर्च कर पाये। अभी आप 2020-21 के अन्दर जो आप लाये हो, उससे भी आप एकदम बढ़ा करके, अभी आपका 62 था, आपने इसको 68 ला करके, अपनी कमी और अधिक दिखाने का प्रयास, वह केवल मात्र इन आंकड़ों में हो रहा है।

मैं सोचता हूं इन सब में ऐसे के ऐसा ही है। मैं सोचता हूं कि यह आपका पूंजीगत व्यय है, यह तो असैट बनाता है। जो आप बजट रखते हो, जिस विकास की घोषणा करते हो, उसकी 2019-20 की स्थिति क्या बनी, यह मैं आपको बता रहा हूं। कृषि में आपने 341 करोड़ रखा था, उसकी जगह आप 206 करोड़ खर्च कर पाये। कितने में से? 341 में से, केवल 135 करोड़ आपका रुपया तो जितना आपने सोचा, उससे भी कम खर्चा हुआ। ग्राम विकास के लिए भी आपने सोचा था कि 466 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, मैं 2019-20 का बता रहा हूं, और आप खर्च कर पाये 375 करोड़ रुपया।

इसी तरह से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, 207 करोड़ का सोचा था, उसके अगैन्स्टमें साल के अंत में केवल और केवल 103 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। आपने 103 खर्च किये और 104 बच गये। ऊर्जा, 2,767 करोड़ रुपया आपने सोचा था, आप 2,362 करोड़ रुपया कर पाये। 405 करोड़ रुपया तो आपने 2019-20 में जो बजट पेश किया, उसका पूंजीगत खर्चा नहीं हुआ, जिसका मतलब जिससे असैट बनता है, जिससे विकास के सारे के सारे मापदण्ड तैयार होते हैं, वह उसकी स्थिति बतायी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से सिंचाई में भी आपने 2,858 की जगह 2,249, उद्योग में आपने 135 करोड़ रुपया सोचा था कि 2019-20 में हम खर्च करेंगे। खर्च कितना किया? केवल 28 करोड़ रुपया। अब एकदम बढ़ा करके वापस दिखाना, परिवहन में 3,498 करोड़ रुपया खर्च का आप BE में लाये थे। आपने एक्चुअल खर्च 3,200 किया, अर्थात् 297 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ तो यह सारा मिला करके, ये सारे आंकड़े हैं। अब आपने यह दिखाने के लिए, 2020-21 के बजट अनुमानों की तुलना में 2021-22 के बजट अनुमानों में जो वृद्धि की है, वह आपने 262 करोड़ रुपये की कृषि में की। कुल आपका बजट कितना है, आपका कुल ही, सारा बजट 521 करोड़ रुपया है। जो पिछले साल था, वह 259 था। एकदम आप 262 करोड़ रुपये की इसकी वृद्धि कर रहे हो। इसलिए आप इतने, यह काम भी हम कर लेंगे, यह कर लेंगे, कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी आमदनी का सोर्स नहीं दिख रहा है। आमदनी का सोर्स दिखे और हो तो हम भी आपकी बात की तारीफ करेंगे, लेकिन हकीकत में आप दिखाते कुछ और हो, और यह जो आपके अकाउंट के कागज दिखाते हैं, ये कुछ और ही दिखाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप वह काम कहो, जो वास्तव में हम धरातल पर उतार सकें। केवल लोगों के दिमाग में हम यह बात कहें कि यह होगा, यह होगा। अंत में एक निराशा भी आती है, और दूसरा जो अव्यवस्था भी होती है, इन दोनों में आप डिटेल देखने का प्रयास करें।

अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी कमियां कहां रहती हैं। कमी कहां है? ये सब विद्वान साथी, जो आपके यहां बैठे हैं, कोई बजट को ठीक प्रकार से देखता नहीं है। यह गलती कहां रहती है? यहां रहती है। 2019-20 के दौरान कुल व्यय, जो हमने बजट का कुल सोचा था, 2,13,491 करोड़ रुपये का सोचा था, इसमें से केवल 70,536 करोड़ रुपया, इसका मतलब टोटल बजट का 33 परसेंट पैसा केवल लास्ट के तीन महीने में खर्च हुआ। लास्ट के 3 महीने में टोटल बजट का 33 प्रतिशत खर्चा, 70,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसमें से भी बड़ा आश्चर्यजनक है, यह जवाब देते समय देना कि केवल और केवल इस मार्च के महीने में, 43,563 करोड़ रुपया केवल 2020 के मार्च में खर्च किया है, जो आपने इधर से उधर अकाउंट एडजस्ट करके दिखाया है। एक महीने में आप खर्चा दिखा रहे हो। आपके टोटल बजट 2,13,000 में से 43,000 करोड़ रुपया केवल और केवल मार्च महीने में अपना खर्चा दिखा रहे हो। इसका मतलब, यह केवल बुक एडजस्टमेंट है। खर्चा जमीन पर हो ही नहीं सकता। यह केवल और केवल आप हमको दिखाने के लिए कर रहे हो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राज्य सरकार के कुल राजस्व का व्यय, थोड़ा-सा इस पर ध्यान दीजिए, 24 प्रतिशत खर्चा, कुल राजस्व का 24 प्रतिशत खर्चा मार्च, 2020 में हुआ है। 24 परसेंट पैसा केवल मार्च में हुआ है। इसी प्रकार 3,198 करोड़ पूंजीगत व्यय, यह भी केवल मार्च में हुआ। पूंजीगत व्यय का मतलब जो असैट तैयार करता है, जो विकास के काम के लिए हम पैसा लेते हैं, उसका 3,198 करोड़ रुपया केवल और केवल मार्च में हमने खर्च किया है। इसका मतलब हम बजट को किसी तरह से इधर से उधर एडजस्ट करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं।

अब ये जो आपके निजी निक्षेप खाते हैं, इसमें से आप अंतिम लेन-देन वर्ष के पश्चात्, वह तो खतम हो जाता है, यह आपका है, 2019-20 के दौरान 33,827 करोड़ रुपये राज्य की संचित निधि में से PD खाते में, यह अकाउंट एडजस्ट कहां होता है, ऐसे होता है, यह PD खाते में 23,574 करोड़ रुपया, कहां गया, PD खाते में, वहां से निकल गया, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट से निकल करके बुक एडजस्टमेंट के लिए कहां चला गया, PD खाते में जा करके जमा हो गया। यहां से निकल गया, इसका मतलब आपका काम पूरा हो गया। वहां जा करके वह पैसा डम्प हुआ तो विकास कैसे होगा, यह समझ में नहीं आता है। इसमें से भी आपको आश्चर्य होगा कि 4,936 करोड़ रुपया इस PD खाते में कब जमा हुआ है? मार्च के महीने में, जो 20 प्रतिशत पैसा है, वह मार्च के महीने में PD खाते में डाला है। यह अकाउंट ठीक है क्या? इस प्रकार की क्रिया करना, क्या हम जनता के प्रति वास्तव में न्याय कर रहे हैं कि हम पैसा यहां से निकालते हैं, जो जनता ने आपको खर्च करने के लिए दिया? जिसकी आपने घोषणा की, वह कहां चला गया? वह PD खाते में चला गया। मार्च के महीने में टोटल का 20 प्रतिशत 31 मार्च, 2020 को 1,845 करोड़ PD खातों में, मैं फिर कह रहा हूं कि 31 मार्च, 2020 को PD खातों में कितना, 1,845 करोड़, जो PD खाते हैं, उन खातों में 16,283 करोड़ रुपया आज की तारीख में वहां जमा है।

यह जवाब देना। क्या है कि आप बात तो कहते नहीं हैं, अपनी इधर-उधर कहकर चले जाते हो। इससे हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। हम चाहते हैं कि सरकार का जो पैसा है, वह खर्च करने के लिए, विकास के लिए है, लेकिन केवल बुक एडजस्टमेंट के लिए, यहां से निकालकर PD खाते में डालकर अपना अकाउंट साफ कर लेते हैं। मैं सोचता हूं कि यह अकाउंट की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब यह अनुपयोगी राशि, जो पड़ी रही PD खाते में, मैं आपको बताता हूं कि एक वर्ष से अधिक 291 खातों में आपका 161 करोड़ रुपया पड़ा रहा। एक वर्ष से अधिक 222 PD खातों में 153 करोड़ रुपया पड़ा रहा। दो वर्ष से अधिक 157 पी.डी. खातों में आपका 27 करोड़ रुपया, तीन वर्ष से अधिक 94 खातों में। इसकी लिमिट है कि पी.डी. खाते में कोई भी यह पैसा डालोगे तो पांच वर्ष तक तो रह सकता है। पांच वर्ष के बाद वह खाता अपने आप समाप्त करना पड़ता है तो जब आपको समाप्त करना पड़ता है, तब मजबूरन आप इधर से उधर एडजस्ट करते हो। अब तक आपके ये जो 773 पी.डी. खाते हैं, इनमें आपका 350 करोड़ रुपया तो यह पड़ा हुआ है।

अब मैं आपको डिपार्टमेंट के अनुसार बताता हूं। यह तमाशा यही है पी.डी. खाते का और अपन यह सोचते हैं कि हमने यह पैसा खर्च कर दिया, पर यह पैसा खर्च होता नहीं है। मैं आपको यह बताता हूं कि पीडी. खाते में यह जो आपकी राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर, इसके पी.डी. खाते में पड़ा है, 31.03.2018 को 467 करोड़ रुपया, 31.03.2019 को पड़ा है 1,057 करोड़ रुपया और अभी 31.03.2020 को पड़ा है 1,231 करोड़ रुपया। मैं एक डिपार्टमेंट का कह रहा हूं। एक डिपार्टमेंट का, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, इसका तीन साल का पैसा पड़ा है। ऐसे ही राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर, इसका 2018 में पड़ा है, 355 करोड़ रुपया, 2019 में पड़ा है 616 करोड़ रुपया और उसके बाद 2020 में पड़ा है 552 करोड़ रुपया। इसी तरह से शहरी आधारभूत संरचना के बारे में, इसमें 482 करोड़ रुपया, 578 करोड़ रुपया और 537 करोड़ रुपया पड़ा है। राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास, इसके पी.डी. खाते में पड़ा है, 751 करोड़ रुपया, 873 करोड़ रुपया और 415 करोड़ रुपया। इसी तरह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वर्ष 2018 में 165 करोड़ रुपया, 2019 में 226 करोड़ रुपया और 2020 में 363 करोड़ रुपया। जनजाति विकास, जहां पर वैसे ही पैसा कम मिलता है और वहां से भी जाकर पी.डी. खाते में पड़ जाता है। 103 करोड़ रुपया वर्ष 2018 में, 164 करोड़ रुपया वर्ष 2019 में और 296 करोड़ रुपया वर्ष 2020 में। यह कोटा स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा है, 168 करोड़ रुपया वर्ष 2018 में, 161 करोड़ रुपया वर्ष 2019 में और 193 करोड़ रुपया अभी वर्ष 2020 में। यह सारा मिलाकर मैंने जो टोटल लगाया है, वह वर्ष 2018 में आपका 30,300 करोड़ रुपया उसमें पड़ा है, पी.डी. खाते में और उसके बाद यह जो वर्ष 2019 में है, वह, नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सॉरी, 3,958 करोड़ रुपया और वर्ष 2020 में पड़ा है 3,498 करोड़ रुपया। यह बुकिंग एडजस्टमेंट है। पी.डी. खाते का मतलब केवल और केवल उस पैसे को, जो आपने इधर-उधर किया, उसको कहीं डालकर पूरा करने का यह काम जो हम कर रहे हैं, यह विकास को अवरुद्ध भी करता है और अकाउंटिंग सिस्टम को भी धराशायी करता है। मजबूरी हो, तब तो पी.डी. खाता हो, लेकिन इतने लम्बे समय तक पड़ा रहता है यह पैसा।

यह जो अपूर्ण कार्य परियोजना की लागत में वृद्धि, उस दिन आपने भी बहुत मन की इच्छा, मैं भी कई बार कहता हूं कि वास्तव में चाहे समय पर जो योजना बनाते हैं और चालू करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसकी जो रेट बढ़ती है और उसके कारण से जो समय का अपव्यय होता है तथा जो जनता के लिए फायदा होना चाहिए, उसके बारे में भी उसको भुगतना पड़ता है, उसका मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग सहित सभी निर्माण कार्य परियोजना की स्वीकृतियां यह निर्दिष्ट करती हैं कि स्वीकृत लागत तथा परियोजना की निर्धारित समय सीमा अथवा निष्पादन के लिए दिये गये कार्यादेश के अनुसार पूर्ण होना चाहिए। उक्त विभाग में 24,856 करोड़ रुपये की 90 योजनाओं में परियोजनाएं पांच वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़ी हैं। पांच वर्ष से अधिक समय से जो योजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं, उनमें जो यह पैसा है, हमारा 24,856 करोड़ रुपया उनमें लगा है। 16,558 करोड़ रुपये के जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 34 काम हैं, वे आपके पैंडिंग पड़े हैं। उनमें से 7,905 करोड़ रुपये के 42 काम जल संसाधन विभाग के आज की तारीख में पैंडिंग पड़े हैं।

अब इसका थोड़ा-सा मैं आपको यह चार्ट दिखाता हूं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का, मूल लागत थी चम्बल से भरतपुर जलापूर्ति योजना, यह आपकी 166 करोड़ रुपये की थी। यह 166 करोड़ रुपये की योजना आपके 2020-21 में 548 करोड़ रुपये में पूरी हुई। कब? वर्ष 2011-12 की योजना, 2011-12 की योजना, उसका एस्टीमेट था 166 करोड़ रुपया और आपने इस वर्ष 2020-21 में जब इसको पूरा किया तो इस पर खर्च हो गया 548 करोड़ रुपया। अब इसको कौन देखेगा? विभाग का अधिकारी ही नहीं देखेगा तो फिर काहे को विभाग चला रहा है? अगर हम कोई नई योजना बनाकर जिस पुराने काम को डम्प करते हैं तो उसकी रेट कितनी बढ़ती है और उसके कारण से यह नुकसान भी होता है और जो जनता को लाभ मिलना चाहिए, वह समय पर नहीं मिल पाता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती जलापूर्ति योजना, यह 478 करोड़ रुपये की थी। कब थी? वर्ष 2010-11 की और इसकी पूर्ति हुई वर्ष 2021-22, यह अभी 2021-22 जो चल रहा है, इसमें अब तक आपका 567 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अभी भी यह पूर्णता की ओर नहीं है।

आर.डब्ल्यू.एस.एस., पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना जलापूर्ति योजना, यह 966 करोड़ रुपये की योजना थी वर्ष 2013-14 की, अभी इसमें वर्ष 2021 -22 में जो खर्च हो गया 966 करोड़ रुपये की जगह 1,454 करोड़ रुपया। यह विभाग का काम है, यह विभाग के अधिकारियों का काम है कि कम से कम जो योजना शुरू हो गयी, वह अगर समय पर पूरी हो जाए, तो यह जो पैसे का दुरुपयोग होता है, और जनता आपको और मुझे यह पैसा सुपुर्द करती है, न तो उसको लाभ मिलता है और रेट के बढ़ने के कारण से नुकसान और हो गया।

इसी तरह से बारां क्लस्टर परियोजना, 69 करोड़ रुपये की थी, वर्ष 2016-17 की योजना थी। अभी वर्ष 2020-21 तक इसमें 158 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं तो इस तरह से यह जो मूल लागत थी, यह 1,681 करोड़ की जो चार योजनाएं मैंने आपको बतायी हैं, उनमें वास्तव में खर्च कितना हुआ? 1,681 की जगह पर 2,728 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। डिले हुआ जो अलग है। इस कारण से, कोई भी समय पर मानिटरिंग नहीं करता है, इतने बड़े-बड़े लोग वहां पर बैठते हैं, मैं सोचता हूं कि अगर यह दुर्गति होती है तो बहुत ही दुखद है।

इसी तरह से आपने यह देखा होगा कि सड़क विकास निर्माण के लिए, मरम्मत और उन्नयन और रख-रखाव के लिए पैट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पाइंट पचास रुपये, मतलब पचास पैसा प्रति लीटर का कर, उप कर लगाकर राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का गठन किया। जो पैसा आपने जिस काम के लिए किया, उस काम में भी आप खर्च नहीं करते हो। उसको भी आप कहीं न कहीं पैंडिंग में पी.डी. खाते में डालकर उस पैसे का एक तरह से, आपके पास यह पैसा है, उस काम को करने के लिए, जिसके लिए आपने यह सैस लगाया है, उस सैस का परपज ही खतम हो जाता है। राज्य सरकार को वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2019-20 तक डीजल-पैट्रोल के उप कर के रूप में 9,255 करोड़ रुपया कुल आया। 9,255 करोड़ रुपया एकत्रित किया व वर्ष 2019-20 में, आपको इस साल में 1,422 करोड़ रुपया और एकत्र हो गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने 4,367 करोड़ रुपया शेष छोड़ते हुए बाकी, जो है न आपने, जो रुपये हैं, वे स्थानांतरित नहीं किये। मतलब, उस पी.डी. खाते में जहां पर पड़ा है पैसा, वहां पर ही पड़ा है, जहां पर जाना चाहिए, वहां पर नहीं गया।

राज्य सरकार को सम्बन्धित वर्ष के अंत में उप कर की सम्पूर्ण राशि आर.एस.आर.डी.एफ. को स्थानांतरित करनी थी। यद्यपि वर्ष 2019-20 में 4,347 करोड़ रुपया स्थानांतरित होने से आज भी बकाया है। जो पैसा आपको मिल गया सैस के माध्यम से, वह पैसा भी आप सम्बन्धित डिपार्टमेंट को देकर उसका उपयोग करने के लिए इसको नहीं कहते हैं।

इसी तरह से जल संरक्षण उप कर निधि, राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा पर 10 पैसा प्रति यूनिट की दर से जल संग्रहण उप कर लगाना प्रस्तावित किया। इसका उपयोग राज्य के जल संरक्षण के उद्देश्य से होगा। वर्ष 2016-17 में जल संरक्षण उप कर निधि का गठन किया गया। वर्ष 2018-19 तक 920 करोड़ रुपया और अभी 2019-20 का 86 करोड़ रुपया, यह कुल 1,006 करोड़ रुपया इस निधि में आपको मिला था, जो भी आज की तारीख तक आपके उसी फंड में पड़ा है। जिसको यह जाना चाहिए था, वह पैसा उसको ट्रांसफर नहीं हुआ है।

राजस्थान भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण निधि, यह गरीब के भले के लिए अपन ने यह टैक्स लगाकर उस पैसे से, उसके जीवन को अच्छा बनाया जाए, उसको जो सहयोग दे, उसके लिए बनाया था। राजस्थान सरकार ने 03.04.2009 को राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण निधि का गठन किया है, जिसमें अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम लाभार्थियों को अंशदान तथा ऐसे अन्य स्रोत, जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये, उसमें यह सभी प्राप्तियां जमा होती हैं। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 अवधि के दौरान निर्माण परियोजना में सैस के रूप में 412 करोड़ रुपया सम्मिलित करते हुए 2,743 करोड़ रुपया, जो कुल आपके पास आया था, उसमें से भी अभी तक 482 करोड़ रुपया, यह जिनको ट्रांसफर होना था, उनको ट्रांसफर नहीं हुआ है। वह पैसा आज भी आपके पास पैंडिंग पड़ा है। जिस काम के लिए आपने यह टैक्स लगाया, लोगों से लिया, उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार ने 2019-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

20 में कुल उपयोगिता प्रमाण पत्र, आप बार-बार शिकायत करते हो कि केन्द्र से हमें पैसा नहीं मिलता, केन्द्र से पैसा नहीं मिलता। आप उसकी यू.सी. नहीं भेजते हो। आप उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जो समय पर भेजना चाहिए, उनका राइडर लगाओ, इतना आएगा, तब ही जाकर आपको अगली किस्त रिलीज होगी। इसमें डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, जिसको यू.सी. समय पर इकट्ठा करके नहीं भेज पाते। उसके कारण से राज्य को नुकसान होता है। उनकी थोड़ी सी कमी के कारण से घाटा राज्य की जनता को बर्दाश्त करना पड़ता है। राजस्थान सरकार में 2019-20 में कुल 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया राशि 940 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पेश ही नहीं किये। आप शिकायत करते हो कि केन्द्र हमें राशि रिलीज नहीं करता। आप उसका सर्टिफिकेट भेजोगे, तब जाकर वे अगली किस्त जारी करेंगे। यह 940 करोड़ रुपया, जबकि यह राशि सरकार की निधि में दी जा चुकी है। पंचायती राज विभाग में 236 करोड़ के 372 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत ही नहीं किये गये। इसी तरह से परिवार कल्याण विभाग के 260 करोड़ के 22 उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक पेश नहीं हुए। शहरी विकास तथा आवास विभाग के 240 करोड़ के 35 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं हुए उसके कारण से आपको अगली किस्त नहीं मिल पायी।

मैंने आपको 770 का जो आंकड़ा बताया था, वह 2016-17 से है। 2016-17 से 43, 2017-18 में 128, 2018-19 के 599, सब मिलाकर 770 होते हैं, जिनमें 940 करोड़ रुपया हमारा आना बाकी रह गया। इसके नीचे जो आपने दिया, उसमें से यह सारा डिटेल दिया है कि किस विभाग के कितने-कितने हैं। इसमें हरेक विभाग के हैं। परिवार कल्याण के है 22, शहरी विकास के हैं, पंचायती राज के हैं। सबसे ज्यादा पंचायती राज के 372 ही हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 179 प्रमाण पत्र जाने चाहिए थे, वे आपके नहीं जा पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं। हम सबको मिलकर देखना चाहिए कि जो पैसा हमने बजट में घोषित किया, वह पब्लिक के लिए किया। देने वाली भी पब्लिक है और वापस जाने भी उसी के पास हैं। हम तो केवल और केवल उसके कस्टोडियन हैं। हमारा काम इस देश के लोकतंत्र ने और महात्मा गांधी की कृपा के कारण से उस व्यक्ति के पास पैसा जाए, जो उसके लिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वास्तव में योग्यता रखता है या जिसके जीवन में बदलाव के लिए जरूरी है। एक जगह से इकट्ठा करते हैं, दूसरी जगह पर देकर समानता में लाने के लिए सरकार आप चलाओ, चाहे हम चलाएं, पैसा न तो आपका है, न मेरा है। पैसा तो राजस्थान की सात करोड़ जनता के खून-पसीने का है लेकिन, चूंकि हमारे पास आता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं रहती कि इसको वापस उसी ढंग से हम खर्च करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि राजस्थान गरीब नहीं है। राजस्थान बहुत शक्तिशाली राज्य है। अगर हम सब लोगों का दिल और दिमाग इस बारे में बने कि हम रेवेन्यू कहां-कहां से ला सकते हैं, जिसके कारण इन योजनाओं को पूरी करने में हमारी पूरी मदद हो सकती है। मैं देवस्थान का मंत्री भी रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अकेला देवस्थान विभाग, इतना रिच है कि अगर इसके लिए ठीक प्रकार से कोई इसकी मानिटरिंग करे तो खरबों रुपये की सम्पत्ति है। एक-एक जगह से अगर आप हिलाओ, मेरे अकेले ऋषभदेव को भी आप टटोलो न बार-बार, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। जितनी भी माइंस हैं, लोगों ने जिस ढंग से भी किया है, इतनी रेवेन्यू देने वाली वह जगह है। इस प्रदेश से बाहर हमारी कई सम्पत्तियां हैं, जिन पर लोग कब्जा करके वर्षों से बैठे हुए हैं। हम हर बार कागज चलाते हैं, फाइलें बनाते हैं, मुकदमे करते हैं। मुकदमों की पैरवी कोई होती नहीं है। वह सारी प्रोपर्टी दबाकर बैठे हैं। अगर हमारी मंशा हो, तो केवल और केवल देवस्थान की प्रोपर्टी का भी अगर ठीक प्रकार से उनका मूल्यांकन हो जाए, उनका वैरिफिकेशन हो जाए, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने जेवरात हैं, मैं आपको सही कह रहा हूं कि सही कितना है और गलत उसमें आकर कितना डम्प हो गया, क्योंकि कोई भी उसकी इन्वेन्ट्री की मानिटरिंग नहीं करता है। हर साल उसकी चैकिंग नहीं होती है कि जो सामान हमने अन्दर रखा, वह है या वह सामान ही बदल गया। लेकिन, इसके बारे में किसी को भी इस बात की चिंता नहीं और इस डिपार्टमेंट को ऐसा समझते हैं कि यह देवस्थान तो ऐसा ही डिपार्टमेंट है कि अन-नोन, जो चाहता है, उसको पकड़ा दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि सबसे रिच डिपार्टमेंट है। अगर ईमानदारी से इसका पालन करें तो हम कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह जो खनन नीलामी का अधिकार हमको मिला है, ईमानदारी से राजस्थान खनिज में बहुत रिच है और आज भी इल्लीगल खनिज इतना होता है कि हमारा करोड़ों-अरबों रुपया, जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गैंग है, वह इसका फायदा उठाती है। अगर हम इस पर कंट्रोल करें न, केवल और केवल इल्लीगल खनिज को रोककर अधिकृत रूप से भी उसको नीलामी के आधार पर दें तो हमको रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें से मिल सकता है। सरकार का पैसा लोगों के पास, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के पास फंसा हुआ है। हम उनसे वसूल करने का प्रयत्न करते हैं तो वह कोर्ट में जाकर एक बार स्टे ले लेते हैं। फिर 10-15 साल तक कोई अधिकारी उसको देखने वाला नहीं है। मैं सोचता हूं कि एक बार किसी अधिकारी को लगाकर जितनी भी पैंडेंसी है, आज की तारीख में लोगों में बकाया है, बैठकर सैटलमेंट हो। जिस तरह भी हो, लिटिगेशन से बाहर निकलकर इस सारे पैसे को लेने का अगर प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से हमें काफी पैसा मिल सकता है।

इसी तरह से, सरकारी जमीन पर इतने कब्जे हैं, अगर कोई इसकी चिंता करे और ऐसी सारी प्रोपर्टी को अपने कब्जे में लेकर, जैसे कभी-कभी हम यहां जे.डी.ए. से सुनते हैं कि आज इसने 100 बीघा का कब्जा छुड़ाया, आज 200 बीघा छुड़ाई। यह केवल जे.डी.ए. यहीं नहीं है, पूरे राजस्थान का कोई ऐसा एरिया नहीं है, जहां इस प्रकार की जमीनों पर लोगों ने कब्जा नहीं कर रखा है।

मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आज जैसा शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टैक्स लगाना कोई गुनाह नहीं है। अगर टैक्स नहीं लगाते तो राजस्थान और हिन्दुस्तान इतना विकास की ओर आता क्या? पैसा तो वहीं से आया न, तो मैं सोचता हूं टैक्स लगे। जो क्षमतावान हैं उनसे वसूल करना पड़ेगा और जो मदद के लायक है, उसको मदद पहुंचानी पड़ेगी। यही लोकतंत्र का तकाजा है पर मैं सोचता हूं कि इसके बारे में हम कोई ज्यादा चिंता नहीं करते हैं।

इस समय पूर्व जो बातें थीं, वह मैंने आपको बता दीं। इसी तरह से आपने देखा होगा, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आपके यह जो दो-तीन विभाग हैं, जो एस्टीमेट बनाते हैं, आपके एक्स.ईएन., ए.ईएन., जे.ईएन. हैं, ये सब एस्टीमेट गलत बनाते हैं। मेरी गारंटी है कि आप 100 बड़ी योजनाओं को छांटकर जो एस्टीमेट उन्होंने बनाया और जिसके आधार पर हमने उस पर पैसा खर्च किया, उसका सही माप अगर आपकी कोई इंजीनियर की टीम निकाले, तो यह जिस प्रकार का एस्टीमेट बनाकर 30 परसेंट, 40 परसेंट से बिलों इसलिए जाते हैं कि पहले ही उसकी कीमत को तीन गुना बनाकर आपके और मेरे सामने रखते हैं। न तो आप टैक्निकल आदमी हैं, न मैं टैक्निकल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आदमी हूं। इसके कारण से हम तो सोचते हैं कि हमको काम कराना है। लेकिन, सच्चाई मैंने अब की बार अनुभव की उदयपुर में, क्योंकि मेरे महापौर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बना तो 25 लाख का एस्टीमेट ढाई लाख में बनता है। इसका मतलब इस पर मानिटरिंग के लिए अलग से टीम बनाओ। वह विभिन्न जिलों में से कम से कम टैस्ट चैक करे कि वास्तव में यह एस्टीमेट बनाया है, यह कितना सही है, गलत है। इसके आधार पर भी अगर हम कार्यवाही करें तो निश्चित रूप से सही जगह पर पहुंच सकते हैं।

मैं सोचता हूं कि वित्त विधेयक में अभी आपने 900 करोड़ रुपये की छूट दी है। जिसको छूट मिलती है, वह स्वागत करता है, इसमें कोई दोराय नहीं, पर आखिर सरकार को अपनी इतनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा भी तो कहीं से चाहिए। केवल और केवल यह सोचें कि नहीं, जनता खुश रहनी चाहिए, यह मकसद नहीं होना चाहिए। जनता खुश तब रहेगी...। जो आज जरूरत महसूस करता है और जिसको विकास चाहिए, उस तक विकास पहुंचाने के लिए हमको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ये जो कुछ डिपार्टमेंट्स की कमियां मैंने आपको गिनाई हैं, कुछ नमूने मैंने दिये, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इन कमियों को अगर पूरा करें, तो मैं सोचता हूं कि इसी पैसे में हम इससे भी अधिक विकास करने की स्थिति में हैं। यही आपसे निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्या 2) तथा राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्या 3) पर अपने विचार पक्ष-विपक्ष के सब सदस्यों ने रखे हैं। अभी नेता, प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात हम सबके सामने रखी है। मुझे खुशी है कि सबने अपने विचार खुल कर रखे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी सदस्य बोलते हैं तो मैं पूरी जानकारी रखता हूं कि क्या बोला है, क्या उनकी भावना है, बल्कि ध्यान भी रखता हूं कि कोई इम्पोर्टेंट पाइंट छूट नहीं जाए।

कैलाश मेघवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने खुल कर अपनी बातें रखीं। अगर आप खुल कर हमेशा बोलते रहते तो और ज्यादा ज्ञानवर्धन सबका होता। सामाजिक न्याय की बात भी आपने की, मेरे दिल को छूने वाली बात थी। अभी हाल ही दांडी मार्च पर मैंने कहा है कि मानवता पर

(श्री अशोक गहलोत)

कलंक है कि आज भी छुआछूत है। उसमें सब बात आ जाती है, जो आपने भी कही। मुझे इस बात का अफसोस भी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हैडलाइन्स ये बननी चाहिए कि राजस्थान का मुख्य मंत्री यह कह रहा है कि यह मानवता पर कलंक है। हम जब गांधी जी की बात करते हैं और दांडी मार्च में प्रधान मंत्री जी भी सम्मिलित हुए साबरमती आश्रम से, अच्छा लगा हम लोगों को, एक नया मैसेज देंगे पूरे देश को। गांधी जी की क्या सोच थी, सत्य अहिंसा की बात वे करते थे, सामाजिक न्याय की बात वे करते थे और उसी रूप में सब-कुछ हो रहा है देश में, और बदलाव हुए हैं। मैंने भी कहा कि प्रधान मंत्री जी के लिए मौका अच्छा है कि मोहन भागवत जी से बात करके ऐसा माहौल बनाएं कि छह साल में क्या हुआ, वह भूल जाओ। अब जो कैलाश मेघवाल जी ने आज कहा, मैंने सुना। सद्भावना की बात नहीं हुई यहां पर। मैंने उस दिन कहा कि सद्भावना की नई शुरुआत करो देश के अन्दर, प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, ऊंच-नीच की और भेद मिटाने की, और आपको मालूम है मैंने तो सरकार में शांति व अहिंसा का, हमने विभाग बना दिया है, प्रकोष्ठ बना दिया है। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि अगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहेंगे तो कभी हो सकता है कि हम लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन, हमारे स्पीकर साहब भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने उठाया है सदन में, तो कभी आप आदेश देंगे तो मैं समझता हूं कि इस पर कभी एक दिन की पूरी चर्चा भी हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने आंकड़ों से बहुत ही लम्बी-चौड़ी बात की। पहले दिन ही कहा कि, भई, हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, मैकेनिकल एक्सपर्ट नहीं हैं, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं हैं। यह तो आपने ठीक कहा तो अपन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्या हम लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं? जो आपने करोड़ों-अरबों रुपये की बातें कहीं हमारे सामने, कुछ काम तो हमें अकाउंटेंट पर; डाइरेक्टर, बजट पर; सैक्रेटरी, एक्सपेंडीचर पर; सैक्रेटरी, रेवेन्यू पर छोड़ने चाहिए। अगर हम इस रूप में बात करेंगे हाउस के अन्दर, हाउस में पैरामीटर की बात करें कि पैरामीटर किस दिशा में जा रहे हैं। उस पर आलोचना करना बनता है हरेक का और हमें जवाब देना बनता है। किस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? किस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं या क्यों बढ़ रहा है 3 परसेंट से ज्यादा? एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2005 आपके वक्त बना था, उसको संशोधित करने की नौबत क्यों आ गयी राजस्थान के अन्दर भी? भारत

(श्री अशोक गहलोत)

सरकार क्या एडवाइजरी जारी कर रही है? भारत सरकार की खुद की स्थिति क्या है वहां पर? यह एक नीतिगत बात है कि किस प्रकार के पैरामीटर हमारे देश के अन्दर केन्द्र के हैं और राज्य के हैं।

अगर हम पी.डी. अकाउंट की बात को लेकर पूरी स्पीच दे देंगे, तो आप तो मंत्री रहे हैं, पी.डी. अकाउंट का अपना एक महत्व होता है। किस प्रकार एडजस्टमेंट करना पड़ता है गवर्नेंस का चैनल करने के लिए।

आपने देवस्थान की बात कही। आपने कहा, वहां तो अभी वैसे ही भेज देते हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसे ही भेज देते हैं, सोच-समझकर भेजते हैं। वसुन्धरा जी ने आपको सोच-समझकर वहां भेजा होगा, क्योंकि आप, आप जिस समाज से आते हो वह तो है ही है, पर साथ में आप इन बातों का महत्व समझते हैं तो यह आपके मुंह से सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि हरेक को ऐसे ही भेज देते थे। क्या आपको ऐसे ही भेज दिया वहां पर? ऐसे ही भेज दिया? गृह मंत्री बनाया, देवस्थान भी आपको दिया, सोच-समझकर दिया होगा। आपने कहा कि अरबों-खरबों की प्रोपर्टी है और बहुत कुछ हो सकता है तो फिर आपके वक्त में क्या हुआ, वह बताना चाहिए था आपको। यह सब जानते हैं कि, भई, बहुत-कुछ प्रोपर्टी है, वाराणसी में भी, इलाहाबाद में भी, हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी, भरा पड़ा है प्रोपर्टीज से, और 50, 60, 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं। उसमें आपने क्या किया या क्या करना चाहिए? यह सदन को आप अवगत कराते, मुझे खुशी होती, ज्ञानवर्धन होता कि इसमें यह-यह किया जा सकता है। मेरा अनुभव कहता है, मैं मंत्री रहा हुआ हूं यह आपने एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं अभी आपको कुछ पैरामीटर बताऊंगा, क्योंकि आपने पिछली बार भी कुछ बातें ऐसी कहीं थीं और कहने में आपका जो तरीका है, ऐसा लगता भी है कि वास्तव में सिर्फ आप सच बोलते हो, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हो। ऐसा लगता है, होता नहीं है। वह होता नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हैडलाइन चुरा ली आपने अखबारों के अन्दर, ढ़ाई साल में 01 लाख 80 हजार युवाओं को नौकरी की घोषणा की, मिली मात्र 13 हजार, हैडलाइंस अख़बारों के अन्दर और ऐसे, इस प्रकार बोले आप, जैसे कि इससे कोई बात सच्ची तो हो ही नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, और हमने भी कहा, हमारे वक्त की नौकरियां आपने लगा दीं। आप

(श्री अशोक गहलोत)

जैसे वरिष्ठ नेता, आप नेता, प्रतिपक्ष भी हैं, अगर आप यह कहें तो आपको सोचना चाहिए था कि जब आपकी गवर्नमेंट आयी थी 2013-14 के अन्दर तो हमारी गवर्नमेंट की नौकरियां, 2 लाख की घोषणा की हुई थी हम लोगों ने, हम लोग 70 हजार ही लगा पाये तो एक लाख 30 हजार से अधिक नौकरियां आपने लगायीं। हमारी घोषणा की हुई थी। जब वे आप लगा सकते हैं तो क्या आपकी नौकरी की घोषणा की हुई, हम लोग रोक देते उसको? यह तो परम्परा पहले ही चली आ रही होगी, जो नौकरी की घोषणा होती है, हाई कोर्ट में रुक जाती है और हमारे वक्त में तो हाई कोर्ट में रुकने का एक नया इतिहास बन गया। आपकी सरकार बनी, आपने उस काम को आगे बढ़ाया, नौकरी लगायी तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, लोगों का भला हो गया। इसमें शिकायत की बात यह की आपने कि हमारे वक्त की नौकरियां लगी हैं 13 हजार, वह तथ्य ठीक नहीं है, असत्य है। मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से नौकरियां लगी हैं, आप देखिएगा। अभी तक हमारे वक्त में 97 हजार नौकरियां, नियुक्तियां दी जा चुकी हैं राजस्थान में। लगभग 17 हजार भर्तियों के परिणाम जारी किये जा चुके हैं या परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं और शीघ्र ही नियुक्तियां दे दी जाएंगी। नम्बर तीन, लगभग 37 हजार भर्तियों हेतु विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और जल्दी ही परीक्षा आयोजित करवाकर नियुक्ति दे दी जाएगी। लगभग 23 हजार भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो साल, सवा दो साल के अंतराल में, कोविड भी आ गया था, हमारे द्वारा 1 लाख 70 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिये जाने की प्रक्रिया का सम्पादन मात्र दो साल में किया जा रहा है। 13 हजार नौकरियां, हम सकते में आ गये, मैंने भी सोचा, भई, नेता, प्रतिपक्ष कह रहे हैं, पता नहीं सोच-समझकर कह रहे होंगे। यह इस प्रकार से बात कहना एक बात होती है। आपने कह दिया, आयुर्वेद विभाग के अन्दर, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ देखा आपने उस वक्त में, जब आप बोल रहे थे, मैं ध्यान रख रहा था और बड़े ही आपने इस रूप में कहा, 2019-20 में सिर्फ 111 करोड़ रुपये वास्तविक रूप से खर्च हुए जबकि मालूम है आपको कि 922 करोड़ रुपये खर्च हुए। 922 करोड़ रुपये खर्च हुए। आप कह रहे हो 111 करोड़, और खर्च हुए 922 करोड़, बताइये आप। कहां से आप आंकड़े लाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आंकड़े गलत हों तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपके कागजों से ही दिये ...(व्यवधान) मैंने मेरे घर से नहीं निकाला, 111 की जगह मैं 120 निकाल सकता था न। (व्यवधान)

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): मैं कौनसा घर से लेकर आया हूं। मैं भी वहीं से लेकर आया हूं। जहां से आप लाए, वहीं से मैं लाया हूं। बस, फर्क इतना ही है कि हम सरकार में हैं और आप सरकार में नहीं हैं। आंकड़े वहीं से आते हैं, पर सोचिएगा कब तक के आंकड़े लाए, कहां से 111 करोड़ रुपये? यह मानने वाली बात थी? हमने अभी और बजट बढ़ाकर के, रिवाइज्ड बजट में हमने 966 करोड़ रुपये रखे थे। उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। 19.46 प्रतिशत, 188 करोड़ रुपये बढ़ाकर के, 2021-22 के बजट में हमने 1,154 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कैसे कह सकते हैं कि आपने 111 करोड़ रुपये खर्च किये? साथ में, कोरोना की जंग का मुकाबला करने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान था। इसको जोर देकर के कहने की जरूरत क्या थी कि 111 करोड़ रुपये खर्च हुए? आप यह बताना चाहते थे कि आप आयुर्वेद विभाग की उपेक्षा कर रहे हो। आयुर्वेद विभाग इतना इम्पोर्टेंट है कोरोना काल के अन्दर भी, और आप लापरवाही कर रहे हो, यह आपकी मंशा थी। इसलिए आपने ये फिगर दिये थे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कहना चाहूंगा कि आपने कहा, पेपर लेकर आते हो, बोलते हो, मेरा जवाब नहीं देते हो। आप मेरे आफिस आइए। मेरे रेजीडेंस आइए। मैं आपके यहां आ जाऊंगा। बैठकर बात करते हैं। जो भी आपकी शंकाएं हैं, अधिकारियों को लेकर मैं आता हूं, आपकी सारी शंकाओं का मैं समाधान कर दूंगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन सदन को गुमराह मत करो। जिस रूप में आप बोलते हो, ऐसा लगता है कि आप बिलकुल सच बोल रहे हो। असत्य भी सच की तरह बोलना आता है आपको। असत्य भी सच की तरह बोलना आता है हमें, कोई कमी भी कहीं पर आने नहीं देते हो आप। बताइए आप, कमी नहीं आने देते हो आप। लगता है कि वास्तव में सच ही बोल रहे होंगे आप लोग।

मैंने आपको कई बार समझाया, प्राइवेटली भी समझाया, गुस्सा मत किया करो आप। जैसे कल किया आपने गुस्सा। निकाल दो गुस्सा। अध्यक्ष महोदय, अच्छा बोलते-बोलते जैसे ही माइक पर आ जाते हैं हमारे सामने, बस फिर तो उसके बाद में तू, तां में आ जाते हैं। आप, आप से सीधा शिफ्ट करते

(श्री अशोक गहलोत)

हो तू, तां पर। कितना बड़ा फर्क आप में आ जाता है, बताइए। कौनसा आपके अन्दर जो, क्या कहते हैं?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिन्न**,** जिन्न।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): कौनसा भाव, कौनसा भाव आपमें पैदा होता है, यह रिसर्च का विषय है। इतने अच्छे शब्द काम लेते-लेते सीधा आप आते हो तू, तां, तू, तां। पता नहीं क्या तू, तां, तू तां। धारीवाल जी।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भैरूं जी चढ़ जाते हैं।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): भैरूं जी चढ़ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान से जो 25 सांसद हैं, राजस्थान की जनता ने छप्पर खोलकर के 25 सांसद जिताकर भेज दिये बी.जे.पी. के। मैं चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष से अपील करूंगा, मैंने पहले भी बार-बार कहा कि कोविड के बाद में स्थिति बहुत बदली है देश की। आपने अभी कहा कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि यह भावना आपकी अच्छी है कि सबको मिलकर के काम करना चाहिए। पैसा जो है, पब्लिक से आता है, पब्लिक में जाता है। हम लोग तो कस्टोडियन हैं। हम लोग ट्रस्टी हैं। बिलकुल ठीक कहा आपने। उसी रूप में हर सरकार काम करने का प्रयास भी करती होगी। फिजूलखर्ची करती है तो हम लोग आरोप लगाते हैं आपस के अन्दर कि यह फिजूलखर्ची हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष ने कहा पिछली बार, क्योंकि हालात बड़े गम्भीर हैं, कोविड के बाद में अर्थव्यवस्था बहुत डिस्टर्ब हुई है दिल्ली के अन्दर भी और राज्यों के अन्दर भी, 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधान मंत्री जी ने घोषित किया था। कोई काम का नहीं रहा। वह लोन बेस था। राज्यों को इमदाद नहीं मिली और कुछ नहीं हुआ। आप कहते हो बार-बार कि आप केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हो और यू.सी. नहीं भेजते हो। यू.सी. का क्या सम्बन्ध है आरोप लगाने से, बता दीजिए, नेता, प्रतिपक्ष। यू.सी. तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की होगी। यहां मामला हजारों करोड़ का है। बताइए आप, कैसे करेंगे? अच्छा मुझे लग रहा था, जब आप बोल रहे थे कि बजट इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अच्छा लग रहा था। जो चिंता मुझे, मेरे साथियों को होनी चाहिए थी, वह चिंता आप करते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा विश्वास के साथ में कि बजट पूरा करके दिखाएंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

पिछली बार आपने क्या कहा कि अभी दिसम्बर में 60 परसेंट ही पैसा खर्च हुआ। चिंता कर रहे थे आप। 60 नहीं हुआ, मैं बताऊं आपको? आपका ट्रैक रिकार्ड अच्छा नहीं है। जब-जब आप सत्ता में रहे हो, आपका ट्रैक रिकार्ड अच्छा नहीं है। पता नहीं आप अपने अनुभव जब लेते हो, सरकार में होते हो, कैबिनैट में बैठते हो, वह अनुभव काम लेते हो या बोलते वक्त में लेते हो, मुझे पता नहीं। आपने कहा 60 परसेंट है जबकि 31 दिसम्बर तक 62.25 परसेंट खर्च हो चुके थे। हमें विश्वास है कि हम 31 मार्च तक अधिकांश बजट को पूरा कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष को क्या अधिकार है यह कहने का कि आपने 60 परसेंट ही खर्च किया। आपके वक्त में तो 46.51 परसेंट खर्च हुए एक साल में। आपके वक्त में 2014-15 में हुआ 46.51, 2015-16 में हुआ 50.72, 2016-17 में हुआ 63.45, 2017-18 में हुआ 49.50 और जब चुनाव हुआ 2018-19 का तब आपने खर्च किया 60.14 परसेंट। हो सकता है वह 60 आपको याद रह गया होगा। वही बात हो गयी, इसलिए आपने कह दिया। 60 आपका 2018-19 का है। हमारा अभी 62.15 है और आपका ट्रैक रिकार्ड यह है, जो मैंने अभी सदन को सुनाया है। आप बता दीजिए मुझे। किस प्रकार आपने यह बात कही कि क्या करोगे आप? कैसे पूरा करोगे? आप ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हो पब्लिक को, जैसे कि यह खाली बस लीपापोती हो रही है। घोषणाएं हो रही हैं। आज आपने शब्द काम में नहीं लिया, ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्योंकि उसका कोटा पिछली बार पूरा कर दिया था आपने बोल-बोलकर के, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कोटा पूरा हो गया, इसलिए आज आपने मेहरबानी रखी, ताली नहीं बजवायी।

अब मैं आपको कहना चाहूंगा, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, कि आपने पिछली बार कहा कि सिर्फ 2 बार, 10 साल में रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। घाटे में ही चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल में, 12 साल में 2 बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ है। वह तीनों बार आपके वक्त में नहीं हुआ। मेरे वक्त में हुआ है। आप क्या बताना चाहते थे मुझे पता नहीं। 2010-11 में, 2011-12 में और 2012-13 में, 3 बार रेवेन्यू सरप्लस रहा है राजस्थान में 12 साल के अन्दर। आपके वक्त में माइनस में, 3215 करोड़ रुपये, 2015-16 में 5,954 करोड़, 2016-17 में 18,114 करोड़, 2017-18 में 18,534 करोड़, 2018-19 में 28,900 करोड़। अब आप बता दीजिए। अब हमारे वक्त में अभी हमें तकलीफ आ रही है, क्योंकि कोविड के हालात आप जानते हो, क्या

(श्री अशोक गहलोत)

स्थिति बनी होगी और ऊपर से केन्द्र सरकार की नीतियां हैं। मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से केन्द्र सरकार राज्यों के साथ में व्यवहार कर रही है, राजस्थान के साथ में, उसके कारण हो रहा है। अब हमें चिंता लग गयी है कि आने वाले वक्त में क्या होगा? अगर कटौतियां होती जाएंगी केन्द्र से तो कैसे काम चलेगा?

अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, एक तरफ तो आपके कारण, कि आपकी सरकार गयी थी तो किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा कर गयी 8 हजार करोड़ के और बांटे खाली 2 हजार करोड़। प्रोविजन था ही नहीं। आने के बाद में 6 हजार करोड़ हमने बांटे। आपने चुनाव की घोषणा होने के 2 दिन पहले 832 रुपये सब्सिडी, बिजली के नाम से, किसानों को दे दी।

**(18.00 बजे)**

चुनाव जीतना था, परन्तु आप जीत नहीं पाये और उसका कोई प्रोविजन किया भी नहीं आपने। अब हमने क्या किया? आपकी बात को रखने के लिए, कितना ध्यान रखते हैं हम आपका, आपकी बात रखने के लिए, अगर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है, अब उसको विड्रा मत करो, हमने उसको बढ़ाकर, और ताकतवर बनाकर, एक हजार रुपये प्रति माह, 12 महीने मिलेंगे।

आपने सड़कें, चुनाव आनन-फानन में जीतने के लिए, बनाओ सड़क, बनाओ सड़क, वह तो आपकी सरकार की फितरत भी है कि आप बिना टेंडर के ही ठोक देते हो, करो, देखी जाएगी, ठेकेदार रोता रहेगा, आप तो आगे बढ़ें। वह द्रव्यवती नदी रो रही है। अभी तक पानी ही साफ हो नहीं रहा है। वह ठेकेदार रो रहा है, पेमेंट हो नहीं रहा है क्योंकि खड़े-खड़े ही ठोक दिया। ठोको, सौ-दो सौ करोड़ की परवाह ही मत करो, आप तो ठोक दो काम को। कानून बनाया है हमने इस असेम्बली के अन्दर पारदर्शिता का, कोई ध्यान नहीं रखा। क्या ठाठ हैं आपके? काम करने का तरीका भी वही है, गवर्नेंस तो कोई सीखे आपसे और आपकी मुख्य मंत्री, तत्कालीन मुख्य मंत्री से सीखे। बोलने में कोई जवाब नहीं उनका। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप बताइये कि किसानों की कृषि का बीमा, 1,500 करोड़ रुपये आपने दे दिये। कोई बात नहीं, आपकी स्थिति नहीं है, भूल भी गये। भूल भी जाते हैं आप तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे कृषि मंत्रीजी क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, आपको मालूम था कि आपने

(श्री अशोक गहलोत)

पैसा नहीं दिया है कृषि बीमा का, इंश्योरेंस कम्पनी को और 2 साल का बकाया चढ़ गया है। हमारी गवर्नमेंट बनी है, हम पहले का बकाया चुका दें फिर वह किसानों को मिलेगा। आप यहां किसान की पैरवी कर रहे थे कि पैसा नहीं चुकाया जा रहा है। गलती आपकी और मैसेज पब्लिक को क्या है? देखिए, नई सरकार आयी है और चुका नहीं पा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि महिलाओं को आपने नहीं बख्शा। पिछली बार कहा था कि आपने 2 परसेंट उनका भी समाप्त कर दिया। दस परसेंट डी.एल.सी. कम करने के साथ में, हमने खतम नहीं किया है। डी.एल.सी. अलग है और स्टैम्प ड्यूटी अलग होती है। महिलाओं को स्टैम्प ड्यूटी में दो परसेंट छूट थी। अब भी मिलेगी, यह मैं कहना चाहता हूं, आप चिंता न करें। हां, हमारे कुछ प्रोग्राम आपने बंद कर दिये थे। दो रुपये जो पशुपालकों को मिलते थे प्रति लीटर दूध के, वे आपने बंद कर दिये। पहले आपने इंटरेस्ट फ्री लोन बंद कर दिया किसानों का। जब दबाव आया तो आपने वापस शुरू किया। आपकी सरकार की नीतियां वही हैं कि पहले की सरकार के फैसले बदलें कैसे? सरकार बदलती है तो आप ढूंढ़ते होंगे कि किस-किस फैसले को बदल सकते हो। हम गेहूं के लिए दे रहे थे डेढ़ सौ रुपये बोनस, वह आपने बंद कर दिया, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को हमने दे दी पे स्केल नई, कैसे दे दी पिछली गवर्नमेंट ने? उसको बंद कर दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, शानदार बना देश के लिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा, ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गये हैं। डाक्टर मनमोहन सिंहजी और सोनिया गांधीजी की सोच थी वह। उसमें भी आपने आते ही नाम कटाना शुरू कर दिया वापस, नाम में जोड़ दिये, एक्स्ट्रा नाम कई जोड़ दिये। भाई, गेहूं मिलेगा, कई लोग नहीं लेंगे तो गरीब आदमी के काम आ जाये, लेकिन क्यों? क्यों काम आ जाए? उसमें भी नाम कम कर दिये। हमने दो रुपये किलो से एक रुपये किलो किया, आपने वापस दो रुपये किलो कर दिये। वास्तव में मान गये आपको। शासन करने का आपका अलग तरीका है। अलग-अलग तरीके होते हैं आपके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में कुछ तकलीफें हैं, जिनमें हम पक्ष और विपक्ष क्यों नहीं मिलें? क्यों नहीं हम लोग मिलकर 25 सांसदों को भी कहें, आप भी कहें, आप भी कह सकते हो, आपके पूनियां साहब बैठे हैं, ये तो हाई कमान हैं सब एम.पीज. के, नमस्कार चिरंजीवीजी, नमस्कार, हम क्यों नहीं राजस्थान के हितों की बात

(श्री अशोक गहलोत)

करें, कामन जा करके। जैसे मैं बार-बार कहता हूं कि आपने बनाई योजना पूर्वी राजस्थान के लिए, ई.आर.सी.पी., पैरवी हम कामन क्यों नहीं कर सकते हैं कि वह राष्ट्रीय परियोजना लागू हो, घोषित हो। 16 परियोजनाएं चल रही हैं। हमारे नेता नये बने हैं, चीफ व्हिप साहब, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं हमारी। आपने हमारे उप नेता का काम हल्का कर दिया। अब आपको बोलने का टाइम ज्यादा मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि यह ऐसी योजना है, ऐसी योजना है जो 13 जिलों के काम आएगी। वसुन्धराजी ने और सबने मिलकर बनाई। देखो, आपके खाते में जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो तो मैं तैयार हूं, फ्रेम करने के लिए कि किस प्रकार से आपने सोचा होगा पर मेरे दिल में, जैसे रिफाइनरी के लिए संघर्ष किया था, उसी ढंग से संघर्ष करने के लिए तैयार हूं ईआर.सी.पी. के लिए। यह मैं कहना चाहता हूं। प्लीज, प्लीज, प्लीज, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, कृपा करके आप इस पर विचार करें क्योंकि आपका बड़ा दिल है, आप पुराने वरिष्ठ नेता हैं। इसको तो हमें करवाना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि करवाकर ही रहेंगे। करवाकर ही रहेंगे, यह भावना हम सब में होनी चाहिए पूरे हाउस की, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। वह भी प्रधान मंत्री के श्रीमुख से निकला हो तो क्या कारण है कि नहीं हो सकता? खाली याद दिलाने की बात है उनको। तो आप याद दिलाएंगे, हम भी याद दिलाएंगे। मैं समझता हूं कि यह मिलकर भी कर सकते हैं। यदि पोलिटिक्स कहती है कि मिलकर नहीं करना है, मैसेज गलत जाएगा, दिल्ली के हाई कमान में आपके लिए, विशेष रूप से आपके लिए, आपके लिए, दो-दो मूर्तियां दिल्ली में बैठी हुईं हैं, एक केन्द्रीय मंत्री, तीन के लिए कहा है, ताकि मैसेज गलत नहीं जाए, तो फिर हम अलग-अलग कर लेंगे बात। (व्यवधान) हम जाकर कर लेंगे, वह अलग बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, एक तो ई.आर.सी.पी. और एक जल जीवन मिशन, इसमें जो पहले योजना थी ड्रिंकिंग वाटर की, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी; उसमें 90:10 का रेशो था। अब आप मुझे बताइये, हाउस के माननीय सदस्य, चाहे पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के, कि राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिये के अन्दर और सदियों से हम लोग भुगतते आये हैं पानी के लिए, क्या खारा पानी था, गांव के बैकग्राउंड से अधिकतर लोग यहां बैठे हैं, क्या बीती हमारे बाप-दादाओं पर। हम सोच सकते हैं कि सब तरह का पानी पीना पड़ा, कुबड़े हो जाते थे। नागौर की तरफ का कुछ क्षेत्र तो कुबड़ पट्टी ही कहलाता है। आप बताइये, आज भी, छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो आज देश का सबसे बड़ा

(श्री अशोक गहलोत)

राज्य बन गया राजस्थान, भूभाग तो है 10 परसेंट और पानी है एक परसेंट। क्या ऐसे राज्य के अन्दर, चाहे ई.आर.सी.पी. हो या चाहे आपकी जल जीवन मिशन योजना हो, अच्छी योजनाएं हैं, प्रधान मंत्रीजी ने कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमें 2024 तक इनको पूरा करना है, टाइमबाउंड किया है। 50:50 का हिस्सा रख दिया। बताइये क्या राजस्थान जैसा कोई राज्य इसे अफोर्ड कर सकता है? हमारे यहां पानी पहुंचाना एक गांव से दूसरे गांव में, यू.पी. में पहुंचाने में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक गांव शुरू हुआ, दूसरा गांव खतम हो गया। हमारे यहां एक गांव से दूसरे गांव, गांव तो रह गये नाम के, लोग बस गये ढाणियों में, ठीक कह रहा हूं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, ढाणियों में बस गये लोग, ढाणियों तक पानी पहुंचाना है, घर-घर तक पानी पहुंचाना है, इतनी शानदार योजना है तो क्या इस योजना में 90:10 की हम मांग नहीं कर सकते, केन्द्र सरकार से? कैसे काम होगा, कैसे पूरी होगी नहीं तो? (व्यवधान) चौमूं की नहीं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। ये तो चूंकि प्रवक्ता भी हैं इसलिए मैंने कह दिया कि कम से कम मैं इनका भी व्यू ले लूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं कि जिस रूप में इस योजना को करना है तो इस पर हमें पुनर्विचार करवाना पड़ेगा। इसमें हम सब मिलकर भी बात कर सकते हैं या हम सब अपनी भावना पहुंचा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे की बात, 25 सांसद किसे कहते हैं? हमारे वक्त में ब्राडगेज आयी यहां राजस्थान के अन्दर, जैसलमेर, बाड़मेर तक ब्राडगेज पहुंच गयी। राजस्थान जुड़ गया देश के तमाम नोर्थ ईस्ट एरिये से भी, साउथ से भी, ईस्ट से भी। अब आप बताइये यह हमारे वक्त घोषणा की हुई थी। सरमथुरा-गंगापुर वाया करौली, चौथ का बरवाड़ा-अजमेर वाया टोंक, रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप तो उस वक्त में रेल मंत्री रहे थे, आपने जिस रूप में मेमू कोच फैक्ट्री दी राजस्थान को, भीलवाड़ा के अन्दर उसका शिलान्यास हो गया। मुझे अफसोस होता है, प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो गया, उसके बाद में कोई योजना बंद कर सकते हैं? सरमथुरा मैं खुद गया, रेल मंत्री आये आपके, उस वक्त के। वह काम, पता नहीं क्या हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गम्भीर बातें हैं, जो मैं कहना चाहूंगा। अब जी.एस.टी. है। इसकी अवधि जो है, हमने मांग की, प्रधान मंत्री जी से भी

(श्री अशोक गहलोत)

कहा, आप 2022 की जगह इसे 2027 कर दें। जो कमिटमेंट राज्यों के साथ में है, अब जो स्थिति बन गयी राज्यों की, आप पैसा दे नहीं पा रहे हैं अभी भी, स्थिति ऐसी नाजुक बन गयी है, केन्द्र सरकार जी.एस.टी. का पैसा नहीं दे पा रही है, तो इसे अगर आप बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कि पांच साल इसे बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 14th Finance Commission ने, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आपको मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि 32 परसेंट से 42 परसेंट कर दिया था, जो हिस्सा मिलता है राज्यों को, बड़ा फैसला किया था। केन्द्र सरकार ने क्या किया, मैंने पिछली बार बताया था आपको, सारी सी.एस.एस. स्कीम्स जो हैं केन्द्र की, 100 परसेंट थीं या 90:10 थीं, 80:20 थीं, 60:40 थीं, सबको 50 पर ले आये। इस प्रकार से राज्यों की फाइनेंशल स्थिति टाइट कर दी है कि रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें या फिस्कल डेफिसिट की बात करें, ये तमाम प्रोब्लम्स धीरे-धीरे इस रूप में पैदा हो रही हैं कि कोई सोच नहीं सकता। इसमें आप बताइये, यह कर दिया सी.एस.एस. के माध्यम से।

जो इन्श्योरेंस स्कीम्स हैं हैल्थ की, वह तो मैंने बता ही दिया आपको। अब तो हमने एक प्रकार से आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसको पूरे प्रदेशवासियों के लिए लागू कर दिया है। 01 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, मैं आपको यह खबर देना चाहता हूं यहां हाउस के अन्दर। 01 मई, मजदूर दिवस से इम्प्लीमेंट होने लग जाएगी, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब तो करीब-करीब 90:10 हो गया मामला कि 90 परसेंट हम देंगे और 8-10 परसेंट मुश्किल से देगी भारत सरकार, पर हमने तय कर लिया है कि राज्य में कोई भी वर्ग हो, सबको पूरी तरह बीमा पांच लाख का मिलना चाहिए, यह हमने तय कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रूप में कृषि बीमा है। उसमें भी रबी, खरीफ और सिंचाई, अलग-अलग प्रीमियम तय कर दिये भारत सरकार ने। कैप लगा देती है भारत सरकार। इससे ज्यादा प्रीमियम है तो आप दें। यह कहां का सिस्टम है? कर दिया इन्होंने। हैल्थ में भी ऐसा ही है। आयुष्मान भारत में भी ऐसा ही है। कैप लग गयी वहां पर। पैट्रोल-डीजल मैंने बता ही दिया लास्ट टाइम आपको कि पैट्रोल-डीजल के अन्दर जो रेवेन्यू है, कल्पना के बाहर की बात है कि अगर आपने 32 से 42 कर दिया, फाइनेंस कमीशन ने, तो वापस सरकारें ऐसी बना दीं राज्यों के अन्दर कि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं रहा।

(श्री अशोक गहलोत)

जो मैंने कहा आपको पिछली बार कि पैट्रोल-डीजल के अन्दर भी जो एक्साइज मिलती है, जिसका डिविजन होता है पूरे राज्यों में, वह तो कर दिया 5-10 परसेंट और जिसमें पूरा डिविजन नहीं मिलता है राज्यों को, वह हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं एडिशनल और एक्साइज ड्यूटी के बहाने। मेरे पास चार्ट है, टाइम वेस्ट होगा, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और तो और जी.एस.टी., जो हमारा हक है, लिखित में समझौता है, उसमें सदन को जानकर दु:ख भी होगा कि पांच हजार करोड़ का कह दिया है कि कोविड "Act of God" है। कोरोना किसी के हाथ में था नहीं, यह एक्ट आफ गाड है। अब यह पता नहीं कि इसे एक्ट ऑफ गाड कहें या प्राकृतिक प्रकोप कहें, यह अलग बात है, पर फाइनेंस मिनिस्टर ने केन्द्र में कहा है कि यह एक्ट आफ गाड है तो पांच हजार करोड़ आपको नहीं मिलेंगे। बाकी पांच हजार और हैं, तो आप लोन लें, हम आपको छूट देंगे। आप सबको मालूम है। हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं कि लोन लेने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप साढ़े चार-पांच हजार करोड़ रुपये का लोन ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक बात अच्छी लगी मुझे कि रेवेन्यू जो आ रही है, मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों या व्यापारी हों या आम लोग जो भी हैं टैक्स पेयर्स, यह कहना पड़ेगा कि रेवेन्यू जो आ रही है, वह लगभग जो 2019-20 में थी, वही रेवेन्यू भारत सरकार को मिली है इस बार, 12,43,000 करोड़ रुपये। यह समझ के परे है कि जब रेवेन्यू आ रही है तो फिर आप राज्यों का हिस्सा क्यों कम कर रहे हैं? 17 परसेंट राजस्थान का हिस्सा कम कर रहे हैं, यह स्थिति कर दी। और तो और ये लगातार कर रहे हैं। 2019-20 में 10 हजार करोड़ कम दिये हमें। पता नहीं, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आप कैसे बोलते रहते हैं। पिछली बार आपने कह दिया, मैं अभी उस पाइंट पर आऊंगा बाद में, पिछली बार 2019-20 में 10 हजार करोड़ कम किये, 2020-21 में 14 हजार करोड़ कम किये और अब 2021-22 के अन्दर बी.ई. के अन्दर पहले ही कह दिया गया है कि आपको 12 हजार करोड़ कम मिलेंगे, जो बजट पेश हुआ है केन्द्र में। बताइये आप।

चारों ओर से, सी.एस.एस. का फार्मूला बदल दिया, इन्श्योरेंस में कैप

(श्री अशोक गहलोत)

लगा दी, डिविजिबल पूल जो है पैट्रोल-डीजल का, उसमें पैसा मिलता नहीं है, जी.एस.टी. बंद कर दी, पता नहीं। रेवेन्यू भी पूरी आ रही है। तब भी पता नहीं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? यह तर्क से परे है कि 10 हजार, 14 हजार, 12 हजार किसे कहते हैं? 36 हजार करोड़ हो गये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो हालात बने हैं, मैं थोड़ा चिंतित हूं कि डिवोल्यूशन अगर इस प्रकार से कम होगा राज्यों को, तो आप बताइये कि फिर कैसे हम सब मिल करके केन्द्र-राज्य काम करेंगे?

को-आपरेटिव फैडरलिज्म की बात करते हैं प्रधान मंत्री जी। यह तकियाकलाम है उनका, को-आपरेटिव फैडरलिज्म, अच्छी बात है। होना चाहिए। खाली वे बोलते हैं, मगर व्यवहार में नहीं आ रहा है। जो हालात हो रहे हैं देश के अन्दर, बहुत चिंता वाली बात है। बार-बार मैं कहता हूं। टेलीफोन पर बात कर लूं तो चमकते हैं। व्हाट्सएप पर बात करो भाई, फेसटाइम पर बात करो, कहीं टेलीफोन टेप नहीं हो जाए। टेप तो हो ही गया कल। कल आप सबके फोन टेप हो चुके थे।

अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि आज भी आपने कई उदाहरण दिये थे। पता नहीं, आप भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवाणी करते हैं, कैसे करते हैं? आपने पिछली बार 2020-21 के बजट के अन्दर 50 हजार करोड़ तक राजस्व घाटा पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी। आपने कहा, जब हम आर.ई. में जाएंगे तो हमें केन्द्रीय करों की हिस्सा राशि के रूप में 51,131 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, यह आपने आन रिकार्ड कहा था कि आपको 51,131 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, आपने कहा 2020-21 के बजट के अन्दर।

मालूम है आपको, क्या हुआ? हमें सिर्फ 32 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। पता नहीं यह आपका सपना था, अच्छी भावना थी, भविष्यवाणी थी या फिर कोई ब्रीफ लिया होगा आपने केन्द्र से? पता नहीं किस रूप में आप बोल गये हाउस के अन्दर, 51,131 करोड़ मिलेंगे आपको आर.ई. के अन्दर, पता नहीं क्या हुआ? अब आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट 50 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा तो आप क्यों पहले घोषणा करते हैं? आने दें टाइम।

हमने इतनी घोषणाएं की हैं, जवाब हमें देना है पब्लिक को कि आपने पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कालेज-वालेज, पी.एच.सी., सी.एच.सी., ट्रोमा सेन्टर, सब-कुछ कर दिया और क्यों नहीं खुल रहे हैं, यह तो हमें जवाब देना है, आपको जवाब देना है क्या? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बताएं, आप

(श्री अशोक गहलोत)

चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता कर रहे हैं, इसलिए या तो इधर आ जाएं, हम आपका स्वागत करेंगे। चिंता करने वाले हैं तो इधर आ जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और जो हमारे नेता, प्रतिपक्ष बोलते रहते हैं, वह बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका फाइनेंशल मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास रहता है। जब आप सरकार में होते हो तो बड़ी-बड़ी बात करते हो कि बड़ा शानदार विजन हम लोगों का है। विजन तो आपका हो सकता है, परन्तु वित्तीय प्रबन्धन नहीं है, यह मैं कह सकता हूं। जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वित्तीय प्रबन्धन आपका नहीं है, वह क्यों नहीं है, दो बातें हैं। फिस्कल डेफिसिट भी आपके वक्त में हमेशा 3 परसेंट के ऊपर गया है। आप बताइए, हमने हमेशा ध्यान रखा कि किस प्रकार से ऋण सीमा में रहें। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, हमारे समय में जब हमने 2008-09 में सरकार सम्भाली तो हमें जी.डी.पी. का 36.38 डैट, कर्जा, ऋण हमें विरासत में मिला और सरकार हमने छोड़ी तो उसको कम करके हम 23.58 पर ले आये थे, जब सरकार हमने आपको सौंपी। आपने वापस अपने कुप्रबन्धन का इतिहास बनाया, वापस उस 23.58 को 33.78 पर ले गये, बढ़ा दिया, 10 परसेंट वापस बढ़ा दिया आपके वक्त में। अब हम सरकार में आये, तो 23.58 हमने आपको दिया, आपने 33.78 बढ़ाकर दिया है। यह स्थिति बन गयी है। अब हमारे वक्त में भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब फैक्टर मैंने बताये हैं कि केन्द्र का डिवोल्यूशन, जी.एस.टी. का फार्मूला बदल दिया और आपके कर्जे हमने सरकार बनते ही ओढ़े हैं, उसके कारण से हमारी स्थिति बन गयी है। अब हमें चिन्ता लगी कि किस प्रकार से हम इसका प्रबन्ध करें। फिर भी हमने एफ.आर.बी.एम. में लक्ष्य रखा है, अगली बार बी.ई. के अन्दर 38.2 रखा है। कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम नीचे आएं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है तो वह आपके वक्त में तो 3 परसेंट से हमेशा ज्यादा ही रहा है। 3.09 रहा, 9.25 रहा, 6.09 रहा, 3.06 रहा, 3.74 रहा आपके वक्त में। हमारे वक्त में एक बार जब हमने आपसे सरकार ली थी, तब 3.87 था, बाकी बाद में फिस्कल डेफिसिट 1.22, 0.83, 1.73 और 2.76 रहा। पांचों साल हमने एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखा। ये पैरामीटर्स होते हैं जो गवर्नेंस बताते हैं, फाइनेंशल मैनेजमेंट बताते हैं, फाइनेंशल डिसीप्लीन बताते हैं, वित्तीय अनुशासन बताते हैं। मैं करोड़ो-अरबों की बात यहां खड़ा-खड़ा, बैठकर यह काम

(श्री अशोक गहलोत)

करूं तो फिर मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा? समझ में नहीं आता, मैं क्या जवाब दूं उनका कि कौनसे मद में कितना पैसा कहां रह गया, मैं ढूंढता फिरूं क्या उसको? मैं तो यह देखूंगा, उससे मैं काम चलाऊंगा। ये हालात बहुत गम्भीर हैं। आपके वक्त में आपने हम लोगों को बहुत बर्बाद किया। मैंने यह कहा आपको कि आपने हमें 33.78 वापस सौंप दिया, बढ़ा दिया आपने डैट का। लायबिलिटी जो राजस्थान पर होती है, उसका भी जिक्र कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, फार्च्युनेटली राजस्थान का दिल्ली से भी, केन्द्र से भी कम्पेयर करें तो हम बैटर पोजिशन में हैं। रेवेन्यू डेफिसिट हमारे यहां 1.09 परसेंट है जबकि केन्द्र का 2.7 परसेंट है। फिस्कल डेफिसिट हमारे यहां 2020-21 में 2.99 है और केन्द्र का 3.5 है। जो आर.ई., संशोधित बजट है 2020-21 का, उसमें 4.36 परसेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट और केन्द्र का 7.5 है। फिस्कल डेफिसिट हमारा 6.12 है और केन्द्र का 9.5 है। जो बजट अब पेश हुए हैं, केन्द्र और राज्यों में, उसमें हमने लक्ष्य 1.98 का लक्ष्य रखा है रेवेन्यू डेफिसिट का और फिस्कल डेफिसिट 3.98 रखा है और केन्द्र ने 5.1 और 6.8 रखे हैं तो सब तरह से मैं समझता हूं कि जो हमने बजट पेश किया, वह सोच समझकर किया और उसका अच्छा असर भी है, राजस्थान में बहुत वैलकम हो रहा है। वैलकम को लेकर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको भी उसमें शरीक होना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि हम उसमें कौनसे काम नहीं कर पाएं, वह आपका विषय आलोचना करने का है। वह आपका हक भी है और जो आपको करनी भी चाहिए उसको। तब जाकर हमारी आंखें खुलेंगी और कहीं कमी होगी तो उसको हम ठीक कर पाएंगे, मैं, मेरे मंत्रिमण्डल के साथी, ब्यूरोक्रेट्स। अगर आप जितना ज्यादा जोर से बोलोगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। हम आपके आभारी रहेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, वैरी गुड, कुछ बातों को तो आपने कहा है सोच समझकर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हालात मैंने आपके सामने रखे हैं और मैं चाहूंगा कि हम सबने मिलकर इतना शानदार बजट पेश किया है, हमने बहुत मेहनत की है, और बजट इतना पापुलर हुआ है कि लगातार मांगें आती जा रही हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पी.एच.सी., सी.एच.सी., सब-सेन्टर, और बोलो, एनिकट, कोई पता नहीं, ऐसा हो गया है कि पता नहीं, विपक्ष के तो बहुत कम आते हैं, आपने उनको बैन कर रखा है, वे तो इक्का-दुक्का ही आते हैं, पर हमारे विधायकगण आते हैं। मैं सबका वैलकम करता हूं और सबको ही एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं क्योंकि

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान हम सबका है। आपने जैसे फरमाया कि पैसा जनता का है, हम तो कस्टोडियन हैं, समझ लो, ट्रस्टी समझ लो और हम सब मिलकर कैसे उसमें काम करें यह हमारी ड्यूटी है। उस रूप में ही हम लोग काम करना चाहते हैं, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक तो कुछ पाइंट ऐसे हैं जो मैं आपकी अनुमति से लाना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर इनमें चिन्तन करना चाहिए जिससे कि आने वाले वक्त में राजस्थान में हम विकास तेज गति से कर सकें और सामाजिक समस्या भी हमारे सामने नहीं आए।

अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जो कानून पास किया है ई.डब्ल्यू.एस. का केन्द्र ने, उसको लेकर ऐसी स्थिति बन गयी है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि राज्यों की मंशा क्या है। 50 परसेंट का जो राइडर आरक्षण को लेकर लगा हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि स्थिति स्पष्ट हो कि राज्यों की स्थिति क्या है, केन्द्र की स्थिति क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ है उसके अन्तर्गत आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए राज्य सरकार की शक्तियां कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी क्योंकि 102वें संविधान संशोधन की धारा 342 (ए) को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक सभी राज्यों को अपने-अपने राज्यों में ओ.बी.सी. जातियों के चिह्नीकरण एवं नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार था लेकिन 102वें संविधान संशोधन के तहत जो धारा 342 (ए) जोड़ी गयी है, जिसके तहत राज्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्यपाल की अभिशंसा पर ओ.बी.सी. जातियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे केन्द्र सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई देती है कि पता नहीं वे चाहते क्या हैं, क्योंकि राज्यों की शक्तियां उसमें कम होंगी, और राज्यों में कई जातियां जुड़ती रहती हैं, उनको एतराज होगा। कल ही मेरे पास विश्नोई समाज के जो हमारे सदस्य हैं पक्ष और विपक्ष के, वे सब मिलकर आये थे और सब चाहते थे कि हमें केन्द्र का भी आरक्षण मिले तो राज्य के पास शक्ति ही नहीं रहेगी, तो क्या तो वह रिकमंडेशन करेगा, क्या ओ.बी.सी. का यह काम करेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोब्लम पैदा हो गयी है। अभी हमने प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा है और जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, हमारे कैबिनेट के साथियों ने, मंत्री परिषद् के साथियों ने बैठकर तय किया है, हम यही मांग करेंगे कि 50 परसेंट से हमें क्रास करने की इजाजत दी जाए और हमारा खुद का पूरा अधिकार भी सुरक्षित रखा जाए, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो काफी लम्बे अरसे से, 'मीना' और 'मीणा', यह इश्यु भी बार-बार आता है, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो हमने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, उसमें कहा गया है कि 'मीणा' और 'मीना' एक ही हैं, केवल स्पेलिंग का अन्तर है लेकिन समय-समय पर अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति बनती है। मैं माननीय सदन के अन्दर स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 'मीणा' और 'मीना' एक ही हैं। इनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए और यह इश्यु हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। सदन तो सर्वोपरि है, सदन में, मैं जो अपनी बात रख रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि पक्ष-विपक्ष सब मिलकर के इसके ऊपर बात करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और इश्यु है, निजी स्कूलों का, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फीस के बाबत। मैं इस पर अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस पैंडिंग है। जो अभिभावक हैं उनके संघ बने हुए हैं और स्कूलों के मैनेजमेंट हैं सही है समय रहते हुए, सदन उनकी भावना को सामने रखकर कोई फैसला करे, जिससे कि अभिभावकों को भी तकलीफ नहीं हो और स्कूलें चल सकें, सुचारु रूप से। यह एक ऐसा इश्यु है, जो बहुत बर्निंग इश्यु है।

इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी लोगों ने काफी मांगें रखीं, मेरे सामने और अभी हमारे चीफ व्हिप साहब भी याद दिला रहे हैं कि आप लोगों ने अलग से ही कुछ मांगें रख दी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कुछ घोषणाएं की थीं और मैंने जैसा अभी आपके सामने निवेदन किया, लगातार मांगें आती जा रही हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, कुछ आपकी आज्ञा से, सदन में कुछ घोषणाएं, जो मैं कर सकता हूं, करने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहूंगा-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में, मेरे द्वारा 24 फरवरी, 2021 को आगामी बजट प्रस्तुत करते समय, प्रदेश में यूनिवर्सल हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की गयी थी। इसका प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है। इसका नामकरण 'मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना' करते हुए मजदूर दिवस 1 मई, 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल,

(श्री अशोक गहलोत)

2021 से वर्तमान में पात्र एन.एफ.एस.ए., एस.ई.सी.सी. लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लोकल एंटरप्रिन्योर्स को जोड़ते हुए, उप स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेली-कंसल्टेशन ओ.पी.डी. सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां व भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खण्डों पर मातृत्व सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि एका (सांकड़ा)-जैसलमेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा। पावटा, (आहोर)-जालौर, समरा-हम्मीरपुरा (थानागाजी)-अलवर, गोहड़ का तला, बाछड़ाऊ (चौहटन)-बाड़मेर, गढ़मोरा (नादौती), निसूरा (टोडाभीम)-करौली, वाना (भिण्डर)-उदयपुर, खेरली (राजाखेड़ा)-धौलपुर, कीतासर (श्रीडूंगरगढ़)-बीकानेर, पाटन (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, जाटौली रथवान (सेवर)-भरतपुर व आसलपुर एवं बिलोंची-जयपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

बलाऊ जाटी (कल्याणपुर), खोखसर, बोडवा (गिड़ा)-बाड़मेर, मीना सीमला (सिकराय)-दौसा, घुमनसर कलां (पिलानी), गोठड़ा (खेतड़ी)-झुंझुनूं, पड़ासला (बापिणि)-जोधपुर, दौलतपुरा, रघुनाथगढ़ (पिपराली)-सीकर, सेमलपुर-चित्तौड़गढ़ व बूढ़ीबावल (किशनगढ़बास)-अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

इसरोदा (तिजारा)-अलवर, भगवानपुरा (माण्डल)-भीलवाड़ा, भिलुड़ा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, अवार (कुम्हेर)-भरतपुर व इस्लामपुर-झुंझुनूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

सालावास-जोधपुर, पोकरण-जैसलमेर, मकराना, परबतसर-नागौर, बाली-पाली, भिवाड़ी, बहरोड़, अलवर व मांगरोल-बारां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़-झुंझुनूं को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वल्लभनगर-उदयपुर को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल चाकसू-जयपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय

(श्री अशोक गहलोत)

यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़-अजमेर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन-बाड़मेर व अंता-बारां में ट्रोमा सेन्टर स्थापित किये जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार-सवाई माधोपुर में बैड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75, चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर, आसपुर-डूंगरपुर में बैड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, धौरीमन्ना-बाड़मेर, नावां-नागौर व तारानगर-चूरू में बैड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 तथा महुवा-दौसा में बैड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 बैड की जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सालय, नोखा-बीकानेर को 'ए' श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी घोषणा है, आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर, उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए, कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

हदां (कोलायत)-बीकानेर, खमनोर (नाथद्वारा)-राजसमन्द, रैणी-अलवर, बसवा (बांदीकुई)-दौसा, नोखड़ा (गुढ़ामालानी)-बाड़मेर व ऋषभदेव (खेरवाड़ा)-उदयपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा नोखा-बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही, राजकीय महिला महाविद्यालय, मगरा पूंजला-जोधपुर में भवन निर्माण किया जाएगा।

जोधपुर, कोलायत-बीकानेर, बिलाड़ा-जोधपुर व सपोटरा-करौली के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से पी.जी. में क्रमोन्नत किया जाएगा।

प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय, नये विषय प्रारम्भ किये जाएंगे, जो इस प्रकार से हैं:- राजकीय महिला महाविद्यालय, पोकरण-जैसलमेर में विज्ञान संकाय; राजकीय महाविद्यालय, सपोटरा-करौली में विज्ञान व कृषि संकाय; राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोतरा-बाड़मेर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय में हिन्दी साहित्य और समाजशास्त्र विषय व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल व इतिहास विषय; डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में स्नातक स्तर पर संगीत व गृह विज्ञान विषय; नाथद्वारा पी.जी. कालेज में भूगोल विषय व महिला कालेज में अंग्रेजी साहित्य विषय; राजकीय महाविद्यालय बयाना-भरतपुर में विज्ञान विषय; राजकीय महाविद्यालय, बौंली (बामनवास)-सवाई माधोपुर में, दूदू-जयपुर में वाणिज्य संकाय; राजकीय महाविद्यालय, बस्सी-जयपुर में कला संकाय में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान

(श्री अशोक गहलोत)

व संस्कृत विषय; राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलपुर-श्रीगंगानगर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान, इतिहास तथा पंजाबी विषय; राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर हेतु वाणिज्य (व्यावसायिक प्रशासन) विषय व महिला महाविद्यालय, जैसलमेर स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र विषय खोले जाएंगे। राजकीय बालिका विद्यालय, धोद-सीकर में छात्रावास बनाया जाएगा। वल्लभनगर-उदयपुर में राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए छात्रावास बनाया जाएगा। इसमें 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

भुसावर-भरतपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, नारायणपुर (बानसूर)-अलवर तथा गंगरार (बेगूं) चित्तौड़गढ़ में छात्रावास खोले जाएंगे।

प्रदेश में 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को राजकीय प्रवेशिका विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है, जो इस प्रकार हैं:-

| **क्रम संख्या** | **राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का नाम** | **जिला** |
|---|---|---|
| 1. | विजयनगर (मसूदा) | अजमेर |
| 2. | कंगालहाथा (उमरैण) | अलवर |
| 3. | भोपाबास - केसरोली (रामगढ़) | अलवर |
| 4. | भीखाहेडी खेड़ा मंगलसिंह (लक्ष्मणगढ़) | अलवर |
| 5. | किशोरी (थानागाजी) | अलवर |
| 6. | राबड़ियों की ढाणी (किशनगढ़ बास) | अलवर |
| 7. | फलायथा (अंता) | बारां |
| 8. | रामनगर (रामनगर) | बारां |
| 9. | डहरा (डीग-कुम्हेर) | भरतपुर |
| 10. | चिकसाना (सेवर) | भरतपुर |
| 11. | सेवर (सेवर) | भरतपुर |
| 12. | टोडा-ठेकला, जागा बस्ती, लालसोट (लालसोट) | दौसा |
| 13. | बागावास (नांगल राजावतान) | दौसा |
| 14. | धौर्र (बसेड़ी) | धौलपुर |
| 15. | बरैठा कलां (राजाखेड़ा) | धौलपुर |
| 16. | बडबीराना (नोहर) | हनुमानगढ़ |

(श्री अशोक गहलोत)

| क्रम संख्या | राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का नाम | जिला |
|---|---|---|
| 17. | भिरानी (भादरा) | हनुमानगढ़ |
| 18. | त्रिलोकीनाथ पुरा (चाकसू) | जयपुर |
| 19. | आंतेला (विराटनगर) | जयपुर |
| 20. | खेजरोली (गोविन्दगढ़) | जयपुर |
| 21. | श्रीरामपुरा (झोटवाड़ा) | जयपुर |
| 22. | अमरसागर (जैसलमेर) | जैसलमेर |
| 23. | माण्डोली नगर (जसवंतपुरा) | जालौर |
| 24. | परसरामपुरा (झुंझुनूं) | झुंझुनूं |
| 25. | जूनी मण्डी, कन्हैया कालोनी, गुरों का तालाब (जोधपुर) | जोधपुर |
| 26. | पीहबख्तावरपुरा (परबतसर) | नागौर |
| 27. | भोजा ठाकुर का बाड़िया (भीम) | राजसमन्द |
| 28. | रामपुरा (खण्डेला) | सीकर |
| 29. | सांवलपुरा (अलोदा) | सीकर |
| 30. | रूपनगर (चौथ का बरवाड़ा) | सवाई माधोपुर |
| 31. | ढाणी देहरा (बामनवास) | सवाई माधोपुर |
| 32. | यज्ञ के बालाजी आवासन मण्डल (टोंक) | टोंक |
| 33. | भातड़िया (मीणों की झोपड़िया) (उनियारा) | टोंक |
| 34. | पुराना खेड़ा (मालपुरा) | टोंक |

प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है, छात्र-छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत उर्दू के अलग से शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक बीस छात्र-छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे, वहां प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक का पद सृजित किया जाएगा। छठी वर्ग व उससे उच्च कक्षा में दस से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षक की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों के सृजित 444 पदों को बढ़ाकर एक हजार किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

कृषि - उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया तथा एक लाख डी.ए.पी. के अग्रिम भण्डारण हेतु बीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

किसानों को मंडी प्रांगण में कृषि जिंसों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व में संचालित 'कृषक उपहार योजना' को संशोधित स्वरूप में पुन: प्रारम्भ किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत मण्डी स्तर पर प्रत्येक तीन माह में पचास हजार रुपये, खण्ड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में एक लाख रुपये एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में पांच लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये जाएंगे।

रूपनगढ़-अजमेर में नवीन कृषि उपज मण्डी स्थापित की जाएगी।

पीथमपुरी (नीमकाथाना)-सीकर व झिलाई (निवाई)-टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।

पशुपालन - पाडवा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। साथ ही, पशु चिकित्सालय, सिनसिनी (डीग)-भरतपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास- राज्य में डूंगरपुर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर आई.टी.आई. परिसरों में निर्मित कौशल विकास केन्द्र के भवनों में नये वोकेशनल कोर्सेज प्रारम्भ करते हुए आई.टी.आई. इकाइयों के रूप में विस्तार किया जाएगा।

अल्पसंख्यक - मुख्यमंत्री मदरसा आधुनीकरण योजना के अन्तर्गत पच्चीस करोड़ रुपये से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराइजेशन, Furniture व अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

युवा रोजगार एवं श्रम - Young Intern Yojana में चयन के साथ-साथ कतिपय राजकीय पदों पर कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा। इसी के साथ, विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा, विश्वविद्यालय आदि के चिह्नित पदों के लिए Lateral Entry का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे अनुभवी विशेषज्ञों का लाभ राज्य को मिल सके।

राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप प्रदान किये जाने की शर्तें यथा-पौत्र, पौत्री व पुत्रवधू को शामिल करना एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना, इत्यादि प्रावधान करते हुए सरलीकरण किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि ट्रेण्ड प्रोफेशनल्स कामकाजी महिलाएं शादी के बाद घर-परिवार सम्भालने के लिए काम छोड़ देती हैं। आगामी तीन वर्षों में ऐसी 15 हजार महिलाओं को पुन: जाब दिलवाने/वर्क फ्रोम होम की अपोर्चुनिटी उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से बैक टू वर्क योजना प्रारम्भ की जाएगी।

प्रदेश की एन.सी.सी. कैडेट वसुन्धरा चौहान द्वारा पेश की गयी बहादुरी की मिसाल के चलते उन्हें पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के युवाओं को एन.सी.सी. की ओर प्रेरित करने के लिए एन.सी.सी. ट्रेनिंग सेन्टर्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही, प्रतिवर्ष एन.सी.सी. के दो शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाएंगे। इस कार्य हेतु दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लिए 100 एथलीटों का कैम्प लगाकर उनमें से 20 का चयन किया जाएगा। इन चयनित 20 एथलीटों को तीन वर्ष तक सी.एस.आर. के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर की नि:शुल्क ट्रेनिंग, कोचिंग दिये जाने के साथ-साथ अन्य खर्चे वहन किये जाएंगे।

स्पोर्ट्स व अन्य चयनित क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग चैलेंज इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इन इवेन्ट्स में चयनित स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल्स व एंजल फंड्स द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा मैचिंग शेयर दिया जाएगा।

केकड़ी-अजमेर में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, बिछीवाड़ा-डूंगरपुर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा।

कानोड़ (वल्लभनगर)-उदयपुर, भीम-राजसमन्द में आई.टी.आई. व मण्डोर-जोधपुर में महिला आई.टी.आई. खोले जाएंगे।

सहकारिता - पैक्स/लैम्पस के कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु चरणबद्ध रूप से इनका कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

सार्वजनिक निर्माण - प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर व डामरीकरण के कार्य करवाये जाएंगे, जो इस प्रकार हैं:-

(श्री अशोक गहलोत)

किशनगढ़ से मांगरोल वाया रामगढ़ (बारां) सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य,

अंता से सीसवाली (बारां) सड़क के चौड़ाईकरण का कार्य,

टोड़ी लुहारान से वाया थानागाजी किशोरी (अलवर) तक सड़क का निर्माण,

चिड़ावा-अरड़ावता-सुलताना (झुंझुनूं) की सड़क का डामरीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य,

टहुंका से भीम वाया बागोर-बेमाली-ज्ञानगढ़ (माण्डल)-भीलवाड़ा सड़क का नवीनीकरण और चौड़ाईकरण,

केकड़ी शहर-अजमेर में देवली-नसीराबाद रोड (एस.एच.-26) पर बाईपास का निर्माण,

झालामरिया से गोदावास (पाली) में सड़क का डामरीकरण,

सवाई माधोपुर में शहर तिराहे से रामद्वारा तक बाईपास का निर्माण।

एन.एच. 21 बालाहेड़ी पुलिस चौकी से एन.एच. 921 वाया हुड़ला बलीन रसीदपुर, राजगढ़ रोड (महुवा)-दौसा के चौड़ाईकरण का कार्य,

छाणी-मगरी (सागवाड़ा) से ओबरी रोड तक 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण,

डोजा से डोलवर (आसपुर) व डोलवर से कहारी (आसपुर) सड़क का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण,

चितरी-गरीयाता-चिखली (सागवाड़ा) तक सड़क का नवीनीकरण,

सिहानिया से पनोरिया (चौहटन)-बाड़मेर बीस किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण का कार्य,

पुष्कर से गोविंदगढ़ (अजमेर) वाया ग्राम नांद स्टेट हाईवे रोड की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण,

खोदरीबा से टोडा जयसिंहपुरा आसन रेडिया upto गुड़ा कटला सड़क (थानागाजी) का सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण,

खण्डेला-सीकर में फतेहपुर भोमियां से गुरारा तक सड़क निर्माण व दुल्हेपुरा से कंचनपुर वाया जाटबाबा सड़क का निर्माण,

(श्री अशोक गहलोत)

सिरोही में मोहब्बत नगर से नून-मडिया-हालीवाड़ा से सिलदर सड़क व कैलाशनगर-सिरोही से जालौर सीमा तक सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य,

करौली में मांढई मोड़ से सिलपुरा व सिलपुरा से वाया पालनपुर तक सड़क का निर्माण,

बूटाटी-नागौर को जोड़ने वाली सड़क व बाड़मेर से गुढ़ामालानी वाया गरल-मालपुरा, रानासर खुर्द सड़क का डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण, तथा नारेहड़ा (कोटपूतली)-जयपुर में 140 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा।

भोपालगढ़ के मुख्य सम्पर्क सड़क मार्ग कड़वासरों की ढाणी फांटा से वाया रजलानी, हीरादेसर हेतु हाईवे खेड़ापा (एन.एच. 65) तक 45 किलोमीटर तक को राजमार्ग घोषित किया जाएगा।

राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (CRIF) के अन्तर्गत राज्य मार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उच्चस्तरीय पुल, आर.ओ.बी. निर्माण हेतु लगभग एक हजार 535 करोड़ रुपये से एक हजार 140 किलोमीटर के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं, जो कि इस प्रकार हैं-

| **क्र. सं.** | **जिला** | **सड़क कार्य का नाम** | **लम्बाई (कि.मी. में)** | **अनुमानित लागत (रुपये लाख में)** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अलवर | रोहरा से बारां भदकोल सड़क वाया रानी माचड़ी सड़क (एमडीआर-151) (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) | 22 | 1,426 |
| 2. | अलवर | गुढ़ाकिशोरी सिद्ध का तिबारा छिरी नटाटा सड़क (स्टेट हाईवे-55) (थानागाजी) | 13 | 1,631 |
| 3. | अलवर | टहला राजगढ़ गढ़ी सवाईराम सड़क (स्टेट हाईवे-25 ए) (थानागाजी) | 18 | 894 |

(श्री अशोक गहलोत)

| क्र. सं. | जिला | सड़क कार्य का नाम | लम्बाई (कि.मी. में) | अनुमानित लागत (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 4. | अलवर | एम.डी.आर.-138 से स्टेट हाईवे-14 (गोपीपुरा) से जसई हरियाणा बार्डर तक वाया उलाहेडी नांगल उदिया बीजवाड चौहान (मुंडावर) | 13 | 978 |
| 5. | अलवर | कोटकासिम-टपूकड़ा हरियाणा बार्डर सड़क (स्टेट हाईवे-108) (तिजारा) | 10 | 686 |
| 6 | बांसवाड़ा | भटार भैंरूजी मन्दिर से नाहरपुरा रोड, कानेला एम.डी.आर. 125 डामर सड़क (गढ़ी, बागीदौरा) | 13 | 949 |
| 7 | बांसवाड़ा | घाटोल-गनोड-पालोद-गढ़ी-आनन्दीपुर गुजरात सीमा तक सड़क (घाटोल) | 18.00 | 3,975 |
| 8 | बांसवाड़ा | माण्डली-धम्बोला-भीलुडा-गढ़ी -कुशलगढ़ मध्यप्रदेश सीमा तक सड़क पर पुलिया निर्माण (कुशलगढ़) | - | 1,900 |
| 9 | बारां | बामुलिया-बदवा-जयनगर-बारां सड़क (एम.डी.आर.-126) (अंता) | 8.16 | 1,454 |
| 10 | बाड़मेर | गुढामालानी-रतनपुरा-जालौर सड़क (स्टेट हाईवे-16 बी) (गुढामालानी) | 13 | 1,923 |
| 11 | बाड़मेर | शिव-पाटौदी वाया फलसूण्ड-शेरगढ़ एस.एच. 65-(बायतु) | 14 | 420 |
| 12 | बाड़मेर | बालोतरा-जसोल-सिगली जागीर (पचपदरा) | 9 | 720 |

(श्री अशोक गहलोत)

| **क्र. सं.** | **जिला** | **सड़क कार्य का नाम** | **लम्बाई (कि.मी. में)** | **अनुमानित लागत (रुपये लाख में)** |
|---|---|---|---|---|
| 13 | भरतपुर | कुम्हेर से सोंख सड़क (स्टेट हाईवे 44 ए) (डीग, कुम्हेर) | 12 | 1,754 |
| 14 | भरतपुर | गुलपाड़ा-अमरू-जुरहारा सड़क (एम.डी.आर. 50) (कामां) | 17.3 | 1,664 |
| 15 | भीलवाड़ा | गुराला से मांडलगढ़ रोड वाया गडरमाला-जावसिया-बडोद-हमीरगढ़-मंगरोप-जिटा-बदिलियास-बरुंदनी (मांडलगढ़) | 34.8 | 1,870 |
| 16 | बूंदी | गेंडोल-झालीझी-काबराना-काली-तलाई-बोरदामाल-कापरेन सड़क (केशोरायपाटन) | 17.15 | 3,430 |
| 17 | चूरू | भादरा से साहवा (एम.डी.आर. 36) (तारानगर भादरा) | 24 | 3,000 |
| 18 | चूरू | तारानगर से एन.एच. 52 वाया हडियाल (एम.डी.आर. 97) (तारानगर) | 26 | 2,400 |
| 19 | दौसा | रोहरा (एन.एच. 11 ए) से बारां-भदकोल वाया भीषणपुरा-निमाली -देलारी-आभानेरी-पुण्डरपुरा-अलियापाड़ा-माहु खेडा-भाजेडा-रेनी -माचड़ी (एम.डी.आर. 151) (बांदीकुई) | 14.5 | 1,840 |
| 20 | धौलपुर | बाड़ी-सैपऊ-खेडागढ़ सड़क स्टेट हाईवे 42 पर सबमर्सिबल ब्रिज (धौलपुर) | - | 800 |

(श्री अशोक गहलोत)

| **क्र. सं.** | **जिला** | **सड़क कार्य का नाम** | **लम्बाई (कि.मी. में)** | **अनुमानित लागत (रुपये लाख में)** |
|---|---|---|---|---|
| 21 | हनुमानगढ़ | भटिण्डा-सूरतगढ़ रेलवे सैक्शन (एल.सी. नम्बर सी 85, हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क) (एस.एच. 94) पर चार लेन आर.ओ.बी. निर्माण (पीलीबंगा) | - | 6,500 |
| 22 | जयपुर | पावटा-नरेदा सड़क से अलवर जिले की सीमा वाया मंगलावाल-प्याऊ-बगरा वाली ढाणी-ढालडा-उशपुरिया-प्रागपुरा एवं प्रागपुरा-पाचुडालव से अलवर सीमा (विराटनगर) | 25 | 3,973 |
| 23 | जयपुर | बहरोड से ताला वाया बानसूर-नारायणपुर-थानागाजी सड़क (जमवारामगढ़) | 19 | 1,593 |
| 24 | जालौर | सांचौर-रानीवाड़ा-मंदार रोड (एस.एच. 11) (सांचौर-रानीवाड़ा) | 40 | 2,700 |
| 25 | जालौर | सांचौर-बकासर वाया भावतरा (एम.डी.आर. 17) (सांचौर) | 13 | 650 |
| 26 | जालौर | भीनमाल से सरवाना वाया करडा -सांचौर-डाबल-बिचावरी (एम.डी.आर. 17 ए) (सांचौर) | 23 | 2,300 |
| 27 | झालावाड़ | सिंगल लेन से डबल लेन तक चौड़ाईकरण और बाकानी भूमाडा रायपुर-देवलखेडा-मथानिया-ओसाव-पिराव-रामपुरिया-पटपारा-की मजबूती (ओसाव से एमपी बार्डर सैक्शन) (झालरापाटन) | 30.50 | 9,150 |

(श्री अशोक गहलोत)

| **क्र.सं.** | **जिला** | **सड़क कार्य का नाम** | **लम्बाई (कि.मी. में)** | **अनुमानित लागत (रुपये लाख में)** |
|---|---|---|---|---|
| 28 | झालावाड़ | कलमोड़िया-हरनवाड़ा-मनोहरथाना -राजगढ़ रोड, मध्य प्रदेश सीमा तक एम.डी.आर.- 176 (मनोहरथाना) | 35 | 6,825 |
| 29 | झालावाड़ | एस.एल. से डी.एल. रायपुर-आजमपुर-दुबलिया-मोरारी-खेरी-चचलाओ-पोखरी-गुणवाड़ी-कंवारी-भीलवाड़ा-भीलवाड़ी-उदपुरिया से झालावाड़ जिला सीमा सड़क (झालरापाटन, डग) | 34.95 | 9,759 |
| 30 | झुंझुनूं | बिसाऊ-मंड्रेला-पिलानी-लुहारू सड़क (एम.डी.आर. 82) (पिलानी) | 24 | 2,200 |
| 31 | झुंझुनूं | चिड़ावा-सुल्ताना-गोवला-भाटीवाड़-केड़-कांकरिया-बागोरी-सराय सड़क (एम.डी.आर. 160) (उदयपुरवाटी) | 44 | 3,500 |
| 32 | झुंझुनूं | धनानी-लक्ष्मणगढ़-नवलगढ़-छावरा-खरखरा-खेतड़ी-हरियाणा बार्डर सड़क (नवलगढ़-गुढ़ा सैक्शन) (नवलगढ़) | 17 | 2,200 |
| 33 | जोधपुर | झालमण्ड-गुढ़ा-खारा-वैरा-पुरोहितान सड़क मय जोझारी नदी पर मेजर पुल (लूणी) | 14 | 1,763 |
| 34 | जोधपुर | सरदारसमन्द से खेड़ापा वाया चोपड़ा-लनेरा-हु णगांक-ओलवी रोड (बिलाड़ा) | 17 | 1,600 |

(श्री अशोक गहलोत)

| क्र.सं. | जिला | सड़क कार्य का नाम | लम्बाई (कि.मी. में) | अनुमानित लागत (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | जोधपुर | शिव-पाटोदी वाया फलसूण्ड-शेरगढ़ एस.एच. 65 (शेरगढ़) | 14 | 1,200 |
| 36 | करौली | करणपुर-मण्डरायल-चंदेलीपुरा सड़क (एम.डी.आर. 03 ए) (सपोटरा) | 34 | 4,209 |
| 37 | करौली | मंडरायल-करौली-हिण्डौन सड़क (स्टेट हाईवे 22) (सपोटरा) | 18 | 1,783 |
| 38 | करौली | श्रीमहावीरजी-बालघाट-मोहनपुरा-करीरी-जोधपुरा-खीरखीरी (कदमखुण्डी घासीराम बाबा का स्थान)-भैसापट्टी खुर्द-भनकपुरा बालाहेड़ी मोड से बालाहेड़ी-बेर-खेड़ा-उकरून्द मोड़ से स्टेट हाईवे 22 से (एम.डी.आर. 223) (टोडाभीम-हिण्डौन) | 15 | 1,675 |
| 39 | करौली | करनपुर कैलादेवी सड़क एम.डी.आर. 3 (सपोटरा) | 34 | 1,733 |
| 40 | कोटा | पलायथा-राजगढ़-कुन्दनपुर-सांगोद सड़क एम.डी.आर. 88 पर उच्च स्तरीय पुल मय एप्रोच रोड (सांगोद) | 1HLB | 2,624 |
| 41 | कोटा | चेचट-अलोद-एकलिंकपुरा-रावतभाटा सड़क एम.डी.आर. 110 (अलोद) जिला सीमा तक (रामगंज मण्डी) | 10.3 | 2,500 |
| 42 | नागौर | सतूर एन.एच. 12 से मूण्डवा एस.एच. 39 वाया जहाजपुर-साहपुरा-विजयनगर-ब्यावर-मेड़ता सिटी (मेड़ता/खींवसर/नागौर) | 61.2 | 6,120 |

(श्री अशोक गहलोत)

| क्र.सं. | जिला | सड़क कार्य का नाम | लम्बाई (कि.मी. में) | अनुमानित लागत (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 43 | नागौर | नागौर-बासनी-भेड-बैराथल-पांचलासिद्धा सड़क (खींवसर) | 32 | 2,560 |
| 44 | नागौर | खाटू से पांचलासिद्धा वाया कुचेरा संखवास-जोरावरपुरा-(मुदियाड़ से जोरावरपुरा भाग) (नागौर) | 16 | 1,280 |
| 45 | पाली | बिलाड़ा-सोजत-मारवाड़ जंक्शन (सोजत) | 14 | 1,400 |
| 46 | पाली | सरदारसमन्द -पाली-रमिस्य-नाडोल-देसूरी सड़क (पाली), सुमेरपुर | 18 | 1,800 |
| 47 | सीकर | हासमपुर से अजीतगढ़ वाया हल्थीदेह (एम.डी.आर. 114) (श्रीमाधोपुर) | 36.4 | 3,475 |
| 48 | सीकर | निंबीजोधा-लक्ष्मणगढ़ सड़क एम.डी.आर. 180 (लक्ष्मणगढ़) | 14 | 1,213 |
| 49 | सीकर | चौमूं-चूरू सड़क एस.एच. 37 के अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर सैक्शन (श्रीमाधोपुर) | 24 | 1,904 |
| 50 | सीकर | आंतेला-खण्डेला-गोरिया-जीण माता-रलावता एस.एच. 83 (दांतारामगढ़) | 23.5 | 2,373 |
| 51 | सीकर | खुड़ी-कूदन-दादिया सड़क एम.डी.आर. 87 (धोद) | 10 | 1,125 |
| 52 | टोंक | टोंक-कोटा वाया नगर-नैनवा-केशोरायपाटन सड़क (एस.एच. 34) का (टोंक नगर फोर्ट अनुभाग) (टोंक-देवली-उनियारा) | 32.5 | 2,813 |

(श्री अशोक गहलोत)

| क्र.सं. | जिला | सड़क कार्य का नाम | लम्बाई (कि.मी. में) | अनुमानित लागत (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 53 | टोंक | उनियारा-पलाई-दूनी-आवां सड़क (नगर-दूनी सैक्शन एस.एच. 34 ए) (देवली उनियारा) | 14 | 1,633 |
| 54 | टोंक | उनियारा-पलाई-दूनी-आवां सड़क (नगर दूनी सैक्शन एस.एच. 34 ए) (देवली-उनियारा) | 21.5 | 2,436 |
| 55 | टोंक | धोली-कण्डीला-कलमाण्डा-नानेर-जनवाली-गहलोद-टोंक सड़क एम.डी.आर. 205 पर उच्च स्तरीय पुल (टोंक, निवाई) | 3.5 | 13,474 |
| 56 | टोंक | दूदू-मालपुरा-टोड़ा-खारेड़ा-छान-सांखना-नगर-नैनवा-केशोरायपाटन सड़क (एसएच 37 ए) (टोंक) | 16.4 | 1754 |
| 57 | टोंक | झिरणा-टोडारायसिंह-केकड़ी सड़क एस.एच. 116 (मालपुरा) | 10.3 | 1,300 |
| 58 | उदयपुर | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 भंवरासिया से मोड़ी-बाठेड़ा-अडिंदा-कुराबड़ (उदयपुर) तक सड़क (वल्लभनगर) | 16 | 1,400 |
| 59 | उदयपुर | राजोल से कल्याणपुर (एस.एच. 53) (कीर की चौकी-भिण्डर-सलूम्बर-कल्याणपुर) (खैरवाड़ा) | 15 | 1,450 |

निवाई-टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्स.ईएन. आफिस खोला जाएगा।

**(19.00 बजे)**

**ऊर्जा:**

बाखासर (चौहटन)- बाड़मेर में 33 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

**उद्योग:-**

राज्य में Self Help Groups, Rural Artisans तथा विभिन्न Handicrafts से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण, Business Enterprise से सम्बन्धित Skills उपलब्ध कराने एवं Marketing Linkage/ Resource Mobilisation में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से Rajasthan Centre of Crafts and Design Management स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार, निर्मित उच्च...

मैं एक बार वापस पढ़ता हूं। यह बड़ा इम्पोर्टेंट है।

राज्य में Self Help Groups, Rural Artisans तथा विभिन्न Handicrafts से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण, Business Enterprise से सम्बन्धित Skills उपलब्ध कराने एवं Marketing Linkage/ Resource Mobilisation में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से Rajasthan Centre of Crafts and Design Management स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार, निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री हेतु e-बाजार ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। इनके तथा राज्य में पंजीकृत MSME के उत्पादों की e-बाजार के माध्यम से राजकीय विभागों द्वारा 10 लाख तक की खरीद बिना कोई टेंडर के की जा सकेगी।

बुचारा (पावटा)- जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

**जल संसाधन:**

अमरसिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर, हनुमानगढ़ के मरम्मत कार्य व बकाया खालों के निर्माण कार्य किये जाएंगे।

जलदा माइनर (बागीदौरा)- बांसवाड़ा का निर्माण कराया जाएगा।

कल्याणपुरा (लालसोट)- दौसा में मोरेल नदी पर एनिकट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, खोरापाड़ा (लालसोट)-दौसा में Flood Control Structures का निर्माण करवाया जाएगा।

डूंगरपूर में भिलुड़ा-जेठाना-सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से माही नदी पर एनिकट बनाया जाएगा। साथ ही, बारीगामा कैनाल (बागीदौरा)-बांसवाड़ा के नवीनीकरण एवं बांध निर्माण का कार्य करवाया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ईसरदा बांध से दौसा तथा सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी। परियोजना के State Share के लिए वित्तीय संस्था AFD के माध्यम से ऋण लेने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी थी। यदि AFD से ऋण मिलने में समय लगा, तो इस योजना की महत्ता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर State Fund से State Share के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए कार्य बिना विलम्ब के प्रारम्भ कराये जाएंगे।

फलौदी-जोधपुर में बारू -धोलिया- टेपू- टेकरा- राणेरी- सिंहड़ा-मोडकिया पेयजल योजना शुरू की जाएगी।

सिकराय-दौसा में Ex.En (PHED) कार्यालय खोला जाएगा।

रावतभाटा (बेगूं)- चित्तौड़गढ़ में जल संसाधन विभाग के (ई-रेक्टर) गैस्ट हाउस की मरम्मत व जीर्णोद्वार किया जाएगा।

**नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय:**

डोलमेला तालाब-बारां के 20 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण के कार्य किये जाएंगे।

सवाई माधोपुर में टाउन हाल का निर्माण कराया जाएगा।

जोधपुर में बालसमंद, नागादड़ी ओवर फ्लो नाला-मण्डोर से फूलबाग चतुरावता बेरा तक नाले की मरम्मत एवं नवीन नाले का निर्माण किया जाएगा।

फतेहपुर-सीकर में बरसाती पानी व गंदे पानी की निकासी सम्बन्धित कार्य करवाये जाएंगे।

**पर्यटन कला एवं संस्कृति:**

हमारे द्वारा वर्ष 2013 में प्रारम्भ मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थयात्रा योजना के माध्यम से वर्तमान में 10 हजार वृद्धजनों को प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करायी जाती है। इसका विस्तार करते हुए आगामी वर्ष से प्रति वर्ष 20 हजार पात्र वृद्धजनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न जिलों में बनायी गयी हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए निजी सहभागिता से रीजनल कनेक्टिविटी, फ्लाइंग क्लब तथा विमानन सेवाओं का व्यापक प्रचालन किया जाना प्रस्तावित है।

उल्कापिण्ड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर (बारां) देश के तीनों

(श्री अशोक गहलोत)

क्रेटरों में से एक है, जो कि विश्व भू-विरासत है। साथ ही, यहां पर 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी हैं। इस स्थल के जीर्णोद्धार एवं अन्य आधारभूत कार्य कराकर इसे जियो हैरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए Rajasthan School of Arts में आवश्यक पदों का सृजन करते हुए आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

राज्य के अलवर, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ व भरतपुर स्थित राजकीय संग्रहालयों को Digital संग्रहालयों के रूप में विकसित किया जाएगा।

श्री गलता जी तीर्थ-जयपुर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जायेगा। साथ ही, मनसा माता मंदिर (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं को शेखावाटी पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा।

**परिवहन**:

चाकसू-जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जाएगा।

**विधि**:

भणियाना-जैसलमेर, चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर, सैंपऊ, बसेड़ी-धौलपुर, भोपालगढ़-जोधपुर, उच्चैन-भरतपुर व आनन्दपुरी (बागीदौरा)-बांसवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (CJJM) खोले जाएंगे। बिछीवाड़ा-डूंगरपुर में ACJJM कोर्ट खोला जाएगा। साथ ही, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय कैम्प कोर्ट, कुचामन सिटी-नागौर व अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 3, संख्या-2 शिविर बेगूं-चित्तौड़गढ़ को स्थायी किया जाएगा।

निवाई-टोंक व नगर-भरतपुर में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय खोले जाएंगे।

**गृह:**

भ्रष्टाचार के विरुद्ध Zero Tolerance की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ACB द्वारा आमजन को Toll Free Helpline Number 1064 एवं Whatsapp Helpline Number 9413502834 पर भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। पिछले 2 वर्षों में ACB ने सराहनीय कार्य करते हुए छोटे से लेकर बड़े भ्रष्ट राजसेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की है। अक्सर परिवादी की कमजोर आर्थिक

(श्री अशोक गहलोत)

स्थिति के कारण भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाहियां सफल नहीं हो पातीं। इसके लिए ACB की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिये जाने की दृष्टि से एक करोड़ रुपये के Revolving Fund की स्थापना नियम बनाकर की जाएगी।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता से जांच कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाने के लिए महिला थानों, Anti Human Trafficking Units (AHTU) एवं Special Investigation Unit for Crime Against Women (SIUCAW) को Umbrella में लाते हुए वर्तमान में सृजित उप अधीक्षक पद को क्रमोन्नत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद के अधीन किया जाएगा।

देश के अन्य भागों के साथ-साथ प्रदेश में Multi State Credit Cooperative Societies यथा आदर्श क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी सोसाइटी आदि द्वारा किये गये घोटालों से लाखों जमाकर्ताओं (Depositors) को अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इन घोटालों से Depositors को हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श कर हमारी सरकार द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए 33 DJ Designated Courts का गठन किया गया है, FIR दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है एवं सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं। अभी भी केन्द्रीय रजिस्ट्रार से स्वीकृत 74 ऐसी Societies कार्यरत हैं, जो कि हमारे लिए चिंता का कारण हैं। भविष्य में ऐसे घोटालों व अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव के अधीन सहकारिता, विधि तथा पुलिस के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए Vigilance Authority का गठन किया जाएगा। इस Authority के माध्यम से वर्ष में 2 बार इन Credit Societies एवं उनकी Books of Accounts का Inspection करवाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु वर्तमान में सृजित सहायक उप निरीक्षक के 6 हजार 323 पदों को, कांस्टेबल पदों के क्रमोन्न्यन से बढ़ाकर 10 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

उनियारा-टोंक व रायथल-बूंदी में नवीन पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। साथ ही, भिरानी-हनुमानगढ़ पुलिस थाने को सी.आई. स्तर थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा।

बहतूकलां (देवी धौलागढ़) कठूमर-अलवर में पुलिस थाना खोला

(श्री अशोक गहलोत)

जाएगा। साथ ही, पुलिस चौकी रायसर (जमवारामगढ़)-जयपुर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा।

**राजस्व:**

देशनोक-बीकानेर, बोरून्दा (बिलाड़ा), गुड़ा विश्नोइयां (लूणी)-जोधपुर, बाटाडू (बायतू)-बाड़मेर, डूंगराना (भादरा)-हनुमानगढ़ व ताला (जमवारामगढ़)-जयपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे।

उप तहसील मण्डावा-झुंझुनूं, सांजु (डेगाना)-नागौर, सेतरावा (लोहावट)-जोधपुर व गामड़ी-अहाड़ा-डूंगरपुर को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही, नोखड़ा (गुढ़ामालानी)-बाड़मेर को तहसील बनाया जाएगा।

आबूरोड-सिरोही, मण्डावर-दौसा, उच्चैन (नदबई)-भरतपुर व पावटा (विराटनगर)-जयपुर में उप खण्ड कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही, जोधपुर (उत्तर) व जोधपुर (दक्षिण) उप खण्ड कार्यालय स्थापित किये जाएंगे।

**कार्मिक कल्याण:**

मैंने, कोविड काल में अधिकारियों-कर्मचारियों से मिले अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान में रखते हुए, उनके डेफर किये गये वेतन को रिलीज कर दिया है। अब मैं, राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की स्वीकृतियां जारी करने की घोषणा करता हूं।

यद्यपि प्रदेश में नये संस्थानों, कार्यालयों एवं अन्य इकाइयों के भवन निर्माण हेतु काफी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स की तरफ समुचित ध्यान नहीं जा पाता। इस हेतु Building Infra Maintenance Fund बनाया जाएगा। प्रदेश में ऐसे जनोपयोगी भवन जिनको मरम्मत की अति आवश्यकता है, उनका सर्वे कराकर इस फंड के माध्यम से आगामी दो वर्षों में 500 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जाएंगे।

राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा (RRDS), हैडमास्टर, स्कूल, व्याख्याता आदि की पदोन्नति सम्बन्धी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रदेश के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी संगठनों यथा पटवारी, मंत्रालयिक, कांस्टेबल इत्यादि की मांगों का, अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

हमारे द्वारा प्रदेश में EWS आरक्षण की पात्रता का सरलीकरण करते हुए आय की सीमा 8 लाख रुपये वार्षिक की गयी थी तथा सम्पत्ति आधारित शर्तों को हटा दिया गया था। अब मैं EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा व फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूं।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड-डे-मील कुक कम हैल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स आदि व REXCO कर्मियों द्वारा राजहित में विशेष सेवाएं दी जा रही हैं। कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने विशेष योगदान दिया है। आगामी 1 अप्रैल से इन मानदेय कर्मियों व REXCO कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े कोरोना वारियर्स की कोरोना से मृत्यु होने पर Ex-gratia के रूप में 50 लाख रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। कोरोना काल के दौरान राशन डीलर्स व पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अत: मैं कोरोना काल के प्रारम्भ से ही राशन डीलर्स व पत्रकारों को भी Ex-gratia राशि दिये जाने की घोषणा करता हूं।

**वित्त एवं कर:**

आबकारी विभाग से सम्बन्धित बकाया मांग एवं विवादित न्यायिक प्रकरणों में व्यापारियों को राहत देने हेतु मैं दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक आबकारी एमनेस्टी योजना, 2021 लाने की घोषणा करता हूं कि:-

(1) 31 मार्च, 2014 तक के बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार मूल राशि में आंशिक एवं ब्याज में पूर्ण छूट, तथा

(2) 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2020 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज पर पूर्ण छूट दी जाएगी।

कोविड-19 से प्रभावित बस व्यवसायियों को राहत देने के लिए Contract एवं Stage Carriage बसों को राज्य परिवहन प्राधिकार (State Transport Authority) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्क के अधीन सामान्य व्यापारिक माल के परिवहन की अनुमति देने की घोषणा करता हूं।

राज्य सरकार ने कोविड-19 एवं लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को

(श्री अशोक गहलोत)

सम्बल प्रदान करने हेतु RIICO के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों को अगस्त, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक अनेक रियायतें दी थीं। अब मैं, इसे आगे बढ़ाते हुए RIICO Amnesty Scheme, 2021 लाने की घोषणा करता हूं, जो 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगी। इसमें:-

(1) सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराये की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट,

(2) आबंटित भूखण्ड पर गतिविधि प्रारम्भ करने में हुई देरी पर देय धारण प्रभार में 50 प्रतिशत छूट, एवं

(3) भूखण्ड/उप विभाजित भूखण्ड के हस्तांतरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुन: एक बार सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो बार पूछ रहे हैं कि ठीक है, ठीक है। इसके कोई मायने हैं?

**श्री अध्यक्ष**: एम.एल.एज. की इच्छा थी कि एम.एल.एज. का फंड कुछ बढ़ाया जाए।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): इसीलिए मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, दो बार पूछ रहे हैं, इसके कोई मायने हैं क्या? क्योंकि मैं अध्यक्ष महोदय को 40 साल से जानता हूं। मैं जानता हूं इनकी बाडी लैंग्वेज़ इनकी मुस्कुराहट, इनके फरमान, इनके मैसेज क्या होते हैं? मैं समझ गया, इसीलिए मैं वापस खड़ा हुआ हूं और आप बता दीजिए मुझे क्या करना है बता दीजिए, मैं घोषणा कर दूंगा। अगले साल से।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता गुलाब चन्द जी कटारिया जो कहेंगे, मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये मुझे अधिकृत कर रहे हैं। अगर आप कहें, तो मैं कह दूं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बुलाओ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मैं निवेदन करूंगा सदन के नेता से, माननीय सभी विधायकों की मंशा है कि इस महंगाई के अन्दर विधायक विकास कोष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की राशि थोड़ी छोटी पड़ती जा रही है। ये राशि विकास के काम में आती है। हम सबकी इच्छा है, पूरे सदन की इच्छा है, आपने जब इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं, सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार विधायक विकास कोष को बढ़ाकर 5 करोड़ करने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय राठौड़ साहब, इसमें कटारिया साहब की सहमति है?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हां। कटारिया साहब।

अध्यक्ष महोदय, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मेरे को कह दिया था, इन्होंने।

**श्री अध्यक्ष**: कटारिया जी, आप ही को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। माननीय कटारिया जी, आज के इस वातावरण के माहौल में ये अधिकार आप ही को दिया जाता है कि आप ही बताएं कि कितनी मिलनी चाहिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं भी विधायक हूं और सबके साथ हूं। सबकी राय में मेरी राय भी है। मैं सोचता हूं कि जब सब चाहते हैं 5 करोड़, तो जरूर करें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कटारिया जी ने कहा है, मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे। दो मिनट रुकिये, बैठिए आराम से आप। माननीय मुख्य मंत्री जी।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोरोना के जो हालात बने हुए हैं, केन्द्र सरकार, राजेन्द्र जी तो 5 करोड़ मांग रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, 5 करोड़ केन्द्र सरकार ने एम.पी. फंड के भी रोक रखे हैं दो साल से, तो व्यावहारिक नहीं है ...(व्यवधान) 3 करोड़ होने चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय हरीश जी, माननीय मंत्री जी**,** I'm on leg. माननीय मंत्री जी, आपकी भावना बहुत अच्छी है। माननीय सदस्य, आपकी भावना बहुत अच्छी है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि कैलाश जी मेघवाल, जो इस विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, वह ऐतिहासिक भाषण है और ऐतिहासक भाषण में आज कटारिया जी ने जो मांग रखी है, हम सब सदस्यों की भावना माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं इनकी तरफ से वकालत कर रहा हूं कि जैसा कटारिया साहब ने कहा, 5 करोड़ की घोषणा करें।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब अधिकार मैंने

(श्री अशोक गहलोत)

आपको दिया है। आपने उनको अधिकार ट्रांसफर कर दिया तो मैं अब क्या बोल सकता हूं? जो आपका आदेश है, वह पूरा होगा। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी का इतना लम्बा भाषण, आपका धैर्य, मेघवाल साहब का भाषण और कटारिया साहब की रिक्वेस्ट, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मानी। मुख्य मंत्री जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व में सदन की गरिमा बनी रहेगी और हम सब मिलकर राजस्थान की अच्छी सेवा कर सकेंगे, जैसे आपने कोरोना में किया। राजस्थान वित्त विधेयक, 2021.

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

सदन की बैठक आप सबकी अनुमति से खुशी के वातावरण में, क्योंकि आज एक विधायक की शादी का भी रिसेप्शन है, इसलिए सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2021 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 19:19 बजे, शुक्रवार, 19 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

# अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

## अलवर एवं जयपुर में वक्फ सम्पत्तियां

**347. श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर व जयपुर में वक्फ बोर्ड की कौन-कौनसी सम्पत्तियां कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्पत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है? यदि नहीं, तो अब कब तक कब्जा ले लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अलवर जिले में वक्फ बोर्ड की कुल 2,089 प्रोपर्टीज हैं। इनमें से 2,042 वक्फ प्रोपर्टीज राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हैं। विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन पश्चात् वक्फ रिकार्ड में अलवर जिले की नवीन पंजीकृत 47 वक्फ प्रोपर्टी हैं। विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में वक्फ बोर्ड की कुल 1,456 प्रोपर्टी हैं। इनमें से 1,177 प्रोपर्टीज राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हैं। विवरण परिशिष्ट-'3' पर संलग्न है। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन पश्चात् वक्फ रिकार्ड में जिले की नवीन पंजीकृत 279 वक्फ प्रोपर्टीज हैं। विवरण परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

जयपुर जिले की उक्त वक्फ सम्पत्तियों में से 39 सम्पत्तियों के भू-भाग पर 181 अवैध कब्जे के प्रकरण हैं। सूची परिशिष्ट '5' पर संलग्न है।

उक्त 39 वक्फ सम्पत्तियों के 181 प्रकरणों में से 76 प्रकरणों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा निर्णय उपरान्त कब्जा हटाने हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। शेष 105 प्रकरण विभिन्न माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, जिनमें माननीय न्यायालयों के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विवरण परिशिष्ट '6' पर संलग्न है।

**(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

## गोगुन्दा में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय का भवन निर्माण

**356. श्री प्रताप लाल भील (गमेती)** (गोगुन्दा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार गोगुन्दा सी.डी.पी.ओ. कार्यालय भवन का निर्माण करवाये जाने का विचार रखती है? क्या उक्त हेतु भूमि एवं कार्यालय के लिए राशि का आबंटन कर दिया गया हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कार्यालय का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय गोगुन्दा में कार्यालय निर्माण हेतु भूमि एवं निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। उक्त बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए भूमि का आबंटन एवं 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। निर्माण कार्य अगस्त, 2019 से प्रारम्भ होकर वर्तमान में पूर्ण होने की स्थिति में है।

## मावली के जनजाति मोहल्लों में विकास कार्यों की स्वीकृतियां

**357. श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 से अब तक विधान सभा क्षेत्र मावली के टी.एस.पी. में आने वाले व बिखरे हुए जनजाति मौहल्लों के विकास के लिए क्या-क्या स्वीकृतियां जारी की गयी हैं? स्थानवार व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने दिसम्बर, 2018 से अब तक विधान सभा क्षेत्र मावली के अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत कार्य - हैण्डपम्प, सामुदायिक भवन, सम्पर्क सड़क एवं राजकीय विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल के कुल 11 कार्यो हेतु राशि रु. 41.85 लाख एवं बिखरे क्षेत्र में 2 कार्य राशि रु. 5.00 लाख स्वीकृत किये गये। स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में 5 कार्यों की 46.70 लाख रुपये तथा बिखरे क्षेत्र में 5 कार्यों की 37.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है, जिसकी सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

**(सूची व सूचना पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## बाल श्रमिकों के पुनर्वास की कार्ययोजना

**358. श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु प्रतिबद्ध है? यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में उक्त के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों एवं कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ईंट भट्टों सहित अनेक व्यावसायिक, औद्योगिक कार्यस्थलों पर अनेक बाल श्रमिक कार्यरत हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में कितने-कितने बाल श्रमिक कब-कब मुक्त कराये गये हैं तथा उनके पुनर्वास की क्या-क्या व्यवस्था की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार बाल श्रम की रोकथाम एवं राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध है तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में बालश्रम की रोकथाम हेतु उठाये गये कदमों एवं कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य में ईंट भट्टों सहित अनेक व्यावसायिक/औद्योगिक कार्यस्थलों पर बच्चों से बाल श्रम करवाये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं तथा विगत तीन वर्षों (यथा 2018, 2019, 2020) में प्रदेश में 5,862 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण मय सूची (परिशिष्ट-2) पर संलग्न है।

बाल श्रमिकों को मुक्त कराने तथा पुनर्वास करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया तथा बाल एवं कुमार श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी के पद का सृजन

**359. श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित है? यदि हां, तो कब से? क्या उक्त विश्वविद्यालय में कोई जन सम्पर्क अधिकारी कार्य कर रहा है? यदि हां, तो उक्त की नियुक्ति किन नियमों के तहत की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यही सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित नहीं है? यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी का कार्य कौन सम्पादित कर रहा है? क्या उक्त व्यक्ति को यह कार्य सम्पादित करने के लिए कोई अतिरिक्त मानदेय या सुविधा प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितना व क्या? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन में रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के लिए प्रक्रिया किस स्तर पर लम्बित है? उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में वर्तमान में कोई जन सम्पर्क अधिकारी कार्यरत नहीं है।

(2) जी हां। श्री महेश शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन विभाग को जन सम्पर्क प्रकोष्ठ के विशेषाधिकारी एवं प्रवक्ता के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है, जिन्हें टेलीफोन बिल का पुनर्भरण किये जाने की स्वीकृति जारी है, किन्तु श्री महेश शर्मा द्वारा यथासमय बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के पत्र दिनांक 01.03.2021 द्वारा इस पद के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय बोर्ड का गठन

**351. श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन घोषणा-पत्र में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय बोर्ड के गठन की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या प्रदेश में उक्त बोर्ड का गठन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। जन घोषणा पत्र में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की घोषणा की गयी थी। निदेशालय की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## उदयपुर ग्रामीण के कल्डवास में रीको द्वारा प्लाटों का आबंटन

**352. श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा कल्डवास रीको एरिये में नया उद्योग स्थापित करने के लिए कोई नई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रीको द्वारा नई इण्डस्ट्रीज डवलप करने के लिए प्लाट का आक्शन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त में किस-किस श्रेणी की इण्डस्ट्रीज स्थापित होंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रीको द्वारा प्लानिंग में क्या कोई केमिकल फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी इण्डस्ट्रीज का प्लान पास किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्लान में रीको द्वारा केडिला इंटरप्राइजेज लिमिटेड को भी प्लाट दिया गया है? यदि हां, तो क्या केडिला इंटरप्राइजेज लिमिटेड केमिकल युक्त इण्डस्ट्रीज लगाएगा? यदि हां, तो कौनसी व कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा

(उद्योग मंत्री)

कल्डवास (विस्तार) में नये उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र 234.835 हैक्टेयर भूमि पर नियोजित किया गया है।

उक्त औद्योगिक क्षेत्र में 225.6050 हैक्टेयर निजी भूमि व 9.23 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर रीको द्वारा कुल 266 औद्योगिक भूखण्ड, 1,572 आवासीय भूखण्ड, 334 वाणिज्यिक भूखण्डों का नियोजन किया गया है, जिसमें अलग-अलग जोन निर्धारित किये गये हैं।

उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक भूखण्डों की सख्ंया का विवरण जोनवार निम्नानुसार है:-

1. फार्मास्यूटिकल जोन-2 भूखण्ड
2. आई.टी. एवं ई.एम.सी. जोन-51 भूखण्ड
3. मार्बल एवं मिनरल जोन-11 भूखण्ड
4. जनरल इण्डस्ट्रीज जोन-202 भूखण्ड

(2) जी हां। नवीन औद्योगिक क्षेत्र कल्डवास (विस्तार) के नियोजन में फार्मास्यूटिकल जोन, मार्बल एण्ड मिनरल जोन, आई टी., ई.एम.सी. जोन एवं जनरल इण्डस्ट्रीज जोन में नई इण्डस्ट्रीज के लिए भूखण्डों का नियोजन किया गया है। पूर्व में फार्मास्यूटिकल जोन में दो नियोजित भूखण्डों का मैसर्स केडिला फार्मास्यूटिकल आबंटन किया गया है। वर्तमान में जनरल इण्डस्ट्रीज जोन के भूखण्डों के आबंटन हेतु आक्शन की प्रक्रिया ई-नीलामी के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी है।

नवीन औद्योगिक क्षेत्र कल्डवास (विस्तार) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 में वर्णित कैटेगरी **A** के अलावा अन्य इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं।

(3) जी नहीं। उक्त औद्योगिक क्षेत्र कल्डवास (विस्तार) में रीको द्वारा कोई केमिकल फैक्ट्रियों हेतु पृथक से कोई प्लानिंग नहीं की गयी हैं।

(4) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र कल्डवास (विस्तार) में मैसर्स केडिला फार्मास्यूटिकल को दिनांक 28.07.2014 को 38.74 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया था। आबंटन पत्र के अनुसार उक्त भूखण्ड पर बल्क ड्रग उत्पादन की इकाई स्थापित की जानी है। आबंटन पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जोधपुर में जिला उद्योग केन्द्र के लाभार्थी

**353. श्री महेन्द्र बिश्नोई** (लूणी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला उद्योग केन्द्र जोधपुर में वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र लूणी के निवासियों द्वारा ऋण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितने लोगों को ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग के माध्यम से निम्नांकित 2 रोजगार मूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं-

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:- इस योजना अन्तर्गत 25 लाख रुपये तक का ऋण विनिर्माण उद्यम एवं 10 लाख रुपये तक का ऋण सेवा उद्यम हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु संधारित पीएमईजीपी ई-पोर्टल www.kviconline.gov.in पर लॉगइन करके आवेदन कर सकते हैं।
2. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना:- इस योजना अन्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रु. तक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सेवा/व्यापार/विनिर्माण उद्यम स्थापनार्थ प्रदत्त ऋण प्रकरणों में योजना के नियमानुसार 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु www.sso.rajasthan.gov.in पर लॉगइन करके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आइकन पर लॉग-इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर में वर्ष 2019-20 में लूणी विधान सभा क्षेत्र के निवासियों द्वारा लोन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

(उद्योग मंत्री)

| **आवेदन पत्रों का विवरण** | **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** | **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना** |
|---|---|---|
| | **आवेदन पत्रों की संख्या** | **आवेदन पत्रों की संख्या** |
| प्राप्त आवेदन | 56 | 10 |
| बैंक/वित्तीय संस्थान को अग्रेषित | 45 | 10 |
| बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत | 18 | 1 |
| बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण वितरित | 18 | 1 |
| बैंक/वित्तीय संस्थान में लम्बित | 3 | 9 |
| बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अस्वीकृत | 24 | 0 |
| कार्यालय द्वारा निरस्त आवेदन पत्र | 11 | 0 |

## बानसूर में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

**354. श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बानसूर में औद्योगिक विकास के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कितनी भूमि पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। बानसूर उप खण्ड के अन्तर्गत ग्राम नीमूचाना व खोहरी में कुल क्षेत्रफल 407.05 है. राजकीय भूमि का चिन्हीकरण नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु किया गया है। इस चिन्हित भूमि का निरीक्षण दिनांक 18.08.2020 को गठित स्थल चयन समिति द्वारा कर लिया गया। प्रस्तावित

(उद्योग मंत्री)

भूमि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान सब-रीजनल प्लान-2021 के तहत नैचुरल कंजर्वेशन जोन (प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र) में "ओपन स्क्रब (अवानिकी)" भू-उपयोग में आ रही है। भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## सूरजगढ़ में मिनी ग्रोथ सेन्टर खोलने की कार्ययोजना

**355. श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए मिनी ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो जिला झुंझुनूं के कौन-कौन से स्थानों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में मिनी ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या मिनी ग्रोथ सेन्टर खोले जाने से पूर्व सर्वे कराया जाता है? यदि हां, तो उक्त जिले में कौनसे स्थान का चयन प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। झुंझुनूं जिले में मिनी ग्रोथ सेन्टर स्थापित नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मिनी ग्रोथ सेन्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) मिनी ग्रोथ सेन्टर खोले जाने से पूर्व सर्वे नहीं कराया जाता है।

## मारवाड़ जंक्शन में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

**356. श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय व उप केन्द्र संचालित हैं तथा उनमें कौन-कौन से पद स्वीकृत व रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) उक्त चिकित्सालयों में कौन-कौनसी दवाइयां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कितने औषधालय भवन विहीन हैं? क्या सरकार उक्त औषधालयों हेतु भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में एक योग एवं प्राकृतिक औषधालय व 31 आयुर्वेद औषधालयों सहित कुल 32 औषधालय संचालित हैं। उक्त औषधालयों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए 450 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों को आवश्यकता अनुसार भरा जा सकेगा।

(2) उक्त चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही औषधियों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कोई भी औषधालय भवन विहीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में देय सुविधाएं

**357. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना लागू की गयी थी? यदि हां, तो एक आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या-क्या सुविधाएं देने का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषित किया गया है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रदेश में एक आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निम्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं:-

1. बहिरंग (आउटडोर) सेवाएं।
2. मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना (एम.एन.जे.वाई.) के अन्तर्गत जांच सुविधा की उपलब्धता।
3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना (एम.एन.डी.वाई.) के अन्तर्गत दवा की सुविधा की उपलब्धता।
4. प्रसव सेवाएं।

उपरोक्त समस्त सुविधाएं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक स्टैंडर्ड लुक एण्ड फील हेतु उन पर रंगरोगन करवाया गया एवं दीवारों पर मैसेज इत्यादि लिखवाये गये।

(2) राज्य में 891 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषित किया गया था।

वर्तमान में 834 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं व 57 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जा चुका है, जो वर्तमान में संचालित हैं। जिलेवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(3) उक्त आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। जिन केन्द्रों पर सुविधाओं की उपलब्धता में गैप है, वहां वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नोखा के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु नवीन भवन का निर्माण

**358. श्री बिहारीलाल** (नोखा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोखा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारूण्डा व रासीसर में नवीन भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिहारीलाल)

(2) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया कहां लम्बित है? विवरण सदन की मेज रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नोखा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारूण्डा के नवीन भवन का निर्माण कार्य दिनांक 20.02.2021 एवं रासीसर का दिनांक 07.02.2021 को प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) बिन्दु संख्या एक के अनुसार।

## करौली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

**359. श्री लाखन सिंह** (करौली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली में पंचायत परिसीमन से बनी नवीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में विधान सभा क्षेत्र करौली में पंचायत परिसीमन से बनी नवीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर चरणबद्ध रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार किया जाएगा।

## चाकसू में सी.एच.सी. के भवन निर्माण

**360. श्री वेद प्रकाश सोलंकी** (चाकसू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कितनी नवीन सी.एच.सी. स्वीकृत की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो कब तक भवन निर्माण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 22.05.2018 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखावदा को क्रमोन्नत कर 30 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त पदों सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोराजपुरा, पंचायत समिति माधोराजपुरा, जिला जयपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गयी है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखावदा का भवन निर्माण कार्य 24.01.2020 को पूर्ण किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखावदा नवनिर्मित भवन में संचालित है।

आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नवक्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोराजपुरा, जयपुर के भवन निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

## भीलवाड़ा में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

**361. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम बनाने का कार्यक्रम चल रहा है? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में कितने गोदामों का निर्माण किया गया है? शेष ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम कब तक बना दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कराया जाता है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा-बनेडा विधान सभा क्षेत्र में कुल 59 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 53 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हो चुका है, 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माणाधीन है तथा एक समिति में बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में गोदाम स्वीकृत किया गया है। शेष 2 समितियों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में 04

(सहकारिता मंत्री)

नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों यथा दोलतपुरा, मेघरास, बनेड़ा एवं खेडलिया के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो परीक्षणाधीन हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

## जयपुर एवं करौली में सहकारी दवा दुकानदारों द्वारा अनियमितताएं

**362. श्री रमेश चन्द मीना** (सपोटरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला जयपुर व करौली में सहकारी दवा दुकानदारों द्वारा चिकित्सक की लिखी दवा के स्थान पर महंगी दवा अथवा अन्य साल्ट की दवाई देने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। जिला जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा संचालित कांवटिया परिसर स्थित दवा विक्रय केन्द्र के सम्बन्ध में चिकित्सक की लिखी दवाई के स्थान पर महंगी दवाइयां देने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्समय उक्त शाखा पर कार्यरत आउटसोर्स फार्मासिस्ट को दवा विक्रय केन्द्र से हटा दिया गया था।

करौली में जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., करौली द्वारा संचालित सहकारी दवा विक्रय केन्द्र पर चिकित्सक की लिखी दवाई के स्थान पर महंगी दवाई देने/अन्य साल्ट की दवाइयां देने की शिकायतें भण्डार में प्राप्त नहीं हुई हैं।

## पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पद

**363. श्री राकेश पारीक** (मसूदा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक कितनी सहकारी समितियां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश पारीक)

(3) प्रदेश में पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से कितनी समितियों में नियमित व्यवस्थापक कार्यरत हैं तथा कितनी समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में 6,722 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से दिनांक 31 जनवरी, 2021 को 6,633 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित/क्रियाशील है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में संचालित/क्रियाशील समितियों में से 3,488 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियमित व्यववस्थापक कार्यरत हैं तथा 3,145 समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सुमेरपुर में संचालित मदरसे

**364. श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा .क्षेत्र सुमेरपुर में कितने मदरसे कहां-कहां संचालित हैं व उक्त मदरसों में प्रत्येक में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उक्त मदरसों में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित मदरसों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने रिक्त हैं एवं कितने कार्यरत हैं? क्या उक्त शिक्षक सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं अथवा पैराटीचर हैं? उक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान किस मद से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 5 मदरसे पंजीकृत हैं। मदरसों का गांववार तथा उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र मे मदरसा सुविधा अनुदान के तहत 02 मदरसों को कुल राशि रु 10000/- वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत की गयी, जिसका भुगतान वर्ष 2020-21 में किया गया। विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) मदरसा पैराटीचर का नियमित पद नहीं है। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में संविदा के आधार पर पैराटीचर लगाये जाते हैं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के पंजीयन संख्या 2,834 मदरसे में एक पैराटीचर कार्यरत है। पैराटीचर्स संविदा आधारित शिक्षा सहयोगी हैं। इनका भुगतान मद संख्या 2202-01-800-00-05 सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन से किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## इंदिरा गांधी के नाम पर संचालित योजना

**365. श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा प्रदेश में इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं के कल्याण हेतु नई योजना प्रारम्भ की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके तहत स्वीकृत योजनाओं का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि

**366. श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आशा सहयोगिनी मानदेय के आधार पर कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कुल कितनी आशा सहयोगिनियां कहां-कहां पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(2) क्या सरकार उक्त के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से मानदेय पर समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ में कुल 326 आशा सहयोगिनी के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध 304 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आशा सहयोगिनी को आई.सी.डी.एस. की ओर से प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2,700 रु. का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान (परफोर्मेंस बेस्ड इन्सेन्टिव) किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## ब्लाक टास्क फोर्स के अभाव में लैप्स केन्द्रीय आबंटन

**367. श्री सतीश पूनियां** (आमेर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत लिंगानुपात में सुधार के लिए जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, बारां तथा करौली जिले का पांच एस्पिरेशनल जिलों में चयन किया गया था? यदि हां, तो कब से तथा राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु कितनी अतिरिक्त राशि आबंटित की गयी?

(2) क्या यह भी सही है कि ब्लाक टास्क फोर्स (बी.टी.एफ.) का गठन नहीं होने के कारण ब्लॉक को दी जाने वाली राशि का प्रत्येक सत्र में उपयोग नहीं किया जा सका? यदि हां, तो अब तक योजनान्तर्गत कितनी राशि ब्लाक टास्क फोर्स (बीटीएफ) नहीं बनने के कारण लैप्स हो गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा मॉनिटरिंग के अभाव में उक्त की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। धौलपुर, करौली दिनांक 22.01.2015 को, जैसलमेर

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

जिला अप्रैल 2016 में तथा बारां, सिरोही दिनांक 08.03.2018 को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना में शामिल किये गये।

योजनान्तर्गत प्रति जिला प्रति वर्ष 50 लाख रुपये केन्द्र सरकार की ओर से बजट प्रावधान किया गया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अन्तर्गत जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, बारां तथा करौली सहित पांच एस्पिरेशनल जिलों को अतिरिक्त राशि आबंटित नहीं की गई।

(2) जी नहीं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अन्तर्गत ब्लाक टास्क फोर्स के लिए पृथक से कोई बजट प्रावधान नहीं है बल्कि योजना की गाइडलाइन के अनुसार प्रति जिला अन्तर्विभागीय कार्यशाला, जिला टास्क फोर्स, ब्लाक टास्क फोर्स, मीडिया अभियान, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन/ संवेदीकरण कार्यक्रमों हेतु कुल 8 लाख का वार्षिक बजट प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख योजना की गाइडलाइन के परिशिष्ट-VII में किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट-अ पर)

सभी जिलों में ब्लाक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। (संलग्न परिशष्ट-ब पर)

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं होने पर राशि लैप्स नहीं होती है। बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने पर अवशेष राशि का भारत सरकार द्वारा पुनःवैद्यीकरण किया जाता है तथा यह अवशेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग में ली जा सकती है। इसका विवरण "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना की भारत सरकार की गाइडलाइन के परिशिष्ट- X पर उल्लेखित है। (संलग्न परिशिष्ट-स पर)

(3) विभाग की ओर से योजना की पूर्ण मानिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स तथा उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लाक टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा उनकी बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विभाग की ओर से मार्गदर्शिका जारी की गयी है। जिलों के साथ समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेंस एवं पत्राचार द्वारा पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

## रानीवाड़ा में आदर्श खेल स्टेडियम की स्थापना

**368. श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित हैं और उनमें जनजाति की जनसंख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के जनजाति वर्ग के युवाओं को खेल-कूद गतिविधियों से जोड़ने हेतु आदर्श खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा अन्तर्गत कोई ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की कुल जनसंख्या 3,43,179 है जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 49,484 है, जो कि कुल जनसंख्या का 14.41 प्रतिशत है।

(2) जनजाति प्रतिभाओं को खेल सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर बजट की उपलब्धता, कार्य की उपादेयता व क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता का निर्धारण कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

## किशनगंज, शाहबाद में जनजाति छात्र-छात्राओं को स्वीकृत छात्रवृत्ति

**369. श्रीमती निर्मला सहरिया** (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद में जनजाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कुल कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद में निवासरत सहरिया विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु शैक्षणिक उत्प्रेरक तथा प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

विगत पांच वर्षों में बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति के राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रदत्त शैक्षणिक उत्प्रेरक तथा प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)**

## महवा में श्रमिक कल्याण के लम्बित आवेदन

**370. श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महवा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में श्रमिकों के कल्याण की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र महवा में उक्त योजनाओं के तहत कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं तथा कितने लोगों के आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा लम्बित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में वर्तमान में मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महवा में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित एवं लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायता आवेदनों को नियमानुसार योजना में उल्लेखित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार फीफो पद्धति से यथाशीघ्र निस्तारित किया जाता है। मण्डल में उपलब्ध सीमित संसाधान एवं कोष की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय संवेदनशील योजनाओं के आवेदन, जैसे सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूलकिट योजनाओं के आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आहोर में शुभशक्ति योजना के लाभार्थी

**371. श्री छगनसिंह** (आहोर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री छगनसिंह)

विधान सभा क्षेत्र आहोर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक कितने अभ्यर्थियों द्वारा शुभशक्ति योजना हेतु आवेदन किया गया एवं कितने अभ्यर्थियों को उक्त योजना का लाभ मिला तथा कितने अभ्यर्थियों के प्रस्ताव लम्बित हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र आहोर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त, स्वीकृत एवं लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

शुभशक्ति योजना के लम्बित रहने के निम्न कारण हैं:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में श्रम मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देश तथा मण्डल में उपलब्ध सीमित कोष

संवेदनशील योजनाओं को प्राथमिकता

योजना लाभ हेतु अपात्र श्रमिकों द्वारा पंजीयन तथा योजना हेतु आवेदन

कोरोना काल में श्रमिकों को आर्थिक सहायता हेतु राज्य सरकार के निर्देशों से मण्डल कोष में से राशि का हस्तान्तरण

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

**372. श्री समाराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दर क्या है? क्या सरकार वेज बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

वर्तमान मे अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें क्रमशः रुपये 225/-, 237/-, 249/- एवं 299/- प्रतिदिन निर्धारित हैं, जो दिनांक 01.05.2019 से प्रभावी हैं।

जी हां। राज्य में न्यूनतम मजदूरी में अभिवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत दिनांक 04.02.2021 को अधिसूचना जारी कर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्चकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 252/-, 264/-, 276/- एवं 326/- प्रस्तावित कर एतराज एवं सुझाव चाहे गये हैं।

## राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा

**373. श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोगों द्वारा, जिन्होंने राजस्थानी को अपनी मातृभाषा बताया था? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थानी भाषा को राजस्थान राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने सम्बन्धी वर्तमान में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 2011 की जनगणना में जनगणना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में भारत में राजस्थानी मातृभाषा बोलने वालों की कुल संख्या 2,58,06,344 तथा राजस्थान में कुल संख्या 2,52,79,304 दर्शाई गयी है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन योजना

**374. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (पूर्व राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा) में वर्ष 1983 से नियुक्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पेंशन योजना का लाभ पूर्व व वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को देय होगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त पेंशन योजना हेतु अपनी कोई कार्ययोजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विभाग द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में तत्कालीन इंजीनियरिंग कालेज कोटा के 01 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्ति कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना के सम्बन्ध में दिनांक 21.01.2021 को अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त पेंशन योजना के सम्बन्ध में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(3) जी नहीं। उक्त पेंशन योजना हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में कार्ययोजना प्रक्रियाधीन है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## रेवदर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना

**375. श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के अभाव में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र इच्छुक छात्र-छात्राओं को अध्ययन से वंचित रहना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रेवदर मुख्यालय पर राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र इच्छुक छात्र-छात्रा विभाग के अन्तर्गत संचालित 11 स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में से किसी भी स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के इंजीनियरिंग, एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर जिला सिरोही में आता है। वर्तमान में जिला सिरोही में एक निजी जन सहभागिता अन्तर्गत चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में इस संस्था के बी.टेक. में कुल प्रवेश क्षमता 270 के विरुद्ध मात्र 73 प्रवेश हुए हैं।

वर्तमान में रेवदर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## लाडनूं में नवीन महिला पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना

**376. श्री मुकेश कुमार भाकर** (लाडनूं): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कोई महिला पॉलीटेक्निक कालेज नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला पॉलीटेक्निक कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्तमान में नागौर जिले में 01 राजकीय सह-शिक्षा एवं 02 निजी पोलीटेक्निक कालेज क्रमश: 160 एवं 510 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। सत्र 2020-21 में 01 राजकीय सह-शिक्षा में 160 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 31 प्रवेश हुए हैं तथा 02 निजी सह-शिक्षा पालीटेक्निक कालेज में 510 की प्रवेश क्षमता के विरुद्ध मात्र 63 प्रवेश हुए हैं।

इन कालेजों में कुल प्रवेश क्षमता में से 25 प्रतिशत सीटें छात्राओं हेतु आरक्षित हैं, जिन पर छात्राओं का प्रवेश अत्यन्त न्यून है।

(2) जी नहीं। प्रश्न के भाग संख्या एक में वर्णित स्थिति के दृष्टिगत वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र लाडनूं (नागौर) में महिला पॉलीटेक्निक कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## बसेड़ी की जाटव बस्ती, पदमपुरा में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की स्थापना

**377. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा** (बसेड़ी): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की जाटव बस्ती, पदमपुरा में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की जाटव बस्ती, पदमपुरा में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।